खण्ड-424, अंक-10
गुरूवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1920
(2 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–57
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	57–58
जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में असंतुलित विद्युत वितरण व्यवस्था का निराकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद/आजमगढ़ के कतिपय गांव में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
विधान सभा क्षेत्र रानी खेत अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानीला क्षेत्र में व्याप्त जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58–59
आगरा महानगर की मलिन बस्तियों का समुचित विकास कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
प्रतापगढ़ जनपद के सदर ब्लाक तथा मान्धाता ब्लाक में इन्दिरा आवास आवंटन में किये गये पक्षपात की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	60
आयुर्वेदिक यूनानी निदेशालय लखनऊ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद उन्नाव के थाना असोहा पुलिस द्वारा ग्राम जबरेला में एक परिवार का कथित उत्पीड़न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60–61
नियम 300 की सूचनाएं	60
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–3 (खण्ड–I व II) (पटल पर रखा गया)	61
वित्त लेखे वर्ष 1996-97, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष, 1996-97 (पटल पर रखे गये)	61
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 एवं 1995-96, (पटल पर रखा गया)	61
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)... ...	62
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	62
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	62–65
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान सं० 09–ऊर्जा विभाग (जारी)	65–108
प्रदेश में फिल्म विकास परिषद् के गठन की सूचना	109–111
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान सं० 09–ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	111–155

विषय				पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	155–156
उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षकों के पदों पर पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य	...	...		156–157
जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में भयंकर रूप से फैली कालरा की बीमारी से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		157–159
जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टाप बनाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य-मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	159
जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में स्थापित स्टील फैक्टरियों के आर्थिक संकट के कारण बन्द होने से उत्पन्न गम्भीर बेरोजगारी की समस्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		159–160
जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में आने वाले मसौधा विकास खण्ड के लगभग 70 गांव को नवसृजित तहसील सोहावल में शामिल करने से मसौधा ब्लाक के लोगों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	160
जनपद शाहूजी महाराजनगर के पठारी भाग में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	...			160–162
प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हजारों पी० एम० एस० महिला एवं पुरुष, पी० एच० एस० डाक्टरों का एकीकरण कर ज्येष्ठता सूची बनाये जाने संबंधी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	...	...	...	162
प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या की तुलना में उनके इलाज हेतु कम सुविधा उपलब्ध होने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	...	...		162
नत्थी	...	...	...	163–165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधमसिंह नगर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बाबू खां, श्री	हरदोई
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशन सिंह चुफाल, श्री	पिथौरागढ़
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

श्री. अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सरकार का प्रदेश में कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ रही है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(लालमणि प्रसाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री अखिलेश कुमार सिंह आदि सदन के वेल में आ गये तथा नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने आसन पर जायं ।

(माननीय सदस्य अपने आसन पर चले गये ।)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

जब अध्यक्ष अपने आसन पर खड़े हों या पीठासीन अधिकारी खड़ें हों, तो आपको चाहिये कि अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने नोटिस दिया है । (शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं । विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया हैं । महत्वपूर्ण विषय है लेकिन जितना महत्वपूर्ण यह विषय है उतना ही प्रश्न काल भी महत्वपूर्ण है । आप 12.20 तक प्रश्न काल चलने दें उसके बाद 2-4 मिनट का कार्य है । कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश है । उसके बाद मद संख्या–12 आ जायगी । मैं सबसे पहले इसी विषय की सूचना ले लूंगा । प्रश्न काल चलने दें माननीय सदस्यों के प्रश्नों का समाधान भी हो जायेगा ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अवधेश प्रसाद–

इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं है ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रश्न काल महत्वपूर्ण है लेकिन प्रश्न काल से यह विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है । नियम–311 में इससे ज्यादा अविलम्बनीय घटना और कोई नहीं हो सकती ।

(कई माननीय सदस्य, सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख मी० टन गेहूं खरीद का लक्ष्य घोषित

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सरकारी समर्थन मूल्य के अन्तर्गत प्रदेश मे गेहूं की खरीद का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि हां,तो पूरे प्रदेश में कुल कितने टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है ? क्या उस लक्ष्य के अन्तर्गत खरीद के लिये सरकार ने कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिजवी)–

जी हां ।

रबी खरीद वर्ष 1998-99 में प्रदेश हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कुल 20 लाख मी० टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

जी हां ।

प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख मी० टन गेहूं खरीद के लक्ष्य की पूर्ति हेतु खाद्य विभाग की विपणन शाखा तथा भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त उ० प्र० सहकारी संघ, उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ, यू० पी० एग्रो, आवश्यक वस्तु निगम, राज्य भण्डागारण निगम तथा केन्द्रीय भण्डागारण निगम को गेहूं क्रय हेतु क्रय संस्था नामित किया है ।

इस हेतु क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश में खोले गये हैं तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोलने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है ।

उक्त समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा दिनांक 04-6-98 तक 20 लाख मी० टन लक्ष्य के विरुद्ध कुल 16.77 लाख मी० टन गेहूं का क्रय किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्नोत्तर पढ़े जाने के उपरान्त घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

राष्ट्र भाषा हिन्दी के वैभव को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जनपदवार कवियों एवं लेखकों के साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था कराने की मांग

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिन्दी के वैभव को बढ़ाने के लिये प्रत्येक जनपद में मौजूदा लेखकों एवं कवियों के साहित्य को सरकारी स्तर पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मौजूदा लेखकों एवं कवियों के साहित्य को सरकारी स्तर पर प्रकाशित करवाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भाषा विभाग के अधीन राज्य स्तर की प्रकाशन अनुदान की दो योजनायें पूर्व से चल रहीं हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रतिभा-पलायन को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के समान खेल नीति योजना लागू करने की मांग

*1—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य से होने वाले प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने एवं राज्य को खेल जगत में अग्रणी स्थान दिलाये जाने हेतु सरकार कोई विशिष्ट खेलकूद योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जी हां।

केन्द्रीय खेल नीति के अनुरूप प्रदेश में भी ऐसी खेल नीति बनाई जा रही है जिससे राज्य से होने वाले प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा तथा खेल जगत में राज्य को अग्रणी स्थान दिलाये जाने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में मई, 1998 की भीषण गर्मी व लू से हुई मृत्यु एवं बचाव हेतु किये गये उपायों का विवरण

*2—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मई, 1998 की भीषण गर्मी एवं लू की चपेट से अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार ने प्रदेश में भयंकर गर्मी एवं लू से निपटने हेतु कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गए।

राजस्व मंत्री (श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां । प्रदेश के 77 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मई, 98 की भीषण गर्मी एवं लू की चपेट से जनपद झांसी में 06, ललितपुर में 04, अलीगढ़ मे 01, सोनभद्र में 13, महोबा में 02, हरदोई में 02, फैजाबाद में 01, इलाहाबाद में 05, बांदा में 01, इटावा में 01, मिर्जापुर में 01, चन्दौली में 02 तथा आगरा में 01 इस प्रकार कुल 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । प्रदेश में भयंकर गर्मी एवं लू से निपटने हेतु पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं लू से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार किया गया है।

प्रदेश के शेष जनपदों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्ष 1990 से 1997 तक पर्वतीय क्षेत्र के भूमि संरक्षण में हुए धन दुरुपयोग प्रकरणों में आडिट रिपोर्ट्स एवं तत्संबंधी कार्यवाही की जानकारी

*1—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के भूमि संरक्षण में धन के दुरुपयोग संबंधी 1990 से 1997 तक कितने मामलों में आडिट रिपोर्ट्स विभाग को प्राप्त हुई ? इनमें से कुल कितने मामलों में शासन स्तर से विभागीय कार्यवाही करने का और कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया है ? इनमें से कुल कितने मामले अनिस्तारित हैं ? क्या यह निस्तारण प्रथम आगत प्रथम परीक्षण के आधार पर है या पिक एण्ड चूज आधार पर है ? क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितने प्रकरणों में शासन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने के निर्णय लिये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

वर्ष 1990 से 1997 तक की अवधि में पर्वतीय क्षेत्र की 9 भूमि संरक्षण इकाइयों का तकनीकी सम्प्रेक्षण विभाग को प्राप्त हुआ है ।

इनमें से भूमि संरक्षण इकाई, रानीखेत तथा ताड़ीखेत की तकनीकी सम्प्रेक्षण रिपोर्ट पर अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है । शेष तकनीकी सम्प्रेक्षण रिपोर्ट पर कार्यवाही क्रमिक है ।

समस्त प्रकरण अनिस्तारित हैं, यद्यपि प्रायः समस्त प्रकरणों में कार्यवाही क्रमिक है ।

नियमों के अनुसार कार्यवाही क्रमिक है । पिक एण्ड चूज के आधार पर कार्यवाही नहीं की जाती है ।

भूमि संरक्षण इकाई, रानीखेत के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने का निर्णय लिया गया है।

राजकीय संग्रहालय, मथुरा के विस्तार हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धन की मांग

*2—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संस्कृति मंत्री को जानकारी है कि राजकीय संग्रहालय, मथुरा के विस्तार हेतु वर्ष 1996 में शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दो वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक राजकीय संग्रहालय, मथुरा के विस्तार हेतु शासन के वित्त विभाग द्वारा आवंटित धनराशि को उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिव्यय की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

*3—श्री राम औतार शाक्य–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*4—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[7वें सोमवार में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० मण्डी परिषद् में नियुक्त मण्डी सहायकों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित किये जाने की मांग

*5—श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् में नियुक्त मण्डी सहायकों को वर्तमान मण्डी निदेशक द्वारा लेबर मानकर उनको मण्डी निदेशालय के चतुर्थ श्रेणी से कम वेतन दिया जा रहा है? सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के लिखित आदेश पर मण्डी सहायक के पद पर नियुक्त योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को लेबर घोषित किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उनको मण्डी के अन्य कर्मचारियों की भांति अवकाश आदि की सुविधा न देकर उनका प्रशासनिक शोषण वर्तमान निदेशक द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी मण्डी सहायकों को जिनकी नियुक्ति निदेशक के आदेश पर हुई है, को वरिष्ठता के अनुसार नियमित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को प्रदत्त मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग

*6—श्री शिव सिंह चक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टूण्डला विधान सभा क्षेत्र में विगत दिनों में हुई ओलावृष्टि से उत्पन्न समस्या से निदान हेतु किसानों को दिया गया मुआवजा महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजा राशि रुपये 500/- को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही-

टूण्डला विधान सभा क्षेत्र में ओला वृष्टि से 45 ग्राम प्रभावित हुए थे। इस संबंध में 6405 खातेदारों/कृषकों को कुल रु० 68,56,975/- की धनराशि सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है। जहां तक राहत दरों के संशोधन का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मा० मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान राहत दर रु० 500/- प्रति एकड़ को बढ़ाकर रु० 1000/- प्रति एकड़ करने तथा अधिकतम सीमा प्रति कृषक परिवार रु० 2500/- को बढ़ाकर रु० 5000/- करने के निर्णय का उल्लेख अपने बजट भाषण में किया है।

जनपद जालौन में रबी फसलों की बुवाई हेतु खाद एवं बीज की समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग

*7—श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि गत माह नवम्बर व दिसम्बर, 1997 में असामयिक अतिवृष्टि के कारण जनपद जालौन में रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या पुनः गेहूं आदि की बुवाई के लिये जनपद में खाद व बीज का समुचित प्रबन्ध किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद जालौन में असामयिक वर्षा से धान की फसल को 12% रबी व दलहनी फसलों को 10 से 12% तथा सोयाबीन की फसल को 8 से 10% नुकसान हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत अध्यक्षों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के विवरण की जानकारी

*8—डा० वकार अहमद शाह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था की गयी है ? इसके अन्तर्गत जिला पंचायत अध्यक्षो को क्या-क्या अधिकार प्रदत्त किये गये हैं ? इनके अधीन कौन-कौन से विभाग हैं ? क्या जिला पंचायत अध्यक्षों को इन विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी दिये गये है / यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन जिला पंचायत अध्यक्षों को इनके अधीन विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्म पाल सिंह)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 58 में अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य का विवरण दिया गया है जिसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी सम्मिलित हैं जो निम्नवत् हैं :–

अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह– (क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके–

(1) जिला पंचायत तथा उसकी उन समितियों को, जो तदर्थ नियत की जाय, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करें।

(2) जिला पंचायत की सभी बैठकों में कार्य के सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करें,

(ख) जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखें तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करें तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करें : तथा

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हो अथवा उस पर आरोपित किये जायं । इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 56 में जिला पंचायत के कुछ अधिकारों का प्रयोग तथा सम्पादन अध्यक्ष द्वारा किये जाने की व्यवस्था है ।

इनके अधीन कोई विभाग नहीं है ।

नई पंचायती राज व्यवस्था में 32 विभागों के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन संबंधी कुछ अधिकारों को जिला पंचायती को प्रतिनिधायन करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें अब तक 28 विभागों द्वारा अधिकारों एवं कृत्यों को त्रिस्तरीय पंचायतों को दिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत में तहसीलों के सृजन हेतु विशेषज्ञ समिति की प्रतीक्षित संस्तुति

*9–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नव सृजित जिला चम्पावत के लिये क्रमशः टनकपुर, लोहाघाट पार्टी एवं बाराकोट में तहसील खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक तहसीलें उक्त स्थानों में खोल दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद चम्पावत में पूर्णागिरि (मुख्यालय टनकपुर) श्री वारादेवी (मुख्यालय पार्टी) तथा वाराकोट को तहसील बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही तद्नुसार उपरोक्त स्थलों को तहसील बनाये जाने के संबंध में यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा । लोहाघाट को तहसील बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

*10–श्री राजधारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

शासन में जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि का विचाराधीन प्रस्ताव की जानकारी

*11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में अन्य प्रदेशों की भांति पचास हजार की आबादी पर निर्वाचित प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को रुपये तीन हजार से पांच हजार मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या इस तरह का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत कर उस पर अन्य प्रदेशों की भांति समान रूप से जिला पंचायत सदस्यों को मानदेय दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत के विभिन्न ग्रामों में फैली बीमारी से पशुओं की हुई मृत्यु की रोकथाम एवं मुआवजा की मांग

*12-श्री समरपाल सिंह-

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि मार्च/अप्रैल, 1998 में पशुओं में फैली एक बीमारी के कारण जनपद बागपत में विभिन्न गांवों में सैकड़ों जानवर मर गये हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त जानवरों की मौत किस बीमारी के कारण हुई थी ? उसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? जिन गरीब लोगों के जानवर उपरोक्त बीमारी के कारण मरे हैं क्या सरकार उन्हें मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गोरख प्रसाद निषाद)-

जनपद बागपत में 2 ग्रामों में 13 पशुओं के मरने की सूचना है ।

पशुओं में मृत्यु का कारण खुरपका-मुंहपका तथा गलाघोंटू रोग के मिश्रित प्रकोप का परिणाम था ।

गलाघोंटू व खुरपका-मुंहपका रोग के टीके लगाये गये ।

जी नहीं ।

मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

*13-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद संत रविदास नगर में जिला परिषद् द्वारा की जा रही रंगदारी टैक्स वसूली को रोके जाने की मांग

*14-श्री गोरख नाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर में जिला परिषद् द्वारा विभिन्न छोटे-छोटे बाजारों में तहबाजारी के नाम पर रंगदारी टैक्स वसूल किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि लोगों का निजी वाहनों से चलना मुश्किल हो गया है ? क्या सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म पाल सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

संग्रह तहवीलदार के पद को कोषागार में सम्मिलित न किये जाने के संबंध में शासन से जानकारी

1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब संग्रह स्याहानवीस जो कलेक्ट्रेट कैडर का पद था, को कोषागार में सम्मिलित किया गया तो संग्रह तहवीलदार के पद को कोषागार में सम्मिलित न करने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि संग्रह तहवीलदार जो कलेक्ट्रेट कैडर का पद है के बाबत शासनादेश संख्या 4[illegible] राजस्व-6 दिनांक 26 मई, 1979 द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में ज्येष्ठता देकर नियुक्त किये जाने के आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां,

तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त शासनादेश जारी होने के बाद संग्रह तहवीलदार के पद से कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में बिना प्रोन्नति दिये कितने कर्मचारी एक ही ग्रेड में रहकर सेवा निवृत्त हुए ? सरकार इन कर्मचारियों के प्रति क्या न्याय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

1–संग्रह स्याहा नवीस और संग्रह तहवीलदार के पदों का सृजन शासनादेश संख्या–11585/ आई० पी०, दिनांक 12-12-1953 द्वारा हुआ था । वर्ष 1969 में संग्रह स्याहा नवीस के पदधारकों की प्रार्थना पर शासनादेश संख्या–एस०–661/दस–800, दिनांक 26-2-69 द्वारा विकल्प के आधार पर कलेक्ट्रेट कैडर से कोषागार कैडर में संविलियन किया गया था । इस समय संग्रह तहवीलदारों के कोषागार में संविलियन के संबंध में कोई आदेश नहीं हुए थे ।

जहां तक संग्रह तहवीलदार के पद को कोषागार में सम्मिलित न करने का औचित्य है, शासनादेश संख्या–120/3/67 (2-24)/ राजस्व–6, दिनांक 13-7-72 में उल्लेख किया गया था कि संग्रह तहवीलदार पूर्ण रुप से सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि :–

1–उनकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है ।

2–उनके वेतन का भुगतान सरकारी कोष से होता है ।

3–उनके पद शासन द्वारा सृजित हैं, तथा

4–उनकी सेवा शर्तें शासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं ।

तथा उनकी स्थिति रेगुलर तहवीलदार तथा अन्य कैश स्टाफ से, जो गवर्नमेंट ट्रेजरार के निजी कर्मचारी माने जाते हैं, भिन्न हैं रेगुलर तहवीलदार की सेवा-शर्तें संग्रह तहवीलदारों पर लागू नहीं होती है ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या–45/2/79(147) राजस्व–6, दिनांक 26 मई, 1979 में प्रोन्नति के निर्देश नहीं थे, बल्कि निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं स्थायीकरण से संबंधित शासनादेशों के अन्तर्गत स्थायी किए गए पदों पर स्थाई नियुक्तियां करने के निर्देश थे, जिसके अनुक्रम में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों (नियुक्ति अधिकारियों) द्वारा कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख आ चुका है कि शासनादेश संख्या–45/2/79(147) राजस्व–6, दिनांक 26 मई, 1979 में प्रोन्नति के निर्देश नहीं थे बल्कि स्थायीकरण के संबंध में निर्देश थे । इस शासनादेश के जारी होने के बाद संग्रह तहवीलदार के पद से अब तक एक ही ग्रेड में रहकर विना प्रोन्नति के कुल 26 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये हैं जिनमें से 7 स्थाई थे ।

उपरोक्तानुसार अब कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

2–श्री राजीव कुमार सिंह–

। दिनांक 26-3-98 को अता० प्र० सं०12 द्वारा उत्तरित ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर प्रतापगढ़ के ग्राम कोठा नेवढ़ियां के प्रधान द्वारा की गयी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की मांग

3–श्री महाराज सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर प्रतापगढ़ के ग्राम कोठा नेवढ़िया के प्रधान द्वारा जून, 1997 में बिना ग्राम पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव एवं सहमति लिये ही लगभग 53 अपात्र व्यक्तियों के नाम ग्राम समाज की भूमि का पट्टा धन, अर्जन करके कर दिया गया ?

यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पट्टे निरस्त करेगी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भू-आवंटन नियमानुसार भूमि प्रबन्धक समिति के दस सदस्यों की उपस्थिति में किये गये प्रस्ताव के आधार पर केवल 45 पात्र व्यक्तियों को ही किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, के ग्राम कोठा नेवढ़ियां तहसील सदर निवासी साधू शारदा वर्मा की भूमि संबंधी श्री विजय प्रकाश स० वि० स० के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

4–श्री महाराज सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कोठा नेवढ़िया तहसील सदर निवासी साधु शारदा वर्मा, जो लगभग 30 वर्षों से अपनी कुटी बनाकर रह रहे हैं की भूमि का प्रधान कोटा नेवढ़िया द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा करा दिया है । क्या उक्त भूमि पर लगभग 100 पेड़ लगे हुये हैं । क्या इस संबंध में श्री विजय प्रकाश सदस्य विधान सभा के शिकायती पत्र दिनांक 10-2-97 तथा 12-6-97 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार द्वारा उक्त पट्टा निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । साधू शारदा वर्मा लगभग 10 वर्षों से ही प्रश्नगत स्थान पर एक कच्चा कमरा बनाकर रह रहे है । उक्त भूमि का आवंटन ग्राम प्रधान द्वारा श्री लालजी, पुत्र बुद्धू, निवासी ग्राम कोठा नेवढ़िया को कृषि कार्य हेतु सन् 1985 में किया गया है ।

जी नहीं । उक्त गाटा संख्या–1300/0.326 हेक्टेयर में लगभग 60 पेड़ लगे हुये हैं । जी हां । यह प्रकरण अपर जिलाधिकारी (भू राजस्व), प्रतापगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री शारदा वर्मा, साधू द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) के न्यायालय में वाद सं०–1410/861/624/644/490 दायर किया गया है जो विचाराधीन है ।

जनपद फिरोजाबाद की टूण्डला विधान सभा क्षेत्र का 50 प्रतिशत भाग जमुना तलहटी के कारण बीहड़ होने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की मांग

5–श्री शिव सिंह चक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टूण्डला विधान सभा फिरोजाबाद का 50 प्रतिशत भाग जमुना तलहटी के कारण बीहड़ होने से उत्पन्न हुई कृषकों की समस्याओं के निदान हेतु शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक कृषकों की समस्याओं का निदान कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव की ग्राम त्रिपुरारिपुर की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

6–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, तह० बीघापुर ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर की भूमि गाटा सं० 735.736 ग्राम समाज की भूमि है ? यदि हां, तो इनके रकबे कितने हैं ? क्या इस

भूमि पर किसी के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा कितनी भूमि पर और कितना ? क्या यह वैध है ? यदि नहीं, तो क्या अवैध निर्माण के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 (ख) एवं 123 (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम त्रिपुरारिपुर जनपद उन्नाव के गाटा सं०–735 का क्षेत्रफल 2 बिस्वा व गाटा सं० 736 का क्षेत्रफल 3 बिस्वा है ।

श्री महादेव पुत्र कल्लू ने प्रश्नगत भूखण्डों के एक बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से दीवाल का निर्माण कराया है । उक्त निर्माण अवैध है । अतः दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा वाद संस्थित करके की जा रही है ।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर को पुरवा तहसील में पुनः सम्मिलित किये जाने की मांग

7– श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृपा शंकर सिंह व श्री दीपक कुमार, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 4-8-97 जो जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर को पुरवा तहसील में पुनः सम्मिलित करने विषयक है, उनको तथा उप सचिव, उ० प्र० शासन, राजस्व–5 का पत्र सं० 2110/1-5-96–एम० आर०–158/86 दि० 16-8-96 आयुक्त राजस्व परिषद् उ० प्र० को संलग्नक सहित प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त ग्राम पंचायत को पुरवा तहसील में कब तक शामिल कर दिया जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

इस संबंध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर तद्नुसार यथावश्यक निर्णय लिया जा सकेगा ।

8–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[दिनांक 22-6-98 को अता० प्र० सं० 85 द्वारा उत्तरित ।

मण्डी परिषद् बस्ती द्वारा विकास खण्ड सल्टौआ व साऊंघाट के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सम्पन्न किये जाने की जानकारी

9–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में जनपद बस्ती में मण्डी परिषद् बस्ती द्वारा विकास खण्ड सल्टौआ तथा विकास खण्ड साऊंघाट के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1991-92 मे मण्डी समिति, बस्ती क्षेत्रान्तर्गत कुल 7 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुए हैं । इनमें से 3 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य वर्ष 1994 में पूरा हो गया है । शेष 4 मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष

1997-98 में प्रारम्भ हुआ । इनमें से एक मार्ग पर इन्टर कोट की आपूर्ति एवं कुटाई का कार्य पूर्ण हो गया है । शेष मार्गों पर मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निर्माण की कार्यवाही चल रही है ।

आबकारी आयुक्त उ० प्र० द्वारा उप आबकारी निरीक्षक राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 1990 में छटनी (स्क्रीनिंग) के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के मापदण्ड के संबंध में जानकारी

10—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश जतारिया तथा श्री राम सेवक सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले गुरुवार दिनांक 29-1-1998 के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक पद पर चयन हेतु आबकारी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा सीधी भर्ती हेतु आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 1990 में चयनित अभ्यर्थी श्री गोपाल जी श्रीवास्तव की ऊंचाई तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित शारीरिक मापदण्ड परीक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र दर्शायी गयी ऊंचाई में अन्तर है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

श्री गोपाल जी श्रीवास्तव की ऊंचाई मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त शारीरिक अर्हता प्रमाण पत्र में 167.5 से०मी० अंकित है जो उ० प्र० आबकारी अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1983 के नियम–13 में दिये गये प्राविधानों के अनुकूल है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप आबकारी निरीक्षक विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष 1990 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के त्याग-पत्र से रिक्त पदों पर उसी प्रतीक्षा सूची द्वारा अनवार भर्ती के संबंध में जानकारी

11—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश जतारिया, श्री राम सेवक सिंह तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले गुरुवार दिनांक 29-1-1998 के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के संबंध में क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा, 1990 की अधोषित (गोपनीय) प्रतीक्षा सूची में क्रमांक प्रथम पर अंकित अभ्यर्थी को किस तिथि एवं पंजीकृत पत्र संख्या द्वारा नियुक्ति हेतु पावती सूचना किस पत्र व्यवहार एवं स्थायी पते पर भेजी गयी थी ? क्या सरकार श्री मनोज कुमार तिवारी जो उक्त परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक–1 पर स्थित हैं, का आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता बताने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा 1990 की अधोषित (गोपनीय) प्रतीक्षा सूची में क्रमांक प्रथम पर अंकित अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार तिवारी को आबकारी आयुक्त के पंजीकृत पत्र संख्या–ए–916/अधिष्ठान/चार-डी-2/इलाहाबाद, दिनांक 22 अप्रैल, 1991 द्वारा निम्न पते पर पावती सूचना भेजी गयी थी ।

श्री मनोज कुमार तिवारी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी द्वारा श्री ए० के० तिवारी, "प्रचार अधिकारी" जीवन बीमा निगम, भेलूपुर, जनपद–वाराणसी ।

जी हां । श्री मनोज कुमार के आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता क्रमशः निम्नवत् है :—

(1) श्री मनोज कुमार तिवारी पुत्र
श्री ओम प्रकाश तिवारी द्वारा
श्री ए० के० तिवारी, "प्रचार अधिकारी"
जीवन बीमा निगम, भेलूपुर, वाराणसी ।

(2) श्री मनोज कुमार तिवारी पुत्र
श्री ओम प्रकाश तिवारी,
ग्राम व पोस्ट–भारीडीह, तहसील–टाण्डा,
फैजाबाद ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ० प्र० अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली के अनुसार आबकारी निरीक्षकों को साक्षात्कार हेतु सूचना

12—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश जतारिया तथा श्री राम सेवक सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले गुरुवार दिनांक 29-1-1998 के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस शासनादेश के अन्तर्गत 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हुए अभ्यर्थियों को उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा, 1990 में साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ? क्या यह सही है कि इससे पूर्व विभाग द्वारा दो बार अर्ह अभ्यर्थियों की छटनी (स्क्रीनिंग) की जा चुकी थी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उ० प्र० अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1983 के रूपेन्डिक्स–"बी" में उपलब्ध प्राविधान के अनुसार उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा, 1990 में 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1990 में उप आबकारी निरीक्षक, सीधी भर्ती के 34 पदों के विरुद्ध 30 पदों पर की गयी नियुक्ति के संबंध में जानकारी

13—श्री रंगबहादुर पटेल–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1990 में उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में उप आबकारी निरीक्षक के 34 पदों को विज्ञापित किया गया था जबकि उक्त पदों के परिपेक्ष्य में 30 पदों पर ही नियुक्तियां की गयीं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य भी है कि उक्त विज्ञापित पदों पर तीन मृतक आश्रितों को पदभार ग्रहण कराया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

वर्ष 1990 में उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 34 पदों का विज्ञापन दिया गया था जिसमें यह शर्त थी कि रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। इसी बीच शासन ने नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे जिसके परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन से 3 मई, 1990 के पत्र के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिये छूट प्रदान करने की अनुमति मांगी गयी थी। शासन द्वारा 30 पदों को भरने की छूट प्रदान किये जाने पर उक्त नियुक्तियां की गयी थीं। उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध दो मृतक आश्रितों की उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में प्रतिपादित नीति के अनुसार नियुक्ति की गयी थीं।

श्री रामनाथ पुत्र मंगरू निवासी चौहानगढ़ द्वारा जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के सा० चौहानगढ़ निवासी रामनाथ पुत्र श्री मंगरू द्वारा वर्ष 1994-95 में कितने शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, मऊ एवं पुलिस अधीक्षक, मऊ की ग्राम सभा चौहानगढ़ से कोल्हुआ तक 15 कड़ी के छूटे रास्ते को ठीक कराने एवं कब्जा हटाने हेतु दिये थे ? क्या यह सही है कि छूटे रास्ते को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराने एवं रास्ता छोड़ने का आदेश देंगे। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री राम नाथ पुत्र मंगरू निवासी चौहानगढ़ जिला मऊ का कोई शिकायती पत्र जिलाधिकारी मऊ के अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार मधुबन जिला मऊ द्वारा चकमार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया तथा पैमाइश कराई गई। मौके पर चकमार्ग पर किसी भी असामजिक तत्व का अवैध कब्जा नहीं पाया गया। 15 कड़ी चौड़ाई का चकमार्ग पूरी लम्बाई में विद्यमान है।

परगनाधिकारी पाली, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, पाली, रानीखेत ने अपने पत्र दिनांक 25-9-91 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को व संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड को सूचित करते हुए द्वारहाट विकास खण्ड की भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा धन के दुरुपयोग की जानकारी दी थी ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इस प्रकरण को निक्षेप किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा अभी भी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

परगनाधिकारी, पाली रानीखेत द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 25-9-91 जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्राप्त हुआ था लेकिन संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड को इस आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा से परगनाधिकारी, पाली रानीखेत का पत्र दिनांक 25-9-91 शासन के कृषि विभाग द्वारा दिनांक 25-6-98 को प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

भूमि संरक्षण इकाई रानीखेत, अल्मोड़ा में वर्ष 1991 से 95 तक कथित अनियमितताओं के दोषियों के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही की जानकारी

16—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन अपर कृषि निदेशक उत्तराखण्ड द्वारा मार्च, 1996 में शासन को भूमि संरक्षण इकाई रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1991 से 1995 तक कथित अनियमितताओं के लिये अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या वह कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन अभी भी अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध उल्लिखित कोई विभागीय कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां । नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कार्यवाही क्रमिक है ।

17—श्री अक्षयवर लाल–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं० 174 द्वारा उत्तरित]

पौड़ी नगर, जनपद पौड़ी के अपर बाजार में हुए अग्निकाण्ड के प्रभावितों को शासकीय अनुदान के वितरण की जानकारी

18—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी नगर, जनपद पौड़ी के अपर बाजार में दिनांक 11-4-98 को भीषण अग्निकाण्ड हुआ है ? इस अग्निकाण्ड में किन-किन व्यक्तियों की चल-अचल सम्पत्तियां भस्म हुई हैं ? क्या आग को बुझाने के प्रयास प्रशासन ने संतोषजनक रूप से किये हैं ? इस अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को शासन राहत अनुदान देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

दिनांक 11-4-98 को अपराह्न 2-3 बजे के मध्य हुई अग्निकाण्ड से अपर बाजार पौड़ी के भवन स्वामियों, किरायेदारों एवं दुकानदारों की कुल रु० 17 लाख 67 हजार की अनुमानित क्षति हुई है । प्रभावितों का विवरण संलग्न है ।

प्रशासन द्वारा अग्निशमन विभाग के अग्निशमन यंत्र तथा नगर पालिका परिषद् के पानी के टैंकरों से आग बुझाई गई ।

घटना दैवी आपदा की परिधि में नहीं आती है । इसलिये पीड़ितों को राहत सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण

1–श्री चन्द्रभूषण, ग्राम काण्डई, पट्टी नॉदलस्यूं, अनुमानित क्षति रु० 2,00,000/-

2–श्री अब्दुल रऊफ, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 2,00,000/-

(क) श्री राकेश पंवार, ग्राम च्वींचा, पट्टी नॉदलस्यूं, अनुमानित क्षति रु० 3,00,000/-

(ख) श्री अशोक पंवार ग्राम च्वींचा, पट्टी नॉदलस्यूं, अनुमानित क्षति रु० 3,00,000/-

(ग) श्री कैलाश कनौजिया, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 40,000/-

(घ) श्री रमेश विष्ट, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 40,000/-

(ङ) श्री अब्दुल रऊफ, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति 1,62,000/-

(च) श्री अब्दुल नईम, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 2,00,000/-

3—श्री अनिल बहुगुणा, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 1,00,000/-

इस भवन को श्री दिनेश सिंह पुत्र उदय सिंह व श्री जमेन्द्र कुमार बत्रा अपना-अपना बता रहे हैं (विवादित है)

4–श्री राजेन्द्र सिंह, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 50,000/-

5–श्री थेप सिंह, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 10,000/-

(क) श्री अनिल गुलाटी, अपर बाजार पौड़ी अनुमानित क्षति रु० 35,000/-

(ख) श्री महावीर सिंह, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 5,000/-

(ग) श्री मोहम्मद असलम, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 30,000/-

(घ) श्री सोहन लाल, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 10,000/-

(ङ) श्री अनिल बहुगुणा, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 50,000/-

(च) श्री महबूब आलम, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 10,000/-

(छ) श्री श्याम लाल, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 20,000/-

(ज) श्री वीरेन्द्र सिंह, अपर बाजार पौड़ी, अनुमानित क्षति रु० 5,000/-

उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 1990 में चयनित अभ्यर्थियों के त्याग-पत्र से रिक्त पदों पर उसी प्रतीक्षा सूची से भर्ती किये जाने के संबंध में जानकारी

19—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश जतारिया तथा श्री राम सेवक सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 1990 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा त्याग पत्रोपरान्त रिक्त हुए समस्त स्थान उसी परीक्षा वर्ष के थे जिसके लिये प्रेषित अधियाचन के आधार पर परीक्षाफल प्राप्त हुआ है और अगला अधियाचन वर्ष 1997 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उ० प्र० को भेजा गया था ? यदि हां, तो वर्ष 1990 के उपरान्त तथा वर्ष 1997 के पूर्व उक्त परीक्षा की गोपनीय प्रतीक्षा सूची से रिक्त हुए सभी स्थानों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की गयीं ? क्या यह सही है कि उक्त सेवा संवर्ग में अन्य पिछड़े वर्ग (पिछड़ी जाति) का आरक्षित कोटा लगातार खाली (रिक्त) चला आ रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उप आबकारी निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 1990 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये त्याग-पत्र के परिणाम स्वरूप दो रिक्त स्थान उसी परीक्षा (चयन) वर्ष के थे जिसके लिये आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में परीक्षणोपरान्त विभागीय चयन सम्पन्न हुआ था। तब तक इन रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु कोई अधियाचन नहीं भेजा गया था। वर्ष 1997 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ० प्र० को अध्याचन भेजा गया था।

वर्ष 1990 के उपरान्त तथा वर्ष 1997 के पूर्व उक्त परीक्षा की गोपनीय प्रतीक्षा सूची से रिक्त सभी स्थानों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती थी क्योंकि प्रतीक्षा सूची की वैधता शासनादेश संख्या–8/4/1975-कार्मिक–2 दिनांक 29-5-79 में प्रतिपादित नीति के अनुसार एक वर्ष तक की ही थी।

जी नही, वर्ष 1990 तक आरक्षण कोटा पूर्ण था।

उप आबकारी निरीक्षक विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष 1990 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के त्याग-पत्र से रिक्त पदों पर उसी प्रतीक्षा सूची द्वारा क्रमवार भर्ती के संबंध में जानकारी

20—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा तथा श्री रामसेवक सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र वर्ष 1998 के पहले गुरुवार दि० 29-1-98 के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–19 में यह स्पष्टतः वर्णित है कि उप आबकारी निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 1990 में चयनित जिन 7 (सात) अभ्यर्थियों ने त्याग-पत्र दिये हैं वे अभ्यर्थी किस-किस वर्ग के थे ? क्या माननीय आबकारी मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त परीक्षा की अघोषित प्रतीक्षा सूची की वैधता मात्र एक वर्ष किस शासनादेश के तहत थी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उप आबकारी निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–1990 में चयनित जिन सात अभ्यर्थियों ने त्याग-पत्र दिया था उनमें से पांच अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के एवं एक-एक अभ्यर्थी क्रमशः अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के थे ?

शासनादेश संख्या–8/4/1975–कार्मिक–2, दिनांक 29-5-79 के अनुसार प्रतीक्षा सूची एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होती है।

उप आबकारी निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रतीक्षा सूची अवैध हो जाने से नियुक्ति न किया जाना

21–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा तथा श्री रामसेवक सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु आबकारी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा उक्त परीक्षा के पूर्व में कब-कब परीक्षायें आयोजित की गयी ? क्या यह बात सही है कि उक्त पद की परीक्षाएं दशकों परान्त आयोजित हुआ करती है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा की प्रतीक्षा सूची से त्यागपत्रोपरान्त रिक्त हुए सभी स्थानों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की गयीं जबकि त्यागपत्रोपरान्त रिक्त हुए समस्त स्थान उसी परीक्षा (चयन) वर्ष के थे जिसके लिये प्रेषित अधियाचन के आधार पर परीक्षाफल प्राप्त हुआ है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उप आबकारी निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की कार्यवाही आबकारी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा वर्ष 1990 के पूर्व दिसम्बर, 1963, जून, 1965 व जून, 1974 में की गयी थी।

जी नहीं, चयन की कार्यवाही रिक्तियों के आधार पर होती है और रिक्तियां घटित होने पर अथवा शासन द्वारा अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के आधार पर चयन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार विभिन्न वर्षों में की गयी थी ? प्रतीक्षा सूची शासनादेश संख्या 8/4/1975-कार्मिक-2, दिनांक 29-5-79 के अनुसार एक वर्ष के लिये ही वैध होती है । अतएव एक वर्ष के उपरान्त प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करना नियमानुसार सम्भव नहीं पाया गया ।

वर्ष 1995-96 में भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम, जनपद बांदा द्वारा विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम डिवघट में कराये गये बन्धीकरण में मजदूरी के भुगतान के संबंध में

22—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1995-96 में भूमि संरक्षण इकाई, राष्ट्रीय जलागम, जनपद बांदा द्वारा विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम डिवघट में बन्धीकरण का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

23–श्री राम कृपाल–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 198 द्वारा उत्तरित]

24–श्री राम कृपाल–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 199 द्वारा उत्तरित]

सचिवालय से वी० आई० पी०/97 पत्र सं०–1039/दिनांक 30-4-97 को अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, लखनऊ को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि सचिवालय से वी० आई० पी०/97 का पत्र सं० 1039, दिनांक 30-4-97 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और माननीय परिषद् स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम मनिकापुर, परगना भगवन्तनगर, तह० बीघापुर, जनपद उन्नाव की भूमि सं० 150/3 पर आवंटी को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

26—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मनिकापुर, परगना भगवन्तनगर, तहसील बीघापुर, (पाटन) जिला उन्नाव के खाता संख्या 513 भूमि संख्या 150/3 से जिस आवंटी की भूमि का आवंटन किया गया था उसे उक्त भूमि पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार ग्राम मनिकापुर, परगना भगवन्तनगर, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव में भूमि सं०–150/3 का पट्टा दिनांक 7-10-75 को सूर्यबली पुत्र नारायण के पक्ष में किया गया था । आवंटी को कब्जा भी दिलाया गया था ।

वर्ष 1991 से पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ में तैनात कम्पाउन्डर का समय से पूर्व स्थानान्तरण किये जाने की मांग

27—श्री संजय गर्ग–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ के कम्पाउन्डर दो दशक से लखनऊ मण्डल में ही तैनात हैं ? क्या यह सही है कि चिकित्सालय के परिसर में बने स्टाक मैन के आवास एवं मरीज पशुओं के आवासों को वह अवैध रूप से छात्रावास एवं दूध डेरी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इतनी लम्बी अवधि तक एक जनपद (स्थान) पर तैनाती एवं सरकारी आवास पर अवैध कब्जा तथा उसके दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार पशुऔषधिक को लखनऊ मण्डल के बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार 15 प्रतिशत की सीमा को देखते हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का जनपद में 10 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है । श्री अद्या प्रसाद शुक्ल कम्पाउन्डर लखनऊ जनपद में वर्ष 1991 से कार्यरत हैं । अतएव समय से पूर्व स्थानान्तरण करना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों को निर्गत किसान बही को राजस्व अभिलेख के रूप में मान्यता दिये जाने की मांग

28—श्री अक्षयवर लाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसानों को दी जा रही किसान बही किन-किन कार्यों हेतु विधिक मान्यता है ? क्या सरकार इस अभिलेख को राजस्व [illegible] के रूप में मान्यता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

भू-राजस्व अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत तैयार की गयी किसान बही विधि मान्य अभिलेख है, जिसे भू स्वामी/खातेदार के स्वामित्व का विधिमान्य प्रमाण माना गया है एवं किसान बही की प्रमाणित

छाया प्रतियां कानूनन मान्य हैं जाति प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों हेतु विधिक मान्यता प्रदत्त है।

भूमि के क्रय एवं विक्रय के समय क्रेता और विक्रेता (यदि वे खतेदार हैं) तो उन्हें किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें प्रविष्टि कराना, बैंकों या सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें प्रविष्टियां कराना, अनुदान प्राप्त करते समय किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें प्रविष्टियां कराना, भूमि के अन्तरण से संबंधित सभी प्रकरणों की प्रविष्टियां किसान बही में कराना अनिवार्य होगा किसान बही यद्यपि भू-स्वामी के अभिरक्षा में रहेगी तथापि इसे सार्वजनिक अभिलेख माना गया है तथा इसकी प्रविष्टियों में किसी प्रकार की हेरा फेरी या अनधिकृत परिवर्तन दण्डनीय अपराध है। बैनामे के बाद नामान्तरण के समय किसान बही की प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिये लेखपाल के बयान आवश्यक नहीं होंगे तथा नामांतरण कर दिया जायेगा। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर राजकीय मोहर लगने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1991 से 96 के मध्य भूमि संरक्षण इकाइयों में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

29—श्री गोपाल कृष्ण—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1991 से 1996 के मध्य कितनी भूमि संरक्षण इकाइयों के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि के दुरुपयोग की सूचना है ? इनमें से कुल कितनी इकाइयों के लिये कितनी धनराशि के उत्तरदायित्व के लिये विधिवत आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही जारी है ? क्या शेष धनराशि शासन द्वारा माफ कर दी गयी है ? शेष धनराशि के लिये कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1991 से 1996 में कार्यरत कुल चार भूमि संरक्षण इकाइयों में से तीन इकाइयों क्रमशः रानीखेत में रु० 79,08,334.00, ताड़ीखेत में रु० 42,90,969.28 तथा बागेश्वर में रु० 12,65,420.87 कुल रु० 1,34,64,724.15 धनराशि के दुरुपयोग की सूचना है।

इनमें से कुल दो इकाइयों रानीखेत एवं ताड़ीखेत के लिये कुल रु० 1,21,99,303.28 की धनराशि के उत्तरदायित्व के लिये आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्यवाही जारी है तथा भूमि संरक्षण इकाई, बागेश्वर के विरुद्ध रु० 12,65,420.87 के दुरुपयोग के लिये संबंधित दोषी भूमि संरक्षण अधिकारी को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने की कार्यवाही जारी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

समस्त धनराशि के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

जनपद अल्मोड़ा तहसील रानीखेत के ग्राम सभा चौकुनी में वित्तीय वर्ष 1990-91 से 97-98 के मध्य आवंटित राशि से सम्पन्न कराये गये कार्यों का विवरण

30—श्री अजय भट्ट—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम सभा चौकुनी को वित्तीय वर्ष 1990-91 से 1997-98 के मध्य आवंटित धनराशि द्वारा किन-किन ग्रामों में कितनी धनराशि के क्या-क्या कार्य सम्पन्न कराये गये ? कौन-कौन से कार्य ऐसे थे जिनकी प्राक्कलित धनराशि रुपये 10,000/- अथवा इससे अधिक थी लेकिन कार्य वर्क आर्डर (कार्यादेश) द्वारा निष्पादित कराये गये ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम पंचायत चौकुनी में दो राजस्व ग्राम क्रमशः चौगुनी एवं कलौना सम्मिलित हैं वर्ष 90-91 से 97-98 के मध्य आवंटित धनराशि एवं उससे कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि		अन्य विवरण
		चौकुनी	कलौना	
90-91	26,381.14	23,875.00	2506.14	–
91-92	34,920.00	12,180.00	22,740.00	—
92-93	20,971.00	—	20,971.00	—
93-94	63,080.00	30,171.00	32,909.00	—
94-95	1,25,774.00	65,000.00	28,656.00	32,118.00 दोनों ग्रामों में संयुक्त रूप से व्यय
95-96	55,166.00	55,166.00	—	—
96-97	66,543.00	31,992.00	—	34,551.00 रु० दोनों ग्रामों में संयुक्त रूप से व्यय
97-98	66,415.00	—	42,530.50	23,884.50 रु० अवशेष

उपरोक्त धनराशि से कराये गये कार्यों में से 17 प्रोजेक्ट (कार्य) क्रमशः वर्ष 1990-91 में ग्राम चौकुनी में सिंचाई हौज निर्माण, वर्ष 1991-92 में ग्राम कलौना में पेयजल डिग्गी निर्माण, ग्राम चौकुनी में प्राइमरी पाठशाला की मरम्मत, वर्ष 1992-93 में ग्राम कलौना में पेयजल डिग्गी नल निर्माण, वर्ष 1993-94 में ग्राम चौकुनी में आंगन व खड़न्जा निर्माण, ग्राम कलौना एवं चौकुनी में पेयजल नाला निर्माण, वर्ष 1994-95 में ग्राम चौकुनी के जूनियर हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण व प्राइमरी पाठशाला की मरम्मत, ग्राम चौकुनी एवं कलौना में मार्ग एवं खड़न्जा निर्माण, ग्राम कलौना में पेंय जल नल डिग्गी निर्माण, वर्ष 1995-96 में ग्राम चौकुनी में दो सीमेन्ट कंकरीट मार्ग निर्माण, प्राइमरी पाठशाला के अतिरिक्त कक्ष टीप प्लास्टर, 1996-97 में ग्राम चौकुनी में पेयजल योजना निर्माण खड़न्जा पी० पी० सी० निर्माण, ग्राम कलौना एवं चौकुनी में सीमेन्ट का पक्का खड़न्जा निर्माण वर्ष 1997-98 में ग्राम कलौना में पक्का सीमेन्ट खड़ण्जा निर्माण कार्य ऐसे थे जिसकी प्राक्कलित धनराशि रुपया दस हजार या इससे अधिक थी किन्तु कोई भी कार्य वर्क आर्डर (कार्यादेश) द्वारा निष्पादित नहीं कराये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ एवं नवसृजित जनपद चम्पावत में वर्ष 1980 से 31 मार्च, 1998 तक पंजीकृत उद्योगों की जानकारी

31—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या लघु उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ तथा नवसृजित जनपद चम्पावत में वर्ष 1980 से 31 मार्च, 1998 के बीच कितने लघु उद्योग पंजीकृत हुए ? कितने उद्योग अभी चल रहे हैं तथा कितने बन्द हो गये हैं ? शासन स्तर से बन्द इकाइयों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

जनपद पिथौरागढ़ एवं नवसृजित जनपद जिला चम्पावत में वर्ष 1980 से 31 मार्च, 98 के बीच कुल 1340 उद्योग पंजीकृत हुए हैं । 1219 उद्योग अभी चल रहे हैं, 118 उद्योग बन्द पड़े हुए हैं । बन्द इकाइयों द्वारा अपनी वित्तीय/विद्युत/विपणन व्यापार कर आदि समस्याओं से अवगत कराने पर उनका समाधान किया जाता है ।

बनरोजों के शिकार की स्वीकृति का जिलाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार एवं शासन द्वारा कृषकों की फसलों का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

32—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में बनरोज किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं ? क्या किसानों को उजड़ी फसलों का मुआवजा दिलाने व वनरोजों का शिकारियों को शिकार की स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक फसलों के मुआवजे तथा शिकारियों को स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

वनरोजों का शिकार शिकारियों द्वारा करने की स्वीकृति दिये जाने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकार प्रदत्त है । इस संबंध में कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

33—श्री दयाशंकर वर्मा–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं० 175 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा छटनी शुदा कर्मियों के सम्बन्ध में सचिव, उद्यान विभाग, उ० प्र० शासन को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

34—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छटनी शुदा कर्मियों के संबंध में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबन्धक (नियुक्ति) का पत्र संख्या 28/कैम्प प्रब०(नि)/मनोज केसरवानी/रा०नि०नि०/98. दिनांक 5 फरवरी, 1998. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उद्यान विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायन)–

जी हां ।

राजकीय निर्माण निगम ने अपने उक्त पत्र द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी, उन सभी बिन्दुओं से संबंधित सूचना उन्हें शासन के पत्र संख्या–1095/50-2-98-सी० क्यू०/95 टी० सी० दिनांक 22-5-98 द्वारा भेज दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35—श्री रामजग–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली एवं बदायूं द्वारा भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत अधिक दर पर बोरिंग कराने संबंधी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की मांग

36—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली व बदायूं को भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत बोरिंग के बाबत मै० गंगवार इण्टरप्राइजेज नवाबगंज (बरेली) द्वारा दिनांक 14-2-96 व 7-3-96 को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से विस्तार से लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या मै० गंगवार इण्टरप्राइजेज, नवाबगंज (बरेली) द्वारा दिये गये दरों से अधिक दरों पर बोरिंग कराये गये ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड बक्शी का तालाब की न्याय पंचायतों में विभागीय बजट से वर्षवार कृत कार्यों का विवरण एवं सम्बन्धित अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही की मांग

37—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब की न्याय पंचायत गुडम्बा, रसूलपुर, सादास, कुम्हरावां, बीबीपुर की समस्त पंचायतों में वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पंचायत विभाग के बजट से वर्षवार किन-किन कार्यों पर धन का आवंटन किया गया ? क्या वर्षवार समस्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है ? यदि हां, तो किसको ? क्या सरकार बतायेगी कि समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यपूर्ति एवं बाउचर प्राप्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का स्थलीय जांच कराकर जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विवरण संलग्न है ।

विकास खण्ड स्तर पर निर्बल वर्ग आवासों में स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना वर्ष 94-95 की धनराशि रु० 38,689.00 शेष है । अन्य समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

विवरण संलग्न है ।

आंशिक रूप से प्राप्त हो गये हैं ।

ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की शिथिलता के कारण ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 163 पर)

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड बक्शी का तालाब में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं दोषियों को दण्डित करने की मांग

38—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब में वर्ष 1997-98 में ग्राम पंचायत अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं तैनाती स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्या स्थानान्तरित कर्मचारी कार्यमुक्त कर दिये गये ? यदि नहीं, तो कया सरकार आदेश का परिपालन सुनिश्चित करायेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम खेलावन कुशवाहा, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील अतर्रा, जनपद बांदा को शासनादेशों के विरुद्ध तीन निलम्बन आदेश निर्गत करने की जांच एवं बहाली की मांग

39—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के अन्तर्गत कार्यरत श्री रामखेलावन कुशवाहा, रजिस्ट्रार कानूनगो के विरुद्ध एक ही प्रकरण में श्री सी० एन० दुबे, जेलाधिकारी बांदा के पत्रांक 711(11)भू० व्य० दिनांक बांदा अगस्त 4, 1997 एवं अपर जिलाधिकारी (बि०/रा०) बांदा के पत्रांक 741(11)/भू०व्य० दिनांक बांदा सितम्बर 17, 1997 द्वारा क्रमशः तीन निलम्बन आदेश माह अगस्त 4, 1997/3-9-97 माह सितम्बर 4, 1997 निर्गत/प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो एक ही प्रकरण में शासनादेशों के विरुद्ध तीन निलम्बन आदेश निर्गत कराने का क्या कारण ? क्या सरकार निलम्बित कर्मचारी को बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं, श्री राम खेलावन कुशवाहा, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील अतर्रा के निलम्बन हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री सी० एन० दुबे के एक ही आदेश पत्रांक—711/भू०व्य०, दिनांक 4-9-97 जारी किया गया है किन्तु इस आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश माह सितम्बर के स्थान पर अगस्त टंकित हो गया था जिसके शुद्धीकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के हस्ताक्षर से संदर्भित पत्र सं० 741/भू०व्य०, दिनांक 17-9-97 जारी किया गया है जिसकी सूचना कर्मचारी को भी दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है । श्री कुशवाहा द्वारा जांच में कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है । फिर भी जांचोपरान्त निलम्बित कर्मचारी के प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर मा० राजस्व मंत्री के आदेश संख्या—2765/बी०आई०पी०/रा० मं०/97 दिनांक 5-9-97 पर जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

40—श्री चौ० रवीन्द्र प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर उनके आदेश सं० 2765/बी०आई०पी०/रा०मं०/97, दिनांक 5-9-97 पर जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के प्रस्तावानुसार भूमि प्रबन्ध समिति, ओयल देहात द्वारा ज्ञानदायिनी शिशु मन्दिर भगवतीपुर विद्यालय को भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम सभा ओयल परगना खीरी में स्थित ज्ञान दायिनी शिशु बाल मन्दिर भगौतीपुर के नाम कोई आवंटन प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । गाटा संख्या—1145 रकबा 0—45 एकड़ अभिलेखों में खलिहान (सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि) अंकित है । इस भूमि का ज्ञान दायिनी शिशु विद्या मन्दिर भगौतीपुर के प्रबन्धक द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है । प्राविधानों के तहत किसी प्राइवेट विद्यालय को ग्राम सभा भूमि आवंटित किये जाने का अधिकार भूमि प्रबन्धक समिति को नहीं है ।

जिला प्रशासन उन्नाव द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण प्रतिबन्धित कर सक्षम न्यायालय में बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना

41–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनवारी लाल दोहरे, स० वि० स० का जनपद उन्नाव तह० बीघापुर ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर की ग्राम समाज की भूमि सं० 735 व 736 पर से अवैध कब्जा/निर्माण हटवाने विषयक पत्र दिनांक 24-3-98 मा० राज्य मंत्री, पंचायती राज के आदेशों सहित पत्र सं० वी० आई० पी० 451/रा०म०/पंचायती राज/98 दिनांक 24-3-98 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? अवैध कब्जा/निर्माण के लिये दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवैध निर्माण/कब्जा कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण करने से तत्काल रोक दिया गया है। उसके विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रारम्भ कर दी गयी है।

जनपद उन्नाव तहसील–बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर के प्रकरण दर्शन बनाम महादेव में उप संचालक चकबन्दी द्वारा आदेश पारित कर कब्जा दिलाया जाना

42–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव तहसील बीघापुर पंचायत त्रिपुरारिपुर के दर्शन बनाम महादेव के मामले में मा० न्यायालय, उप संचालक, चकबन्दी उन्नाव के जनवरी, 1996 के आदेशानुसार चक पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया गया है ? क्या चक पर महादेव आदि द्वारा कब्जा न करने देने विषयक दर्शन पुत्र सत्यनारायण के प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-8-96 प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग दिनांक 12-8-96 जिलाधिकारी उन्नाव एवं एतद्विषयक राज्य मंत्री लो०नि०वि० का पत्र सं० वी०आई०पी० 1459/राम/लोनिवि/प/97 दिनांक 3-7-97 संलग्नक सहित जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? पुनः चक पैमाइश कराकर कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर के मामले दर्शन बनाम महादेव में उप संचालक चकबन्दी द्वारा माह जनवरी, 1996 में आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि 2-2-96 को निगरानी संख्या–830 में उप संचालक चकबन्दी द्वारा आदेश पारित किया गया है और आदेश के अनुसार पैमाइश कराकर दिनांक 4-8-96 को कब्जा दिला दिया गया है।

जी हां, प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुये थे। जिस पर पुनः दिनांक 27-1-98 को मौके पर पैमाइश करके कब्जा दिला दिया गया है। अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

भूमि संरक्षण अधिकारी लखनऊ द्वारा कार्यमद में प्राप्त बजट वितरण में की गयी अनियमितता की जांच एवं श्रमिक चिट्ठों के नियमित भुगतान की मांग

43–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी लखनऊ ने कार्य मद में प्राप्त बजट पत्र आवंटन पूरे स्टाफ को समान रूप से न करके लगभग 80 प्रतिशत उपयोग एक मैकेनिकल डिप्लोमा वाले

जे० ई० और एक सरप्लस भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा करवाया है ? क्या यह सही है कि शासन से स्वीकृत चार उप इकाई के स्थान पर पांच उप इकाई बनाई गई है और अन्य उप इकाइयों में निष्पादित कार्यों के साप्ताहिक श्रमिक चिट्ठों का भुगतान श्रमिकों को पूरा वित्तीय वर्ष (1997-98) व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों व अधिकारी की जांच कराकर उन्हें दण्डित करेगी और भविष्य में साप्ताहिक श्रमिक चिट्ठों का भुगतान नियमित कराना सुनिश्चित करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ ने कार्यमद में वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्राप्त बजट को पांच उप इकाइयों क्रमशः अर्जुनगंज, दुर्गागंज, तेलीबाग बक्शी का तालाब, काकोरी को उपलब्ध क्षेत्र के अनुरूप ही आवंटित किया है और किसी भी भूमि संरक्षण निरीक्षक को कुल उपलब्ध धनराशि का 80 प्रतिशत आवंटित नहीं किया गया है ।

जी हां ।

एक अतिरिक्त इकाई को समाप्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिक चिट्ठों का भुगतान नियमित किया जाता है ।

44–श्री मस्तराम–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बदायूं में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता में निलम्बित 6 ग्राम पंचायत अधिकारियों की बहाली की मांग

45–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूं में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय की अनियमितता के आरोप में 6 ग्राम पंचायत अधिकारियों को वर्ष 1998 में निलम्बित किया गया है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत में धन को आहरित करने तथा धन को व्यय करने का अधिकार वैधानिक रूप से ग्राम प्रधान को है ? क्या यह भी सही है कि शासन से प्राप्त होने वाला धन भी ग्राम प्रधान रूप पत्र–7 से प्राप्त करता है ? यदि हां, तो धन के व्यय की अनियमितता में ग्राम पंचायत अधिकारियों को किस आधार पर निलम्बित किया गया है ? क्या उन्हें अविलम्ब बहाल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां, पंचायत राज एक्ट के नियम 47 के अनुसार यह अधिकार प्रधान को है, परन्तु जवाहर रोजगार योजना मार्ग निर्देशिका वर्ष 1989-90 के अनुदेश 17 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत की धनराशि का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरी से किया जाता है तथा धन को व्यय करने का अधिकार वैधानिक रूप से ग्राम पंचायत को है ।

जी हां, धन का आहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाता है । इस प्रकार ग्राम प्रधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिकारी भी धन की अनियमितता में बराबर रूप से उत्तरदायी हैं इसी आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित किया गया है । जी नहीं, इनके विरुद्ध आरोपों की जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूं में वित्तीय अनियमितता में पंचायत अधिकारियों के निलम्बन के औचित्य की जानकारी एवं बहाली की मांग

46–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि पंचायत राज ऐक्ट के नियम सं० 169(2) के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी को ग्राम पंचायत के प्रधान या उप प्रधान के आदेशों, जो कि ग्राम पंचायत ने पारित किये हों या पंचायत राज ऐक्ट में दिये हैं, का पालन करने के लिये बाध्य है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत के धन एवं रिकार्ड संबंधी अधिकार सिर्फ प्रधान को है ? यदि हां, तो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय की अनियमितता के आधार पर वर्ष 1998 में जनपद बदायूं में ग्राम पंचायत अधिकारियों को किस आधार पर निलम्बित किया गया है ? क्या यह भी सही है कि इन ग्राम पंचायत अधिकारियों की ओर से वर्ष 1994 में जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं को प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें अविलम्ब बहाल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

पंचायत राज ऐक्ट के नियम 47 के अनुसार यह अधिकार प्रधान को है एवं जवाहर रोजगार योजना की मार्ग निर्देशिका 1989-90 के अनुदेश 17(2) के अनुसार ग्राम पंचायत की धनराशि का आहरण ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाता है । चूंकि धनराशि का आहरण ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया गया है । इसलिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय की अनियमितता में प्रधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिकारी बराबर रूप से उत्तरदायी है इसलिये ग्राम पंचायत अधिकारी निलम्बित किये गये हैं ।

वर्ष 1994 में प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये थे, बल्कि 1997 में तीन ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये । इनके विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रचलित है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 29-1-98 को अता० प्र० सं० 83 द्वारा उत्तरित ।

48–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 185 द्वारा उत्तरित ।

49–श्री नवाब सिंह नागर–

[दिनांक 23-6-98 को अता० प्र० सं० 182 द्वारा उत्तरित ।

ग्राम धुंधावली, तहसील सम्भल जिला–मुरादाबाद के गाटा संख्या–2 से अवैध कब्जा हटवाने की मांग

50–डा० राम सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धुंधावली (अन्दर चुंगी) परगना संभल जिला मुरादाबाद की खसरा–2 रकबाई 112.61 एकड़ के जुजभाग 35 बीघे 5 विस्वा आराजी पर श्री फरीदउद्दीन खां पुत्र श्री वहीदुद्दीन खां निवासी मोहल्ला सरायतरीन, संभल जिला मुरादाबाद ने बतौर जमीनदार नाम दर्ज न होने के बावजूद भी उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा कब तक हटा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । ग्राम धुंधावली तहसील–सम्भल (अन्दर चुंगी) जिला–मुरादाबाद के गाटा सं०–2 (रकबा) 112.61 एकड़ राजस्व अभिलेखों में नान जेड० ए० में आबादी दर्ज है, जिसमें अनेक जमींदारों के नाम हैं । श्री फरीदउद्दीन खां, पुत्र श्री वसीउद्दीन खां, निवासी सराय तरीन, तहसील–सम्भल,

जनपद–मुरादाबाद का नाम जमींदारी/कब्जेदार के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि ये प्रश्नगत भूमि 35 बीघा 5 विस्वा (सकनाई आबादी) के विक्रय-पत्र श्री एम० एम० खान परगनाधिकारी/लिक्यूडेशन अधिकारी सम्भल वाद सं०–4/101, 5/102, 6/105 हाफिज फरीदउद्दीन खां बनाम जमीलुन्निसां बेगम आदि में जारी विक्रय प्रमाण-पत्र दिनांक 23-1-84 के आधार पर आराजी के स्वामी हैं तथा इस पर इन्हीं के भवन आदि हैं तथा कुछ भाग को बेचा भी है जिस पर क्रेतागण काबिज हैं। इनकी बेदखली हेतु क्षुब्ध पक्ष को सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर बेदखली आदेश प्राप्त करना होगा तभी इन्हें बेदखल किया जा सकता है।

सहकारी बैंक कालपी द्वारा ऋण की अनुपलब्धता एवं समिति सदस्यों द्वारा अंश पूंजी की वापसी के कारण काम्पलेक्स पर कुक्कुट पालन का प्रारम्भ न किया जाना

51–श्री श्रीराम पाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि पशुधन विभाग द्वारा वर्ष 1993-94 में प्रदेश में कुछ पोल्ट्री काम्प्लेक्स निर्मित कराये जाने का निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन के आटा कृषि फार्म में भी एक पोल्ट्री काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के 40 सदस्यों की एक समिति गठित व पंजीकृत कराकर सहकारी बैंक कालपी, जालौन से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रति सदस्य दो हजार रुपये अंश पूंजी दो वर्ष पूर्व जमा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या मुर्गी पालन हेतु उक्त सहकारी बैंक द्वारा समिति के सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराकर काम्प्लेक्स में कुक्कुट पालन प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

सहकारी बैंक, कालपी द्वारा ऋण उपलब्ध न करा पाने एवं समिति के 25 सदस्यों द्वारा अपनी अंशपूंजी वापस लेने के कारण काम्प्लेक्स पर कुक्कुट पालन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है।

मण्डी समिति, सण्डीला, हरदोई में सण्डीला बांगरमऊ रोड से भदौरी एवं अन्य ग्रामों तक रोडों का डामरीकरण/गिट्टी का कार्य तथा धन की कमी से कार्य न कराया जाना

52—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी समिति सण्डीला, जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला बांगरमऊ रोड से भदौरी ग्राम तक एवं सण्डीला उन्नाव रोड से मलैय्या, हरदोई लखनऊ रोड से कुरना तथा शारदा कैनाल से बहदर खुर्द व सरेहरी माइनर पर बहलोलपुर तक की रोडों पर गिट्टी/लेपन का कार्य पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त रोडों का डामरीकरण/गिट्टी का कार्य कराने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

मण्डी समिति के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण इकाई तृतीय, टूण्डला द्वारा बीहड़ सुधार योजना में प्राप्त धन के व्यय किये जाने की संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) द्वारा की जा रही जांच

53—श्री शिव सिंह चक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण इकाई तृतीय टूण्डला को वित्तीय वर्ष 1997-98 की योजना में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि जो धन टूण्डला भूमि संरक्षण इकाई तृतीय को उपलब्ध कराया गया था उसे भूमि संरक्षण अधिकारी, तृतीय इकाई टूण्डला द्वारा सुचारु रूप से खर्च किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण इकाई तृतीय, टूंडला को वित्तीय वर्ष 1997-98 में नाबार्ड पोषित बीहड़ सुधार योजनां के अन्तर्गत रु० 127.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी ?

उपरोक्त आवंटित धनराशि रु० 127.00 लाख के सापेक्ष उक्त इकाई द्वारा रु० 126.31 लाख व्यय किया गया है जिसके विषय में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) द्वारा जांच प्रचलित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राजकीय कृषि अभियंत्रण शोधशाला, चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विलम्ब से वेतन भुगतान कराने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

54—श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के प्रथम-सत्र 1998 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्पष्टीकरण कब मांगा गया है और इतने समय व्यतीत होने के बाद भुगतान न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्री जी० एम० जावेद, तत्कालीन सहायक कृषि अभियन्ता से कृषि निदेशालय के पत्रांक–ए०सी० 3899, दिनांक 24-12-93 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया । दैनिक श्रमिकों को चिट्ठे का भुगतान समय से न करने के संबंध में कृषि निदेशक के पत्रांक–ए०सी० 5825 दिनांक 27-01-98 द्वारा श्री जी० एम० जावेद, तत्कालीन सहायक कृषि अभियन्ता, चिनहट, लखनऊ को कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

तहसील चखारी, जनपद महोबा में चकबन्दी विभाग द्वारा नियम विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि अपात्रों के नाम किये जाने की जांच/कार्यवाही की मांग

55—श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 26 जुलाई, 1997 को तहसील चखारी, जनपद महोबा मुख्यालय पर स्थित कृषि रक्षा इकाई कार्यालय के सभागार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जनता कचेहरी" का आयोजन किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त कचेहरी में शिकायती प्रार्थना–पत्र पावती रजिस्टर के क्रमांक–4 पर ग्राम सभा गूढ़ा द्वारा ग्राम समाज की भूमि को चकबन्दी विभाग चखारी द्वारा गत सन् 1993 में नियम विरुद्ध अपात्रों का 500 बीघा भूमि का भू-स्वामी घोषित किया गया के विरुद्ध शिकायत प्रमाणीकरण हेतु अपात्रों को दी गयी भूमि की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

नियम विरुद्ध अपात्रों को 500 बीघा भूमि का भू-स्वामी घोषित किये जाने से सम्बन्धित समस्त मामले में अपील दायर कराकर समस्त अपीलों का निस्तारण ग्राम समाज के हक में करके ग्राम सभा गूढ़ा में भूमि निहित कर दी गयी है। इस प्रकरण में दोषी पाये गये सहायक चकबन्दी अधिकारी लगभग चार वर्ष पूर्व दिनांक 31-8-93 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है परन्तु इस कृत्य के लिये दोषी पाये गये चकबन्दी लेखपाल को निलम्बित किया जा चुका है।

स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत दिनांक 31-12-95 तक 05/08 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों द्वारा सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति विषयक उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव को प्रेषित निर्गत प्रार्थना-पत्र एवं सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति आदेश की जानकारी

56–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) के पत्रांक मु०प्र०–5248ए/3–123 दिनांक 29-12-1987 के अनुसार स्टाफिंग पेटर्न के अन्तर्गत वेतनमान 430–685 (1200–2040 अब 4000–6000) प्राप्त करने वाले किन-किन कर्मचारियों ने 05/08 वर्ष की सेवा उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृति किये जाने का अनुरोध उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव से किया है ? प्रत्येक कर्मचारियों ने आज तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? शासनादेश संख्या वे०–आ०–1–166/दस–12(एम)/95 दिनांक 8-3-1995 के साथ पठित शासनादेश संख्या वे०आ०–1–84/दस–12(एम)/95 दिनांक 5-2-1997 के अनुसार 31-12-1995 तक 05/08 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा क्या कार्यवाही अवशेष रह गई है ? सरकार कब तक प्रत्येक कर्मचारियों को देय सेलेक्शन ग्रेड के स्वीकृति के आदेश निर्गत करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मात्र श्री आनन्द स्वरूप निगम द्वारा अनुरोध किया गया है।

मात्र श्री आनन्द स्वरूप निगम द्वारा 09 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

दो कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है। श्री आनन्द स्वरूप निगम का प्रकरण विवादित होने के कारण संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली अम्बेडकर नगर द्वारा फैजाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण में उ० प्र० जल निगम निर्माण व डिजाइन द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में शासन को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

57–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28-2-97 को पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली अम्बेडकरनगर ने एक शिकायती-पत्र उत्तर प्रदेश शासन को उ० प्र० के जल निगम निर्माण व डिजाइन सेक्शन की इकाई द्वारा उक्त जनपद में निर्माणाधीन स्टेडियम व जनपद फैजाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माणाधीन फिल्ट्रेशन प्लान्ट में भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा था जिसकी प्रति अध्यक्ष जल निगम को भी दी है ? यदि हां, तो संबंधित पत्र में क्या शिकायत है ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त फिल्ट्रेशन का ठेका पूर्व में 33 लाख में स्वीकृत किया गया था जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर ने 19 लाख का कर दिया था ? क्या यह सही है कि इस कार्य के बाद उनका विभाग द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी, नानपारा, बहराइच के विरुद्ध प्रचलित जांच के शिकायती बिन्दुओं एवं शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

58–डा० वकार अहमद शाह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, नानपारा, बहराइच के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो शिकायती बिन्दु क्या हैं और इनकी जांच कौन अधिकारी कब से कर रहा है ? क्या शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब और किन-किन शिकायतों की पुष्टि हुई है और प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

शिकायती बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. वर्ष 1996-97 में निर्धारित वित्तीय सीमा का अतिक्रमण कर कार्य कराना।

2. परियोजना गढ़वा तृतीय राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम बरानी परियोजना में निष्पादित कराये गये कार्यों से संबंधित पूर्ण भूमि संरक्षण आकार प्रपत्र नहीं बनवाये गये। कृषक सूची राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। नियोजन मानचित्र एवं कन्टूर मानचित्र पर नजरी सर्वेक्षण नहीं दर्शाया गया है।

3. परियोजना केशवपुर मुराव में पूर्ण भूमि संरक्षण आकार पत्र तैयार नहीं कराये गये। नियोजन मानचित्र पर कन्टूर लाइन नहीं बनायी गयी तथा क्षेत्र पुस्तिका का सत्यापन उच्च कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

जांच हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती) कृषि निदेशालय को दिनांक 23-8-97 को निर्देशित किया गया।

जी हां दिनांक 24-3-98 को।

जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

जांच आख्या के विधिवत् परीक्षण के बाद निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के खेत मजदूर यूनियन को प्रशासन द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति की मांग

59–श्री राजेन्द्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर खेत मजदूर यूनियन ने दिनांक 9-9-97 से 27-12-97 तक विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धरना चलाया था और एक-एक मांग-पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो खेत मजदूर यूनियन की मांगें क्या थीं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 27-12-97 के जिला प्रशासन ने किन-किन मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था जिस पर धरना समाप्त किया गया ? क्या यह सही है कि आश्वासन की पूर्ति इन चार माह में न होने के कारण खेत मजदूर यूनियन ने पुनः 6-4-98 को पुनः उक्त मांग की है ? यदि हां, तो आश्वासन की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन के गांव कुठौंद के अन्तर्गत निर्माणाधीन चेक डैम के धन का जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा किये गये गबन की उच्च स्तरीय जांच की मांग

60–श्री श्रीराम पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में गांव कुठौंद के अन्तर्गत ग्राम कहरकहानार व ग्राम बोहई के बीच स्थित भूरी माता के पास नाले पर डी० आर० डी० ए० द्वारा उपलब्ध धनराशि से वर्ष 1996-97 से चेक डैम का निर्माण जिला पंचायत जालौन उरई द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त डैम का निर्माण एक वर्ष से रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त चेक डैम के निर्माण की धनराशि का गबन जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

माननीय श्री श्रीराम पाल सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त चेक डैम के निर्माण संबंधी शिकायती-पत्र के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी जालौन के आदेश दिनांक 14-2-97 द्वारा भुगतान पर रोक लगाते हुए उसकी जांच अधि० अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उरई से कराये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके कारण उक्त चेक डैम का निर्माण रुका रहा ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी जालौन द्वारा अधि० अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उरई द्वारा करायी गयी जांच के अनुसार लोहई चैक डेम के निर्मित ढांचे को तुड़वाकर नये सिरे से नियमानुसार निर्माण कार्य संशोधित डिजाइन के अनुरूप कराये जाने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा पारित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

61–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुपालन में उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र जनपद में करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के वर्ग–1, वर्ग–2 व वर्ग–3 का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्यतया जनहित में प्रशासनिक आधार पर अथवा निजी अनुरोध पर किए जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत, उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव से पात्र कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति दिये जाने की मांग

62–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) के पत्रांक मु० प्र० 5248ए/3-123 दिनांक 29-12-1987 के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत किन-किन कर्मचारियों ने 05/08 वर्ष की सेवा उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने का अनुरोध उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव से किया गया है ? सरकार कब तक प्रत्येक पात्र कर्मचारियों को देय सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के आदेश निर्गत करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मात्र श्री आनन्द स्वरूप निगम, वरिष्ठ सहायक द्वारा सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

सेलेक्शन ग्रेड, पात्र कर्मचारियों को उनकी निर्धारित सेवा अवधि के उपरान्त नियमानुसार स्वतः ही स्वीकृत कर दी जाती है । श्री आनन्द स्वरूप निगम का प्रकरण विवादित होने के कारण उन्हें स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल द्वारा की जा रही है । जांचोपरान्त श्री निगम को पात्र पाये जाने पर सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी फिरोजाबाद की राजकीय नर्सरियों में हुई आय से अधिक व्यय की जांच/कार्यवाही की मांग

63–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी फिरोजाबाद में कहां-कहां राजकीय नर्सरियां हैं तथा उनकी वर्ष 1996-97, 1997-98 में पौधों की स्टाक पोजीशन क्या थी ? क्या यह सत्य है कि उन पर आय से अधिक व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ? क्या इस पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायन सिंह–

जनपद मैनपुरी के कचहरी प्रांगण एवं कम्पनीबाग में तथा जनपद फिरोजाबाद के जनपद मुख्यालय दवरई में राजकीय नर्सरी है । जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 तथा 97-98 में क्रमशः 93820 तथा 80574 पौधों का उत्पादन हुआ था और जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1996-97, 97-98 में क्रमशः 91480 पौधे तथा 45706 पौधे उत्पादित हुए ।

जी हां जनपद मैनपुरी में वर्ष 1997-98 तथा जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1996-97 में आय से अधिक व्यय हुआ है ।

जनपद मैनपुरी में 1997-98 में कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान, वेतनवृद्धि एवं जनवरी, 1996 से जनवरी, 1998 तक बकाया राशि के भुगतान के कारण आमदनी से अधिक व्यय हुआ । जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1996-97 में अतिवृष्टि, जलभराव एवं दैविक प्रकोप से 40 हजार पौधे अगस्त, 1996 में मर जाने के कारण आय से अधिक व्यय है । अतः किसी कर्मचारी या अधिकारी का दोष नहीं परिलक्षित होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के विभिन्न अंचलों में ओलावृष्टि एवं तूफान से प्रभावित कृषकों को प्रशासन से मुआवजा दिये जाने की मांग

64–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विभिन्न अंचलों में तूफान एवं ओलावृष्टि से हुई धन, जन, पशु, फसल की क्षतिपूर्ति कराने की क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ओलावृष्टि एवं तूफान से पीड़ित किसानों को समुचित मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद में दिनांक 22/23 मार्च, 98 को हुई ओलावृष्टि से कोई जन एवं पशु हानि नही हुई, केवल फसल क्षति हुई है । प्रभावित किसानों को तहसील मैनपुरी में रु० 2,16,585.00 एवं तहसील करहल में रु० 53,73,126.00 की राहत का वितरण किया जा चुका है । सरकार द्वारा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था नहीं है बल्कि निर्धारित मानक के अनुसार दैवी आपदा राहत निधि से राहत सहायता प्रदान की जाती है, जो पीड़ित किसानों को वितरित की जा चुकी है ।

जनपद मैनपुरी एवं फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा वर्ष 1995 से 1998 तक कराये गये कार्यों का विवरण

65– श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी फिरोजाबाद में वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गये और इसका सत्यापन कब-कब तथा किस श्रेणी के अधिकारी से कराया गया है ? क्या इस विभाग को कार्य देने के लिये कोई मापदण्ड है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद में वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा निम्न कार्य कराये गये हैं :–

1–प्रक्षेत्र विकास कार्य
2–बोरिंग
3–पम्पसेट स्थापना
4–जल निकास नाला
5–फील्ड बंडिग
6–कन्टूर बांध
7–पेरीफेरल बांध
8–मार्जिनल बांध
9–समतलीकरण
10–अवरोध बांध
11–तालाब
12–टेबुल लैण्ड बंडिग
13–बेंच टेरेसिंग
14–बीहड़ स्थिरीकरण

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी हां।

जल समेट क्षेत्रों की प्राथमिकता एवं औचित्य तथा उपादेयता के आधार पर चयन कर भूमि एवं जल संरक्षण हेतु परियोजना तैयार कर जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति से तथा उत्तर प्रदेश/भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त तथा स्थिति धन उपलब्ध होने पर भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 की धाराओं एवं उपधाराओं के अधीन परियोजना में नियमित कार्य कराया जाता है।

एक संग्रह अमीन द्वारा विद्युत देय के पैसे का गबन करने की जांच विषयक उप जिलाधिकारी गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा तहसीलदार को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66– श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी गौरीगंज सुल्तानपुर का तहसीलदार गौरीगंज को प्रेषित पत्रांक 760/एस०टी० 30 जि० अ०, दिनांक 1-12-97 जिसमें राम शंकर लाल पुत्र श्री गनेश प्रसाद निवासी जूठीपुर परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का विद्युत देय की रसीद का पैसा खजाने में न जमा कर गबन करने की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच अब तक न करने तथा संबंधित अमीन के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित पत्रांक 760/एम० टी० 30 जि० अ० दिनांक 1-12-97 के बजाय उपजिलाधिकारी गौरीगंज सुल्तानपुर का तहसीलदार गौरीगंज को प्रेषित पत्र संख्या–1/एस०टी०–उ० जि० अ० गौ० दिनांक 1-12-97 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार गौरीगंज से करायी गई जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला सा० सं० अमीन द्वारा श्री राम शंकर लाल पुत्र, गनेश प्रसाद से विद्युत देय की बकाया धनराशि की वसूली की गई। विद्युत देय की बकाया धनराशि मु० 2,008.00 रसीद संख्या–16/028633, दिनांक 18-12-92 द्वारा विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है। संबंधित अमीन के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

बन्दोबस्त अधिकारी फैजाबाद द्वारा मु० नं० 2128 पर पारित आदेश की जांचकर कार्यवाही की मांग

67–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 423 पुराना गाटा संख्या 499 क्षेत्रफल सोलह बिस्वा दस धूर स्थित ग्राम हरैया 40 बिड़हर तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी फैजाबाद के मु० नं० 2128 दिनांक 14-3-73 द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ? यदि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तो तहसील टाण्डा के रजिस्टर 23 पर वह आदेश किस आधार पर दर्ज हुआ है ? यदि फर्जी दर्ज है तो क्या फर्जी कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय के मिसिल बन्द रजिस्टर अन्तर्गत धारा–11/1 जो० च० अ० के क्रमांक 2128 पर ग्राम तेन्दुआ परगना बिडहर अवध राज बनाम महावीर दिनांक 31-3-71 को पंजीकृत हुआ था। जिसका निस्तारण दिनांक 21-7-71 को किया गया था जिसमें अपील निरस्त कर दी गई थी। यह वाद ग्राम हरैया परगना बिडहर से सम्बन्धित नहीं है।

तहसीलदार टाण्डा ने अवगत कराया है कि तहसील टाण्डा के कायदा 23 पृष्ठ संख्या–239 सन् 1302 फसली में दिनांक 28-1-87 को अमल दरामद किया गया है जिसका अनुपालन श्री जगदीन राजस्व

लेखपाल द्वारा खतौनी में करके फर्जी होने का संदेह होने के कारण रिपोर्ट उप जिलाधिकारी टाण्डा के न्यायालय में की गई है जिसका मुकदमा 56/228 लेखपाल बनाम श्यामू उप जिलाधिकारी टाण्डा के न्यायालय में लम्बित है।

ग्राम भीटी बाजार, जनपद अम्बेडकरनगर में आग से मृत एक परिवार के शेष बचे एक पुत्र को शासन द्वारा अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु की जा रही कार्यवाही

68–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 जून, 1996 को ग्राम भीटी बाजार थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर में एक मकान में आग लग जाने के कारण श्री बाबूराम एवं उनके परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उनके एक मात्र पुत्र को अनुग्रह राशि दी गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां

अनुग्रह अनुदान के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा शासन से निर्देश मांगा गया था, जो पत्र सं०–4955/1–11-97–रा०–11, दिनांक 14 मई, 98 द्वारा भेजा जा चुका है। अनुग्रह अनुदान प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा, नियुक्त संग्रह अमीनों के वेतन भुगतान का मामला

69–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 2560/88 तथा शासनादेश संख्या डब्लू 989/1-7-96–217/88, दिनांक 6 मई, 1996 के अनुसार संग्रह विभाग में 17 संग्रह अमीनों की नियुक्ति जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 22 जून, 1996 को की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त संग्रह अमीनों को वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

नहीं।

वेतन के भुगतान का मामला विचाराधीन है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान कोटद्वार में फायर बिग्रेड सेन्टर की स्थापना हेतु क्रय भूमि के विवरण की जानकारी

70–श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अग्निशमन (फायर बिग्रेड) द्वारा पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के नाम से ग्राम रतनपुर पट्टी सुखरौठ तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में कृषि किस जाति के लोगों से क्रय की गयी है ? यदि हां, तो उक्त भूमि किस जाति के लोगों से क्रय की गई है एवं राजस्व विभाग के भू-अभिलेखों के अनुसार इसका क्षेत्रफल कितने एकड़ है ? उक्त कृषि सिंचित भूमि अग्नि शमन विभाग द्वारा कितनी धनराशि में किस प्रयोजन के लिये क्रय की गयी है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां

जाति के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा की गयी जांच से स्पष्ट है कि समस्त विक्रेतामण "कोली" उपजाति के व्यक्ति हैं।

भूमि अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि का क्षेत्रफल जो ख०खा०सं०–7 में 0.316 है, 9क में 1.60 है ख०खा०सं०–12 मध्ये 0.064, 0.064, 0.128 है० 0.152 है० 0.064 है० कुल 948 है० यानि 2.20 एकड़ है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान कोटद्वार में अग्नि शमन सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु उनके आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के प्रयोजन हेतु क्रय की गयी है उक्त भूमि रु० 25,07,079.00 में क्रय की गई है

श्री शिव बालक ग्राम देवसिंह, मोहनलालगंज द्वारा अवैध कब्जा हटाने विषयक जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

71–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आम रास्ते में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव बालक ग्राम देवसिंह, खेड़ा पोस्ट मोहारी खुर्द तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ के कितने शिकायती-पत्र 6/97 के बाद जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को प्राप्त हुये ? इन शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही कब तक पूर्ण कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छत्रपति शाहू जी महाराजनगर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति मऊ के लिए मण्डी स्थल के निर्माण की मांग

72–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जिला छत्रपतिशाहूजी महाराजनगर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति मऊ के लिये मण्डी स्थल निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त निर्माण कब प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मंडी निर्माण के संबंध में भू चयन आदि की प्रारम्भिक स्तर की कार्यवाही-संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद, झांसी द्वारा की जा रही है ।

भू-चयन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डी स्थल निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज में सूखे की स्थिति के कारण कृषकों को राहत-राशि दिये जाने की मांग

73–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज की फरेन्दा व नौतनवां तहसील में इस वर्ष खरीफ की फसल 80 प्रतिशत सूखने की सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दोनों तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया है ? क्या इन तहसीलों में सूखा राहत हेतु शासन से धन भी दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आर्थिक सहायता के रूप में 300 रुपये प्रतिमाह की दर से वहां की जनता को राहत देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । गत खरीफ की फसल में महराजगंज में सूखे की स्थिति नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद एवं तहसील हरदोई, क्षेत्र कोर्रिया में श्री राम नरेश लेखपाल की प्रशासन द्वारा जनहित में तैनाती

74-डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील हरदोई में कार्यरत लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र कोर्रिया में ही बार-बार किन परिस्थितियों में नियुक्त किया जा रहा है तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इसी तहसील में कितने वर्ष कार्य करते हो गया है ? लेखपाल का एक तहसील में कितने वर्ष का कार्यकाल होता है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में जांच व कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिला हरदोई की तहसील हरदोई क्षेत्र कोर्रिया में श्री राम नरेश लेखपाल को प्रथम बार दिनांक 16-8-75 से 1-4-81, द्वितीय बार जनवरी, 1994 से मार्च, 1996 तक तथा उसके पश्चात् अक्टूबर 1997 से 30 मई, 1998 तक जनहित में तैनात किया गया।

उक्त लेखपाल इस तहसील में 22 वर्ष 9 माह तक कार्यरत रहा।

लेखपाल का एक तहसील में 12 वर्ष का कार्यकाल होता है।

उक्त लेखपाल श्री रामनरेश का स्थानान्तरण तहसील हरदोई से तहसील सण्डीला को किया जा चुका है।

जनपद हरदोई, मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट के समाधान हेतु मण्डी परिषद् द्वारा हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

75–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट के निदान हेतु उप निदेशक (निर्माण–1) राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद लखनऊ के निर्देश पर प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित चयनित सूची का प्रस्ताव कृषि उत्पादन मण्डी समिति माधोगंज जनपद हरदोई द्वारा प्रस्ताव सं० 72 दिनांक 17-9-97 के द्वारा सम्बन्धित विभाग को भेजा जा चुका है ? क्या क्षेत्र की जनता के समक्ष भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के बावजूद राज्य कृषि–2 उत्पादन मंडी परिषद् द्वारा हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार हैण्ड पम्प कब तक लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों के विरुद्ध अधिक दायित्व होने के फलस्वरूप हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये।

76–श्री शेर बहादुर–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद एवं तहसील अम्बेडकरनगर ग्राम गौहना के एक पूर्व जमींदार के नाम अनियमित दर्ज भूमि सम्बन्धी जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र पर जांच की कार्यवाही

77–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर तहसील अकबरपुर के ग्राम गौहना के किसी पूर्व जमींदार परिवार के नाम लगभग 12 बीघा भूमि अनियमित रूप से दर्ज होने के सम्बन्ध में नगर परिषद्, अकबरपुर के सदस्य द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र माह वर्ष 1997 में जिलाधिकारी

अम्बेडकरनगर व उप जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर को सम्बन्धित भूमि की खतौनी संलग्न कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही प्रगति में है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील आलापुर के नायब तहसीलदार द्वारा श्याम नारायन बनाम समरथी प्रकरण में दिये गये निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

78–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आलापुर के नायब तहसीलदार रामनगर के यहां एक वाद वास्ते दाखिल खारिज श्याम नरायन पुत्र शीतला प्रसाद दुबे निवासी रुकमलपुर परगना बिड़हर द्वारा कायम किया गया है ? क्या इसकी तारीख 28-2-97 को पड़ी थी परन्तु उक्त तारीख के पूर्व दिनांक 5-2-97 को ही सम्बन्धित वाद सं० 266 धारा–34 का एक पक्षीय निस्तारित कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि इस निर्णय को लेकर उक्त तहसील भवन के सामने फरवरी माह में दिनांक 13-2-97 से 14-2-97 तक सभी राजनैतिक दलों द्वारा आमरण अनशन, आन्दोलन व चक्का जाम किया गया जिसके संबंध में जिला प्रशासन को स्थानीय एल०आई०यू० द्वारा एक रिपोर्ट भी भेजी गयी थी ? यदि हां, तो नायब तहसीलदार द्वारा उक्त वाद में किये गये निर्णय व जनाक्रोश को देखते हुये शासन द्वारा इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां

जी हां । श्याम नरायन बनाम समरथी वाद सं० 268 में 28-2-97 की तिथि नियत थी । इस वाद का निस्तारण 5-2-97 को नहीं हुआ है । बल्कि लेखपाल रिपोर्ट बनाम सरकार वाद 266 का निस्तारण उपजिलाधिकारी आलापुर द्वारा दिनांक 5-2-97 को हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड खुटार ग्राम हंसपुर में मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगनादेश के निरस्तीकरण एवं चकबन्दी प्रक्रियायें पूर्ण किये जाने की मांग

79–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुटार अन्तर्गत ग्राम हंसपुर में विगत कितने वर्षों से मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा चकबन्दी प्रक्रियायें स्थगित हैं ? यदि हां, तो सरकार ने मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को जनहित में निरस्त कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार भूमिहीन एवं कृषकों के हित को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश को निरस्त कराकर उक्त ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रियायें पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुटार के अन्तर्गत ग्राम हंसपुर में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5-11-81, दिनांक 13-5-83 तथा दिनांक 9-5-84 द्वारा क्रमशः रिट याचिका संख्या–13634/81 हुजूर सिंह बनाम डी० डी० सी० रिट याचिका संख्या–6202/83 कपूर सिंह बनाम डी० डी० सी० तथा रिट याचिका संख्या–9254/84 व रिट याचिका संख्या–6740/84 मोहन सिंह बनाम डी० डी० सी० में स्थगन आदेश पारित करते हुए चकबंदी अग्रिम क्रियायें स्थगित कर दी गई हैं।

मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश निरस्त करने के लिये विभाग की ओर से दिनांक 15-3-91, 21-3-91 तथा 21-3-91 को अलग-अलग प्रति शपथपत्र दाखिल करते हुए स्थगन आदेश को निरस्त करने हेतु मा० उच्च न्यायालय से आवेदन किया गया है। रिट याचिकाओं में प्राप्त स्थगन आदेश को शीघ्र समाप्त कराने के लिये पुनः चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 28-11-97, 28-11-97 व 28-5-98 को अलग-अलग पूरक शपथ-पत्र दाखिल किये गये हैं। अभी तक मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं में पारित स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया है।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद ही चकबंदी प्रक्रियायें पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिट याचिकाओं में जब तक स्थगन आदेश निरस्त नहीं हो जाते तब तक चकबंदी प्रक्रियायें पूर्ण कराना सम्भव नहीं है।

जनपद संत रविदास नगर, ज्ञानपुर-चकमन्धता में निर्मित मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य की टी० ए० सी० से जांच की मांग

80–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र ग्राम सभा चकमन्धाता में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की जांच टेक्निकल आडिट सेल से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गोपियापुर तह० विधूना जनपद इटावा में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों से सार्वजनिक उपयोग की मुक्त करायी गयीं जमीनों की जानकारी

81–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गोपियापुर मौजा कमारा तहसील विधूना व ब्लाक अछल्दा जिला इटावा में चकबन्दी के दौरान निर्मित चकरोड नाली एवं खाद के गड्ढों को छोड़ा गया था ? क्या उन गड्ढों पर ग्रामीणों ने अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा सार्वजनिक उपयोग की जमीन को मुक्त करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। सार्वजनिक उपयोग की जमीन, चकरोड, नाली एवं खाद के कुछ गड्ढों पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किये गये थे।

सार्वजनिक उपयोग की जमीनों का स्थल पर सर्वेक्षण कराया गया और सर्वेक्षण के उपरान्त सार्वजनिक उपयोग की जो जमीनें, पूर्णतया या आंशिक रुप से अतिक्रमण के अन्तर्गत पाई गयीं उन्हें

अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है और सार्वजनिक उपयोग की सभी जमीनों को खाली करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम उत्तर गांव तह० मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के तालाब को कृषि भूमि के रूप में किये गये आवंटन के निरस्तीकरण की सक्षम न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही

82–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलमग्न (तालाब) को कृषि भूमि के रूप में किये गये आवंटन को निरस्त करने विषयक श्री राम खेलावन, प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरगांव तह० मुसाफिरखाना सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 10-9-97 तहसीलदार मुसाफिरखाना सुल्तानपुर को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

श्री राम खेलावन, प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरगांव, तहसील, मुसाफिरखाना, जिला-सुल्तानपुर के प्रार्थना-पत्र पर गाटा संख्या–1034, 1035, 1176 में हुये कृषि भूमि आवंटन की जांच कराई गई। मौके पर उक्त गाटों में पेड़ एवं तालाब पाये गये जिसके कारण पट्टा-निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नवीन मण्डी स्थल सहसवान में मेसर्स कुंवर पाल इस्लाम नगर जनपद बदायूं द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्य के भुगतान की मांग

83–श्री रामवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि नवीन मण्डी स्थल सहसवान अनु० सं० 801/डी० डी० सी० दिनांक 3-1-92 द्वारा आन्तरिक मार्ग एवं (2) नगर आई० सी० सी० पुलिया आदि का निर्माण कार्य मेसर्स कुंवर पाल इस्लाम नगर जनपद बदायूं द्वारा कराया गया है ? क्या उक्त निर्माण कार्य का भुगतान उक्त फर्म को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

(क) नवीन मण्डी स्थल सहसवान में अनुबन्ध सं० 801/डी० डी० सी० दिनांक 3-1-92 द्वारा आन्तरिक मार्ग एवं 2 नग आर० सी० सी० पुलिया आदि का निर्माण कार्य मेसर्स कुंवर पाल इस्लाम नगर, बदायूं को आवंटित किया गया था, किन्तु समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया।

(ख) जी हां, चालू देयक के रूप में भुगतान किया गया।

(ग) रु० 3,33,574.00 का भुगतान किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद गोमती नगर लखनऊ को मेसर्स कुंवर पाल इस्लाम नगर जनपद बदायूं द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री रामवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् गोमती नगर लखनऊ को मेसर्स कुंवर पाल इस्लाम नगर बदायूं का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-2-98 प्राप्त हुआ है ? क्या

उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच कराकर अवशेष भुगतान व धरोहर राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया है ? क्या जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली गयी है । जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं जिनके प्राप्त होने पर ही अवशेष भुगतान व धरोहर राशि के भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो पायेगी ।

जी नहीं ।

प्रारिम्भक जांच आख्या के निष्कर्षों के आधार पर दोषी व्यक्तियों के स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं । तत्पश्चात् ही दोष निर्धारण कर कार्यवाही सम्भव होगी ।

85–श्री समर पाल सिंह–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1996 में अपर मुख्य अभियन्ता राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा खरीदे गये इलेक्ट्रानिक व ब्रिज एवं मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की खरीद मे हुई अनियमितता के सम्बन्ध में चल रही जांच

86–श्री संजय गर्ग–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 15 के उत्तर के संदर्भ में कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित इलेक्ट्रानिक व ब्रिज एवं मैकेनिकल हैण्डलिंग की खरीद में अपर निदेशक द्वारा की गयी करोड़ों रुपये की हेराफेरी की कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री कृपा शंकर सिंह–

[दिनांक 23-6-98 को अता० प्र० सं० 180 द्वारा उत्तरित]

88–श्री श्रीराम पाल–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं० 192 द्वारा उत्तरित]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा की गयी अनियमितता एवं सरकारी धन की क्षति की जांच/कार्यवाही की मांग

89–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा समय से सेल टैक्स का भुगतान न करने के कारण वर्ष 1997 में विभाग पर सेल टैक्स विभाग द्वारा लगभग 5 लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया था ? क्या निर्माण खण्ड शाहजहांपुर की विभागीय ट्रैक्टर ट्राली जनरेटर आदि की कुर्की भी करा ली गयी एवं परिषद् खाते में जमा लगभग 1.50 लाख रुपये भी जिला प्रशासन द्वारा जब्त करा लिया गया ? क्या इसके कारण मण्डी को काफी क्षति हुई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त गम्भीर अनियमितता एवं सरकारी धन की क्षति की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराकर सम्पूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यद्यपि मण्डी परिषद् निर्माण खण्ड शाहजहांपुर द्वारा 3–डी के विरुद्ध क्रय किये गये सीमेन्ट पर अनुमन्य व्यापारकर 5% की दर से क्रय करने के समय ही भुगतान कर दिया गया था लेकिन व्यापार कर विभाग द्वारा सीमेन्ट को ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु निर्गत न मानकर बिक्री मानते हुए 7.5% की दर से रु० 5,33,403.00 की अतिरिक्त धनराशि आरोपित की गयी थी ।

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर, ट्राली, जनरेटर, इत्यादि वापस प्राप्त कर लिया गया है तथा उपायुक्त व्यापार कर ए–रेंज बरेली के यहां अपील दायर कर आरोपित धनराशि को जमा करने के सम्बन्ध में स्थागनादेश प्राप्त किया गया है ।

जी नहीं, क्योंकि कोई अनियमितता एवं सरकारी धन की क्षति नहीं हुई है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, शाहजहांपुर द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु की गयी निविदा की दरों के सम्बन्ध में जांच/कार्यवाही की मांग

90–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 29-7-97 को सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु टेण्डर कराये गये थे ? क्या उसमें खण्ड स्तर से अत्यधिक दरों पर कार्य कराने की संस्तुति परिषद् मुख्यालय को भेजी गयी ? क्या उपरोक्त टेण्डर में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से एवं मुख्यालय स्तर से निविदा उन दरों पर स्वीकृत न होने के कारण पुनः दिनांक 9-9-97 को निविदा आमंत्रित करायी गयी ? क्या उसमें पूर्व की निविदा से बहुत कम दरें प्राप्त हुई ? पूर्व में खण्ड स्तर से उच्च दरों पर भेजी गयी निविदा हेतु क्या सरकार प्रकरण पर सक्षम अधिकारी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दिनांक 29-7-97 को राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति शाहजहांपुर द्वारा कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गयी ।

विधान सभा क्षेत्र पुवायां में पूरनपुर बण्डा रोड से ग्राम बेबहा तक मण्डी परिषद द्वारा बनायी जा रही सड़क में बरती गयी अनियमितता की जांच एवं उचित कार्यवाही की मांग

91–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ब्लाक बण्डा के अन्तर्गत पूरनपुर बण्डा रोड से ग्राम बेबहा तक मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1996 से निर्माणाधीन सड़क पर करीब 2.00 लाख रुपये के पत्थर, मिट्टी का अतिरिक्त भुगतान कराया गया ? क्या सरकार जनहित में उक्त अनियमितता की जांच शासन स्तर से सक्षम अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीने के पानी की समस्या का निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को दिया गया पत्र संख्या 1115/पी०एस०एम०एस०/एम०एल०ए०/97 दिनांक 11-11-97 निदेशक, मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हां ; प्रश्नगत पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1–माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि उनके पत्र के आधार पर स्वीकृत 10 एवं 5 नग हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य स्थगित किया गया है ।

2–मा० सदस्य द्वारा विधान सभा द्वितीय सत्र 1997 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–32 के उत्तर में हैण्ड पम्पों की स्थापना धनभाव के कारण रोकने की बात कही गयी थी ।

3–मा० सदस्य के स्वीकृत हैण्ड पम्पों की स्थापना का कार्य द्वेषभावना से स्थगित किया गया जबकि श्री बाबा रामनाथ यादव, सदस्य, विधान परिषद् मैनपुरी के पत्र पर 10 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प स्वीकृत करके उसकी स्थापना हेतु रु० 1.45 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी ।

4–मा० सदस्य के पत्र दिनांक 9-4-97 को स्वीकृत हैण्ड पम्पों की स्थापना अन्तिम रूप से निरस्त कर दी गयी है ।

5–विधान सभा में दिया गया आश्वासन संख्या–122/97 अब तक पूरा नहीं हुआ है ।

6–उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दोषी अधिकारियों द्वारा भेदभाव रखने, गलत तथ्य प्रस्तुत करने, सही तथ्य छिपाने, सदस्य को गुमराह करने तथा आश्वासन को पूरा न करने तथा धन उपलब्ध होते हुए भी 15 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प न लगवाने के संबंध में जांच कराने का आग्रह किया था ।

मा० सदस्य के पत्र में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा सकी है क्योंकि वर्तमान समय में मण्डी समिति मैनपुरी एवं मण्डी समिति वेवर की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । मण्डी समिति मैनपुरी रु० 317.32 लाख तथा मण्डी समिति वेवर रु० 105.89 लाख से ऋणात्मक है तथा उक्त मण्डी समितियों के क्षेत्र में क्रमशः रु० 348.88 लाख तथा रु० 9.67 लाख के अवशेष कार्य निर्माणाधीन हैं इस तरह स्थिति स्पष्ट होने के कारण प्रश्नकर्ता के पत्र में अपेक्षित जांच की आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम लालपुर टीकर तह० सदर में पूर्ण चकबन्दी न करने से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

93–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा० लालपुर टीकर, तहसील सदर की आधी चकबन्दी करके चकबन्दी पूर्ण नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? क्या सरकार उस

अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम लालपुर टीकर के राजस्व अभिलेख लालपुर टीकर ऐहतमाली व लालपुर मुस्तकिल पृथक-पृथक बने हैं । जिसमें ऐहतमाली की चकबन्दी पूर्ण हो गई है तथा मुस्तकिल में चकबन्दी पूर्ण नहीं हुई है । इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

युवा कल्याण निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खातों में जमा राशि, सम्बन्धित कर्मचारियों को ब्याज सहित दिये जाने की मांग

94–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि युवा कल्याण निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत किये गये कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा भारी धनराशि को संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त धनराशि ए० जी० आफिस एवं निदेशालय के अभिलेखों में जमा है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि संबंधित कर्मचारियों को कब तक ब्याज सहित भुगतान कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

95–श्री राम कृपाल–

[दिनांक 22-6-98 को अता० प्र० सं० 105 द्वारा उत्तरित]

नवसृजित जनपद बागपत में अमीनगर सराय को तहसील बनाने सम्बन्धी शासन के विचाराधीन प्रस्ताव की जानकारी

96–श्री समर पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित बागपत जिले में नई तहसीलों/ब्लाकों का सृजन करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी व सृजन का आधार क्या है ? नई तहसील/ब्लाक का सृजन कब तक हो जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद बागपत में अमीनगर सराय को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा मांग की गयी है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/राजस्व परिषद् की आख्या मांगी गयी है । इसके अतिरिक्त उक्त जनपद से सम्बन्धित अन्य कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

नवसृजित जनपद-बागपत के मुख्यालय भवन के निर्माण कराने विषयक शासन के विचाराधीन प्रस्ताव की जानकारी

97–श्री समरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित बागपत जिले के मुख्यालय भवन के निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुख्यालय के भवन का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर फैजाबाद को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

98–श्री शेर बहादुर –

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा पत्र सं०/94/एस०टी०/शि०जांच /93 दिनांक 15-4-1993 जो परगना अधिकारी अकबरपुर, जनपद-फैजाबाद को लिखा गया था वह किस संबंध में था ? उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी फैजाबाद ने पत्र सं० 931/एस०टी०/शि०जांच/93, दिनांक 15-4-93 द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर, फैजाबाद को पत्र लिखा था । उक्त पत्र में श्री नन्हू पुत्र श्री करामत हुसैन, निवासी ग्राम हरखपुर कौड़हा द्वारा अनुसूचित जाति बनकर आई०आर०डी० योजना के अन्तर्गत लिये गये लाभ से वंचित करने और लाभार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश थे ।

लाभार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई एवं धोखाधड़ी करके प्राप्त किए गए 2500/- के अनुदान की वसूली हेतु उनकी अचल सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही भी कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई तह० सण्डीला परगना गोड़वा के गाटा सं० 1249 पर जोत चकबन्दी आकार पत्र चकधारक को दिये जाने की मांग

99–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई तह० संडीला परगना-गोड़वा की खतौनी गाटा संख्या 1249.2 बीघा 9 विस्वा और गाटा संख्या 964/3, 3 विस्वा विषयक तत्कालीन मा० सभापति प्राक्कलन समिति पटेल राम कुमार वर्मा का पत्र दिनांक 13-8-97 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 (भाग–1 का उद्धरण) चक धारक को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, मा० सभापति के पत्र के साथ संलग्नक श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री गंगादीन निवासी ग्राम भरावन के प्रार्थना पत्र की जांच के पश्चात यह पाया गया कि गाटा संख्या–1249 क्षेत्रफल एक बीघा सत्रह विस्वा तथा गाटा संख्या–964/3 क्षेत्रफल 3 विस्वा पर चक प्रदिष्टि करने के बावत प्रार्थी (श्री लालता प्रसाद) द्वारा कोई चक आपत्ति/अपील अब तक नहीं प्रस्तुत की है । यह कि धारा–42 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । इसकी सूचना प्रार्थी को उसी समय दे दी गई थी । श्री लालता प्रसाद को पूर्व में नियमानुसार आकार पत्र–23 भाग–1 का उद्धरण दिया गया था किन्तु प्रार्थी अब यह चाहते हैं कि उनको इनके गाटे 1249 पर चक प्रदिष्ट करके आकार पत्र 23 भाग–1 का उद्धरण दिया जाय । चूंकि प्रार्थी ने चक के बावत अब तक कोई आपत्ति/अपील आदि सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है जिसके फलस्वरूप कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

ग्राम प्रधान पहनासा, पो० भैरमपुर परगना-बछरावां तह० महराजगंज जनपद रायबरेली द्वारा किये गये ग्राम सभा की भूमि के अवैध आवंटन के निरस्तीकरण की मांग

100–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पहनासा, पो० भैरमपुर, परगना बछरावां, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली में कितनी भूमि ग्राम सभा की है ? क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पहनासा के प्रधान द्वारा अवैधानिक रूप से अपने सगे भाइयों तथा क्षेत्र के बाहर के निवासियों को भूमि आवंटित कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा की अवैध रूप से आवंटित भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1996-97 के अभिलेखों में ग्राम सभा-पहनासा में ग्राम समाज की कुल भूमि 86.651 है० है । इसमें 45.450 है० भूमि नवीन परती, बंजर एवं ऊसर है ।

ग्राम प्रधान पहनासा द्वारा अपने सगे भाइयों के पक्ष में दिनांक 26-9-1996 को भूमि आवंटित की है, जिनके विरुद्ध पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 198(4) ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में की गई है । वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

आयुक्त कानपुर मण्डल को निर्दोष मो० अहसान खां निवासी जेरकिला, छिबरामऊ जनपद कन्नौज की सम्पत्ति की हुई अवैध नीलामी के निरस्तीकरण विषयक जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

101–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रांक संख्या–5489/आले अजिअ/विविध/1997 दिनांक फरवरी, 7/11, 1997 तह०–छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद (अब जनपद कन्नौज) के जिलाधिकारी ने आयुक्त, कानपुर मण्डल को निर्दोष मो० अहसन खां पुत्र मो० जंग खां निवासी जेरिकला छिबरामऊ जनपद कन्नौज की सम्पत्ति को अवैध तरीके से की गई नीलामी को निरस्त करने की रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई और उसके मुख्य बिन्दु क्या थे ? क्या यह सच है कि आयुक्त, कानपुर, मण्डल के पत्र संख्या 2356/तीन-1996-97 दिनांक 17 सितम्बर, 1997 के अनुसार जिलाधिकारी फर्रुखाबाद (अब जनपद कन्नौज) द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्र में नीलामी को निरस्त करने के लिए लिखा गया था, जिस पर आयुक्त कानपुर मंडल के पत्र दिनांकित 6-3-97 में उक्त जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये गये कि मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन श्रीमती धनदेश कुमारी की रिट याचिका को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 1-9-94 में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

आयुक्त, कानपुर मण्डल के प्रश्न में सम्बन्धित पत्र के अनुपालन में सम्बन्धित कार्मिको से स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

जनपद बांदा में अतिवृष्टि से नष्ट फसलों के कारण प्रभावित कृषकों का क्राप्ट लोन व लगान माफ किये जाने की मांग

102–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में अतिवृष्टि के कारण किसानों की सम्पूर्ण फसल बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो क्या किसानों का क्राप्ट लोन व लगान माफ किया जायेगा ? क्या यह

सही है कि फसल बरबाद होने से किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं तथा पलायन के लिये मजबूर है ? यदि हां, तो क्या पलायन रोकने के लिये राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

असामयिक वर्षा से 1405 खरीफ की फसल को 75 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है । रबी की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

6003 लाभार्थियों को व्यवसायिक बैंकों से 499.47 लाख तथा सहकारिता अंश "ख" के रूप में 276.98 लाख के फसल ऋण वितरित किये गये हैं । कृषि देयों की वसूली रबी की फसल आने तक स्थगित कर दी गई थी । लगान माफी/छूट के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं ।

भूखमरी एवं पलायन की स्थिति नहीं है ।

जनपद बांदा में परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण व पंचायत राज अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के प्रधानों के शोषण विषयक प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही की मांग

103–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में 22-8-97 से 20-10-97 तक कुल कितने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुये ? उनमें अनुसूचित जाति के कितने ग्राम प्रधान हैं ? क्या यह सही है कि परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण व जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के प्रधानों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद बांदा में दिनांक 22-8-97 से 20-10-97 तक कुल 8 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए । उक्त में से 6 ग्राम प्रधान अनुसूचित जाति के हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

104–श्री श्रीराम पाल–

[4 थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत जिला पंचायत गोण्डा/बलरामपुर द्वारा विकास खण्डवार पशु बाजार लगाने हेतु निर्गत लाइसेन्स का विवरण

105–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत जिला पंचायत गोण्डा/बलरामपुर द्वारा किस-किस विकास खण्ड में किन-किन व्यक्तियों को पशु बाजार लगाने का लाइसेन्स निर्गत किया गया है । लाइसेन्स में शर्तें क्या है ? क्या शासन ने 1 जनवरी, 1996 से 15 अप्रैल, 1998 के बीच में ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि एक पशु बाजार से दूसरी पशु बाजार में जानवर ले जाने पर गोबर ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारी की जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस शासनादेश को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत जिला पंचायत गोण्डा/बलरामपुर द्वारा विकास खण्डवार निम्न व्यक्तियों को ठेका दिया गया :–

<u>विकास खण्ड पंचपेड़वा–</u>(1) मोहम्मद शकिर खां, विशुन पुर टनटनवां (2) काशीराम साहू, गनेश पुर–धावई (3) नन्हे लाल, सुनहाटी ।

<u>विकास खण्ड गैंसड़ी–</u>(1) श्रीमती नूरजहां, बातापुर जरवां ।

<u>विकास खण्ड तुलसीपुर–</u>(1)श्रीमती कमला देवी, महाराजगंज तराई ।

<u>विकास खण्ड हरैया सतधरवां–</u>(1) बाबा मोहम्मद शाह नवाज, मथुरा बाजार (2) श्रीमती सुशीला देवी, बिनुहनी कला (3) अब्दुल माबूद, महमूद नगर लखौरी ।

<u>विकास खण्ड बलरामपुर–</u>(1) राम सागर, गुलरिया पुरैना ।

<u>पशु बाजार–</u>लगाने हेतु जिला पंचायत द्वारा सृजित उपनियम के अधीन उल्लिखित शर्तो के अनुसार लाइसेन्स दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में मूसी लाटपुर में निर्माणाधीन स्टेडियम हेतु अवमुक्त हुए धन एवं मानक के अनुसार हो रहे कार्य की जानकारी

106–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में मूसी लाटपुर में बन रहे स्टेडियम के लिये कितना धन अवमुक्त हुआ ? इस पर अब तक कितना खर्च हुआ ? क्या वहां पर मानक के आधार पर कार्य हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

रु० 20.00 लाख का आवंटन हुआ है ।

रु० 20.00 लाख ।

स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा ग्राम टारा तहसील अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में लेखपाल द्वारा बिना आदेश को तरमीमी नक्शे को काटने विषयक जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-10-96 को पूर्व विधायक प्रियदर्शी जेतली ने एक पत्र ग्राम टारा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में लेखपाल हलका द्वारा बगैर किसी आदेश के तरमीमी नक्शे को काटने के संबंध में संबंधित ग्राम के पंचों के प्रार्थना-पत्र के साथ दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या यह सही है कि लेखपाल द्वारा बगैर किसी आदेश के तरमीमी नक्शे को काट दिया गया है ? क्या लेखपाल को निर्धारित अधिकारी के आदेश बगैर नक्शे को बदलने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो दोषी को कब तक दण्डित किया जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं, बल्कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांकित 20-7-1996 तत्कालीन जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के समक्ष दिनांक 30-10-96 को प्रस्तुत हुआ था ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 24-7-96 में उल्लिखित प्रकरण की जांच जिलाधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार से करायी गयी । जांच में पाया गया कि लेखपाल द्वारा गाटा सं० 13 में मौके की स्थिति के

अनुसार मेड़ न पाये जाने के कारण गाटा सं० 3080 के बटा नं को समाप्त कर दिया गया और 1380 की प्रविष्टियां विधि अनुरूप कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां, लेखपाल को, भूलेख नियमावली के परिच्छेद क–65 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मौके पर मेड़ समाप्त हो गयी हो तो मौके के अनुसार बटा नं० समाप्त करने का अधिकारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकरनगर तह० अकबरपुर ग्राम हरखपुर कौड़हा निवासिनी श्रीमती सुखराजी देवी के प्रार्थना-पत्र पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की मांग

108–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर पूर्व जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम हरखपुर कौड़हा की निवासी श्रीमती सुखराजी देवी के प्रार्थना-पत्र पर वर्ष 1995 में नायब तहसीलदार गुलाब चन्द मौर्या द्वारा जांच में यह पाया गया कि श्रीमती हुविया की आराजी जिस पर चकबन्दी में मुकदमा जो अभी भी चल रहा है दौरान लेखपाल ने प० का० 10 के अन्तर्गत दिनांक 23-3-85 को खातेदार का नाम काटकर दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या तहसील द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा तह० अकबरपुर, अम्बेडकरनगर ग्राम पंचायत टारा के काश्तकारों व पंचायत सदस्यों द्वारा लेखपाल द्वारा बिना आदेश के तरमीम शुदा नक्शा काटे जाने विषयक जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

109–श्री शेर बहादुर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर ग्राम पंचायत टारा के काश्तकारों, पंचायत सदस्यों द्वारा उक्त ग्राम के लेखपाल द्वारा तरमीम शुदा नक्शा प्लान्ट नं०–1380/4 को वर्ष 1969 में बगैर किसी आदेश के काट दिये जाने के संबंध में क्या श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक ने दिनांक 24-10-96 को सभी प्रमाणों को संलग्न करते हुये पत्र जिलाधिकारी व परगनाधिकारी को लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । परन्तु वर्ष 1969 के बजाय 1996 होना चाहिए ।

जांच करायी गयी । नियमावली के अनुरूप काटा जाना औचित्यपूर्ण पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई कस्बा सण्डीला से ग्राम मांझगांव गदोरा तक खराब सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

110–श्री रामजग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में कस्बा सण्डीला से ग्राम मांझगांव गदोरा तक मण्डी परिषद् सण्डीला द्वारा बनवाई गई सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उस पर वाहनों के

चलने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत न कराये जाने का क्या कारण है ? सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

मण्डी समिति, सण्डीला के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से अधिक दायित्व लम्बित होने के फलस्वरूप तथा समिति की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण।

जनपद आजमगढ़ की नवसृजित तहसील मेंहनगर के भवन को निर्मित किये जाने की मांग

111–श्री रामजग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत नवसृजित तहसील मेंहनगर के भवन के निर्माण हेतु क्या भूमि का अधिग्रहण हो चुका है ? यदि हां, तो मेंहनगर तहसील के भवन का निर्माण कब से शुरू किया जायेगा ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उक्त तहसील के भवन निर्माण सम्बन्धी आगणन/मैप सहित समुचित प्रस्ताव शासन में प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त आवश्यक धन की उपलब्धता की दशा में वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त दुग्ध समितियों द्वारा सुचारु रूप से कर रहीं दुग्ध-उत्पादन के कार्य की जांच की मांग

112–श्री तेजभान सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सघन मिनी डेरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओ को परियोजना के माध्यम से दुग्ध समिति के सदस्यो को बैंक ऋण दिलवाकर दुधारु पशुओं का क्रय कराकर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि करना है ? यदि हां, तो वर्ष 1997 में दुग्ध उत्पादन की कितनी वृद्धि हुई ? अगस्त, 1997 से दिसम्बर, 97 तक किन-किन दुग्ध समितियों को ऋण दिलाकर दुधारु पशुओं का क्रय कराया गया है ? क्या इस तरह ऋण प्राप्त दुग्ध समितियां सुचारु रूप से दुग्ध उत्पादन कर रही है, इसकी कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री सुन्दर सिंह बघेल)–

सघन मिनी डेरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक रोजगारों का सृजन करना है। इसके अन्तर्गत बैंक ऋण के माध्यम से दुधारु पशुओं का क्रय कर ग्रामीण युवाओं को दुग्ध उत्पादन के रोजगार में लगाकर, उनका शहरों की ओर पलायन रोकने एवं ग्रामीण अव्यवस्था को गतिशील बनाने के उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत दुग्ध समिति ग्रामों में दिसम्बर, 1997 तक 1387 दुधारु पशु क्रय करवाये जा चुके हैं और 8 लीटर प्रतिपशु की दर से कुल 11096 लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन का आकंलन किया गया है।

परियोजनान्तर्गत ऋण समिति को नहीं, अपितु समिति के सदस्यों को दिलाया जाता है। इसके अन्तर्गत अगस्त, 1997 से दिसम्बर, 97 तक की अवधि में 1143 समिति सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। दुग्ध समितियों में समिति सदस्यों द्वारा क्रय किए गए पशुओं द्वारा सुचारु रूप से दुग्ध उत्पादन हो रहा है, जिसका इकाई स्तर से नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सघन मिनी डेरी परियोजना, गोमतीनगर लखनऊ में तैनात गम्भीर अनियमितताओं के आरोपी महाप्रबन्धक को हटाने एवं आरोपों की जांच की मांग

113–तेजभान सिंह-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सघन मिनी डेरी परियोजना, गोमतीनगर लखनऊ में पदास्थापित वर्तमान प्रभारी/महाप्रबन्धक पर दुग्ध संघ वाराणसी तथा इलाहाबाद में तैनाती के समय गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें करने के आरोप हैं ? क्या उक्त आरोपों के कारण तत्कालीन सचिव, दुग्ध विकास/प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ० द्वारा त्वरित जांच करने तथा जांच पूर्ण न होने तक किसी तरह का प्रभार न सौंपने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे गम्भीर आरोपों के रहते, तत्कालीन दुग्ध सचिव के प्रभारी पद न सौंपने के निर्देशों के बावजूद किन कारणों से वर्तमान प्रभारी को पद भार सौंपा गया है ? क्या सरकार प्रभारी पद से उन्हें हटाते हुये उक्त आरोपों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

तत्कालीन महाप्रबन्धक, सघन मिनी डेरी परियोजना श्री जी०एल० श्रीवास्तव के विरुद्ध उनके दुग्धसंघ वाराणसी तथा दुग्ध संघ इलाहाबाद के कार्यकाल के समय में कतिपय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ० द्वारा त्वरित जांच के आदेश पारित किये गये थे ?

दुग्ध संघ इलाहाबाद में कृत अनियमितताओं की जांच तत्कालीन क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी श्री के०एन० श्रीवास्तव से कराई गई थी, परन्तु जांच रिपोर्ट उपलब्ध न हो सकने के कारण वर्तमान में सेवा निवृत्त अधिकारी श्री के०एन० श्रीवास्तव से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा यह बताया गया है कि उक्त प्रकरण में जांचोपरान्त कोई शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई थी। दुग्ध संघ वाराणसी में कृत अनियमितताओं की जांच से जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या–एक से एक अंश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न कराने के फलस्वरूप डेरी के तीन दिन तक बन्द होने से संस्था की छवि धूमिल होने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। प्रमाणित आरोप के आधार पर श्री श्रीवास्तव को दण्डित करने की कार्यवाही शेष है।

ग्राम सभा देवरिया बुद्धूखान, जनपद देवरिया में आराजी सं० 308 पर जिलाधिकारी द्वारा निरस्त पूर्व आवंटन की जानकारी

114–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम सभा देवरिया बुद्धूखान, लेखपाल हल्का नं०–83, तह० व जनपद देवरिया के आराजी नं० 308 में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि किस शासनादेश के तहत कितने वर्ष पूर्व पट्टे पर आवंटित की गई है ? क्या आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो आवंटियों को कब्जा दिलाने हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्न में संदर्भित गांव के निम्नलिखित व्यक्तियों को उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122 (सी) के अन्तर्गत आवास स्थल आवंटित किये गये थे :–

1–श्री अरब पुत्र मोहरम को 0.01 एकड़

2–श्री रफऊ पुत्र मोहरम को 0.01 एकड़

3–श्री समतुल्लाह पुत्र मोहरम को 0.01 एकड़

4–श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र रहीम को 0.01 एकड़

5–श्री अफलातून पुत्र सलीम को 0.01 एकड़

6–श्री नगई पुत्र लगनक को 0.01 एकड़

7–श्रीमती कुलमुननिशा पत्नी ईशा को 0.01 एकड़

8–श्री दरोगा पुत्र रज्जाक को 0.01/1/2 एकड़

9–श्री बिसमिल्लाह पुत्र रज्जाक को 0.01–1/2 एकड़

10–श्री मुश्ताक पुत्र इस्लाम को 0.01/1/2 एकड़

उक्त आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 5–1–92 को किये गये प्रस्ताव के आधार पर किया गया, जिसकी स्वीकृति परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 18–1–92 को की गई।

जी नहीं।

जिलाधिकारी देवरिया द्वारा अपने आदेश दि० 22–7–97 द्वारा प्रश्नगत आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

ग्राम सभा देवरिया, बुद्धखान जनपद देवरिया में प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध कब्जे को तहसीलदार देवरिया द्वारा हटवाये जाने की जानकारी

115–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996–97 में ग्रामसभा देवरिया बुद्धखान, तह० व जनपद देवरिया में नवनिर्मित प्रा० पाठशाला कितने रकबे के किस आराजी नम्बर में स्थित है ? उस आराजी नम्बर से सटे ठीक दक्षिण तरफ सिराजुद्दीन पुत्र सहीम द्वारा स्कूल की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा कर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है ? क्या सिराजुद्दीन पुत्र सहीम के चक की पैमाइश कर अवैध रूप से कब्जा की गई स्कूल वाली जमीन को खाली करा कर स्कूल के कब्जे में देने हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्राइमरी पाठशाला गाटा सं० 5227 रकबा 0-0 20 हे० में स्थित है।

श्री सिराजुद्दीन पुत्र सहीम द्वारा पाठशाला की उक्त आराजी के 0–012 हे० भूमि पर अवैध कब्जा कर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था।

दिनांक 8–6–96 को तहसीलदार, देवरिया द्वारा पैमाइश कराकर अवैध रूप से कब्जा की गई स्कूल वाली जमीन को खाली करा दिया गया है।

ग्राम देवरिया, बुद्धखान, तहसील व जनपद देवरिया में दर्ज पोखरी (आराजी सं० 178) पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट

116–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम देवरिया बुद्धखान, तह० व जनपद देवरिया के लेखपाल हल्का नं० 83 के राजस्व रिकार्डों में ग्राम सभा सम्पत्ति पोखरी में दर्ज आराजी नं० 178 को चारो तरफ से किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण एवं सटे चकदारों द्वारा जोत कर अपने चकों में मिलाकर पोखरी का अस्तित्व समाप्त कर दिया

है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम देवरिया बुद्धुखान, तहसील व जनपद–देवरिया में पोखरी के रूप में दर्ज आराजी नं० 178 पर श्री मुस्तफा, पुत्र रहमत द्वारा 0-02 एकड़ पर ईंट की दीवाल बनाकर छप्पर डाला गया है एवं मिट्टी पाट कर कब्जा किया गया है ।

इसके अतिरिक्त श्री मुबारक पुत्र शानअली, कमरुद्दीन पुत्र जैनुल, सईद पुत्र सुजान, मुहम्द खलील पुत्र रसूल वक्स, कुलसुन्निशा पत्नी ईशा, जुलूमखान पुत्र रसूल वख्स, जन्नत हुसैन पुत्र रजा, भोला पुत्र भुवन व नरेन्द्र पुत्र रामेश्वर, सुबेदार पुत्र नसीर तथा साहबजाद पुत्र शेरुद्दीन प्रत्येक द्वारा 2–2 डि० भूमि पर अपने मकान के पीछे अवैध कब्जा कर लिया है । पोखरी से सटे चकदारों द्वारा अवैध रूप से जोतकर अपने चकों में नहीं मिलाया गया है ।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय में उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

ग्राम सभा रामपुर हिरामन, तहसील व जनपद देवरिया के आराजी नं० 303 एवं 402 (ख) पर अवैध कब्जा हटवाने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117–श्री मुराद लारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रामपुर हिरामन, तप्पा–नगवा, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जनपद देवरिया के आराजी नम्बरान 303 एवं 402–ख जो कि राजस्व रिकार्डों में ग्रामसभा सम्पत्ति के रूप में क्रमशः रास्ता एवं आबादी दर्ज है ? क्या यह सही है कि उक्त आराजी नम्बरान पर उक्त ग्राम के श्री रामदेव पुत्र सुकई, गामा पुत्र सुभा एवं सरजू पुत्र कोलाहल ने अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कर, उक्त प्रश्नगत भूमि को खाली करा कर ग्रामसभा को कब्जा दखल कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118–श्री श्रीराम पाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कृषि निदेशालय के कर्मचारियों को पदोन्नति अवधि के शेष रुका सभी देयों के भुगतान की मांग

19–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के पत्रांक ए०बी०(1)/16–18/वि–2, दिनांक 1–10–1996 में उल्लिखित कर्मचारियों को 11–1–1980 से 29–5–1980 तक पदोन्नति अवधि का मासिक वेतन एरियर, नकदीकरण का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया जा रहा है ? सरकार प्रश्नगत अवधि के अवशेष मासिक वेतन एरियर व नकदीकरण का भुगतान कब तक करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कृषि निदेशालय के पत्रांक–ए०बी० (1)/16-18/वि–2, दिनांक 1–10–1996 में उल्लिखित कर्मचारियों को 11–1–80 से 29–5–1980 तक की अवधि में नोशनल प्रोन्नति की गई है । अतः नियमानुसार उन्हें उक्त अवधि का मासिक वेतन एरियर, नकदीकरण अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवसृजित जनपद महामायानगर के मुख्यालय हेतु प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रस्तावित कार्यवाही तथा प्रतिकर भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि

120–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नव सृजित जिला महामायानगर के जिला मुख्यालय के लिये जमीन अधिग्रहण की व्यवस्था कर ली गई है ? यदि हां, तो नव सृजित जिला महामायानगर हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

नवसृजित जनपद महामायानगर के मुख्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रस्तावित है ।

भूमि अधिग्रहण/प्रतिकर भुगतान मद में रु० 3.20 कारोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, महामायानगर को स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

121–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[दिनांक 24–6–98 को अता०प्र०सं० 178 द्वारा उत्तरित]

122–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[दिनांक 24–6–98 को अता०प्र०सं० 178 द्वारा उत्तरित]

क्षेत्रीय खेलकूद कार्यालय, वाराणसी के अन्तर्गत तरणताल हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं डाइविंग स्प्रींग बोर्ड की व्यवस्था की जानकारी

123–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खेलकूद कार्यालय वाराणसी के अन्तर्गत तरनताल में 3 प्रशिक्षक 3 जीवन रक्षक, एक टेक्नीशियन तथा 3 सफाई कर्मियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों को अब तक न भरे जाने के कारण क्या हैं ? इन्हें कब तक भरा जायेगा ? क्या उक्त तरणताल में डाइविंग स्प्रींग बोर्ड की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में कृषि विभाग एवं उ०प्र० भूमि सुधार निगम द्वारा काश्तकारों की भूमि में कराई गई फ्री-बोरिंग के लक्ष्य की आपूर्ति की जानकारी

124–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्रामों में कितने काश्तकारों की फ्री-बोरिंग करके लक्ष्य की आपूर्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक लक्ष्य की पूर्ति करवाई जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

(अ) कृषि विभाग एवं भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी ग्राम में किसी भी काश्तकार के यहां फ्री बोरिंग नहीं कराई गई है ।

(ब) जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विभाग/उ०प्र०· भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित ऊसर सुधार योजना हेतु कोई क्षेत्र चयनित नहीं किया गया है ।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम परियोजना कार्यालय मैनपुरी द्वारा पांच विकास खण्डों में कराये गये विकास कार्यों का विवरण

125–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1996–97 व 1997–98 में जनपद मैनपुरी में ऊसर भूमि सुधार निगम द्वारा ब्लाक वाइज किन-किन विकास कार्यों में कितना-कितना धन खर्च किया गया और भौतिक रूप से वांछित लक्ष्य में कितने प्रतिशत की पूर्ति हो गई ? निगम द्वारा किये गये विकास कार्यों हेतु मैनपुरी में कौन-कौन सी कार्यदायी संस्था थी और उसके कार्यों का किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब के भौतिक सत्यापन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के परियोजना कार्यालय मैनपुरी द्वारा पांच विकास खण्डों क्रमशः कुरावली, मैनपुरी, जागीर, सुल्तानगंज एवं किशनी ब्लाक खण्ड में ऊसर सुधार कार्य के साथ मुख्य नालों का विकास तथा सड़क कम ड्रेन का कार्य किया गया जिसमें व्यय की स्थिति निम्नवत् है :–

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	विवरण	96–97	97–98
1–	ऊसर सुधार	298.93	322.97
2–	मुख्य नालों का निकास	1.28	1.68
3–	सड़क कम ड्रेन	84.84	59.93

उक्त वर्षों में भौतिक लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विवरण		1996–97	1997–98
1–	ऊसर सुधार	लक्ष्य	1500 हे०	1500 हे०
		पूर्ति	1620 हे०	1677 हे०†

2–	सड़क	लक्ष्य	14.43 कि०मी०	2279 कि०मी०
		पूर्ति	14.43 कि०मी०	13.05 कि०मी०
			(कार्य प्रगति पर है)	
3–	मुख्य नाला	लक्ष्य	4.10 कि०मी	32.59 कि०मी०
		पूर्ति	4.10 कि०मी०	32.59 कि०मी०
			(कार्य प्रगति पर है)	

† इसमें समस्त प्रक्षेत्रसुधार का कार्य व सिंचाई की व्यवस्था एवं जिप्सम आदि की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। इसमें जिप्सम मिलाने व लीचिंग का कार्य जून/जुलाई में किया जाना है।

मैनपुरी में ऊसर के कार्यों हेतु कार्यदाई संस्था ऊसर सुधार निगम, लखनऊ, ड्रेन कम निरीक्षण पाथ हेतु लोक निर्माण विभाग तथा ड्रेन हेतु यू०पी० ट्यूबवेल कारपोरेशन की नियुक्ति की गई तथा इनके कार्यों के भौतिक सत्यापन हेतु क्रमशः ऊसर सुधार कार्यों हेतु भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ, ड्रेन कम निरीक्षण पाथ हेतु राइट्स व ड्रेन के लिये राइटस संस्था नियुक्त थी। भौतिक सत्यापन के लिये भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ द्वारा प्रतिमाह तथा राइट्स द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे सप्ताह में प्रोग्राम बनाया जाता है।

लागू नहीं है।

ग्रामसभा चिउटहा ग्राम मेहनुआ, न्याय पंचायत नासिरगंज, जनपद सिद्धार्थनगर में पंचायत भवन के निर्माण की मांग

126–श्री अक्षयवर लाल–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जिला सिद्धार्थनगर में न्याय पंचायत नासिरगंज में अभी तक कोई न्याय पंचायत भवन/विकास भवन/न्याय पंचायत नासिरगंज के ग्राम सभा चिउटहा के गांव मेहनुआ में नहीं है ? क्या सरकार उक्त गांव में जनहित में पंचायत भवन बनाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

जी नहीं। क्योंकि ग्राम पंचायत चिउटहा द्वारा पंचायत भवन के निर्माण हेतु कोई ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

127–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व मे पुन : आरम्भ हुई।)

नियम 301 के अंतर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

(घोर व्यधान के मध्य) आज दिनांक 02 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई जिनमें प्रथम सूचना श्री नरेन्द्र सिंह की है दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद की है तीसरी सूचना श्री अजय भट्ट की है चौथी सूचना डा० राम बाबू हरित की

है पांचवीं सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह की है छठी सूचना श्री अफजाल अहमद की है तथा सातवीं सूचना श्री उदय राज यादव की है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की गईं ।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये)

जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में असन्तुलित विद्युत-वितरण व्यवस्था का निराकरण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों के लगातार प्रतिदिन सांयकाल 7.00 बजे विद्युत वितरण काट कर रात्रि के 12.00 बजे तक के बाद विद्युत वितरण किया जा रहा है कभी-कभी पूरी रात्रि विद्युत वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि बगल के जनपद मऊ जौनपुर तथा भदोही के ग्रामीण अंचलों में विद्युत कटौती नहीं की जा रही है । विद्युत वितरण की इस तरह का असंतुलित व्यवस्था से जनपद आजमगढ़ के किसानों में अत्यधिक क्षोभ व्याप्त हो गया है । विद्युत के अभाव में सामान्य कार्य एवं कृषि कार्य बाधित हो रहा है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और समस्या के निराकरण हेतु शासन को निदेशित किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुए यह बताना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ के कुछ गांव ऐसे हैं वहां आज तक भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है जिससे ये गांव आज भी अत्यन्त पिछड़े हुए हैं ग्राम सभा चकिया दूबेरामपुर, गोविन्दपुर (पुरापित्तुरायपुर) ओहनी गुस्तफाबाद व बनहरा शिवराजपुर मदारपुर खुटिया ब्लाक तहबरपुर के अन्तर्गत आता है तथा ग्राम सभा बुढानपट्टी श्री रामपुर आदि ब्लाक रानी सराय के अन्तर्गत आते हैं इन ग्राम सभाओं तक विद्युत के तार अभी तक नहीं पहुंचें हैं । सरकार द्वारा पिछड़े एवं विद्युतीकरण से वंचित हैं इन ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण अत्यन्त आवश्यक है जिससे गरीब जनता के बच्चों के पढ़ाई एवं उत्थान में विशेष सहायता मिलेगी एवं कृषि कार्य भी आधुनिक यंत्रों द्वारा आसानी से किया जा सकेगा यह गांव आज इस प्रगतिशील युग के सापेक्ष काफी पिछड़े हुए हैं विद्युत की सुविधा मुहैया हो जाने से यह गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जायेगा तथा गांवों में रहने वाली जनता का सामाजिक उत्थान हो जायेगा सरकार के विकास कार्य भी सार्थक सिद्ध होंगे ।

इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त गांवों के विद्युतीकरण हेतु संबंधित विभाग को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

विधान सभा क्षेत्र रानीखेत-अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानिला क्षेत्र में व्याप्त जल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न निम्न रूप में ला रहा हूं:–

मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीखेत (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत मानिला क्षेत्र में भयंकर पेयजल संकट बना हुआ है इस भीषण गर्मी में पेयजल के भारी संकट के कारण सम्पूर्ण मानिला क्षेत्र त्राहि-त्राहि मची हुई है आज इस क्षेत्र में लोगों में रोष है और 500 महिलायें व पुरूष एक साथ अनशन पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बैठे हुए थे । विभिन्न समाचार ऐजेन्सियों ने भी इस समाचार को प्रमुखता दी । इस समस्या से निदान हेतु बरकिन्डा–मानिला पम्पिंग पेयजल योजना का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया जो उत्तरांचल विकास विभाग में लम्बित पड़ा है पेयजल के अभाव में लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहां तक कि 20 रुपया प्रति कनस्तर के हिसाब से लोगों को पानी खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है । आज मानिला क्षेत्र पेयजल के संकट के कारण आन्दोलित है और जनता आक्रोषित है । पानी जैसी जीवन दायिनी वस्तु के अभाव में इस क्षेत्र का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, परिवारों के लोग दिन भर पानी के लिये भटकते रहते हैं । स्रोत सूख चुके हैं ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक, महत्व की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उक्त प्रस्तावित पेयजल योजना को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर इस क्षेत्र को पेयजल संकट से मुक्त किया जाय ।]

आगरा महानगर की मलिन बस्तियों का समुचित विकास कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित-

[मान्यवर, आगरा महानगर में लगभग 200 मलिन बस्तियां समाहित हैं । इन बस्तियों में लगभग सभी जाति, वर्ग, धर्म के गरीब मजदूर, असहाय श्रेणी के लोग निवास करते हैं । अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं लेकिन इन बस्तियों में विकास कार्य न होने, जगह-जगह गन्दगी जल भराव दुर्गन्ध के कारण अक्सर यहां लोग बीमार होते रहते हैं जिनकी धनाभाव के कारण इलाज न करा पाने की वजह से अकाल मृत्यु होती रहती है ।

आज कल आगरा में देश–विदेश से आये पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आती जा रही है यहीं नहीं आगरा में बस्तियों का समुचित विकास न होने के कारण गन्दगी रहने की वजह से आगरा की प्रदेश व देश की बदनामी बाहर होती रहती है आज जरूरत है कि आगरा महानगर की सभी मलिन बस्तियों उदाहरणार्थ–शिव नगर, महावीर नगर, पोपा का नगला, स्वासपुरा, तमोरीपाड़ा न्यू प्रकाश नगर, राम नगर, जगदीश पुरा, नगला बेर, भीम नगर, सिकन्दरा, मुस्तजाब क्वाटर्स, चावली, ताज फिरोज खां, बाईपुर का नगला, गढ़ी भदौरिया, बौद्ध नगर, बोदला, नौबस्ता, मण्डी सैय्यद खां, रुई की मण्डी, बाल्मीकि बस्ती, खटीक पाडा, रघुनाथ टाकीज के पास, सरस्वती नगर आदि में सरकार द्वारा समुचित विकास (नाली नालों का निर्माण, खण्डंजा का निर्माण, विद्युत लाइट की व्यवस्था, पेयजल, सीवर की व्यवस्था, स्कूल व पार्कों की व्यवस्था) कराने के उद्देश्य से मुख्य नगर अधिकारी (आगरा) को आदेश कर इन क्षेत्रों में आने वाले व्यय का पूरा व्योरा मंगाकर उसके अनुरूप धन उपलब्ध करायें ।

आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरी इस न्यायोचित क्षेत्रीय समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतापगढ़ जनपद के सदर ब्लाक तथा मान्धाता ब्लाक में इन्दिरा आवास आवंटन में किये गये पक्षपात की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के सदर ब्लाक तथा मान्धाता ब्लाक को इन्दिरा आवास दिये जाने में अत्यधिक पक्षपात किया गया है अन्य ब्लाकों के अपेक्षा सदर ब्लाक एवं मान्धाता ब्लाक को विगत 2 वर्ष से कम दिया गया है ।

दैविक आपदा से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को इन्दिरा आवास उपरोक्त दो ब्लाकों में नहीं दिया गया है । इसके साथ ही उन्हीं गांवों को इन्दिरा आवास दिया गया है जिन गांवों से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीनिवास मिश्र को सुविधा शुल्क प्राप्त हुआ यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है अतः मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विजलेन्स विभाग द्वारा जांच कराया जाय तथा जांच के समय मुझे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय ।]

आयुर्वेदिक/यूनानी निदेशालय, लखनऊ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आयुर्वेद/यूनानी निदेशालय लखनऊ में हो रहे भ्रष्टाचार के तरफ दिलाना चाहता हूं उक्त निदेशालय सहायक औषधि नियंत्रक जो काफी दिनों से तैनात हैं उनके कार्यकाल में गाजियाबाद में सुराकाण्ड हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से दोषी पाये और उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिया गया है और कई वर्ष होने के बाद आरोप पत्र देने के बावजूद उनको सेवा से नहीं हटाया गया है और जांच भी प्रभावित कर रहे हैं इसलिये कि मौजूदा पद पर तैनात हैं और जांच अधिकारियों को बीच बीच में बदलवाते रहते हैं जांच को खुलेआम प्रभावित कर रहे हैं इनको उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और बचाया जा रहा है उक्त सुराकाण्ड में कई जाने गई थीं इनकी डिग्री भी फर्जी है और उक्त डिग्री की जांच भी होनी चाहिये । इनके कार्यकाल में फर्जी काफी मात्रा में लाइसेंस जारी किया गया है इसकी जांच भी होनी चाहिये इनको निदेशालय एवं शासन के उच्च अधिकारी खुलेआम बचा रहे हैं और जांच कराने का बहाना लेकर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इनके विरुद्ध कई मामले स्पष्ट रूप से बनते हैं और उसमें दोषी हैं

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मंगलदेव त्रिवेदी सहायक औषधि नियंत्रक आयुर्वेद/यूनानी निदेशालय लखनऊ के विरुद्ध चल रही जांच को निष्पक्ष तत्काल कराने एवं विलम्ब के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश देने का कष्ट करें ।]

जनपद उन्नाव के थाना असोहा पुलिस द्वारा ग्राम–जबरेला में एक परिवार द्वारा कथित उत्पीड़न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान थाना असोहा, जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा ग्राम जबरैला में दिनांक 28-6-98 की रात्रि 9 बजे श्रीमती शान्ति देवी के घर पर जाकर श्रीमती शान्ती देवी के साथ अभद्रता गाली गलौज तथा आतंक की ओर दिलाना चाहता हूं । दिनांक 28-6-98 को असोहा थानाध्यक्ष पुलिस बल के ग्राम प्रधान के इशारे पर श्रीमती शान्ती देवी के घर पर जाकर जबरन दरवाजा खुलवाया, गाली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गुप्ता दिया तथा उनके 60 वर्षीय पति को फर्जी मुकदमें में फसाने की धमकी देता है । इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस अकारण उनको प्रताड़ित कर रही है तथा उनके पति एवं पारिवारिक सदस्य को किसी फर्जी मुकदमें में फसाने का प्रयास कर रही है ।

अतः लोक महत्व के प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर तत्काल सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

(विपक्ष के कई सदस्य रिपोर्टस टेबिल पर खड़े थे)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनायें

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21–7–98 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समरपाल सिंह की है इन्होंने फिल्म को उद्योग का दर्जा दिये जाने तथा फिल्म नगरी बनाये जाने की मंत्रि परिषद् द्वारा स्वीकृति दिये जाने के संबंध में सूचना दी है । माननीय सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इसमें निर्णय लिया जायेगा । शेष सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी ।

(विपक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–3 (खण्ड–I व II) †

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–3 (खण्ड–I व II), उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्त लेखे वर्ष 1996-97 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 1996-97††

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे वर्ष 1996-97 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 1996-97 उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 एवं 1995-96 † ††

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों (1994-95 एवं 1995-96) को कम्पनी अधिनियम–1956 की धारा 619–ए की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :– † छापा नहीं गया ।

†† छापे नहीं गये ।

† †† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जून, 1998 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 1 जुलाई, 1998 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जून, 1998 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 8 एवं मद संख्या 9 में कुछ नहीं है।

मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 कार्य मंत्रणा की सिफारिश है पहले उसे प्रस्तुत कर लेने दीजिये।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 1 जुलाई, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 2 जुलाई, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :–

<u>जुलाई, 1998</u>

2 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
3 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (असरकारी संकल्प)
	(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घंटा ।

(3) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4) (1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :––

" यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' के पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि' रख दिये जायं ।"

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :––

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधाकुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जायं ।"

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :––

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिये, पीपल, व नीम के वृक्षों का, ऐसे राजमार्गों के दोनों और वृहद् रूप से वृक्षारोपण किया जाय ।"

4 शनिवार
5 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

6 सोमवार

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण––आधा घंटा ।

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :––

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तीरय जांच करायी जाय और जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय ।"

7 मंगलवार — (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :—

"यह सदन प्रदेश के भूगर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिन्ता व्यक्त करता है और यह निश्चय करता है कि सरकार भूगर्भीय जल के दोहन हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे जो प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।"

8 बुधवार — (ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

9 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

10 शुक्रवार — (1) असरकारी दिवस (आधा दिन)

(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (आधा दिन)

11 शनिवार
12 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

13 सोमवार — (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

14 मंगलवार
15 बुधवार
16 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

17 शुक्रवार — (1) असरकारी दिवस (आधा दिन)

(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

18 शनिवार
19 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

20 सोमवार
21 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

22 बुधवार (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

23 गुरुवार (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (4.00 बजे तक अपराह्न तक)

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा विषयक प्रस्ताव जो कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2-7-98 को नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्न सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री विजय प्रकाश, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम औतार शाक्य, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री राम जग, श्री समरपाल सिंह, श्री परवेज हलीम खां, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र यादव, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान तथा श्री अकबर हुसैन की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों तथा नगर में दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

मैं ग्राह्यता के प्रश्न पर पहले माननीय दल के नेताओं को आमंत्रित कर रहा हूं यदि किसी माननीय सदस्य को अवसर न मिल पाये तो क्षमा चाहूंगा । गुण-दोष की बात तो अलग है, केवल ग्राह्यता तक ही अपने आपको सीमित रखें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर पहला नाम मेरा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव जी के भी हस्ताक्षर हैं, यह आप आपस में तय कर लें । अम्बिका चौधरी जी दल के उप नेता हैं, प्राथमिकता तो उन्हें ही देनी पड़ेगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने सूचना दी है, पहले उन्हें ही अवसर मिले ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चूंकि इस सूचना पर तीन लोगों के हस्ताक्षर हैं, अतः मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पहले श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सुनें ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गयी है । लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां पर प्रदेश के मुख्य मंत्री बैठते हों, प्रदेश के सभी जिम्मेदार लोग बैठते हों और आज यहां अखबारों में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की नाक और सिर शर्म से नीचे झुक गया है और यह सरकार चुपचाप बैठी है । कल लखनऊ के अन्दर महानगर में,जहां पर हजारों लोग रहते हैं, भीड़-भाड़ रहती है, एक बैंक लूटा गया इससे पहले काल्विन तालुकेदार कालेज में एक ब्रांच मैनेजर की हत्या हुई, वहां भी बैंक लूटा गया । लखनऊ में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, जब हत्यायें न हों, लूट न हों । जब लखनऊ का यह हाल है तो उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की क्या हालत हो सकती है ? आज उत्तर प्रदेश में यह हत्यायें जो हुई हैं, जो बैंक लूटे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का खज़ाना लूटा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता लुट रही है उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहने वाली, भयमुक्त समाज का नारा देने वाली यह सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है । मान्यवर, इसके जिम्मेदार यहां के मुख्य मंत्री हैं, इसके उत्तरदायी यहां के मुख्य मंत्री हैं । इसके उत्तरदायी यहां के मंत्री और मंत्रिमण्डल है । यह घटना इसलिये हो रही है कि यहां जो डकैत हैं, इनामी डकैत हैं, उसको यह उत्तर प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है, यहां के मंत्री संरक्षण दे रहे हैं । मान्यवर, कन्नौज में 27/28 को हत्या हुई, डकैती हुई । वहां का एक डकैत है, जिस पर 25,000 रु० का इनाम है । खुले आम कन्नौज जिले में डी० एम० के बंगले के पास घूमता रहता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मौन है । । इसलिए हत्यायें बढ़ रही हैं ।

मान्यवर, यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । आज जो सूचीबद्ध डकैत हैं जिन पर इनाम है, उनको यह मंत्री एम० एल० ए० के चुनाव में एम० पी० के चुनाव में प्रयोग करते हैं, आज इसलिये डकैतियां बढ़ती जा रही हैं । आज जब लखनऊ का यह हाल है कि आज लखनऊ में जनता त्रस्त है, पूरा समाज भयभीत है । मैं मांग करता हूं कि पूरे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इस पर चर्चा कराई जाय । इस सरकार को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित करें । इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आभारी हूं, आपने मेरा नाम पुकारा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, आपके किसी सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन दल के नेता के रूप में आप बोल लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोज-बरोज भीषण डकैतियां हो रही हैं, उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी दो दिन के अन्दर लखनऊ में दो बड़ी-बड़ी डकैतियां पड़ीं, एक 29 तारीख को पड़ती है सेन्ट्रल बैंक, काल्विन कालेज महानगर में, और दूसरी पहली तारीख को पड़ती है, जिसमें 42 लाख की लूट होती है मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो माननीय प्रधान मंत्री का चुनावी क्षेत्र भी है कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार की नाक के नीचे अभी पिछले महीने में एक दवा व्यवसायी की हत्या हुई थी, कुणाल का अपहरण हुआ था करोड़ों की फिरौती ली गई, नेपाल के राजदूत की कार चोरी चौक में हुई, डी० जी० पी० कार्यालय के बगल में ढाई लाख की लूट हुई और उसी क्रम में आये दिन हर हफ्ते डकैतियां हत्यायें हो रही हैं, यह बहुत ही गम्भीर मामला है मान्यवर, अकेले राजधानी लखनऊ में मात्र इस साल के पहले 2-3 महीनों के अन्दर 119 हत्यायें हुई, 94 डकैती पड़ीं, 93 अपहरण की घटनाएं हुई, 289 घटनाए हो चुकी हैं चोरी की। पूरे राज्य में शुरुआत के मात्र 5 महीनों में 205 हत्यायें हुई डी० जी० पी० के मुताबिक जनवरी से मई तक पिछले साल की तुलना में बड़े पैमाने पर हत्या, डकैती, चोरी एवं अन्य जघन्य अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है मान्यवर, इन घटनाओं से प्रदेश के लोगों में भय का संदेश जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए मैं चाहूंगा कि इस पर विस्तार से चर्चा हो।

मान्यवर, जो दो तीन महीने के अन्दर दिखाये गये अपराधों की स्थिति है उसमें 2905 हत्यायें हुई बलात्कार की 531 घटनायें हुई बलात्कार की कोशिश की 770, 1009 महिलाओं के अपहरण के मामले दर्ज हुए। जातीय व साम्प्रदायिक दंगों की 2471 घटनाएं हुईं, डकैती की 350 और लूट की 1600 से ऊपर घटनाएं हुईं। जन सामान्य का जीना दूभर हो गया है, अगर इस पर सरकार अंकुश नहीं लगाती है तो पूरी व्यवस्था चरमरा जायेगी। कब किसकी हत्या हो जाए, कहां किसी के साथ खिलवाड़ हो जाए, इसकी कहीं कोई गारण्टी नहीं है। कृपया इस पर चर्चा करायें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार की आलोचना करना विपक्ष का नैतिक कर्तव्य भी है परन्तु इस सरकार की हम कितनी आलोचना करें। मान्यवर, मुझे लगातार 6 बार इस सदन का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है बहुत सी सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये ऐसी अक्षम, अकर्मण्य और नाकारा सरकार न जीवन में देखी है न सुनी है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार के नाम पर कोई सरकार नहीं है। सरकार पर अपराधियों का नियंत्रण है बैंक डकैतों का नियंत्रण है। अगर सरकार में नैतिकता है तो वह इस्तीफा दे दे।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने एक कहावत सुनी थी, बहुत ही संसदीय है, कार्यवाही से निकालने लायक नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(श्री अमरमणि के खड़े होने पर--व्यवधान)

मान्यवर, मैंने तो मंत्री जी का नाम तक नहीं लिया और न ही उनके योगदान का कोई जिक्र किया। खड़े होकर उन्होंने अपनी ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)--

श्री प्रमोद कुमार पहले अपने गिरेवान में झांक कर देखें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, समस्त समाचार-पत्र साक्षी हैं जब कुणाल रस्तोगी का अपहरण हुआ था तो एक मंत्री ने [× × ×] की भूमिका निभायी थी। इस मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं, यदि उनमें जरा भी नैतिकता होती तो उन्हें मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे देना चाहिए

(श्री अमरमणि त्रिपाठी के खड़े होने पर -- व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

श्री अमरमणि--

मान्यवर, सरकार पर आरोप लगाया गया है। मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि प्रमोद तिवारी में जरा भी दयानतदारी है तो वह उस मंत्री का नाम बतायें, जिसने बिचौलिये का काम किया, नहीं तो वह इस्तीफा दें। मान्यवर, कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है, जिसकी किसी भी अपराधी से सांठ-गांठ हो। हां अगर है प्रमोद तिवारी जैसे सरीखे व्यक्तियों की माफियों से संबंध हैं। इन्हें नाम बताना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, सरकार के बारे में कहा गया, हम सुन रहे थे। लेकिन उन्होंने एक घटना विशेष का उल्लेख करके यह कहा कि वर्तमान मंत्रि-मण्डल के किसी मंत्री ने फलां भूमिका निभायी यह सीधा-साधा आरोप है। माननीय प्रमोद कुमार जी उस मंत्री का नाम प्रमाण सहित आपके पास भेज दें आखिर किसी बात की सीमा होती है मेरा आग्रह है कि प्रमोद तिवारी जी प्रमाण सहित नाम बता दें यदि वह ऐसा करते हैं तो वह मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर इन्हें इस्तीफा देना होगा। या फिर ये अपनी बात को वापस लें।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा है कि आपने मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य के ऊपर आरोप लगाया है तो आप उनका नाम प्रमाण सहित लिखकर पीठ को दे दें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आरोप लगाया था उस पर मैं बहुत जिम्मेदारी से बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, प्रमाण सहित नाम दे दीजिये। सदन में उत्तेजना का वातावरण न हो इसलिये आप अपनी बात को गम्भीरतापूर्वक कहें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मुझे बोलने दें मैं स्पष्ट कर दूंगा। इस काम के लिये जो टास्क फोर्स गठित की गयी है उनसे पूछ लीजिये कि किस मंत्री ने इसमें बिचौलिये की भूमिका निभायी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें। माननीय तिवारी जी अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। वह यहां पर उत्तेजना फैलाना चाहते हैं। अगर वे गम्भीरतापूर्वक आरोप लगा रहे हैं तो माननीय मंत्री जी का नाम और प्रमाण हमें दे दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 20 दिन का इतिहास उठाकर देख लें। 20 दिन में 10 हत्यायें हुईं.....

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नाम का क्या हुआ। या तो यह नाम बतायें या फिर क्षमा मांगें।

श्री अध्यक्ष–

यह नाम नहीं बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी ने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है उन्होंने कहा है कि एक मंत्री हैं तो उसमें उत्तेजना की क्या बात है ? इन्होंने किसी एक मंत्री के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने तो सारे मंत्रियों के ऊपर आक्षेप लगाया है। उसमें तो सारे 96 मंत्री आते हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, ऐसे तो हम कह दें कि विपक्ष के तमाम लोग अपराधी हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि विधान सभा में नाम मत मंगायें। यह आपको लिखकर दे देंगे। अगर यह नाम इस समय मांग रहे हैं तो इस सरकार का पर्दाफाश हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि वह मुझे लिखकर दे दें।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन में आज इस बात की चर्चा हो जाये कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन कितना बड़ा अपराधी है। और उसकी संख्या क्या है।

(विपक्ष के सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि ठीक है, इस पर चर्चा हो जाय)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी ने एक मुहाविरा कहा और इधर से इतने माननीय सदस्य खड़े हो गये। इस तरह से अगर होगा तो गड़बड़ हो जायेगा, इसलिये कार्यवाही चलने दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर इस विषय पर चर्चा कराना चाहें, तो विपक्ष तैयार है।

(व्यवधान)

एक मा० सदस्य–

अगर प्रमोद तिवारी ने यह बात गम्भीरता से कही है तो प्रमाण दें और नहीं तो इस को कार्यवाही से निकाल दें।

(व्यवधान)

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं 1991 से तीन बार चुन कर इस सदन का सदस्य आया हूं, माननीय तिवारी जी को गम्भीरता से इस बात को कहना चाहिए, उन्होंने अपना नाम अखबार में छपवाने के लिये इस तरह की हल्की बात कही है, तो इससे सदन की गरिमा गिरती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि नाम लेकर कहें, तो सारे सदन की यह इच्छा है कि नाम बतायें, अगर किसी मंत्री ने ऐसा किया है, तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं अन्यथा वह इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पिछले 20 दिनों के अन्दर कल्याण सिंह के कार्यकाल में 10 बड़ी डकैतियां हुईं । 12 जून को सुल्तानपुर में कोतवाली के कुछ गज की दूरी पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में डकैती पड़ी और 40 लाख रुपया लूट ले गये । मान्यवर, 30 लाख रुपया ले जाने से रह गया । वह इसलिये नहीं कि वहां कोई रैसिस्टैन्स हुई बल्कि इसलिए वह रुपया ले जाने से रह गया कि उन लुटेरों की क्षमता नहीं थी । उसके कुछ दिन बाद 28 जून को काल्विन ताल्लुकेदार कालेज के अन्दर जहां माननीय मुख्य मंत्री शांति व्यवस्था और भयमुक्त समाज की ताल ठोंक कर बात कर रहे हैं । उनके नाक के नीचे दिन के 2.30 बजे केवल डकैती ही नहीं होती है बल्कि असिस्टेन्ट ब्रान्च मैनेजर की हत्या कर दी जाती है । तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है । जहां यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं वहीं इतनी बड़ी घटना हो जाये, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और अगर थोड़ी भी शर्म होती तो आज यहां नहीं आते । (व्यवधान) कानपुर में जाली पता देकर बन्दूक का लाइसेन्स किसने लिया था अगर नाम कहें तो मैं बता सकता हूं । वह लाइसेन्स किसने बनवाया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी थोड़ा संयम बरतें, आप छठी बार चुनकर आये हैं, जरा शान्ति रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान) यह कौन सी परम्परा डाल रहे हैं । इस प्रकार आमने-सामने विवाद हो रहा है । आप आपस में बात न करें मेरे माध्यम से कहें । मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

5 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं बड़ी मुश्किल है । अभी काल्विन ताल्लुकेदार कालेज के परिसर में स्थित बैंक के असिस्टेन्ट मैनेजर की चिता की आग ठंडी भी नहीं हो पायी थी कि इसी के दूसरे दिन इस सरकार के गाल में एक बहुत बड़ा तमाचा मारा और महानगर स्थित एक बैंक में 10.30 बजे डकैती हुई । वह कोई मामूली डकैती नहीं थी डकैतियों में यह कीर्तिमान था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री और कल्याण सिंह जी को एक चुनौती थी और 42 लाख की डकैती, श्रीमन्, यह कल्याण सिंह जी की सरकार पर शान्ति व्यवस्था के लिये चुनौती थी । पास में ही पुलिस वायरलेस आफिस और पी० ए० सी० का मुख्यालय है और बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों के घर हैं तो ऐसे स्थान पर दिन-दहाड़े तीन लड़के आते हैं और कल्याण सिंह की सरकार को चुनौती देते हुए 42 लाख रुपये की डकैती करके चले जाते हैं । अगर उनमें नैतिकता हो तो मुख्य मंत्री को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए, विधान सभा में अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए ।

नैतिकता की एक और मिसाल देता हूं जब प्रतापगढ़ में डकैती पड़ी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी में साहस हो तो सुनें जब डकैत बैंक लूटकर निकले तो बाहर वहीं पर हैण्डपम्प से पानी पिया और कल्याण सिंह जी की सरकार के एक मंत्री का नाम लेकर नारे लगाते हुए निकल गये ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, वह डकैती डालने आये थे या नारा लगाने आये थे । और प्रमोद तिवारी जी वहां क्या कर रहे थे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको अनुमति नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है नियमावली के नियम 289-क का उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको अनुमति नहीं है । आपको जो कहना है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बता दीजियेगा ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें ।

(शोर)

श्री प्रमोद कुमार–

अगर आप मंत्रियों को नहीं रोक सकते हैं तो इन पर क्या रोक लगायेंगे ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहिये ।

(शोर)

श्री अमरमणि–

तिवारी जी ने कोर्ट मैरिज उनसे कर लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस घटना को गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए परन्तु मुझे दुःख है कि इसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है इसका एकमात्र कारण यह है कि पहले तो अपराधियों को संरक्षण मिलता था लेकिन अब अपराधी मंत्रियों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं स्थिति यहां तक आ गयी है ।

मान्यवर, इतना ही नहीं अपराधी इनके नियंत्रण में और यह अपराधियों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं । आज कोई पुलिस अधीक्षक ईमानदारी से किसी पर हाथ डालता है तो वह हाथ सत्तारूढ़ दल के मंत्री पर जाकर गिरता है इसलिये एक महीने में 5-6 पुलिस अधीक्षक बदल दिये जाते हैं इसलिये वह अपराधियों पर हाथ नहीं डाल रहे हैं यह सिर्फ कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है अगर इसी तरह से बैंक डकैतियां होती रहीं अपहरण होते रहे तो औद्योगीकरण कहां से हो

सकता है पूंजी निवेश करने कौन आयेगा ? हमारे प्रदेश की स्थिति बिहार से ज्यादा जर्जर है यह विष सत्तापक्ष और विपक्ष का नहीं इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए । जिन्होंने कहा छाती ठोंक कर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है वह होते तो उनसे हम कुछ सवाल पूछते । आज अपराध हो रहे हैं । इसका एकमात्र कारण कल्याण सिंह सरकार के मंत्रीगण का पूरा संरक्षण, नियंत्रण, निर्देशन अपराधियों को प्राप्त है इसलिये अपराध हो रहे हैं । कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। मैं इस पर 2 घंटे की चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, दुनियां में सबसे ज्यादा बैंक डकैती अंडरवर्ल्ड के जरिये शिकागो में हुआ करती थीं । अब लखनऊ में हो रही हैं मान्यवर, डकैतियां जिस अंदाज में हो रही हैं, उससे लगता है कि हमारे अपराधी दुनियां में सबसे ऊपर हो गये हैं । 20 दिन के अन्दर 10 बैंक डकैतियां हुई हैं । 29 तारीख को बैंक डकैती होती है उसमें एक आदमी मारा जाता है । और पहली को मान्यवर, फिर एक बैंक डकैती होती है जो प्रदेश की सबसे बड़ी डकैती 42 लाख रुपये की होती है । मान्यवर, खेद की बात यह है कि पुलिस रेडियो स्टेशन बिल्कुल सामने है । मान्यवर, पी० ए० सी० का हेड क्वार्टर 200 गज पर है । पुलिस स्टेशन महानगर 300 गज पर है । हर जगह रैकिट लगा रखा है । वहां पर एक मोटर साइकिल और स्कूटर वेस्पा जो शायद चलने में भी दिक्कत करता से अपराधी आते हैं और दिन दहाड़े बैंक को लूट कर निकल जाते हैं और रास्ते में वेहिकल भी छोड़ कर चले जाते हैं मान्यवर, लखनऊ को इन्होंने 6 जोन में बांट दिया । 6 एस० एस० पी० हैं, आई० जी०, डी० आई० जी० भी हैं इसके बावजूद भी मान्यवर, बैंक डकैती पड़ रही है, दिन दहाड़े लूट हो रही है । मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर दो घंटे की चर्चा करवायें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं दलवार नेतागण को बोलने का मौका दे दूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बैंक डकैतियां पिछले एक महीने में इतनी तेजी से बढ़ी हैं यह बहुत ही गम्भीर चिन्ताजनक बात है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं विगत दिनों फरवरी, 98 में, जो फरवरी के पूर्व में प्रदेश में डकैतियां बैंक में हुई थीं उस पर उत्तर प्रदेश के मा० मुख्य मंत्री ने गम्भीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव, गृह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में की थी और प्रमुख सचिव गृह ने फरवरी की उस बैठक के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बैंक डकैतियों की वारदात पर नियंत्रण पाने के लिये सात दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किये । उस सात दिशा निर्देश में बैंक के अन्दर सुरक्षा कर्मी नियुक्त करना, बैंक से धनराशि निकाल कर लाने और ले जाने की सुरक्षा का प्रबन्ध करना और समस्त जिलाधिकारियों पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबन्धकों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियमित बैठक किया करें । इस तरह के सात दिशा निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जारी किये गये । इस निर्देश से बैंक लूटने वाले लुटेरों को यह कैसा संदेश गया कि फरवरी की उस मीटिंग के बाद विगत दिनों की तुलना में बैंक डकैतियों में तेजी से वृद्धि हुई ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीर हुई तो प्रमुख सचिव, गृह ने शासनादेश इस आशय के सात निर्देशों को जारी किया तो बैंक अपराधियों ने बैंक को लक्ष्मी का घर समझकर लूट के लिए उसे तथा उपयुक्त स्थान सुरक्षित समझ कर निर्देश को एक शुभ सन्देश माना। मैं समझता हूं कि प्रमुख सचिव गृह के निर्देशों का अपराधियों का प्रकारान्तर से उत्साहवर्धन हुआ और बैंक लूट में तीव्रता आयी। इसमें मिली भगत है। इस लूट में जो अपराधी हैं उनको यहां सत्ता में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त न होता तो शायद ऐसा न होता। यह कितनी गम्भीर, चिन्ताजनक तथा तकलीफदेह बात है। अभी हमारे और अन्य माननीय साथियों ने कल लखनऊ में पंजाब नैशनल बैंक में दिन दहाड़े हुई लूट के बारे में कहा है मान्यवर, जहां पर पुलिस का वायरलेस केन्द्र है, जहां पर पी० ए० सी० की छावनी है। वहां चार-पांच नौवजवान बैंक में घुसते हैं जितना उनके पास बैग तथा झोला लूट के धन को भरकर ले जाने के लिये, जब उनके झोला और बैग कम पड़ गये तो बैंक का पर्दा निकालकर उसमें रुपया बांधकर ले गये। उत्तर प्रदेश की सरकार औद्योगिक विकास की पूंजी निवेश की बात करती है तो किसकी मौत आयी है कौन अपनी मौत बुलायेगा जो उ० प्र० में उद्योगों के लिये धन लगायेगा। उत्तर प्रदेश में पूंजी फंसाकर कौन अपनी जान गंवाएगा। मान्यवर, जो पहले सुल्तानपुर में 40 लाख की लूट हुई उसके लिये कहा जाता था कि प्रदेश में सबसे बड़ी लूट है। लेकिन यहां लूट का नया कीर्तिमान, उत्तर प्रदेश की सरकार जहां निवास करती है जहां भयमुक्त समाज का दावा करने वाली सरकार रहती है, भयमुक्त समाज तथा भययुक्त अपराधी की बात करने वाले मुख्य मंत्री जी जहां निवास करते हैं वहां राजधानी में स्थित पंजाब नैशनल बैंक से 42 लाख रुपयों की लूट से अपराधजगत में नया लूट का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीरता का विषय है ऐसे लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायें ताकि सरकार अपनी जवाब देही से भाग न सके।

श्री रामजग–

अध्यक्ष जी बहुत गम्भीर विषय पर सदन सुन रहा है। मान्यवर, कल इलाहाबाद बैंक में जिस तरह से डकैती हुई।

श्री अध्यक्ष–

इलाहाबाद बैंक में ?

श्री रामजग–

पंजाब नैशनल बैंक में महानगर में लूट हुई।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

इनको इलाहाबाद की चिन्ता है कहीं इलाहाबाद तक न आ जाएं।

श्री अध्यक्ष–

आपने ऐसी बात कह दी जो कहना नहीं चाहते थे।

* श्री रामजग–

दिन दहाड़े लूट हुई उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस के सारे अधिकारी यहां मौजूद हैं। पूरी सरकार की सबसे बड़ी मशीनरी मौजूद है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 20 दिन के अन्दर एक दर्जन से ज्यादा बैंकों में डकैतियां पड़ी आज हालत यह है कि गांव के गांव लूटे जा रहे हैं पुलिस विभाग के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, आजमगढ़ में गौरीपुर में 21-22 लोगों के यहां डकैती पड़ी कल यहां लखनऊ में डकैती पड़ गई जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया कल्याण सिंह जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय इनके हाथ में है। अपराधी उत्तर प्रदेश की सरकार पर हावी हैं उनको मंत्रियों का संरक्षण मिल रहा है इस कांड की जिम्मेदारी गृह विभाग की है और गृह विभाग कल्याण सिंह जी के पास है इसलिये गृह मंत्री होने के नाते अगर उनमें नैतिकता है तो वह इस सदन से इस्तीफा दे दें। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की लूट हो रही है आज कानून का राज न होकर जंगल राज है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इस पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकरण के संबंध में सभी दल के नेताओं और माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं केवल अपने को ग्राह्यता की परिधि में रखूंगा। कल जो लखनऊ में पंजाब नैशनल बैंक से 42 लाख रुपये की दिन दहाड़े डकैती हुई है यह कितनी बर्बर है मैं कार्य स्थगन के लिये तीन बिन्दुओं को रखता हूं। यह विषय लोक महत्व का है, घटना तात्कालिक है और अविलम्बनीय है।

सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी प्रतिदिन कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चुनौती देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सफाये के लिये शासन कृतसंकल्प है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कल समाचार पत्रों में यह प्रमुखता से छपा कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था के स्थिति में सुधार आयेगा इसके परिणाम पहली जुलाई से परिलक्षित होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपराधियों को चुनौती दी कि पहली जुलाई से अपराध नहीं होंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर मुख्य मंत्री की चुनौती का कोई भय व्याप्त नहीं हुआ और अपराधियों ने कल्याण सिंह की चुनौती को स्वीकार करके उत्तर प्रदेश के किसी दूर के ग्रामीण अंचल के बैंक में नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में महानगर में वायरलेस चौराहे के पास जहां से सभी जगह के संदेश आते जाते रहते हैं, बगल में थाना है तथा पी० ए० सी० की बटालियन भी पास में है। दिन दहाड़े 9.30 बजे मुख्य मंत्री की चुनौती को कबूल करते हुए पंजाब नैशनल बैंक से 42 लाख रुपये लूट लिये। दो दिन पूर्व कालिन तालुकेदार में स्थित सेन्ट्रल बैंक में डकैती डाली और वहां के सहायक प्रबन्धक की हत्या कर दी। लखनऊ के लोग उस घटना को भूले नहीं हैं। आज राजधानी में रहने वाले लोगों के दिल में भय व्याप्त है इसके लिये क्या उपाय किया जा रहा है। राजधानी के लोगों ने मार्निंग वाक करना छोड़ दिया है। यहां के एस० एस० पी० का परिपत्र मिला। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, शाम के बाद घर से न निकलें। अपने प्राइवेट शैडो गनर रखें। प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दायित्व सरकार के ऊपर होता है। लेकिन उस जिम्मेदारी से सरकार बच रही है। कल की घटना के दो दिन पूर्व ही बैंक डकैती की घटना हो चुकी है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। सात जून को सुल्तानपुर में डकैती हो चुकी। हरदोई में बैंक मैनेजर की हत्या हुई मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने इतने इन्काउन्टर कर लिये हैं पुलिस से डर के अपराधी जेल में बन्द हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिन प्रतिदिन यह घटनाएं हो रही हैं मैं समझता हूं कि इससे अधिक लोक महत्व का विषय और कोई नहीं हो सकता है। लूट-डकैती की घटनाएं रोज समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। जो-आक्षेप राजनीतिक लोगों पर

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[समय 2.00 बजे]

लगता है तो उसका भी खण्डन सरकार की तरफ से आना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर पर यह लगेगा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं। मैंने यहीं पर इस सदन में दो दिन पूर्व पूछा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये आप कौन सा उपाय कर रहे हैं ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अपराध प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है, उससे लगातार अनुश्रवण होगा, टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, हर चौराहे पर पुलिस की बन्दोबस्त कर दी गयी है, रोज अनुश्रवण हो रहा है, शासन स्तर पर अनुश्रवण हो रहा है फिर भी प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं।

शहर का आदमी भय से ग्रस्त है जब वह अखबार देखता है तो उसे बैंक डकैती, हत्या, अपहरण की खबरें दिखायी देती हैं। तो अपराध प्रकोष्ठ कौन सा अनुश्रवण कर रहा है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उपाय बताये हैं उसके परिणाम क्या आये हैं अगर परिणाम सकारात्मक आता, एक सप्ताह, पन्द्रह दिन के लिये भी अपराध से मुक्ति मिल जाती, गम्भीर प्रवृत्ति की घटनायें न हुई होती तो लोगों को लगता कि 15 दिन शान्तिपूर्वक गुजर गये लेकिन आज एक दिन नहीं गुजरता, दूसरे-तीसरे दिन इस तरह की गम्भीर घटनायें हो रही हैं। कल जिस तरह की घटना प्रदेश की राजधानी के भीतर हुई उसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। आज पुलिस बल डिमार्लालाईज क्यों है, इस पर विचार करना होगा या फिर शासन-प्रशासन में कोई कमी आ गयी है, पुलिस व्यवस्था में कोई कमी आ गयी है। मान्यवर, इस विषय पर अवश्य ही चर्चा करा लें ताकि कुछ सुझाव आ सकें और कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो सके और प्रदेश के रहने वाले लोगों को सुरक्षा दी जा सके।

* श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर बढ़ती बैंक डकैतियां, अपहरण, लूट व चोरी से जन-जीवन असुरक्षित है। अभी दो दिन पहले दिन दहाड़े काल्विन ताल्लुकेदार्स कालेज में सेन्ट्रल बैंक में डकैती पड़ी और वहां के सहायक प्रबन्ध की हत्या कर दी गयी। पंजाब नैशनल बैंक की महानगर शाखा में कल 42 लाख रुपये की डकैती पड़ी, इससे पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ है। श्री कल्याण सिंह जी का नारा है कि कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा। लोग उम्मीद करते थे कि अपराधों में कमी आयेगी। आज मैं सच्चाई के साथ कहता हूं कि पिछली बार जब श्री कल्याण सिंह की गवर्नमेंन्ट बनी थी उस समय अधिकारियों के हौसले पस्त थे लेकिन आज हौसले बुलन्द हैं।

मान्यवर, मैं गाजीपुर जनपद से आता हूं। गाजीपुर में बीसों घटनायें अपहरण की हुई, जीप गायब कर दी गयी, ड्राइवर की लाश मिली लेकिन आज तक किसी मामले में एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, बीसों घटनायें घटीं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के एक अपहरण काण्ड में यादवों को प्रताड़ित किया गया। आज पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शिवपाल जी ने, श्री प्रमोद कुमार जी ने तथा माननीय सभी नेताओं ने एक गम्भीर विषय की तरफ सदन का ध्यान खींचा है। मान्यवर, मुझे आज सत्ता पक्ष का व्यवहार देखकर ऐसा लगा, जैसे बैंक डकैती हो गयी और सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। रोज बैंक डकैतियां हो रही हैं, लखनऊ में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है तो यह जिम्मेदारी सीधे सरकार और सत्ता पक्ष की है, यदि इसमें इतना उत्तेजित हो जायेंगे तो कदाचित इस सदन में किसी बात की कभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा नहीं हो पायेगी । यह अलग बात है कि विपक्ष उत्तेजित हो जाता है लेकिन यदि माननीय मंत्रीगण उत्तेजित हो जायें तो फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री प्रमोद कुमार ने यह जरूर कहा था कि एक मंत्री का हाथ है, यह नहीं कहा कि कौन से मंत्री का हाथ है, इस पर मैंने यह कहा कि श्री प्रमोद कुमार आपके कक्ष में सबूत सहित नाम बता देंगे, इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है ? संसदीय कार्य मंत्री जी तो इतने कार्यकुशल हैं, संसदीय प्रणाली के ज्ञाता है, अकेले वह पूरे सत्ता पक्ष की तरफ से बयान देने के लिये काफी हैं, लेकिन एक नई परम्परा बन गयी है, हर सदस्य वहीं व्याख्या करने लग जाता है और मंत्री बन जाता है । ऐसे ही 95 आदमियों की कैबिनेट पहले से है, अब चाहें तो सबको बना लें, किसी को न छोड़े, सभी जवाब दिया करें ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लखनऊ की कल की बैंक डकैती घटना एक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य मंत्री जी आंकड़ों से सरकार नहीं चलती, इकबाल से चलती है और इकबाल सरकार का यह है कि सरकार की नाक के नीचे यह घटनायें हो रही हैं । यहीं हजरतगंज कोतवाली के सामने एक सब इंसपेक्टर की माफिया गिरोह के लोगों ने हत्या कर दी, इसी लखनऊ में एक व्यापारी की हत्या हो गयी और उसके लड़के का अपहरण हो गया, दिनदहाड़े हो गया, कल की बैंक डकैती उसी श्रृंखला में आगे की एक कड़ी है । मेरे पास एक लिस्ट है, काफी लम्बी चौड़ी है, मैं पढ़कर बाद में कभी सुना दूंगा, जब कभी मौका आयेगा, फिलहाल आपके पास भिजवा दे रहा हूं । गत 7 नवम्बर से लेकर आज 2 जुलाई तक लखनऊ में डकैती और हत्याओं, लूट की इसमें सवा सौ घटनाओं का जिक्र है, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने उस दिन बड़ी हनक से बात कही कि हम कानून का राज चलायेंगे, हमने टास्क फोर्स बना लिया है, टाप-टेन का जिक्र किया । इससे पहले टाप-टेन रेडियो और टी०वी० पर गाना तो सुना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिले के टाप-टेन और टाप-फाइव अपराधियों की सूची बना ली गयी है, मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट को प्रकाशित करें साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि जब से टास्क फोर्स गठित किया गया है, तब से आज तक टाप-टेन अथवा टाप-फाइव का कोई अपराध मारा गया, कदाचित नहीं मारा गया, मारे जा रहे हैं निरपराध और छुटभैये लेकिन उससे अपराधों में कमी नहीं आयेगी जब तक माफिया लोगों का खुलेआम इनकाउण्टर नहीं करेंगे, जो टाप-टेन आपकी लिस्ट में हैं, जब तक उनका इनकाउण्टर नहीं होगा, तब तक कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं है । आप लाख आंकड़े पेश करते रहिये, कानून व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है । यह मैं नहीं कह रहा हूं इस सरकार के डी०जी०पी० और होम सेक्रेटरी का बयान है । आप इस तरह से तमाम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जबकि यहां के दो बड़े शीर्षस्थ अधिकारी यह कह रहे हैं तो सोच लें कि क्या हाल है ? जब लखनऊ में यह घटना हो रही है तो अन्य जिलों और गांवों में क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है ? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं और सरकार यह बताये कि अभी तक टाप-टेन और टाप-फाइव के कितने अपराधी मारे गये हैं । उसकी लिस्ट प्रकाशित कर दें ताकि आम जनता को मालूम हो सके कि इसमें कौन-कौन अपराधी हैं ।

मान्यवर सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें लेकिन यहां तो आंकड़े बाजी से कार्य हो रहा है, मान्यवर, छः महीने में सवा सौ डकैती, लूट और हत्यायें हो चुकी हैं और अभी तक आप कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं । मेरा कहना है कि यह लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है, तात्कालिक है, जितनी शर्तें हैं नियम 56 की, सबको यह पूरा करता है मेरा अनुरोध है कि सब काम रोककर इस पर चर्चा करायें, इसको ग्राह्य करें, इसको सामान्यतः अग्राह्य न करने की कृपा करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जो सूचना आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है, समय से नियमों के अन्तर्गत है और इसकी तात्कालिकता है, मैं इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप स्वयं ही इसकी तात्कालिकता को रोज अनुभव करते हुये इसकी अविलम्बनीयता का अनुभव करते होंगे, इससे अधिक लोक महत्व की बात और क्या हो सकती है तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है इससे अधिक लोक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है ? इस पर चर्चा कराई जानी चाहिये । यदि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी तो फिर दूसरे विषय और क्या हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सके ? अभी तीन-चार दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात की घोषणा की थी कि अपराधियों पर सरकार का नियंत्रण होगा लेकिन इतना करारा तमाचा लगा है सरकार के गाल पर मैं समझता हूं इस पर सरकार तिलमिलानी चाहिये थी । हम सब लोग राजनीतिज्ञ हैं, सार्वजनिक जीवन के लोग हैं । हम सब लोग समझते हैं कि यह हमारे गाल पर तमाचा पड़ा है । वह महानगर का इलाका है, जिस स्थान पर रेडियो वायरलेस पुलिस है, पी०ए०सी० मुख्यालय है ऐसे में अपराधी अपने कार्य को अन्जाम देते हैं और 42 लाख की डकैती डालने में सफल हो जाते हैं ।

मान्यवर, अभी सुल्तानपुर में बैंक डकैती हुई थी, वह 40 लाख 50 हजार की थी । अब तो इसमें कीर्तिमान स्थापित करने के लिये षड़यंत्र हो गया और यह 42 लाख की सबसे बड़ी डकैती हुई है और वह भी राजधानी में सरकार की नाक के नीचे । इसमें मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं सहयोग करना चाहता हूं । मैं आपकी विवशता को समझता हूं । मैं एक बात कहकर विराम दे रहा हूं । इस पर आप चर्चा करायें, ताकि जो शासन जिस बात पर नहीं पहुंच पा रहा है, कदाचित चर्चा में प्राप्त अनुभव उनके काम आये । आप इस पर दो घण्टे की चर्चा करायें । अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह लोग ऐसे हैं जिनपर तरस आता है ।

कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,

रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता से है और जो जनता के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है । आज लखनऊ की कानून व्यवस्था का सम्बन्ध 42 लाख की बैंक डकैती से है । यह सरकार उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता के इस कानून व्यवस्था के बारे में कितना गम्भीर है इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री जी जो गृह मंत्री भी हैं, उनको यहां पर आना चाहिये था, यह चिन्ता का विषय है । मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व और ग्राह्यता का सवाल क्या हो सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के कितने बैंक कर्मचारी/अधिकारी हैं, छुट्टी लेकर घरों पर बैठने जा रहे हैं ? पहली तारीख से वेतन मिलता है, राज्य कर्मचारियों को, वह वेतन अब नहीं मिल पायेगा क्योंकि बैंक के कर्मचारी/अधिकारी हड़ताल करने जा रहे हैं । कालेज, यूनिवर्सिटी और विद्यालय की कक्षायें खुलने जा रही हैं, बैंकों में बच्चों की फीस जमा होनी है, ऐसे में इससे बड़ी गम्भीर बात और क्या हो सकती है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि फैजाबाद में नधानी परिवार है, वे लिमका फैक्ट्री के मालिक हैं। उनके बच्चों का अपहरण हुआ, लखनऊ में 42 लाख की घटना हुई। 29 तारीख को बैंक के अधिकारी को मारा गया। मान्यवर, अफसोस तब होता है, जब हम हजरतगंज में मारे जाते हैं तो डा० भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी का फोटो है, कहते हैं कि कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा। मान्यवर, आज श्री कल्याण सिंह जी जहां बैठे हैं उस कुर्सी पर पं० गोविन्द वल्लभ पन्त बैठ चुके हैं, श्री बहुगुणा जी बैठ चुके हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी बैठ चुके हैं, लेकिन इनको हया नहीं है, शर्म नहीं है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, हम यहां पर बैठते हैं। मान्यवर, इस शहर में डी०आई०जी० बैठते हैं।

अध्यक्ष–

दोहरायें नहीं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बड़ी अविलम्बनीय मामला है। इसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि गर्दन नाप दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसकी गर्दन नापी गई है ? आज सारे व्यापारी भाग रहे हैं, बैंक अधिकारी जाने को तैयार हैं आप सात-आठ बजे चले जाइये तो आपको हर जगह सन्नाटा मिलेगा। पूरा जंगल राज हो गया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिसका कानून व्यवस्था पर कोई असर नहीं रह गया है, इसको बर्खास्त किया जाय। मैं यह मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय। यह लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर चर्चा करायें।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। वास्तव में यह विषय अतिमहत्वपूर्ण है। लखनऊ के अन्दर पंजाब नेशनल बैंक, महानगर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती पड़ती है। यह मामला बैंक डकैती तक ही सीमित नहीं है अपितु इस प्रदेश की सरकार के लिये अपराधियों की एक चुनौती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया था और घोषणा की थी, उसके ऊपर एक तमाचा है।

चन्द दिनों पहले यहां पर कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा हुई थी तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि प्रदेश के अन्दर किसी के जान-माल की आज सुरक्षा नहीं है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अपराधियों पर सरकार की पकड़ समाप्त हो चुकी है। अपराधों को नियंत्रण में रखने में यह सरकार असफल हो गई है। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और जवाब दिया, मजबूती के साथ यह बात कही कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में यह सरकार पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने आंकड़े दिये और यह समझाने का प्रयास किया कि पहले की तुलना में आज कानून-व्यवस्था बेहतर है। उसके बाद यह अपराध हुआ। कात्विन तालुकेदार में तो बैंक डकैती ही नहीं पड़ी अपितु वहां पर कैशियर की हत्या भी कर दी गई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 1 जुलाई के बाद किसी माफिया या डकैत की हिम्मत नहीं हो सकती है। हमने टास्क फोर्स बना दिया है, क्राइम सेल बना दिया है, माफिया गिरोहों को चिन्हित कर दिया है, पुलिस अधीक्षकों को कह दिया गया है परन्तु बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घोषणा के बाद अपराधियों ने केवल चुनौती ही नहीं दी अपितु इस सरकार के मुंह पर तमाचा भी मारा।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इनमें जरा भी नैतिकता हो तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये । मान्यवर, आज लोग घरों में पैसा नहीं रखते, बैंकों में रखते हैं, ताकि वह सुरक्षित रहे । लाकर में अपने जेवर रखते हैं, क्योंकि औरतों ने चेन पहननी छोड़ दी है, आये दिन चेनें लूटी जा रही हैं परन्तु मान्यवर, अब वह पैसा/जेवर बैंक में भी सुरक्षित नहीं है । दो महीने में एक दर्जन बैंक डकैतियां पड़ी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पुलिस बल को चुस्त-दुरुस्त कर दिया है, जहां आवश्यकता थी वहां हमने पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया है, जहां आवश्यकता थी हमने आधुनिक हथियार व वाहन उपलब्ध करा दिये हैं । लखनऊ में तो आपने ये सारे उपाय कर दिये और जगह तो न जाने कब होगा ? लखनऊ में जहां एक एस०पी० होता था, आज वहां पर 6 एस०पी० हैं, क्राइम सेल आपने बना दिया है, आज वहां पर बैंक डकैती पड़ती है । जहां पर यह डकैती पड़ी वहीं पर कुछ आगे आपकी पेट्रोलिंग जीप खड़ी थी, वायरलेस का मुख्यालय वहां पर है । पी०ए०सी० का मुख्यालय वहां पर है, थाना कोतवाली वहां पर है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय हर दृष्टि से नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्य है, सबसे ज्यादा लोक महत्व का है ।

आज पूरे प्रदेश की जनता सहमी हुई है, उनमें भय व्याप्त है । तात्कालिक है । इसलिये है क्योंकि सरकार के लगातार बयान देने के बावजूद भी इस तरह की जघन्य घटनायें हो रही हैं । इस प्रदेश पर सरकार का नहीं अपितु अपराधियों का नियंत्रण है । आज इस सरकार के रहमों करम पर प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है । यदि इस सरकार में लेशमात्र भी नैतिकता हो तो इन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह कहा गया कि कानून का राज होगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 दिन के अन्दर 10 डकैतियां पड़ चुकी हैं । वर्तमान पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में पिछले चार महीने में लखनऊ राजधानी में कितनी डकैतियां कितने अपहरण और कितने बलात्कार हुये इसका आंकलन करें तो आपको मालूम हो जायेगा कि कानून का राज है कि नहीं ? मान्यवर, इसको भी छोड़िये । हम यह देखते हैं कि जो घटना घटी उसका दायरा क्या है ?

पुलिस मुख्यालय से पुलिस लाइन के बीच तीन किलोमीटर का दायरा है और इस दायरे में 42 लाख की डकैती पड़ी । लुटेरे मोटर साइकिल से आते हैं और बैंक लूटते हैं बैंक का परदा फाड़कर उसमें गड्डी बांध कर ले जाते हैं । नोटों की गड्डी गिरती है स्कूटर रोक-कर फिर उसे उठाकर बांधते हैं, पूरी सड़क चल रही है । आपके वायरलेस सेट लगे हुये हैं, 70 वायरलेस सेट हैं, चेतक गाड़ियां घूम रही है और तीन किलोमीटर का दायरा है इस बीच में कोई चेतक गाड़ी और वायरलेस सेट से यह ट्रैप भी नहीं कर पाते हैं । दोबारा फिर नोटों की गड्डी गिरती है फिर उठाते हैं और फिर न्यू हैदराबाद पुलिस लाइन के पीछे एक लाख के नोट गिर जाते हैं । मान्यवर, जो महानगर थाने का प्रभारी है [× × ×] मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा मैंने नाम ले लिया बिना आपकी अनुमति से .....

श्री अध्यक्ष–

वह नाम कट जायेगा जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उसका नाम नहीं लिया जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[× × ×] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

तो मान्यवर, आज से दो महीना पहले हुसैनगंज थाने में थे और उन्हें सस्पैंड किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जब यह मरोजनीनगर में इंस्पेक्टर थे तो एक अपराध में इनका शामिल होना पाया गया था जिसका आधार था कि दो हजार रुपये की फर्जी रिकवरी दिखाकर फर्जी मुकदमा बन्द कर दिया था तो आज वह प्रभारी हैं महानगर थाने के। जिनका निलम्बन हुआ उनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाय तो आम जनता का जीवन कैसे सुरक्षित होगा? मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये थे। सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने यह भी कहा था कि चर्चा कराकर देख लें कि कितना बड़ा अपराधी किस दल में है, आप इस पीठ पर विराजमान हैं, मेरा विनम्र निवेदन है और आपके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं भी इस विधान सभा में 1985 से सदन का सदस्य रहा हूं, तो यह आरोप और प्रत्यारोप लगाना बन्द करें। आप इस सदन में चर्चा करवा लीजिये कि हमारे जो सदस्य हैं उनका आचरण कैसा हो? चाहे वह मंत्रिपरिषद् के सदस्य हों चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों आज हमारे आचरण को सम्पूर्ण प्रदेश देख रहा है। आप सारी गैलरीज बन्द करा दें, प्रेस की गैलरी भी बन्द करा दें और इस पर चर्चा हो जाय। हम आज इस जनमानस को क्या देने जा रहे हैं? मान्यवर, जनमत हमें इस सदन में क्यों भेज रहा है, उसकी हमसे आशायें हैं अपेक्षायें हैं कि हम यहां पर उनके हितों की बातों को कहेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। मान्यवर, आज आप देखें बिजली की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है और न जाने कितनी समस्यायें हैं और आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस सदन की गरिमा को कैसे जीवित रखा जाये। मान्यवर, आज आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, इस विषय की ग्राह्यता की देख लें, क्या इसी तरह से कानून का राज्य रहेगा? मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 40-45 सालों में आप प्रतिपक्ष में बैठते रहे और आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं। कृपया मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ग्राह्यता को देखते हुये आप अपना निर्णय देंगे।

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप दो मिनट का अवसर मुझे भी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी ओर से माननीय शिवपाल सिंह यादव बोल चुके हैं। मैंने कहा था कि तीन लोगों में एक बोल ले, तो आपने कहा था कि माननीय शिवपाल सिंह यादव बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने दलों के नेताओं को बुलाया है, जिनके इस पर हस्ताक्षर भी नहीं थे।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी को सुनने के लिये बाध्य नहीं हूं कृपया क्षमा करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं किसी बात को दुहराऊंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कार्य स्थगन सूचना पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस सदन का बहुत सा समय आधे घंटे से ज्यादा का समय इस बात में चला गया कि कौन सा नाम है और नाम कैसे तय होगा, श्री प्रमोद कुमार जी बतायेंगे, मान्यवर, जितने तथ्य दुहराये गये हैं, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं, सभी की जानकारी में है कि डकैती हुई, और ऐतिहासिक डकैती हुई । जो स्थान है, जहां पर डकैती हुई, उसकी लोकेशन क्या है ? मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय और पी० ए० सी० मुख्यालय के सामने डकैती हुई और यह सिर्फ इसलिये हुई कि जब श्री कल्याण सिंह ने मुख्य मंत्री की शपथ ली, तो उन्होंने कहा कि भयमुक्त समाज होगा, कानून का राज्य होगा, लेकिन उनका यह कहना बेकार निकला और इसका मुख्य कारण यह है कि वह लिस्टेड माफियाओं को लेकर पूरी सरकार बनाया है, अगर उनको न लेते तो उनकी संख्या ही नहीं पूरी होती ।

मैं कहना चाहूंगा कि श्री कुणाल रस्तोगी के मामले में पुलिस ने जिस मंत्री से पूंछतांछ की, वही नाम है, मैं कहता हूं कि यही नाम है, जिससे पुलिस ने पूंछतांछ की है । कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी है ।

श्री अध्यक्ष–

पुलिस किसी व्यक्ति से पूछताछ करे तो क्या वह अपराधी हो जायेगा ?. आपके घर चोरी हो जाये या किसी विधायक के घर चोरी हो जाये और पुलिस वहां जाये तो क्या आप अपराधी हो जायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में जितना दावा किया गया है उसके बारे में प्रमुख सचिव, गृह का बयान देख लें और उसके बाद डी० जी० पी० और जो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दावा किया है उसको भी देख लें । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है । प्रदेश का जनमानस अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है । दूसरी जगहों पर कानून व्यवस्था के नाम पर केन्द्र से टीमें जा रही हैं । जनतंत्र की एक तरह से हत्या हो रही है । उन प्रदेशों की जांच रिपोर्ट मंगाई जा रही है, चुनी हुई सरकारों को भंग करने की साजिश की जा रही है । कानून व्यवस्था के नाम पर यदि किसी सरकार को भंग करना है तो यहां की श्री कल्याण सिंह सरकार को हम भंग करने की मांग करते हैं ।

राजनैतिक कारणों से दूसरों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का मैं हिमायती नहीं हूं जब सही तस्वीर लेकर सरकार सामने नहीं आएगी, जो सवाल किये जायेंगे उनके उत्तर सरकार ठीक नहीं देगी तो यही स्थिति होगी यहां पर प्रश्न पूछा था कि टाप-टेन की लिस्ट दे दीजिये उस लिस्ट में कितने कैबिनेट मंत्री हैं जो आपराधिक मामलों में लगे हैं, तो जब वह सूचना नहीं मिलेगी तो किसी न किसी माध्यम से यहां पर प्रश्न उठेंगे । तो आज जो स्थिति है इसमें इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को बर्खास्त किया जाना चाहिये तो इस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाये । मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है इसके महत्व को देखते हुए इस पर चर्चा कराई जाये ।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कल की घटना जिसके बारे में यह चर्चा चल रही थी निःसंदेह बहुत ही गम्भीर घटना थी इसमें कोई संदेह नहीं है । छोटा करके बात को कहने से वह घटना छोटी नहीं होगी । लखनऊ मुख्यालय पर इतनी बड़ी घटना सबके लिये चिन्ता की बात है । इस संबंध में कुछ तथ्य सामने आये थे उनका जिक्र यहां पर इस वास्ते नहीं कर रहा हूं कि सारे प्रकरण की विवेचना चल रही है, उस पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । एक आध बात ऐसी आई तो मैं बताना चाहता हूं कि हर बैंक में सशस्त्र गनर होता है, जो वहां नहीं था जब जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि पिछले दो साल से जो गनर था वह डिस्पैच लिपिक के रूप में काम कर रहा था उसकी बन्दूक वहीं बैंक के अन्दर जमा थी यह प्राविधान है कि जब कभी पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है सुरक्षा के लिये या चेस्ट में करेंसी लाने के लिये तो पुलिस उपलब्ध कराई जाती है ।

यह छोटा सा बैंक है आमतौर पर 8 से 10 लाख रुपया यहां रहता है, चूंकि कल वेतन वाला मामला था इसलिये धन अधिक उपलब्ध रहा, इस वजह से एक दिन के लिये पुलिस नहीं मांगी होगी । जहां तक इस घटना का संबंध है पुलिस कल से ही सक्रिय है । जितने भी गिरोह इस तरह की बैंक डकैती के रहे हैं उनको चिन्हित करके पूछ-ताछ जारी है इस घटना के साथ इसकी आड़ में न जाने कभी कोई घटना कहीं हुई होगी उसको जोड़ देना कहां तक उचित है ? इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा । जब से यह सरकार आई मैं बता देना चाहता हूं कि 141कुख्यात बदमाश मारे गये वह कोई मामूली नहीं हैं वह वे हैं जिन पर 2-2 लाख रुपये का ईनाम था । ऐसे बदमाशों को पुलिस ने और हमारे बहादुर जवानों ने मारा और इस प्रदेश को बचाया । मैंने खुद सूचना दी थी कि लखनऊ मुख्यालय पर आतंकवादियों का प्रकोप है । कुछ ऐसे तत्व काम कर रहे हैं जो केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं । प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है कल की घटना भी हमारे सामने इसी प्रकार की घटना हो सकती है जिसके बारे में विवेचना की जायगी । मान्यवर, उन्होंने जो चुनौती दी है तो हम भी स्वीकार करते हैं । एक आध मोर्चे पर कोई कामयाब हो गया तो उसको युद्ध में कामयाबी नहीं हुयी । हमने अपराधियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक आध मोर्चे पर कामयाब हो गये तो इसको युद्ध मे कामयाबी नहीं कही जा सकती ।

हम इस युद्ध में कामयाब होंगे उन अपराधी तत्वों को बरबाद करने के लिये या प्रदेश से बाहर निकालने के लिये । जो इस साजिश को करके अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं उनकी भी चुनौती हमें स्वीकार है । इस पर 2 घंटे की चर्चा हो चुकी है और 14 माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं । मेरा निवेदन है कि इसको अग्राह्य करें इसके ऊपर चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

इस सूचना पर विपक्ष के माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को ग्राह्य करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं समझता हूं और शासन का ध्यान मैं इस सूचना की ओर आकर्षित करता हूं एवं इसके साथ ही इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(श्री बिजेन्द्र आर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह सरकार अपराधियों पर नियंत्रण करने में असफल रही है । कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी है इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर नियंत्रण करने में नाकाम हो गयी है । इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यं सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार अपराधियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम हो गयी है । इनका नियंत्रण नहीं रह गया है इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम जग–

सरकार का नियंत्रण कानून व्यवस्था पर नहीं रह गया है । इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं जिस विषय के ऊपर बोलने जा रहा हूं यह बहुत ही गम्भीर है और अविलम्बनीय है, तात्कालिक है । मान्यवर, सन् 1974 में दीक्षित एवार्ड के नाम से उत्तर प्रदेश और हरियाणा विवाद में दीक्षित एवार्ड लागू होना था लेकिन आज तक यह दीक्षित एवार्ड लागू नहीं हो पाया जिसकी वजह से आये दिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर विवाद होता रहता है, गोलियां चलती हैं और कभी-कभी लोग हताहत होते हैं और कई दफे ऐसी घटनाएं भी हुई । कई एक जानें जाती हैं मगर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो सीमा विवाद है इसको तत्काल गम्भीरता से लेकर इसका निपटारा करने के लिये दोनों सरकारें आपस में बैठकर इस विषय को सुलझाने का कार्य करें क्योंकि यह सहारनपुर से लेकर आगरा तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला है ।

अभी पिछले दिनों बागपत में सांकरोद में एक बहुत भयंकर घटना हुई । गोलियां चलीं और उसमें हमारे प्रदेश के सी० ओ० और एस० डी० एम० ने अपने किसानों का पक्ष लिया तो हरियाणा की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिससे उन दोनों अधिकारियों को निलम्बित होना पड़ा । इसी के साथ छपरौली में एक घटना घटी जहां पर हरियाणा के किसानों ने आकर गोलियां चलायीं, साथ में पुलिस भी थी । जिसमें एक आदमी वहीं पर मारा गया और इसके बावजूद वहां की पुलिस हमारे ही लोगों को पकड़कर ले गयी और ले जाकर जेल में बन्द कर दिया । आज तक उस मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी तो हमारे किसानों के साथ में बड़ा भारी अन्याय होता रहेगा ।

हमारी फसलों को हरियाणा के किसान काटकर ले जाते हैं हमारी पुलिस और प्रशासन हमारी कोई भी मदद करने में सक्षम नहीं है । मान्यवर, मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस तात्कालिक, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं अगली सूचना श्री धर्मराज निषाद, श्री राम अचल राजभर और श्री राम शंकर पाल की है

श्री धर्मराज निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, 15 अप्रैल को थाना गुसाईगंज जनपद फैजाबाद में जो 27 मार्च को टाउन एरिया में नीलामी के लिये जेयरमैन ने समय निर्धारित किया था और थाने में अधिकारियों के पास पहले से ही इसकी सूचना थी। हमारे ब०स०पा० कार्यकर्ता शिव प्रताप को मारा गया। हम लोगों ने इसके विरोध में आज जो माननीय वन मंत्री जी हैं, 12 अप्रैल को फैजाबाद गये थे निषाद सम्मेलन में उनसे भी कहा, डी० आई० जी० से भी कहा, एस० एस० पी० को बुलाकर कहा कि तत्काल गिरफ्तारी हो, न्याय मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन 15 तारीख तक कोई न्याय नहीं मिला कोई सुरक्षा डाक्टर शिव प्रताप को नहीं मिली। फिर हम लोगों ने 15 तारीख को सामूहिक धरना दिया। वहां के डी० एम० ने प्रतिनिधि के रूप में सी० डी० ओ० को भेजा एस० एस० पी० ने और एस० पी० आर० ओ० को भेजा। उन्होंने ज्ञापन दिया। मान्यवर, हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिवप्रताप जी को सुरक्षा दी गयी, जांच के आदेश दिये गये लेकिन अध्यक्ष जी मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जो यह सरकार है शान्तिपूर्वक हम लोगों ने धरना दिया। धरने के बाद भी एस० ओ० और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी उस धरने में.....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री धर्मराज निषाद–

भाजपा के अम्बेडकर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भारती सिंह हैं और कांग्रेस के श्री राम सिंह, समता पार्टी के श्री सूर्य प्रकाश थे। उन लोगों ने धरना देकर सामूहिक ज्ञापन दिया लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। हम लोगों के खिलाफ 143, 342, 504, 506 आइ० पी० सी० सात क्रिमिनल ला दर्ज करा दिया गया। मांग करता है कि मुकदमा वापस लिया जाय एवं दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री धर्मराज निषाद–

मान्यवर, यह अति लोक महत्व का विषय है और अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर चर्चा कराई जाय।

(इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

श्रीमन्, माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है दो-दो विधान सभा सदस्य इसमें शामिल हैं और धरने पर बैठने पर मुकदमा कायम हो रहा है

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर एक माननीय सदस्य को सुन लिया है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय सदस्यों पर जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं उसको समाप्त करने की घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से करवा दें । यह माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लीजिएगा ।

(श्री रामकृपाल जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में अनुपस्थित होने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, संसीदय कार्य मंत्री जी उठे नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निर्देश दे दिया इसको देखने के लिए ।

छठी सूचना श्री राम विशुन आजाद जी की है इन्होंने जनपद गोण्डा के सूकरखेत स्थित बाराह भगवान के मंदिर से चोरी गयी प्रतिमा की बरामदगी के बावजूद पुनः मंदिर में स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री बाबूराम यादव जी की है इन्होंने जनपद मैनपुरी के करहल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति न किये जाने तथा कृषकों से लगान व आबपासी की वसूली स्थगित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री राम प्यारे की सूचना है श्री महेश्वर इण्टर कालेज सासनी गेट, अलीगढ़ में ताला तोड़कर अवैध कब्जा किये जाने से प्रभावित शिक्षण कार्य तथा छात्रों के अनिश्चित भविष्य के संबंध में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

नवीं सूचना श्री वसीम अहमद की जनपद आजमगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र बिलरियागंज में पिछले 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दसवीं सूचना श्री अखिलेश कुमार सिंह की प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों को स्थानीय कैडर प्रदान किये जाने के संबंध में ।

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

निम्नलिखित सूचनायें चयनित नहीं की गईं इसलिये अस्वीकृत की गईं : श्री फ़रीद महफूज किदवई, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री दिलीप कुमार, श्री शब्बीर अहमद बाल्मीकि, श्री बाबू लाल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री लालमणि प्रसाद, श्री आर० के० चौधरी, श्री जगदीश नारायण मुन्ना, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री अम्बरीष कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री विनोद मणि,, श्री मुराद लारी, श्री कैलाश, श्री सरवर अली, श्री अब्दुल कलाम, श्री प्रभु नरायन सिंह ।

श्री बाबू राम यादव–

मैंने नियम 56 में सूचना दी थी । हमारे यहां बहुत बड़े भाग में एक दाना भी नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 के तहत मैंने निर्णय [illegible] सूचना स्वीकार की गयी थी [illegible] दिया है । अब आप कृपया [illegible]

श्री बाबू राम यादव–

सरकार ने स्वीकार किया कि 100 प्रतिशत की हानि हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

आप जानते हैं कि पीठ की भी सीमा होती है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं । हमारे जनपद बाराबंकी में 25 तारीख को ऐसी घटना घटित हुई है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको सुनकर आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें । घटना 25 जून की है घटनास्थल है टेसुआ सलीम चक । प्रगति विद्यालय जनपद बाराबंकी में है। इसको दलित वर्ग के लोग चलाते हैं । वर्ष 1987 से इसको मान्यता प्राप्त है ।

[समय 3.00 बजे]

मान्यवर, 8 तक की कक्षा बनी हुई थी और और 1987 से कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त है । 25 तारीख को इस विद्यालय के पूरे भवन को तोड़ दिया गया । विद्यालय के प्रांगण में डा० भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी थी उसको ट्रैक्टर से लादकर गुमनाम जगह पहुंचा दिया गया । एक लाईन से आठों कक्षाऐं बने थे उन सबको तोड़कर गिरा दिया गया । सदन की कोई टीम बनाकर आज आप उस स्थल का निरीक्षण करवायें तो यह पायेंगे कि वहां विद्यालय नाम की कोई चीज नहीं है उस खेत को ट्रैक्टर से जोतकर आलू का बेहतरीन खेत बना दिया गया है और आज की तारीख में वहां कोई कक्षा नहीं है । भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति थी, जिसका अनावरण मैंने किया था वह तोड़कर गायब कर दी गयी ।

मान्यवर, अब पहली जुलाई से विद्यालय खुल गये हैं उस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे कक्षा 5 पास करके वह कक्षा–6 व 7 में गये हैं वह कहां पढ़ेंगे, क्या वह आलू के खेत में पढ़ेंगे ? मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने पुलिस अधीक्षक से बात की ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना अस्वीकार हो चुकी है लेकिन संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मेरे कहने पर पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट लिखी और कार्यवाही की । दूसरी मांग यह है कि अगर कक्षायें तोड़ दी गयी हैं और आज की तारीख में कोई कक्षा नहीं है तो कल बच्चे कहां पढ़ेंगे ? सवाल है कि बच्चों से पढ़ने के लिए इस सदन से, अपनी पीठ से सरकार को यह जिला प्रशासन को निर्देश दे, तो इसके लिए में आपका आभारी हूंगा मान्यवर, वहां का जो थानाध्यक्ष हैं उनका स्थानान्तरण हो चुका है और अपने स्थानान्तरण को रुकवाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे चल रहा है और उनके कहने पर दलित वर्ग के विद्यालय को तोड़ दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपकी बात आ गयी है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट का समय और दे दें । मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दो कदम पर थाना मौजूद था । जब वहां का प्रधानाध्यापक रिपोर्ट लिखाने के लिये थाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं

लिखी गयी तब फिर वह पुलिस अधीक्षक के पास गया तब उसकी रिपोर्ट लिखी गयी और कार्यवाही हुई। लेकिन आज की तारीख में वहां कोई कक्षायें नहीं हैं ? मैं यह चाहता हूं कि आप कोई निर्देश अपनी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को या जिला प्रशासन को दें ताकि दलित छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह सूचना अग्राह्य की जा चुकी है परन्तु फिर भी मेरा आग्रह है कि आप माननीय सदस्य को सुन लें और जो उचित कार्यवाही हो वह करें ।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होने तथा स्वयं को सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय यादव जी आप बैठ जायं, इस सूचना को कल आप दे दीजियेगा । अब मैंने मद संख्या 13 के लिये माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है इसको आप एक मिनट में सुन लें । माननीय मंत्री जी बैठ जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी सूचना को पढ़ दीजिए ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे एक मिनट का मौका दे दें । बहुत जरूरी मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं केवल आपको पढ़ने की इजाजत दे रहा हूं, इसके अलावा आपको अनुमति नहीं है । केवल आप पढ़ दें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं सिर्फ पढ़ूंगा जरवल रोड थाने में ग्राम मीरगंज, जनपद बहराइच में पड़ता है दिनांक 6-5-98 से थाने की पुलिस ने गांव में आतंक करना शुरू कर दिया है और 8-5-98 को थाना की पुलिस ने 25 सुन्नी मुसलमानों को लूट लिया । जिसमें जेवर, बरतन, नकदी, टी० वी०, वी० सी० आर, कपड़े आदि सामान करीब लाखों रुपये का था । इस लूटपाट में थानाध्यक्ष जरवल रोड सम्मोपाल की अहम भूमिका रही है । घटना के विरुद्ध सुन्नी समुदाय के मुसलमानों ने डी० एम० और एस० पी० को ज्ञापन दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

सुन्नी समुदाय के 34 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है । इस समय भी आतंक का माहौल गांव और आस पड़ोस में है और सुन्नी समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस कर गांव छोड़कर भाग रहे हैं इसलिये यह प्रकरण लोक महत्व का है और गम्भीर है मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने बात रखी थी, उन्होंने दरोगा का तबादला कर दिया है, इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं । अब मैं चाहता हूं कि पीठ से ऐसा कोई निर्देश हो जाय, जिससे गांव के मुसलमान गांव छोड़कर न जायें और उनके मुकदमें में कार्यवाही हो, ताकि उन्हें न्याय मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

आप विराजें, कार्यवाही हो गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 8,47,52,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग की नीतियों को इस सदन के सामने रख रहा हूं वैसे तो इस विभाग के आलोचक ज्यादा हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि बिना ऊर्जा के न तो विकास हो सकता है, न आधुनिक जीवन की कल्पना की जा सकती है, न कृषि क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, न औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हो सकती है । लेकिन मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह जरूर अवगत कराना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विभाग, जिसमें राज्य सरकार का कोई अनुदान न प्राप्त होता हो, वह केवल पूर्ण रूप से या तो ऋण वास्तविक रूप से जो धन उपलब्ध कराता है, उससे प्रदेश के लोगों को सुविधायें मुहैया कराता है । इस विभाग की आलोचना करने के साथ-साथ अगर माननीय सदस्य महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे तो मुझे ज्यादा आसानी होगी और ऊर्जा की समस्या को कुछ हद तक हल कर सकेंगे । मुझे खुशी है कि आज कटौती का प्रस्ताव, पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी रख रहे हैं, वह अपने अच्छे सुझाव देंगे ।

श्रीमन्, यह कहने में दुख होता है कि पिछले 12–13 वर्षों से इस महत्वपूर्ण विभाग की ओर तत्कालीन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश ऊर्जा के स्रोत में, ऊर्जा की खपत में अपने आप में पिछड़ता चला गया । मैं माननीय सदस्यों के सामने कुछ सत्यता रखना चाहता हूं । हमारे प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 2.94 लाख वर्ग कि०मी० है और 91 की जनगणना के अनुसार हमारी 14 करोड़ की आबादी है तथा इस प्रदेश में 1,12,804 गांव हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, कोई जादू की छड़ी से 91 की जनसंख्या को वहीं रोक दीजिये । अब तो निश्चित रूप से दो करोड़ बढ़ी होगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह काम तो आप कर सकते हैं, आप डाक्टर भी हैं और आपको अधिकार भी है ।

मान्यवर, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 67 लाख है । जो अपने आप में सत्यता गले से नीचे नहीं उतरती । मैं सदस्यों से चाहूंगा कि इतने कम उपभोक्ताओं की संख्या का क्या कारण है ? इस पर भी वह प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा । मैं ऊर्जा के मामले में पूरे देश और पूरे विश्व की प्रति व्यक्ति खपत क्या है ? उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, हालांकि उसके हिसाब से भारतवर्ष बहुत पिछड़ा हुआ है लेकिन अगर भारतवर्ष में प्रदेशों की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे स्थान है । पूरे विश्व में जहां कनाडा में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

17510 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत है वहीं भारतवर्ष में ये खपत 320 यूनिट प्रति व्यक्ति है और अपने देश में जहां पंजाब सबसे ज्यादा 786 यूनिट प्रति व्यक्ति की खपत कर रहा है वहीं उत्तर प्रदेश 196। मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश इतनी बड़ी आबादी और विद्युत की खपत इतनी कम होगी। तो विकास में हम कहां जायेंगे। विद्युत की कमी को हम स्वीकार करते हैं। 13-14 साल से जेनरेशन प्लांट नहीं लगे, न पिछली सरकारों ने उसकी आवश्यकता समझी और प्रति वर्ष 13-14 प्रतिशत विद्युत की खपत बढ़ती चली गयी।

विद्युत उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्थिति इतनी जर्जर होती चली गयी कि जिस समय इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्भाला, उत्तर प्रदेश में प्लाण्ट लोड फैक्टर मात्र 42 प्रतिशत था। हमने प्रयास किया और 52 प्रतिशत पी० एल० एफ० विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, यद्यपि हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन मौजूदा वित्तीय स्थिति में हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। राज्य विद्युत परिषद् की जितनी आय है उससे ज्यादा खर्चा है। सरकार से अनुदान नहीं मिलता है। हम इतना ऋण ले चुके हैं कि वे वित्तीय संस्थायें परिषद् को ऋण देने से मना कर देती हैं। हमारी सरकार गारण्टी के रूप में ऋण उपलब्ध करा रही हैं। हम सब्सिडी देते हैं। अगर वित्तीय व्यवस्था को सुधारना है तो इस सब्सिडी पर सरकार की कृपा हो। हम पारेषण, वितरण इन सब में सुधार कर रहे हैं, लेकिन धन की कमी के कारण हम उतना सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये कहीं-कहीं विद्युत की आपूर्ति बहुत कम है। यद्यपि विद्युत आपूर्ति निश्चित अवधि देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के ओवरलोड हो जाने के कारण, पुराने तारों के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा होता है।

प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता 5076 मेगावाट है, 3250 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। केन्द्र प्रशासन का जो अनुदान है वह परिषद् इस मारे नहीं ले पा रहा है कि हमारे पास धन का अभाव है। हमारे अंशदान से कम अंशदान मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा अंशदान की बिजली लेकर प्रदेश को हम विद्युत कटौती से मुक्ति दिलायें। मान्यवर, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश आये थे। हमने बैठकर तमाम बिजली की सहूलियतें देने की बात की थी। इस प्रदेश का अंशदान 2600 मेगावाट था जो घटकर 16-17 सौ मेगावाट रह गया था, हमने उसे पूरा करवाने की घोषणा करवाई। हमें पूरा अंशदान मिल रहा है यद्यपि हम ले नहीं पा रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम में राज्य सरकार के ऊपर जितना ऋण है हम उसको नहीं चुका पाये इसी कारण आर० ई० सी० ने परिषद् को पैसा देना बन्द कर दिया। हमने केन्द्रीय मंत्री जी से अनुरोध किया था उन्होंने किश्तों की रिशिड्यूलिंग की बात की चार प्रतिशत ब्याज दर को घटाया जिससे हम ग्रामीण विद्युतीकरण कर सकें। हमने ग्रामीण विद्युतीकरण में अन्य प्रदेशों की तुलना में ज्यादा काम किया है। लेकिन ये सही है कि तारों की चोरी हो रही है।

मान्यवर, अगर आंखों से देखें तो जहां मध्य प्रदेश में 71352 गांवों के अनुपात में 67238 गांव ऊर्जीकृत हुए। राजस्थान में 34 हजार के अनुपात में 29 हजार हुए। हरियाणा, पंजाब में शत-प्रतिशत हो गये, बिहार हमसे पीछे है। उत्तर प्रदेश में एक लाख 12 हजार गांवों में 87 हजार गांवों को अभी तक ऊर्जीकृत कर पाये हैं। मान्यवर, पिछली सरकारों ने जो योजना समाप्त कर दी कि क्षेत्रों में जो भी कार्य हों वो माननीय विधायकों की इच्छा के अनुरूप हों। यदि विधायक गण सहमत हों तो हम यह घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि जिस-जिस क्षेत्र में गांवों का ऊर्जीकरण होगा ? वह विधायकों की राय पर होगा। हम घोषणा करते हैं कि परिषद् इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक को उनके क्षेत्र के पांच गांवों को उनकी इच्छा के अनुरूप जो वह लिखकर देंगे, उनको विद्युतीकरण करने का संकल्प लेगा। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये हर सम्भव प्रयास किया है। नया व्यक्ति जब कनेक्शन लेने जाता था तो उसमें 100 रु० के स्टाम्प की

अनिवार्यता थी लेकिन अब यह 100 रु० का स्टाम्प उसे नहीं देना पड़ेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में 811 रु० जो कनेक्शन का देना पड़ता था उसको घटाकर हमने 600 रु० कर दिया है ये योजना 31 जुलाई तक चलेगी । जो हमारा लाइट और फैन का उपभोक्ता है, उसे आसानी से विद्युत का कनेक्शन दे सकें और जो हमारी संख्या कम है वह संख्या हमारी बढ़ सके हमने राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश दिया है कि इस साल 15 लाख हमारे नये उपभोक्ता हमको बनाने हैं और यह हम बनायेंगे । हमने कुछ बड़े महानगरों में स्पाट बिलिंग की व्यवस्था करायी है । जो कन्ज्यूमर था उसकी शिकायत थी कि बिल हमको नहीं मिलते हैं तो हमने उनकी सुविधा के लिए यह किया है कि कन्ज्यूमर जो रीडिंग लेकर जायेगा उसके आधार पर बिल बनाकर भुगतान प्राप्त कर लिया जायेगा । बाद में उस रीडिंग के आधार पर हमारे यहां के लोग चेकिंग करेंगे और यदि वह रीडिंग गलत पायी जायेगी तो उन्हें दण्डित किया जायेगा। जो लाइन में उपभोक्ता खड़ा रहता था उसको भी इससे राहत मिलेगी । इसके साथ ही शहरों और गांवों में कैम्प लगाकर कनेक्शन और विद्युत का जो बिल हो उसका भुगतान प्राप्त हम करेंगे जिससे ग्रामीण और ऐसे लोग जो ज्यादा समय नहीं दे सकते उनको सहूलियत मिल जायेगी ।

श्रीमन्, निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं, जिन्होंने बिल समय से नहीं दिया था और जिनके ऊपर सरचार्ज बाकी थी हमने 31 मई तक यह योजना चलायी थी कि जो गांवों का उपभोक्ता है वह अपना बिल जमा कर दें तो उसका सरचार्ज माफ कर दिया जायेगा । इस योजना से, श्रीमन्, राज्य विद्युत परिषद् को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है उसके बावजूद भी हमने सहूलियत दी है और लोगों को बिल जमा करने का मौका मिला और उन्हें ब्याज से मुक्ति मिली । हमने शहरों के लिये भी किया है । जिनका लोड मकान में ज्यादा है तो हमने यह किया है कि 31 जुलाई तक ठीक करा लें नहीं तों उन्हें पनिश किया जायेगा । इससे जो कम लोड लेकर ज्यादा विद्युत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगेगी । इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक जो नया उपभोक्ता कनेक्शन लेता था उसको यह नहीं मालूम था कि कितना रुपया जमा करना पड़ेगा । विभाग के अधिकारी ज्यादा बिल बनाते थे और फिर मिलकर कम कर देते थे । तो अब राज्य विद्युत परिषद् ने पोल के आधार पर तय कर दिया है कि एक पोल पर होगा तो कितना जमा करना होगा, दूसरे पोल से होगा तो कितना जमा करना पड़ेगा । यह हमने फिक्स कर दिया है । इससे यह होगा कि उपभोक्ता को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा । जैसे पहले पोल का हमने चार हजार तीन सौ रुपया कर दिया है । इसी तरह से फिक्स कर दिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ उठकर सवाल पूछने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दें । आप लोगों को भी अभी अवसर मिलेगा तब आप लोग अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के संबंध में हमने निर्णय लिया है कि हम 72 घंटे के अन्दर यह बदल देंगे । पहले प्रक्रिया बड़ी जटिल थी । पहले लिखा पढ़ी होती थी उसके बाद इस्टीमेट बनता था, फिर ट्रांसफार्मर मिलता था । अब हमने यह कर दिया है कि जो गांव का आदमी ट्रांसफार्मर लेकर जायेगा वह क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर जमा करेगा और उसके बदले में इंजीनियर उसे नया ट्रांसफार्मर देगा और उसे लगा देगा । इस तरह से जो इस्टीमेट के नाम पर, स्टोर के नाम पर जो अव्यवस्था होती थी ? उसको हमने समाप्त कर दिया है ।

मान्यवर, यह शिकायत रहती थी कि राज्य विद्युत परिषद् में जो सामान खरीदा जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है । अब यह निर्णय लिया गया है कि जो भी सामान खरीदा जायेगा उसका

थर्ड पार्टी से इन्सपेक्शन कराया जायेगा । इसके लिए हमने दो कम्पनियों–मैसर्स लायर्ड और मैसर्स राइट्स को इंगेज किया है । राज्य विद्युत परिषद् को तभी सामान सप्लाई होगा जब खरीदे गये सामान की पूर्णरूप से गुणवत्ता का इन्सपेक्शन इन कम्पनियों द्वारा न कर लिया गया हो और उस पर उनकी मुहर न लग गई हो । इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में काफी कमी आई है ।

मान्यवर, माननीय सदस्य मांग करते थे कि 33 के०वी०ए० का स्टेशन बनाया जाये । डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को सुधार के लिए 33 के०वी०ए० का स्टेशन काफी अच्छा होता है । माननीय सदस्यों के अनुरोध को देखते हुए तथा बोर्ड के सर्वे के अनुसार 33 के० वी० ए० के हमें 180 नये स्टेशन चाहिए जिस पर लगभग 2सौ करोड़ रुपये चाहिये । हमने पी० एफ० सी० से ऋण देने का अनुरोध किया है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को सुधारने के लिए 33 के० वी० ए० स्टेशन बना सकें । इस संबंध में प्रगति चल रही है, हमें उम्मीद है कि पी० एफ० सी० मदद करेगा ।

माननीय सदस्य अब आलोचना करें तो इन बिन्दुओं पर भी अपने सुझाव दें ताकि विद्युत परिषद् की ऊर्जा को गांवों/शहरों तक पहुंचाने तथा आम शिकायत को दूर करने में मदद मिल सके । आज उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम है । गांव का जब हम विद्युतीकरण करते हैं तो गांव में कोई कनेक्शन लेता नहीं है ।

मैं चाहता हूं कि सदस्य बतायें कि गांवों के विद्युतीकरण का क्या मानक रखा जाये । यदि गांवों में कनेक्शन कोई नहीं लेता है, तो बिजली चालू करनी चाहिये या नहीं चालू करनी चाहिये ? कैसे अभियान चलायें कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन लें और हमारा लाइन लास न हो और लाइन लास घट सके । मैं अनुरोध करूंगा कि राजस्व की वसूली कैसे बढ़ाई जाये, इस पर आप सभी माननीय सदस्य अपने सुझाव दें ।

मान्यवर, मैं अभी हाल ही में विदेश गया था और देखा कि यूरोप में साढ़े 6 बजे बाजार बन्द कर दिया जाता है, तो मैंने पूछा कि बाजार इतनी जल्दी क्यों बन्द कर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारी ऊर्जा की खपत बचती है, तो अगर आज उत्तर प्रदेश में भी 7 बजे बाजार बन्द कर दिये जायें तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो बिजली की खपत होती है, वह बच सकती है और यह अनुमान है कि इससे करीब 400 मेगावाट बिजली की बचत होगी ।

मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस पर भी आप सबके विचार आ जायें, इससे 400 मेगावाट बिजली की बचत होगी और जो शिकायत है कि बिजली की कटौती की जाती है, बिजली चली जाती है, वह दूर हो जायेगी । एक यह शिकायत आयी कि जो मीटर रीडर है वह सही ढंग से रीडिंग करने नहीं जाता है और बिल ठीक से नहीं आते हैं । मैंने माननीय सदस्यों को एक पत्र भेजा है, कुंवर रेवती रमण सिंह जी, उसका उल्लेख भी कर रहे थे, क्योंकि वितरण प्रणाली उतनी सही नही है, जितनी होनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जिला प्लान में जो पैसा उपलब्ध कराया जाता है, उससे अपने गांव के विद्युतीकरण के स्थान पर अगर 33 के० वी० का स्टेशन बनवाने के लिये प्रयास करें तो 100 करोड़ रुपया जिला प्लान से राज्य विद्युत परिषद् को मिल जायेगा और जो सही स्थान है वहां पर 33 के० वी० का विद्युत स्टेशन बन जायेगा । सांसद निधि तो पहले से है और अब विधायक निधि भी बना दी गयी है, उससे भी आप लोग विद्युत की स्थिति को सुधारने में अपनी रजामन्दी करेंगे, तो सही रूप में उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था में सुधार हो सकेगा । मैं समझता हूं कि आलोचना के साथ-साथ विद्युत की मौजूदा स्थिति पर आप गंभीरता से विचार रखेंगे और सकारात्मक सुझाव देंगे, जिससे उन सुझावों को अंगीकृत करके उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की खपत में सुधार किया जा सके और ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश को और आगे बढ़ाये । इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के सुझाव आमंत्रित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री फरीद महफूज किदवई के खड़े होने पर) बजट पर बोलने के लिये आप अपना नाम भिजवा दीजिये मैं आपको बुलवा लूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग–संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, ऊर्जा विभाग के बारे में बोलने से पहले मैं इस सरकार के बारे में बताना चाहता हूं–इस सरकार के पास न तो ऊर्जा के लिए पैसा है, न इस सरकार के पास शिक्षा के लिये पैसा है, न चिकित्सा के लिये इस सरकार के पास पैसा है और न इस सरकार के पास सिंचाई के लिये पैसा है । तो यह 4 क्षेत्र मैंने बताये जिनका जनजीवन से सीधा संबंध है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री बड़े जोर से कहते हैं यह कल्याणकारी सरकार है । कल्याणकारी सरकार के पास एक भी कल्याण की योजना के लिये पैसा नहीं है ।

माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से यह बताने का प्रयास किया कि आज स्थिति क्या है, उसमें यह क्या सुधार कर रहे हैं ? मान्यवर, मैंने इनके भाषण को बड़े गौर से सुना लेकिन एक भी बात सापेक्ष नहीं लगी । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने रिकार्ड को सही कर लें, आनपरा ए, बी, परीछा, टांडा और ऊंचाहार में भी कुछ हद तक मैं बता दूं मैं खुद आनपरा गया और उस परियोजना के लिये जमीन ली थी और उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसी तरह से परीछा भी मेरी बनाई है और बाद में कांग्रेस ने उसे पूरा किया । आपने आसानी से कह दिया कि विगत कुछ सालों से सरकारों ने कुछ नहीं किया । 1991 में जिस पार्टी के आप सहयोगी दल है और सरकार में शामिल है उनकी ही सरकार थी । तो आप रिकार्ड देखकर पता लगा लें । आप कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपने कहा कि उपभोक्ता कम हैं और आपने एक विवेचना की है । 1991 के सेन्सस के आधार पर । आज वह संख्या और भी बढ़ गई है इस वक्त जनसंख्या करीब 16 करोड़ है तो उसके हिसाब से आपने कोई प्लान नहीं बनाया है आज हमारे उत्तर प्रदेश में 44 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं । दो साल से जबसे आपके सहयोगी दल की सरकार थी, उनके लिए कोई सार्थक काम नहीं कर पाई । कोई उनके लिए आयोजना गरीबी दूर करने की नहीं बनाई आप ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं बिना कनेक्शन के लोग धड़ल्ले से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकने के लिये कोई स्कीम आपके पास नहीं है । जहां आपने तमाम विदेशों की बात बताई, पहले आप इस देश के बारे में जान लें । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में महाराष्ट्र में जहां टाटा बिजली सप्लाई करते हैं बम्बई शहर में एक भी आदमी बिजली की चोरी नहीं कर सकता है । अगर लोड ज्यादा हो जाता है तो स्वतः बिजली उड़ जायेगी, जितने भी उपकरण लगे हैं वह खराब हो जायेंगे, वह व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू करते हैं ?

विदेशों की आप बात करते हैं, इस देश में बम्बई में एक मिनट भी बिजली नहीं जाती है, क्योंकि टाटा वाले बिजली सप्लाई करते हैं । ऐसे ही कलकत्ता में जहां पहले लोग लालटेन जलाते थे, एक उद्योगपति को ज्योतिबसु ने यह काम दिया और वहां एक मिनट भी आज बिजली नहीं जाती । आप इस तरह का बजट क्यों नहीं लाते ? केवल पैबन्द लगाने की बात कर रहे हैं ।

मान्यवर, पैबन्द लगाने से काम चलने वाला नहीं है । आपने विश्व बैंक से सर्वेक्षण कराया उसकी रिपोर्ट आई, मुझे खुशी होती कि आप सदन में उसकी संस्तुति आप रखे होते और आपने बताया होता कि क्या संस्तुति है और उस पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं । लेकिन आपमें इतनी हिम्मत नहीं

है कि रिपोर्ट पेश करते । आपने बताया कि उपभोक्ता कैम्प लगाये जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों मे 72 घण्टे की बात कौन कहे 15 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं ।

आपने यह बता दिया होता कि ट्रांसफार्मर बनाने वाली कितनी कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट किया है, ट्रांसफार्मर आज लगा, कल ही फुंक गया इसलिए कि उसमें सही क्वालिटी का सामान नहीं लगाया जा रहा है और ट्रांसफार्मर जल जाने पर उपभोक्ता शहर से गांव और दफ्तरों में इन्जीनियरों का चक्कर लगा रहे हैं अगर आपने यह व्यवस्था की होती कि अधिशासी अभियन्ता तहसीलों में कैम्प लगायेंगे और हफ्ते में कम से कम एक दिन उपभोक्ताओं की शिकायत सुनकर उसको दूर करेंगे तो मैं सोचता कि आपने सार्थक कदम उठाया है । किसान आता है 100 रुपये खर्च करके दफ्तर में पता लगता है कि इन्जीनियर साहब दौरे पर हैं । आप सरप्राइज चेकिंग 10 जनपदों की करें और देखें कि आप का रिजल्ट क्या है ? अगर आप न कर सकें तो अपने राज्य मंत्री श्री रंगनाथ मिश्र जी को 15 जनपदों में भेजकर रिपोर्ट मंगवा लें तो आपको पता लगेगा कि क्या स्थिति है ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 1959 में विद्युत परिषद् की स्थापना की गई थी और इसलिए की गई थी कि यह सरकारी विभाग न बनकर उपक्रम के रूप में हमारे प्रदेश में बिजली का सुचारु रूप से उत्पादन करेगा और वितरण करेगा जिससे हमारे कृषकों को, उद्योगों को, घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जिस उद्देश्य से विद्युत परिषद् की स्थापना 1959 में की गई थी उसमें हम लोग पूरी तरह विफल रहे हैं । आज इस असफलता को आपको स्वीकार करना चाहिए और इसमें गुणवत्ता लाने के लिए आपको आपरेशन करना पड़ेगा, इसमें पैबन्द लगाने से आप मरीज को ठीक नहीं कर सकते हैं मान्यवर, इसी तरह से कोई भी पूंजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है ? माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने कहा था कि इस प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात से बहुत ज्यादा पूंजी निवेश हो रहा है, यह प्रदेश दूसरे नम्बर पर हैं लेकिन यह बतायें कि कहां एक भी उद्योग आपने लगाया है । आज पूंजी निवेश केवल कागज पर होता चला जा रहा है । जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगी और ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं होगा तब तक प्रदेश में उद्योग नहीं लग सकेंगे । ला एण्ड आर्डर आप स्वयं देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत जर्जर है, कितनी लचर है । सरकार जहां बैठती है वहां पर रोज डकैती, कत्ल और न जाने क्या-क्या हो रहा है । मान्यवर, आज जिस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं अगर तत्काल प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी तो यह प्रदेश हमेशा-हमेशा के लिए डूब जायेगा और इससे उबर पाना संभव नहीं है । कोई भी आदमी इससे उबार नहीं पायेगा पहले ही बहुत देर हो चुकी है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि आज जो आंकड़े आपने बताये, कनाडा और जर्मनी की बात कही । मैं इस देश भारत की और भारत में जो अन्य प्रदेश हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा हमारे प्रदेश में आयातित जो है वह 8,362.75 मेगावाट है जिसमें तापीय 4,544 मेगावाट । 1,50 जलीय और 2,314 आयातित है जो ज्यादातर हमको हमारा अनुदान एन० टी० पी० सी० से मिलता है । मान्यवर, इस अधिस्थापित क्षमता में आपने कह दिया कि 52 प्रतिशत है । अगर आप सेन्ट्रल एथारिटी इलेक्ट्रिसिटी की रिपोर्ट देख लें, यह केन्द्र सरकार का अधिष्ठान है । मात्र 49 फीसदी आपका प्लान्ट लोड फैक्टर है और आपने 55 प्रतिशत बता दिया ।

यह एक महीने का हो सकता है, दो महीने का हो सकता है लेकिन पूरे साल का प्लान्ट लोड फैक्टर का एवरेज लेंगे तो यह 49 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है । उसी तरह से अगर आप देखें मान्यवर, कि अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति है ? वर्ष 1996-97 में आन्ध्र प्रदेश में 78.31 प्रतिशत है, तमिलनाडु में 72.21, राजस्थान में 75.61, कर्नाटक में 70.21, महाराष्ट्र में 68.78 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर है और मान्यवर, हमारा कित है । हमारा मात्र 49 फीसदी है । मान्यवर, आल इण्डिया एवरेज 60 प्रतिशत है

और जो अन्य प्रदेशों के बारे में हमने बताया वह 70,75 और 80 फीसदी तक है। आप देख लें कि हमारा प्रदेश कितना पीछे है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में पता नहीं कैसे आ रहा है आप पता नहीं कौन से चश्में से देख रहे हैं। इस प्रदेश में पारेषण और वितरण में जो लाइन लौस हो

(3 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए।)

रहा है वह आल इण्डिया एवरेज में सबसे ज्यादा है। पूरे देश के अन्दर अगर बिजली चोरी और लाइन लौस कहीं सबसे ज्यादा है तो वह है उत्तर प्रदेश। मैं इसके भी आंकड़े आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आल इण्डिया औसत 21.13 प्रतिशत है। गुजरात में 22.23, महाराष्ट्र में 16.33, पंजाब में 16.76, तमिलनाडु में 17.11 और उत्तर प्रदेश में 24.45 प्रतिशत है। हम सी० ए० का आंकड़ा बता रहे हैं।

यह जो पुस्तिका है "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सांख्यकीय एक दृष्टि में" इसमें आंकड़े दिये हुए हैं। इसी तरह से अगर हम प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देखें तो स्थिति साफ हो जायेगी। मंत्री जी जर्मनी, कनाडा और कहां-कहां की बात बता रहे थे। मान्यवर, आल इण्डिया एवरेज है 319 किलोवाट। पंजाब का है 759 किलोवाट, गुजरात का 608 किलोवाट और हरियाणा का 46.7 किलोवाट है। महाराष्ट्र 500 किलोवाट तमिलनाडु 430 किलोवाट यू० पी० 204 किलोवाट है। मान्यवर, मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं केवल आलोचना के लिए नहीं रख रहा हूं। आपने सुधार की बात कही है तो कोई सुधार होने वाला नहीं है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो कुल मांग बिजली की है वह 8,426 मेगावाट है।

हमारे प्रदेश में बिजली की कितनी उपलब्धता है कितनी सप्लाई करते हैं यह बताना चाहता हूं कि 5,396 मेगावाट सप्लाई करते रहे हैं इस तरह से 3,329 मेगावाट की कमी है सप्लाई और डिमाण्ड में। इसमें आपने यह कहा है कि आगे बतायेंगे। जो अघोषित कटौती करते हैं उसमें समय सीमा निश्चित कर दें। पहले कटौती होती थी तो बता दिया जाता है कि दो-तीन घंटे कटौती होगी आपके कार्यकाल में अघोषित कटौती होती है कब होगी, रात में दो-तीन बजे होगी किसी को नहीं पता है। आगे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने वाली है आगे लोगों को बिजली को तरसना पड़ेगा इसी तरह से देखें 1997-98 में मांग और आपूर्ति में फर्क कितना होगा 9,037 मेगावाट की मांग होगी आपूर्ति 5,461 मेगावाट कर पायेंगे तो 33.72 परसेन्ट बिजली को कहां से पूरा करेंगे? आप इसको समझते होंगे आप विद्वान आदमी हैं मुझे भी समझाने का कष्ट करिएगा। वर्ष 1999-2000 में 9,217 मेगावाट की मांग होगी आपूर्ति 5,665 की होगी 4,107 मेगावाट की कमी होगी। सप्लाई 6,229 मेगावाट की होगी यह गैप सप्लाई और डिमाण्ड का लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि बिजली की सप्लाई कर पायेंगे इतनी अघोषित कटौती की जा रही है इससे ज्यादा कटौती आगे आने वाले दिनों में होगी।

आप बिजली कहां से लायेंगे यह तो आप ही अपनी बुद्धिमत्ता से बता पायेंगे मैं नहीं जानता। इस विकट स्थिति का सामना आप कैसे करेंगे? कोई उद्योग भविष्य में लगेगा नहीं। कृषि का उत्पादन जब से श्री कल्याण सिंह जी की सरकार यहां पर पद स्थापित हुई है। आप विद्युत दे नहीं पा रहे हैं, सिंचाई कर नहीं पा रहे हैं, बीज उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं। इससे इस प्रदेश की स्थिति दिन, प्रतिदिन खराब होती जा रही है और कोई भी पूंजीपति यहां पूंजीनिवेश करने आने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री जी की घोषणा केवल घोषणा होकर रह जायेगी। परिषद् में जो बकाएदार है आपने पूछा कि इसका क्या उपाय किया जाए। आप विवरण देख लें सबसे ज्यादा बकाएदार उत्तर प्रदेश सरकार है विद्युत परिषद् वही पैसा वसूल ले। तब भी विद्युत परिषद् को काफी आमदनी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार जो सबसे ज्यादा बकायेदार है उसकी वसूली के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इससे सदन को अवगत कराएं। उसकी वसूली कैसे करेंगे और समयबद्ध कार्यक्रम में करेंगे कि जैसे

वसूली हो रही है उसी तरह से चलता रहेगा । सरकारी बकाया 1208 करोड़ रुपये है और 1801 गैर सरकारी बकाया है । जिसमें छोटे उद्योगों, बड़े उद्योगों के ऊपर 500 करोड़ रुपये । इसी तरह उपभोक्ताओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है ? क्योंकि एक पोल पर आप 4500 रुपये ले रहे हैं । पहले जो व्यवस्था थी अगर जो मिनिमम चार्जेज हैं वह करते तो उससे ज्यादा लोग कनेक्शन लेते और उन गांवों में भी विद्युतीकरण हो जाता जहां 10-15 आदमी मिलकर मिनिमम चार्ज जमा करके उनको बिजली मिल जाती । कौन गांव का आदमी है जो एक पोल के लिए 4,500 रुपये दे पाएगा ।

विद्युत परिषद् में 15,242.44 करोड़ रुपये की लागत का पूंजीनिवेश हुआ है और उनका प्लान एक्सपेंडीचर 15,242 करोड़ रुपये । मैं 3-3-97 तक का आंकड़ा दे रहा हूं । सरकार का कर्ज विद्युत परिषद् पर है 10,476 करोड़, बाजार का कर्ज विद्युत परिषद् पर 60 करोड़ रुपये । 622 करोड़ रुपये एल० आई० सी० से ले लिया है । इसी तरह से आप देखें विद्युत परिषद् पर कुल कर्जा 13,027 करोड़ का है । पी० एफ० सी० और आर० ई० सी० से आप लोन लेने की कोशिश करेंगे लेकिन पी० एफ० सी० या आर० ई० सी० आपको लोन क्यों देगा ? जब पहले का पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं । इससे न तो ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हो पा रहा है और न ही नए प्रोजक्ट लग पा रहे हैं । पी० एफ० सी० का कितना लोन आपके ऊपर बकाया है और आर० ई० सी० का कितना लोन आपके ऊपर बकाया है ?

[समय 4.00 बजे]

मान्यवर, अगर आप यह देखें, अनपरा ए और बी के तापीय विद्युत गृहों का उत्पादन निकाल दें तो सम्भवतः आपके तापीय विद्युत-गृहों का उत्पादन 30 से 32 फीसदी से ज्यादा नहीं है । अनपरा ए और बी को जोड़ लेते हैं इसलिए 49 प्रतिशत पी०एल०एफ० है । आज आप हालात देखें ओबरा जो एशिया की कभी सबसे बड़ी तापीय विद्युत-गृह होती थी उसकी हालत क्या है ? मशीन नं०-3 जो 40 मेगावाट की थी वह खराब है ।

यह तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि सदन में सभी तथ्य आ जायं और जब ऊर्जा मंत्री जी जवाब दें तो सभी को मालूम हो जाये । मशीन नं०-7, 95 मेगावाट की, मशीन नं०-9 एवं 12,200-200 मेगावाट की, मशीन नं० 1 व 2, 32-32 मेगावाट की खराब है । हरदुआगंज में मशीन नं०-6, 60 मेगावाट की, पारीक्षा में मशीन नं०-2, 110 मेगावाट की खराब है । इन मशीनों के लिए आपने मात्र 100 करोड़ रुपया दिया है । अगर इसका हिसाब लगाया जाये तो 100 करोड़ रुपये में यह सब मशीनें फिर से बनकर तैयार नहीं हो पायेंगी, यह मेरा दावा है । आप नई दे नहीं पायेंगे और फिर यही चलता रहेगा और 5 मशीनें आपकी खराब रहेंगी इसीलिये आपका उत्पादन वाधित है । इसका सबसे बड़ा कारण है इन मशीनों का खराब होना । आपने इन सारी मशीनों की मरम्मत के लिए कोई आंकलन नहीं किया कि कितना धन लगेगा ?

क्या मंत्री जी इसको बताने का कष्ट करेंगे कि इन मशीनों में कुल कितना धन लगेगा ? मान्यवर, एक हजार करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष बिजली की चोरी हो रही है, अगर एक हजार करोड़ रुपये को रोक लें, 80 फीसदी भी रोक लें अर्थात् 800 करोड़ रुपये की चोरी रोक लें तो बड़ा लाभ हो सकता है । आपने बताया कि इलेक्ट्रिक मीटर लगवाये, स्टील फरनेस के जितने कारखाने हैं, उरई, फतेहपुर, कोटद्वार, बांदा, कानपुर, इन लोगों ने बिजली का विच्छेदन करवा लिया है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा रही थी मान्यवर, यह चोरी इतने बड़े पैमाने पर है कि इसमें आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे । इन कारखाना चलाने वाले लोग यदि चोरी करते हुए पकड़ें जायं तो उनके ऊपर एन० एस० ए० का प्राविधान करे । मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हों कि विद्युत में सुधार हो तो जो बड़े-बड़े चोर हैं उनके लिए एन० एस० ए० का प्राविधान करें, इसके लिए बिल लायें ।

नरेश जी जब से आपकी सरकार बनी है सम्भवतः किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनो को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और उन्होंने टिप्पणी भी राज्य विद्युत परिषद् के खिलाफ की है और सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दिया है। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू और कुदैशी ने 15 व 22 जुलाई को तारीख लगायी है और मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चोरी है और अघोषित कटौती है उसमें मार्कण्डेय काटजू ने यह भी कहा है कि बड़े शहरों में तो कटौती हो रही है लेकिन हरदोई ऐसे छोटे शहर में, जहां माननीय नरेश अग्रवाल जी का जिला है, वहां कटौती नहीं हो रही है। मार्कण्डेय काटजू ने अपने अन्तरिम आर्डर मे यह भी कहा है कि अगर हरदोई में कटौती नहीं हो सकती तो इलाहाबाद तथा अन्य बड़े शहरों में भी नहीं होनी चाहिए और अघोषित कटौती तो कतई नहीं होनी चाहिये। आप इसका क्या जवाब देंगे, हाई कोर्ट को क्या जवाब देंगे, ऐसा पहली बार हुआ है, यदि इससे पहले कभी हुआ हो तो कृपया बताने का कष्ट कीजियेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सीधे विद्युत परिषद् की निन्दा किया हो।

इसी प्रकार आप गांवों का विद्युतीकरण देखें। सी० ए० के मुताबिक 8, 774 गांव इलेक्ट्रीफाई हुये हैं और एल० टी० लाइन के हिसाब से विद्युतीकरण को देखें तो मात्र 69.884 गांव ही विद्युतीकृत हुये हैं। सी० ए० के नार्म्स हैं, अगर उसके हिसाब से एक गांव में कोई प्राइवेट ट्यूबवेल लग गया तो पूरे गांव को इलेक्ट्रीफाई मान लेते हैं। आज स्थिति यह है कि आधे से कुछ कम गांव ही बिजली पा सके हैं। इस बार भी आपने मात्र 3500 गांव का लक्ष्य रखा है क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं। आप आर० ई० सी० से पैसा क्यों नहीं लेते हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार ऐसे राज्यों ने आर० ई० सी० से लोन लिया है और वहां ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है। चूंकि आपने उनका कर्जा अदा नहीं किया इसलिये उन्होंने देने से मना कर दिया है, यह सच बात है।

बात तो आप पते की कहते हो चाहे चित्त पड़े चाहे पट। मनेरी भाली पार्ट–2, लखवाड़ ब्यासी, विष्णु प्रयाग परियोजनायें 91-92 में बंद कर दी गई थीं, जब भाजपा की सरकार थी और मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी थे, यह सही है कि उस समय आप इसमें शामिल नहीं थे, इसीलिये आपने यह बात कह दी चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। इसी तरह ऊंचाहार जो हमारा सबसे अल्ट्रामार्डन पावर हाउस था, उसको आपने एन०टी०पी०सी० को दे दिया, उसको आपने केन्द्रीय सरकार के दबाव में दे दिया। बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिनका पैसा बकाया है, बिहार का बकाया है लेकिन उसने अपना कोई पावर हाउस नहीं दिया। जबकि हमारा ऊंचाहार का पावर हाउस सबसे बढ़िया था, बिल्कुल आधुनिक है, कम्प्यूटर लगे हैं।

मान्यवर, इसी तरह जापान ने अनपरा ए बनाया, अनपरा बी बनाया, अनपरा सी बनाने के लिये प्रस्ताव रखा तो वह हुआ नहीं। एक दिन मुझे जापान के अम्बेस्डर एयरपोर्ट पर मिल गये, मैंने उनसे इसके बारे में पूछा, बोले हम तो तैयार हैं, बनाने के लिये। मैंने कहा 15 प्रतिशत अंशदान जो उत्तर प्रदेश सरकार को देना है, शायद वह नहीं दे पा रही है, उन्होंने कहा हम लोन दे देंगे। उसके बाद भी आप अनपरा सी नहीं बनवा रहे हो। बाद में आपने कहा कि ग्लोबल टेन्डर करेंगे, भई क्यों करेंगे, उसमें अगर कोई घपला रहा हो, जापान से अनपरा सी बनवाने में, तब तो ठीक है, उस बात को भी आप अपने उत्तर में बता दें तो हम लोगों का ज्ञानार्जन हो जायेगा लेकिन आनपारा ए और बी बना तब कोई घपला नहीं हुआ और जब आनपरा सी बनने वाला है आपके जमाने में तो उसके बनने में ग्रुप टेण्डर होगा। आप गारण्टी देंगे, केन्द्र की सरकार गारण्टी देगी उसके बाद काम की शुरूवात होगी, तो यह प्रदेश कहां जायेगा इस प्रदेश के साथ न्याय नहीं होगा। यहां नहीं एक इलाहाबाद में प्रतापपुर में 2000 मेगावाट का लम्बित है। आपका बयान मैंने पढ़ा है कि एम०यू० साइन हो गया है, कागज में साइन हो गया होगा।

महाराष्ट्र में एमरान को दे दिया चूंकि आपकी मिली जुली सरकार है। कांग्रेस ने कहा था तो कहा समुद्र में डुबों देंगे लेकिन जैसे आपकी सरकार बनी, यहां से भी कर दिया और दिल्ली से भी कर दिया। मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में शुरू करने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या दो आप बोर्ड को बना दें, बोर्ड से बनवायें, जब यह राज्य बनवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं ? आपका कागज पर काम पूरा है, एम० यू० साइन हो गया है, लेकिन बनेगा कब ? भागीरथी ने गंगा को इधर मोड़ा है।

मान्यवर, दुर्भिक्ष पड़ा था, उसमें सात करोड़ जनता मर गई थी, तो भागीरथी हिमालय से गंगा, हिमालय का ज्यादा पानी चीन में जाता है, भारत में हिमालय का बहुत कम पानी आता है। भागीरथी ने इस गंगा के पानी को बजाय चीन में जाने के भारत में मोड़ दिया। लेकिन आपको यह काम पूरा करना हैं तो भागीरथी से प्रेरणा लेंगे। मान्यवर, यह कोई पक्ष–विपक्ष की बात नहीं है। यह हर कोई चाहता है। इधर के सदस्य भी चाहते हैं, उधर के सदस्य भी चाहते हैं। मा० रंगनाथ मिश्रा जी भी चाहते हैं, वह भी इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जर्जर हालत विद्युत की है, और कोई दूसरी नहीं है। एक नोयडा में अनुबंध किया गया 1993 में। उस अनुबंध में नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड को विद्युत परिषद् से बिजली लेकर बेचने के लिए अधिकृत किया गया। उस समझौते के मुताबिक आज 54 महीने के बाद यह अनुबंध स्वतः खत्म हो जाना चाहिए था। कई करोड़ रुपये परिषद् को इस कम्पनी ने नहीं दिये हैं, 14 जून, 1998 को जो इनका अनुबन्ध खत्म हो गया अनुबन्ध में यह भी था, कि 100 मेगावाट का यह बिजली घर लगायेंगे, जो डीजल से चलायेंगे। न इन्होंने बिजली घर लगाया और करोड़ों रुपये परिषद् का खा गये, इसके बावजूद भी इनके एम०ओ०यू० का एक्सटेन्सन कर दिया गया। क्या कारण रहे उसको बताया जाय ? मान्यवर, टेहरी परियोजना है, अभी आपने उसमें कुछ पैसा दिया है, वह 1972 से चल रही है, कब पूरी होगी कुछ पता नहीं है।

भाखड़ा नांगला परियोजना पंजाब में पूरी हो गई नर्मदा घाटी परियोजना के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश सरकार ने जान लगा दी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, केन्द्र में आपकी सरकार है। यह कब तक बनकर पूरी होगी ? कितने धन की इसमें आवश्यकता है ? केन्द्र ने कितनी सहायता दी है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सुन्दर लाल बहुगुणा जी कभी लकड़ी काटते थे, आज पर्यावरण विद् बन गये हैं। उनका कहना है कि अगर बांध बनेगा तो भुकम्प आयेगा। मान्यवर, जो भाखड़ा नांगल बांध उसी क्षेत्र में बना है। मान्यवर, रूस में अरमेनिया जगह है वहां इस स्थिति में बांध का निर्माण किया गया है जहां सिंचाई होती और बिजली पैदा होती है वहां जब भूकम्प आया लगभग एक लाख लोग उसमें मर गये लेकिन बांध नहीं टूटा। मान्यवर, हमारी टेहरी परियोजना पूरी होने से एक हजार मेगावाट जलीय विद्युत मिलेगी और बिना प्रदूषण के कम लागत में बिजली मिलेगी और सवा लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी।

मान्यवर, जो गंगा सूख जाती है गर्मी में उसमें बराबर पानी भी बना रहेगा। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि 15 प्रतिशत से ज्यादा ट्रान्सफर न किये जायं। मान्यवर, परिषद् में कितने प्रतिशत ट्रान्सफर हुए हैं ? मुख्य अभियंता लेविल 2 और। पर जो लोग नियमतः प्रमोटेड थे उनके बजाय एस० ई० लोगों को चार्ज दिलाया गया और लेविल एक दो के लोगों को नहीं दिया गया। एस० ई० आपके यहां 240 हैं इसमें 100 का ट्रान्सफर किया गया और 50 का रोक दिया गया ये क्यों रोका गया ? मान्यवर, मेरी बात को माननीय मंत्री जी ध्यानपूर्वक सुनें। .....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी को ट्रान्सफर व पोस्टिंग का ज्यादा अनुभव है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इनके कार्यकाल में यदि एक भी पत्र ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिये लिखा हो तो माननीय मंत्री जी बता दें परन्तु मेरे कार्यकाल में इन्होंने 30–35 सिफारिशी पत्र अवश्य ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिये लिखे थे । आप उन अधिकारियों से पूछ सकते हैं जिन्होंने इन्हें उपकृत किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय प्रमोद तिवारी जी तो राज्य मंत्री थे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात नहीं थी । मैं लगातार डेढ़ साल स्वतंत्र प्रभार का मंत्री रहा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इनसे पूछा जाय कि चेयरमैन बनाने के लिए कितनी कीमत इन्होंने ली थी ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह तो इन्हीं से पूछें कि इन्होंने कितना कमीशन उनसे लिया था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

आपने 1000 सहायक अभियन्ताओं में से 325 का ट्रांसफर किया, फिर 130 का रोक दिया, 300 अधिशासी अभियंताओं में से आपने 210 का ट्रान्सफर किया, फिर 108 का रोक दिया । मेरा कहना यह है कि पहले आप इतना ट्रांसफर न करें और यदि कर देते हैं तो फिर इतनी ज्यादा संख्या में आप रोकें नहीं । 10–15 परसेन्ट तो कोई बात नहीं । इसे आप गम्भीरता से लें । आपने 10 अभियंताओं के बारे में लिखा है कि इन अभियंताओं को संवेदनशील स्थानों पर पोस्टिंग न दी जाय, इनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय, फिर भी आज ये अभियंता अपनी जगह पर बने हुए हैं । आप ही के दस्तखत से यह पत्र मेरे पास है । इन अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । आज विद्युत परिषद् दिवालियेपन पर है । विगत वर्षों में निवेश हेतु धन उपलब्ध कराने में यह असमर्थ रहा है, विद्युत की हानि में वृद्धि हुई है । आप एन० टी० पी० सी० से 2.10 के हिसाब से विद्युत लेते हैं और आपकी है 2.30 रुपए प्रति यूनिट । आपकी नीयत यदि साफ होती तो आप उसे सदन में लाते और बताते कि घाटा इन कारणों की वजह से हो रहा है, इसलिये हम यह करने जा रहे हैं । लेकिन करेंगे क्या ? बजट सत्र खत्म हो जायेगा तो आप विद्युत का रेट बढ़ा देंगे और किसी को मालूम नहीं होगा कि क्यों बढ़ाया गया है । आप कह दोगे कि तेल महंगा हो गया है, कोयला महंगा हो गया है । जो सही कारण है उसको आप बतायें । आप चुपके से पिछले दरवाजे से कर लेते हैं । मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक सुझाव और मेरा है कि बढ़ती हुई हानि राज्य द्वारा दिये ऋण व ब्याज का भुगतान न करने तथा केन्द्रीय उपक्रमों के देयकों का भुगतान न करने से केन्द्रीय सहायता की कटौती के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । मान्यवर, इसी तरह से एक मेरा और सुझाव है और आप शायद इसको करने वाले हो, अगर कर रहे हो आज सदन में इसकी घोषणा कर दो ।

मान्यवर, आज परिषद् के पुनर्गठन की आवश्यकता है । इसके लिए राज्य सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए । परिषद् के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देनी होगी जो परिषद् से काम करवाते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उसके लिए सरकार को परिषद् की सहायता करनी चाहिए और करनी होगी तभी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा । एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी

बता समाप्त करूंगा कि इन बातों में विलम्ब पहले से हो चुका है अगर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो फिर यह भाषण सदन में रह जायेगा और आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी कि इस प्रदेश में बिजली की कमी का क्या कारण रहा तो उसके लिए आपको ही दोषी ठहरायेंगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

मान्यवर, एक मेरा विनम्र निवेदन है कि यह अति महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें अधिक से अधिक लोग बोलना चाहेंगे । तो जो लोग बोलना चाहें उन सभी को बोलने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इस बात की कोशिश की जायेगी कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें बोलें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जल के बाद यदि सबसे बड़ी आवश्यकता किसी चीज की है तो वह विद्युत की है । प्रदेश और देश का विकास बिना विद्युत के सम्भव नहीं हो सकता है । चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो या जन जीवन के उपयोग मे आने वाली वस्तुऐं हों, सभी में विद्युत की आवश्यकता होती है....

आज प्रदेश के समग्र विकास के लिए विद्युत के अधिक उत्पादन की आवश्यकता है । चारों ओर बिजली के बारे में जो हाहाकार सुनने को मिलता है उसका कारण यह है कि जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है उस अनुपात में विद्युत का उत्पादन नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मेरा कहना है कि इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है । मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए 10 वर्षों से जो विद्युत इकाइयां बन्द पड़ी थीं उनके निर्माण के लिए सरकार ने निर्णय लिया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि टांडा, ओबरा और हरदुआगंज की बन्द इकाइयों को चालू करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूं कि विद्युत की चोरी को रोकने के लिए जो कदम उठाये हैं वह महत्वपूर्ण हैं । इस संबंध में इस सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं । एक तो यह निर्णय लिया है कि जो अवैध कनेक्शन हैं उनको लीगल किया जाय । यह सराहनीय है । यद्यपि सरकार को इस संबंध में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि अवैध कनेक्शन बहुत संख्या में हैं ।

अवैध कनेक्शनों से बहुत से औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं उनके विरुद्ध कठोरता से कदम उठाना होगा । विद्युत चोरी को रोकने के लिये एक पुलिस सेल बनाया है जो छापे डालने का काम करत है । उसको अधिक प्रभावी करने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं लखनऊ के बारे में कम से कम यह कह सकता हूं कि ऐसे अनेक औद्योगिक इकाइयां हैं, अगर वहां पर बिजली का इंसपेक्टर या मीटर रीडर जाता है तो उसको अन्दर जाने से रोक दिया जाता है और जो मीटर रीडर है वह मिल के अन्दर जा सके और मीटर रीडिंग कर सके इस संबंध में सरकार ने कठोर कदम उठाये हैं । औद्योगिक इकाइयों में अलग से गेट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं जिससे कि मीटर रीडर अथवा दूसरे बिना रोक-टोक के अन्दर जाकर अपना कार्य कर सकें । जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं । बिजली कनेक्शन देने की जो पहले प्रक्रिया थी उसमें पहले बहुत अधिक समय लगता था लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि 15 दिन में बिजली का कनेक्शन मिल जाये, मैं इस सरकार की इसलिए भी प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मीटर रीडर जो घरों में जाता है भली प्रकार से मीटर रीडिंग नहीं करता है और बिलों में एन० आर० लिख दिया जाता है, सरकार इस दिशा में भी ठोस कदम उठाये विद्युत की जो लखनऊ में

कमी है इसके लिए सरकार 220 के० वी० स्टेशन बनाने का निर्णय ले । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं लखनऊ के मध्य क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो मुख्य रूप से पुराना लखनऊ है । पुराने लखनऊ में पुरानी बिजली की लाइनें हैं उनके तार पुराने हो गये हैं उनको बदलने की आवश्यकता है । जो बिजली के पोल पुराने तथा खराब हो गये हैं उनको भी बदलने की आवश्यकता है कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जैसे मौलवीगंज, गोलागंज, मशकगंज, यहियागंज, वजीरगंज, सआदतगंज आदि जिनमें बिजली की लाइनें बहुत पुरानी है इनको बदलने की नितान्त आवश्यकता है ।

मान्यवर, राजाजीपुरम् में 33 के० वी० का स्टेशन बनवाने की निर्णय लिया गया है लेकिन विद्युत विभाग उसके लिए भूमि नहीं उपलब्ध करा पा रहा है जिससे स्टेशन नहीं बन पा रहा है । मेरा आग्रह है कि उसके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाय, क्योंकि वह मंजूर हो चुका है । बिजली की व्यवस्था के लिए इस बात की आवश्यकता है जो अधिकारी है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाय । मैं किसी पर दोषारोपण नही करता हूं, इससे विद्युत की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है । इन शब्दों के साथ मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक बुकलेट हमें विद्युत विभाग की प्राप्त हुई है उसके तीन-चार बिन्दुओं पर मैं बताना चाहता हूं ।

टांडा विद्युत गृह की निर्माणाधीन 110 मेगावाट की चौथी इकाई को फरवरी 98 में चालू कर दिया गया है । दूसरा है वर्ष 1997-98 में बन्द 484 मेगावाट क्षमता की पांच इकाइयां मरम्मत कर पुनः चालू की गयी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब बन्द पड़ी हुई इकाई को चालू कर दिया गया है तो वह बिजली कहां जा रही है उन्होंने खुद कहा है कि पहले प्लान्ट लोड फैक्टर 42 था अब 52 हो गया है । तो निश्चित ही विद्युत उत्पादन बढ़ा होगा । मैं जानना चाहता हूं कि जब 9 महीने में यह विद्युत उत्पादन बढ़ा है तो वह बिजली न तो गांवों में जा रही है और न शहरों में, तो वह बिजली कहां जा रही है ? जैसा मंत्री जी कह रहे हैं बिजली का उत्पादन बढ़ा है तो मैं मांग करता हूं कि उस बढ़े हुए उत्पादन को सिर्फ गांव में ही भेजें, क्योंकि आजकल गांवों में धान का बीज लगाया जा रहा है । गांवों में विद्युत की आज बहुत आवश्यकता है वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

विद्युत का किसी भी देश और प्रदेश के विकास में बहुत महत्व है बिना बिजली के किसी भी देश का समुचित विकास नहीं हो सकता जहां पर ऊर्जा की खपत ज्यादा है वह प्रदेश ही विकसित होगा । विकसित राष्ट्रों में बिजली की खपत ज्यादा है । मैं इसकी फीगर देना चाहता हूं कि विकसित राष्ट्र में 10 हजार यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है । उत्तर प्रदेश की करीब 100 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत है । अब दूसरे प्रदेशों पर आप नजर डालें तो पंजाब में 500 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष । महाराष्ट्र में 360 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष गुजरात में 350 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष । हरियाणा में 300 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष । तमिलनाडु में 250 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष । आन्ध्र प्रदेश में 225 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष । कर्नाटक में 197 यूनिट प्रति व्यक्ति । हिमांचल और जम्मू-काश्मीर में 150 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष और उत्तर प्रदेश में 100 तो सबसे कम बिजली यू० पी० में खपत होती है । बिजली के लाइन लाइसेस के बारे में बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा चोरी उद्योग पतियों और व्यापारियों द्वारा हो रही है लेकिन मारा कौन जा रहा है कटिया लगाने वाला और गरीब किसान ।

दस हजार किसान जितना बिजली का उपयोग करते हैं एक मिल मालिक उतना चोरी करता है आप गांवों के विद्युतीकरण की बात करते हैं एक खम्भा भी गांव में लग गया तो उसे विद्युतीकरण में शामिल कर लिया । जहां पर ट्यूबवेल लगे हैं चाहें वह प्राइवेट हों या सरकारी उस गांव को भी विद्युतीकरण में डाल दिया कि विद्युतीकरण हो गया है ।

मान्यवर, क्या इतने कार्यकर देने से उसका विद्युतीकरण हो गया । आज गांवों में खम्भे लगे हैं लेकिन तार नहीं हैं । कहीं-कहीं पर खम्भें और तार लटके हैं जिसके कारण तमाम एक्सीडेन्ट हो रहे हैं । आदमी जब सर पर बोझ लेकर जाता है तो तार से टच हो जाता है जिससे आदमी मर जाता है लेकिन ऐसी दुर्घटना होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है । ट्रांसफार्मर गांव में जल जाते हैं तो उनको महीनों बदला नहीं जाता है किसानों का बड़ा नुकसान होता है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गंगा सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो ऊर्जा बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, ऊर्जा विभाग का यह जो बजट पेश किया गया है यह बहुत संतुलित बजट है और समग्र बजट है । ग्रामीण क्षेत्र हों चाहे शहरी क्षेत्र हों चाहे औद्योगिक क्षेत्र हों यह बजट हर क्षेत्र के लिये बहुत उपयोगी है । मान्यवर, यह बजट इसलिये भी उपयोगी है कि इस बजट से यह संकेत मिलता है कि विद्युत आपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किया है वह बहुत ही सराहनीय है । वर्तमान बजट में 2620 मिलियन यूनिट गत बजट से अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है यह एक सराहनीय कदम है । मान्यवर, बहुत दिनों से हरदुआगंज विद्युत उत्पादन केन्द्र बन्द था जिसे अप्रैल, 98 में चालू किया गया है । इसी तरह से ओबरा तापीय विद्युत केन्द्र, रिहन्द जल विद्युत केन्द्र, ओबरा जल विद्युत केन्द्र, को भी चालू करने का प्रयास किया गया है ।

प्रदेश में जो बिजली की समस्या है यह चोरी के कारण है बिजली की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किये हैं । 33 के० वी० उपकेन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाकर सही लेखा-जोखा रखने का प्रयास किया गया है । इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरियों में जहां पर बिजली की चोरी होती है वहां पर फैक्ट्री परिसर में एक अलग से गेट की व्यवस्था की गयी है, जिससे अधिकारी बिना रोक-टोक के जा सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं । मान्यवर, इसी तरह से तमाम 33 के० वी० सब स्टेशनों की योजना चल रही है तथा 33 के० वी० विद्युत लाइनों के बिछाने की योजना चल रही है जिससे बिजली की स्थिति में सुधार होगा । मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर तहसील मुख्यालय है । माननीय विद्युत मंत्री जी भी हमारे जनपद के रहने वाले हैं मैं समझता हूं कि वह इस समस्या से अवगत होंगे । बिलग्राम तहसील को बिजली जनपद उन्नाव के कस्बा बांगरमऊ से आती है । इसकी लाइन जंगलों से होकर आती है । जब तारों की चोरी हो जाती है तो बिलग्राम में अन्धकार रहता है और वहां की जनता परेशान होती है तो धरना और प्रदर्शन करती है ।

कि बिलग्राम तहसील को हरदोई जिला मुख्यालय से जोड़ दिया जाय । वहां पर हमारे क्षेत्र में हरपालपुर ब्लाक दुर्गम स्थान पर बना हुआ है । यह पांच-पांच नदियों से घिरा हुआ है आवागमन के साधन कम हैं । दूर-दूर गांव बसे होने के कारण बिजली की व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हरपालपुर ब्लाक में 33 के०वी०ए० का उपकेन्द्र स्थापित किया जाय जिससे जनता को राहत मिल सके । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

(श्री राजधारी जी का नाम पुकारे जाने पर विपक्ष के कई सदस्य विरोध करने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौहान जी की एक रिक्वेस्ट आई थी कि उनको कहीं जाना है इसलिये मैंने उन्हें बुला लिया । मैं क्रमवार बुला रहा हूं । मैंने राजधारी जी को बुला लिया है ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये, अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, निश्चित रूप से विद्युत आज हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में जन-जन की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति जैसी होनी चाहिये थी वैसी नहीं है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध किया कि राजकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति चौथे स्तर पर है, यह निश्चित रूप से सोचनीय बिन्दु है । विद्युत के तीन चरण हैं । पहला उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा है विद्युत खपत का काम । हमें काफी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 12 सालों में उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार रही हो, मुख्य मंत्री कोई भी रहा हो पिछले 12 सालों में विद्युत उत्पादन के कार्य को नहीं समझा । यही कारण है कि नये उत्पादन केन्द्र नहीं लग सके । जो पहले के केन्द्र थे, तमाम योजनायें थीं जो आन गोईंग प्रोजेक्ट थे उन पर भी शासन की तरफ से धन मुहैया नहीं कराया गया जिससे धीरे-धीरे करके कई योजनायें बन्द होती चली गईं ।

हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस बजट में माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है और हमारी सरकार ने उन तमाम परियोजनाओं को जो पिछले 12 सालों से बन्द थीं, को चालू करने की जो इच्छा शक्ति व्यक्त की है, एक संकल्प लिया है मनेरी भाली, लकवार ब्यासी, टांडा तापीय विद्युत गृह को चालू करने के लिये पैसा स्वीकृत किया है । 97–98 में विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य था, 98-99 में जो लक्ष्य रखा गया है उसमें 2,620 मिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा गया है । निश्चित रूप से जब बिजली अधिक पैदा होगी तो उसकी खपत बढ़ेगी । किसान हो, व्यापारी हो, चाहे उद्योग धन्धे को सब चुस्त-दुरुस्त हो सकेंगे । ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 254 करोड़ 47 लाख रुपये का प्राविधान है । मैं बिजली विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण को आप दो साल के लिये रोक दीजिये । पहला काम विद्युत उत्पादन का होना चाहिये ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के पैसे को विद्युत उत्पादन में डाइवर्ट कर दें तो नगरीय क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को ठीक करने में उपलब्धि मिलेगी । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने विद्युत व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिये 33 के०वी०ए० के उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये और उनकी क्षमता को अपग्रेड करने के लिये संकल्प लिया है । निश्चित रूप से जब विद्युत वितरण की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगी तो हमारी विद्युत की खपत नियमित होगी हर ग्रामीण किसान, व्यापारी को समय से बिजली मिल सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें।

श्री राजधारी–

विद्युत राज्य परिषद् विद्युत बोर्ड के गठन का संज्ञान लिया गया है। विद्युत राज्य परिषद् विद्युत बोर्ड आत्म निर्भर होगा। माननीय मंत्री जी ने ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। हमारे माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा कहा कि 1000 की कटौती होती है। विद्युत चोरी रोकने के लिये अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। गांव में जो आरा मशीन, आटा मशीन आदि हैं ....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

स्थानीय कर्मचारियों की साजिश से बिना किसी पंजीकरण के बिजली का दोहन करते हैं इसको रोक दिया जाय। मुझे प्रसन्नता है कि कटिया से बिजली जो ली जाती है उसको कम करने के लिये 15 दिन में कनेक्शन देने की सुविधा 600 रुपये में घरेलू बिजली देने की व्यवस्था की है। जो पहले नये कनेक्शन के लिये 1200 रुपये था उसको 600 रुपये कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में जो पिछले 2–3 सालों से तारों की कटान हो रही है इसको रोका जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

आपका बार-बार निर्देश हो रहा है मैं तमाम परेशानी के बावजूद माननीय मंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है और इच्छाशक्ति व्यक्त की है उस बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे रेवती रमण जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी प्रदेश कें ऊर्जा मंत्री जी ने सदन के सामने बजट प्रस्तुत किया मान्यवर इस बजट के अभिभाषण में मंत्री जी के उस संकल्प का सर्वथा अभाव था जिस संकल्प से हम आशा कर रहे थे कि इस प्रदेश को विद्युत संकट से मुक्ति मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी प्रदेश की भांति यह प्रदेश विकास के रास्तों पर चलेगा। इस बात का माननीय मंत्री जी के संकल्प में बहुत अभाव दिखाई दिया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं यह विकास की बात करते हैं तो इसका सबसे इम्पोरटेंट बिन्दु है पावर.....

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विद्युत के बजट पर चर्चा के दौरान विद्युत मंत्री उपस्थित नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

विद्युत राज्य मंत्री बैठे हैं । आप बैठ जायें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

संकल्प का इनके पास अभाव है । पंजाब में आज जो प्रगति है वह हमेशा ऐसी नहीं थी इसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री ने फैसला लिया कि इस साल हम अधिक से अधिक बजट ऊर्जा को देंगे । चाहे दूसरे विभागों में भले कटौती करना पड़े । जिसमें उत्पादन बढ़ायेंगे वितरण की व्यवस्था को सुधार देंगे । ऐसा करने के बाद पंजाब में सुधार हो सका । मैं सोच रहा था कि हमारी सरकार कुछ ऐसी घोषणा करेगी कि अन्य विभागों का बजट काटकर और दूसरे उपाय करके चाहे ऋण लेना पड़े लेकिन ऐसा वातावरण तैयार किया जायेगा कि विद्युत की स्थिति सुधर सके लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया ।

जिन परियोजनाओं की चर्चा यहां पर की गई 420 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये का खर्चा आता है मनेरी भाली और लखवार व्यासी परियोजनाओं की चर्चा की गई । 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया । इसी तरह से 300 मेगावाट की परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये का खर्च आता है । इस तरह से 100-100 करोड़ रुपये वार्षिक अगर सरकार की तरफ से दिये जायेंगे तो यह परियोजनायें अगले 20 वर्षों में भी पूरी होने वाली नहीं हैं । क्योंकि तब तक कास्ट और बढ़ जायेगी । यह परियोजनाएं इस तरह कभी पूरी नहीं हो सकती हैं । इसके लिये संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिये । अभी हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि हिमालय से 13000-14000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक तैयार की जा सकती है । जिसकी कास्ट प्रति यूनिट 22 पैसे आती है । जबकि थर्मल पावर की कास्ट 1.60 रुपये प्रति यूनिट आती है । ट्रांसफार्मर की बात अभी कही गई । हमारे यहां 9 वर्कशाप हाइडिल के हैं उन 9 वर्कशाप में कितने ट्रांसफार्मर सुधरे हैं । सारे इंजीनियर प्राइवेट फैक्ट्रियों से अपने ट्रांसफार्मर सुधरवाते हैं । उनको पैसा देते हैं । इससे 400-500 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं । अगर हाइडिल के वर्कशाप में ट्रांसफार्मर ठीक किये जायें तो 400-500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है ।

सामान खरीदने के बारे में मंत्री जी ने कहा कि हम तीसरे आदमी को यह अधिकार देंगे कि वह सामान की गुणवत्ता देखें । विद्युत विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर है कि वह एक लाख का, एस०ई० को 5 लाख का पावर है, चीफ को 10 लाख का पावर है, एरिया चीफ को 20 लाख का पावर है जिसका वह सामान खरीद सकता है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान आता ही नहीं है । दूसरी तरफ इनकी एक आर्गनाइजेशन है जिसका स्टोर है वह स्टोर क्या करता है ? उसमें इंजीनियर्स होते हैं इस संबंध में मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर भी गौर करें ।

[समय 5.00 बजे]

माननीय मंत्री जी और सरकार ने बड़े जोर-शोर से प्रचार किया कि जो कटिया कनेक्शन वाले लोग हैं उनके कनेक्शन वैध कर दिये हैं और 600 रुपये में कनेक्शन देने जा रहे हैं । माननीय अधिष्ठाता जी, जो अवैध कनेक्शन थे उनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर अक्सर फुंक जाते थे और उनको बदलने के लिये जब अधिकारियों से बात करते थे तो उनका कहना होता था कि कागज पर इतना लोड नहीं है कि हम नया ट्रांसफार्मर लगा सकें । आज उन कनेक्शनों को नियमित करने के बाद कागज पर इतना लोड आ गया है । मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि इस मद में क्या आपके बोर्ड ने यह अनुमान लगाया है कि कितने नये ट्रांसफार्मरों की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपने क्या व्यवस्था की है ?

यह भी जानना चाहता हूं कि 60 लाख उपभोक्ता इस समय हैं और आपने 15 लाख का लक्ष्य रखा है, 40 लाख कन्ज्यूमर इस प्रदेश में ऐसे हैं जो अवैध बिजली का प्रयोग कर रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह बताने की कृपा नहीं की उन 40 लाख अवैध कनेक्शनों के लिये जिम्मेदारी किसकी है, क्या उस एरिया के जूनियर इंजीनियर या असिस्टेन्ट इंजीनियर, या एरिया के लाइनमैन की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है ताकि प्रदेश की जनता जान सके कि यह कितनी बड़ी पारदर्शी सरकार है ? अगर आप यह बता सकेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उपकार इस प्रदेश का होगा। अभी यहां पर प्राइवेटाइजेशन की बात आयी, नोयडा में गोयनका ने एक प्लान्ट लगाना तय किया था और यह भी तय हुआ था कि 1.66 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देना तय हुआ था, वह प्लाण्ट नहीं लगा और 40 करोड़ रुपया बोर्ड का उनके ऊपर बकाया है, उसको लेने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यह भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। विष्णु प्रयाग और श्रीनगर की बात हुई। इसमें एक का ठेका जे०पी० इण्डस्ट्रीज और एक का गोयनका के पास है, तीन साल हो गये हैं, अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है और आपने 18 परसेंट मिनिमम गारन्टी दे दी है। वह चाहे घाटे में चले या मुनाफे में उसे 18 प्रतिशत का प्राफिट देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इंजीनियर्स को मौका दें, मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभा की कमी है, अगर आप अपने इंजीनियर्स को अवसर देंगे, साधन मुहैया करवायेंगे तो कोई कारण नहीं है कि वह प्राइवेट सेक्टर से कम पैसों में विद्युत बनाकर न दें, इसका कोई कारण नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप अनुशासन के साथ साधन मुहैया कराने का काम करें। आपने प्लाण्ट लोड फैक्टर की बात बतायी, जैसा कि अभी कुंवर साहब ने कहा हमें 35 से 40 मिलियन यूनिट इम्पोर्ट करना पड़ता है। टिहरी प्रोजेक्ट की बहुत चर्चा हुई अगर टिहरी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इससे पूर्वी गंगा नहर बन सकती है और उससे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा और अपर गंगा नहर से सिंचाई का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस पर भी आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव देने का काम करें तो अच्छा होगा। कुम्भ की चर्चा भी करना चाहता हूं, यद्यपि कुम्भ अब समाप्त हो चुका है, वहां ग्रेज 5 के तार डाले गये, जिसकी वजह से तीन मौतें हुई और एक आदमी घण्टों तार से लटकता रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसकी तरफ भी ध्यान दें।

एक चीज के लिये आपको साधुवाद देना चाहता हूं आपने स्वीकार किया कि इस सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है। आपने बताया कि ट्रांसफार्मर की चोरी हो रही है, तार की चोरी हो रही है और विद्युत परिषद् असहाय है, यह आपने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की असफलता को स्वीकार किया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने राजस्व वसूली की बात भी कही है हमारे यहां एक फैक्टरी है वहां दो करोड़ का बकाया है और एक लाख रुपया लेकर कनेक्शन जोड़ने की बात किसने की, यह भी मंत्री जी बता दें।

उन्नाव में सोमानी आयरन एण्ड स्टील फैक्ट्री है, उनका कनेक्शन 220 के०वी०ए० की लाइन से जोड़ दिया गया और उसमें कितना बड़ा घपला हुआ इसकी भी आप जांच करवा लें। बिजली कर्मचारियों की बात आपने कही....

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी, अब समाप्त करें , मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

कर्मचारियों की स्थिति यह है कि कर्मचारी बूढ़े हो गये हैं, नये कर्मचारी नहीं हैं और आज मृतक कर्मचारियों की विधवाओं का हाईडिल में बहुमत हो गया है, इसको सुधारने की आप कोशिश करें।

अन्त में बिलों के बंटवारे की बात कहना चाहूंगा। आप पुरानी व्यवस्था को लागू करें और रेगुलर इम्पलाई रखें जो बिलों को जाकर बांटे, तभी सही समय पर आपको पैसा मिल सकेगा। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में सौंप दीजिये, तभी सुधार हो सकता है। आपने मुझे इतना अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद। माननीय रेवती रमण सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम शंकर पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट के कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं। मैं जनपद उन्नाव की बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। यह विधान सभा क्षेत्र माननीय मंत्री जी के क्षेत्र से मिला हुआ है। आज बिजली प्रत्येक जीवन का अंग बन गई है। बिजली के बिना किसी भी प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है।

जहां तक बिजली चोरी की बात है, 95 प्रतिशत बिजली की चोरी बड़े-बड़े फैक्ट्री के मालिकों, बडे-बड़े प्रतिष्ठानों के लोगों द्वारा की जाती है। अगर आप बिजली की इस चोरी पर रोक लगा दें तो बिजली का घाटा पूरा हो सकता है, लेकिन बिजली की चोरी रोकने में यह सरकार सक्षम नहीं है क्योंकि यह सरकार ही खुद चोरी की बनी हुई है।

मान्यवर, बिजली के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बांगरमऊ विधान सभा में लगभग 40 गांवों के तार कटे हुये हैं। विभाग के अधिकारियों को ऐसी चोरियों के संदर्भ में लिखकर दिया गया और मौखिक रूप से भी मैंने कहा लेकिन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इसकी एफ०आई०आर० थाने में की जाये। तो जब तक एफ०आई०आर० नहीं होगी तब तक बिजली का सामान नहीं मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि ऐसी चोरियों को रोका जाये और मेरे यहां कटे तार लगवाये जायें, मेरा मानना है कि किसी विभाग में चोरी बिना विभाग के मिले नहीं हो सकती। बिजली की चोरी के लिये विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये, तभी विद्युत चोरी को रोका जा सकता है।

मान्यवर, मेरे उन्नाव जनपद में गंगा के किनारे 33 के०वी०ए० का विद्युत स्टेशन नव निर्माण सूची में है। उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? जबकि कानपुर में गंगा के किनारे एक लाख की आबादी है। प्रतिदिन 7 से 12 तक बिजली की कटौती होती है। मैं बांगरमऊ विधान सभा से आता हूं, माननीय मंत्री जी जैसे अपने जनपद में बिजली देते हैं वैसे अन्य जनपदों में भी रोशनी दें तो शायद कुछ विकास हो सकता है और चोरी रुक सकती है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, थोड़ा बहुत सन्तोष इस बात का है कि पिछले सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में जो हमारी ऊर्जा क्षमता 184 मेगावाट की थी, आज आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह क्षमता 6057 तक बढ़ी हुई है।

मान्यवर, मैं चिकित्सक हूं और मुझे यह ध्यान आ रहा है, उस मरीज का, जो कि एक मोरिबंड स्टेज में डाक्टर के पास लाया जाता है और मोरिबंड स्टेज सबसे अन्तिम व क्रिटिकल स्टेज से भी आगे की होती है। क्रिटिकल स्टेज होती है यानि कि उसमें पल्स होती है, न ब्लड प्रेशर होता है सांस धीमे-धीमे चलती है शरीर की त्वचा भी सूख सी जाती है। और वह अन्तिम क्षणों में डाक्टर के पास लाया

जाता है । मुझे लगता है कि यह विद्युत बोर्ड भी उसी स्थिति में माननीय मंत्री जी को सौंपा गया है, और यह उसी क्षमता से जिस तरह से डाक्टर क्लड ट्रांसफ्यूजन करके आई बी० फ्लूड कार्टिकेस्टीरायड एड्रीनैलीन तथा आक्सीजन दे करके एमरजेंसी में सारा स्टाफ लगाकर उसको बचाने की कोशिश करता है ठीक उसी तरह से नरेश अग्रवाल जी, उस स्थिति से विद्युत बोर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं । 2050 करोड़ रुपये हमारी बिजली के लिये रखा गया है जिसमें नये विद्युत उपकरण और विद्युत गृहों का सुधार करने के लिये है, जिसमें से आपने ओबरा ताप गृह को 126.6 करोड़ मनेरीभाली को 100 करोड़ लखवार बयासी को 100 करोड़ टिहरी बांध जल परियोजना को 100 करोड़ और राजघाट को 26 करोड़ रुपये देने के लिये ऊर्जा मंत्री जी ने रखा है, इसके अलावा विद्युत पारेषण और वितरण में सुधार लाने के लिये समयवद्ध कार्यक्रम बनाया है ।

वर्तमान वर्ष में 3333 गांवों को विद्युतीकरण के लिये रखा गया है और साथ ही साथ 15508 जो निजी नलकूप है, उनका विद्युतीकरण करने का निर्णय एक सराहनीय कदम है, इसके साथ ही 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिये हमारे प्रत्येक विधायक को देकर एक अच्छा कदम उठाया है । इसके साथ ही जो निजीकरण का निर्णय है विशेष रूप से मुरादाबाद के विद्युत वितरण का कार्य निजी संस्थानों को सौंपा है ।

मान्यवर, लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि कई ऐसे अच्छे कदम उठाये गये हैं जिनमें विद्युत चोरी रोकने का प्रयास सराहनीय है इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगाये जायेंगे बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर और 133 के०वी० सब स्टेशन पर । कटिया हटाओ और अवैध कनेक्शन को वैध कनेक्शन देने की जो प्रक्रिया है यह सराहनीय कदम है ।

मान्यवर, वसूली बढ़ाने के लिये जो बात है मेरा कहना है कि उपभोक्ताओं को घण्टों लाइन में लगकर अपना बिल जमा करना पड़ता है उसमें यदि उपभोक्ताओं के घर कोई कर्मचारी बिल के लिये चला जाय उस रूप में कोई प्लान बनाया जाय तो यह एक सराहनीय कदम होगा । वह कर्मचारी उपभोक्ता का बिल वहीं घर पर जमा करके वहीं पैसा ले लेगा । मान्यवर, हमें स्मरण है कि जमींदारों के समय में ऐसा होता था, कर की वसूली के लिये कर्मचारी घर जाता था । लाइन लास की जो बात है जो आंकड़ा है वह 22 प्रतिशत लगभग का है जबकि रेवती रमण सिंह जी के अनुसार यह 24 प्रतिशत पहुंच गया है इसके लिये कुछ अवश्य किया जाना चाहिये । मान्यवर, तार खम्भों की व्यवस्था जहां बहुत पुरानी हो गई है वहां कुछ निश्चित समय बाद नई व्यवस्था की जानी चाहिये । जो पर केपिटा कन्जम्शन 165 है उसमें हमारा प्रदेश 15 वें स्थान पर है । एक कन्जम्शन बढ़ाकर तीन चार सौ तक ले जाने का प्रयास किया जाय । मान्यवर, जो बिजली लागत आती है वह 194 पैसे प्रति यूनिट है जबकि हम 144 पैसे की दर से दे रहे हैं । 50 पैसे प्रति यूनिट इस परिषद् को लास होता है इसको रोकने के लिये वसूली बढ़ाई जाये ।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, हमारे देश के इंजीनियरों और-साइंटिस्टों ने 300 करोड़ की छोटी लागत से (जो परमाणु विस्फोट का एक्सपरीमेंट हुआ था ।) उसके बाद एटोमिक पावर स्टेशनों की जो विस्फोट नलिकायें हैं उनको बदलने का काम किया है, अगर विदेशी सहायता से यह कार्य होता तो 1200 करोड़ लागत आती । इसलिये वैज्ञानिकों को इंजीनियरों को प्रोत्साहित करें । जिसमें विद्युत क्षमता को बढ़ाने की कोशिश हो । हमारे इंजीनियर अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकें और दूने उत्साह से अपने कार्य को करें । आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

प्रदेश में फिल्म विकास परिषद् के गठन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय, मुख्य मंत्री जी कुछ घोषणा करना चाहते हैं ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन में एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

उत्तर प्रदेश में फिल्म दर्शकों को स्वच्छ सुरुचिपूर्ण और सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप फिल्में देने के उद्देश्य से यहीं फिल्मों की शूटिंग व फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा उससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये फिल्म विकास परिषद् का गठन करने का निर्णय कल मंत्रि-परिषद् में लिया जा चुका है । (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, इस परिषद् में सूचना, संस्थागत वित्त, वित्त, उद्योग, पर्यटन विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं वितरक सदस्य होंगे ।

फिल्म विकास परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर ऐसे क्षेत्र चिन्हांकित किये जायेंगे जो फिल्म निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे । ऐसे चिन्हांकित क्षेत्रों में फिल्म निर्माण के लिये आवश्यक सुविधा जैसे सड़क, टेलीफोन, बिजली और सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था सरकार की ओर से की जायेगी । इसके अलावा परिवहन, होटल और मोटल सुविधाओं के लिये निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

फिल्म उद्योग के विकास और आम दर्शकों के हितों को देखते हुये अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रदेश में मनोरंजन कर की ऊंची दरों को कम करने का भी निर्णय मंत्रि-परिषद् में कल ले लिया है ।

वर्तमान में मनोरंजन कर की दर 125 प्रतिशत है हमने इसे घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया है । 25 प्रतिशत कम कर दिया है । यह फिल्म उद्योग के लोगों की मांग थी । ऐसा करने से एक तो वसूली में वृद्धि होगी दूसरे टिकट मूल्य सस्ता होने के कारण सूने पड़े सिनेमाघरों में फिर से रौनक लौटेगी और फिल्म दर्शकों की वृद्धि से राजस्व बढ़ेगा ।

मनोरंजन कर में कमी का लाभ दर्शकों को सुनिश्चित कराने के लिये सिनेमाहाल मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ अनुबन्ध किया जायेगा । इस संबंध में एक माह के अन्दर विधिक व्यवस्था पूरी कर ली जायेगी ।

प्रदेश की सीमाओं के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन किये जाने पर मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत की छूट और 75 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन करने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । इससे जहां एक ओर फिल्म निर्माता अधिक संख्या में प्रदेश के भीतर फिल्म निर्माण के लिये आकृष्ट होंगे वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित होंगे ।

प्रदेश की सीमाओं के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से 6 माह की छूट और 75 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन वाली फिल्मों को एक वर्ष की छूट दी जायेगी । यह छूट दी जायेगी । यह छूट तीन वर्षों के लिये अनुमन्य होगी । इस कदम से प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण और सुन्दर स्थल फिल्म निर्माण के लिये सुलभ हो जायेंगे जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश, रोजगार और पर्यटन के अवसरों में वृद्धि होगी । फिल्मों की इन्डोर शूटिंग के लिये आधुनिकतम तकनीकी सुविधाओं और अन्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवश्यक सज्जायुक्त एक फिल्म सिटी की स्थापना की जायेगी, जिसमें स्टूडियो, लैब, आउटडोर लोकेल इत्यादि सुविधायें होंगी ।

उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा सैद्धान्तिक रूप से दिये जाने का निर्णय ले लिया गया है । उद्योग का दर्जा पाने के बाद फिल्म उद्योग निजी फाइनेंसरों पर आश्रित न रहेगा । फिल्म उद्योग को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और निदेशक उद्योग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूमि का आवंटन किया जा सकेगा । उद्योग घोषित होने के कारण फिल्म स्टूडियोज के लिये जनहित में भूमि का अधिग्रहण हो सकेगा । टैक्स के क्षेत्र में फिल्म इकाइयों को निर्धारित अवधि एवं फाइनैन्सियल लिमिट के अन्तर्गत व्यापार कर में छूट या आस्थगन की सुविधा उपलब्ध होगी ।

सिनेमाघरों को व्यावसायिक काम्पलेक्स में बदलने के संबंध में शासन स्तर से अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता संबंधी आवास विभाग के शासनादेश को पुनः प्रभावी बनाया जायेगा । इसके प्रभावी होने के बाद किसी सिनेमाघर को तोड़कर व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव को मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के माध्यम से शासन में स्वीकार किया जायेगा और तभी उस पर विचार किया जायेगा । व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने की अनुमति दिये जाने की स्थिति में यह शर्त रखी जायेगी कि सिनेमाहाल की भूमि पर उसके मालिक व्यावसायिक काम्पलेक्स के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से युक्त एक सिनेमाघर भी अवश्य बनवायें ।

श्रीमन्, यह जो सारे निर्णय लिये गये हैं इसके पीछे मुख्य रूप से पांच हेतुक हैं :–

1–उत्तर प्रदेश में आकर्षक पर्यटन स्थल की भरमार है ।

2–आज उनके प्रचार और प्रसार की महती आवश्यकता है ।

3–इसके लिये फिल्म उद्योग सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है ।

4–फिल्म उद्योग के विकास और पर्यटन विकास से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और निश्चित तौर पर प्रदेश की राजस्व में भारी वृद्धि होगी ।

5–स्थनीय प्रतिभाओं को अपनी योग्यता के विकास और कौशल के लिये सुलभ अवसर प्राप्त हो सकेगा ।

6–प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और संस्कृति यहां के रीति रिवाज यहां के आकर्षण स्थल, यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य यह देश में लोगों को देखने को मिलेगा । दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो पर्यटन का विकास करके सारी अर्थ व्यवस्था को चला रहे हैं । हमारा विश्वास है कि नई नीति के आधार पर जहां एक ओर फिल्म उद्योग का विकास होगा वहीं उत्तर प्रदेश की धरती पर 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत फिल्मांकन होने से स्थानीय प्रतिभाओं को कला और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा ।

उत्तर प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके विज्ञापन दे दें, उनका सही चित्रण नहीं हो पाता है । परदे को देखकर लोग आकर्षित होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन से अंचल हैं और दृश्य हैं । कुम्भ का मेला है, मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली से लोग आते हैं, अब पचासों हजार यात्री आने लगे हैं क्योंकि उन्होंने देखा और आकर्षण पैदा हुआ । यह सारे स्थल हैं हम हर प्रकार से सहयोग देंगे और उत्तर प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और राजस्व में भारी वृद्धि होगी । यह सूचना मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को देना चाहता हूं । मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायें ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, फिल्म में अनेक प्रकार का अपना प्रदर्शन करने के लिये अनेक अभिनेता होते हैं, हताश न हों, अपने प्रदर्शन का रोल छांट लें ।

वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग (क्रमागत)

श्री भरत सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जो ऊर्जा का बजट रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, केवल फारमेल्टी करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, माननीय कल्याण सिंह की अगुवाई में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनबसपा, समता पार्टी, और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी है । मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि बिजली के क्षेत्र में .....

(इस समय 5 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुये ।)

वास्तव में निश्चित रूप से सुधार हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी बलिया गये थे और उन्होंने 50 हजार की जनता के बीच में भाषण दिया था । वहां पर जनता ने यह सवाल उठाया था कि बिजली से बड़ी कठिनाई आ रही है । बलिया की उसी सभा में माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने घोषणा किया था 72 घंटे के अन्दर पूरे प्रदेश में आमूल-चूल परिवर्तन नजर आयेगा और ठीक 72 घण्टे बाद मुख्य मंत्री जी द्वारा कही गई यह बात सच सादित हुई है ।

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

मुझे 2–3 मिनट बोलने का समय दे दें, मुझे डिस्टर्व न करें ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार आया है । यह सुधार और भी होने की गुंजाइश है, जिसकी ओर माननीय मंत्री जी गौर करें । मैं कहना चाहता हूं कि पहले 1989 के बाद से 6–6 महीने की सरकारें आईं, 1–1 वर्ष की सरकारें आईं उसके कारण उत्तर प्रदेश में कोई नया पावर प्रोजेक्ट नहीं लग सका और मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई । मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी अगुवाई में ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री ने और बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप विपक्ष के लोगों को रोकें यह लोग मुझे डिस्टर्व कर रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि साधनों की कमी के बावजूद भी जबकि नये प्रोजेक्ट नहीं लगे फिर भी उत्तर

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने अपनी कुशलता से पूरे प्रदेश के अन्दर 14 घण्टे और 15 घण्टे बिजली की आपूर्ति करा रहे हैं । महोदय मैं ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन इसलिये करता हूं कि इस बजट में यह व्यवस्था है कि 15 दिन की सूचना पर नया कनेक्शन जारी करने के आदेश दिये हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, पहले लाइट एण्ड फैन के लिये जो 1200 रूपया देना पड़ता था उसे हमारी सरकार ने घटा कर 600 रुपया कर दिया इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । पहले अर्जी के साथ 100 रु० का स्टैम्प पेपर लगता था उसको समाप्त कर दिया है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । जो पहले कटिया लगाकर घरों में बिजली जलाते थे उसको रैगुलर करने की व्यवस्था की गई है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मीटरों की कमी को दूर करने के लिये अच्छी प्राइवेट कम्पनियों के मीटर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । 70 घण्टे के अन्दर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने की व्यवस्था की है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भरत सिंह–

एक मिनट और दे दें । उ०प्र० के हर विधायक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने विधान सभा क्षेत्र के 5 गांवों का विद्युतीकरण करवा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, अब बिना आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री भरत सिंह–

देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वह बलिया ने किया है लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में वह सबसे पिछड़ा हुआ है । बलिया इस माने में उपेक्षित रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री भरत सिंह–

| × × × | | × × × | | × × × |

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । हमें सहयोग करें ।

श्री भरत सिंह–

| × × × | | × × × | | × × × |

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, आपने मुझे बिजली विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी बिजली के ऊपर चर्चा चल रही थी तो 132 के०वी०ए० बिजलीघर की मांग उठ रही थी । मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे

नोट :–| × × × | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जिले में छपरौली में 132 के०वी०ए० का बिजलीघर बनाने के लिये माननीय मोतीलाल बोरा ने 1995 में घोषणा किया था लेकिन आज तक उस बिजलीघर का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है इसकी वजह से किसान और आम जनता को बड़ी भारी परेशानी हो रही है।

इसी तरह से अमीन नगर सराय, तुगाना और कुताना में 132 के०वी०ए० बिजलीघर बनाने की बात थी लेकिन आजतक बिजलीघर का निर्माण नहीं हो सका है। सरकार 16 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने की बात करती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2 ढाई घण्टे भी बिजली नहीं मिलती है इसकी वजह से फसलों का बड़ा नुकसान होता है। आप पिछले आंकड़े देख लें गेहूं की फसल और दूसरी फसलों का उत्पादन बहुत कम हुआ है। हमारे यहां जबसे बिजली की लाइनें खिची हैं तब से उनको बदला नहीं गया है जिसकी वजह से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसकी वजह से जान माल का खतरा बना रहता है। आये दिन फसलों में आग लग जाती है जब फसलों में आग लग जाती है तो बिजली बोर्ड मुआवजा देता है लेकिन वह मुआवजा बहुत कम होता है। मेरी मांग है कि किसानों को ज्यादा मुआवजा देना चाहिये।

मान्यवर, हमारे यहां एक सब स्टेशन है उसकी हालत बहुत खराब है और आये दिन वहां दुर्घटनायें हो रही हैं। पिछले दिनों वहां दुर्घटना के कारण एस०एस०ओ की मृत्यु हो चुकी है। भाजपा की सरकार में माननीय कल्याण सिंह ने घोषणा की कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदला जायेगा लेकिन 72 घण्टे की जगह 72 दिनों में ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। जबकि पंजाब में किसानों की सरकार हैं। वहां पर नियम है कि यदि ट्रांसफारर्मर जल जाता है तो उसको सरकार तुरन्त बदलने का काम करती है। वहां पर सिर्फ किसानों को जाकर कार्यालय में सूचना देनी होती है कि मेरा ट्रांसफार्मर फुंक गया है और सरकारी कर्मचारी जाकर उसको बदल देते हैं। लेकिन हमारे यहां जले हुये ट्रांसफार्मर को किसान को खुद ले जाना पड़ता है और खुद लाना पड़ता है और 4–5 हजार रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है। तो मान्यवर, यह इनकी घोषणा झूठी है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि विद्युत सब स्टेशनों की इतनी अधिक जरूरत है। आज बिजली का लोड बढ़ता है और किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है जिससे समय समय पर कष्ट होता रहता है। मान्यवर, विद्युत विभाग के अन्दर ....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। आज विद्युत विभाग के अन्दर जे०ई० और लाइनमैनों की कमी है। आज किसान प्राइवेट तरीके से लाइन मैन को पैसा देकर अपना काम करवा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री लालजी वर्मा को बोलने के लिये पुकारे जाने पर)

(कई माननीय सदस्य के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास यहां पर दलों के मुख्य सचेतक की तरफ से सूची आई है हमें उस सूची को फालो करना होगा । इस तरह से नहीं चलेगा । आप अपना नाम दल के मुख्य सचेतक की तरफ से भिजवा दें हम उसे भी शामिल कर लेंगे । समय दिया जायेगा । मैं बता रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले श्री आर०के० सिंह० पटेल जी को बोल लेने दें । यह नये सदस्य हैं ।

श्री आर०के० सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, किन्तु विद्युत सप्लाई कटौती पर रोक लगाने के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मान्यवर, मैं जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर से विधायक हूं और मान्यवर, बुन्देलखण्ड पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और उस बुन्देलखण्ड में जनपद छत्रपति शाहु जी महराजनगर सबसे पिछड़ा जनपद है । मान्यवर, इसके पूर्व में सरकार की एक नीति रही है कि बुन्देलखण्ड को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया था । मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बुन्देलखण्ड को बिजली कटौती से युक्त कर दिया गया है । पिछड़े क्षेत्र में बीहड़ क्षेत्र में आज विद्युत के बिना कल कारखाने नहीं चल पा रहे हैं । इस युग में जीवन की आवश्यक आवश्यकता में विद्युत है इसके बावजूद भी पिछड़े हुये क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है ।

मेरे जनपद में पूर्व में 6 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने बान्दा पहुंचकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की थीं लेकिन बी०जे०पी० की सरकार बनने के बाद से वह घोषणायें कोरे कागजों में रखी रह गई हैं । वहां पर मान्यवर, मेरे जनपद में 2 विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के लिये एक पहाड़ी क्षेत्र ब्लाक में और एक मऊ तहसील में घोषणा 6 मई, 1997 को हुई थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उन पर नहीं की गई है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो पूर्व सरकार द्वारा घोषणायें की गई हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की जाये । हमारे जनपद की घोषणायें हो जाने के बाद आज भी अधिशासी अभियन्ता बांदा में बैठते हैं, एस०डी०ओ० और अधिशासी अभियन्ता की वहां पर नियुक्ति की जाये जिससे वहां की जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े । मैं चाहता हूं कि वहां पर तत्काल अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति की जाये । नये जनपद में स्टोर की व्यवस्था की जाये । ट्रांसफारमर रखने के लिये ट्रांसफार्मर जल जाने पर वहां पर सामान उपलब्ध नहीं होता है वहां अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति करके स्टोर आदि की व्यवस्था की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री आर०के०सिंह पटेल–

जो पूर्व में अम्बेडकर गांव घोषित हुये थे उन गांवों में कहीं-कहीं पोल गाड़ दिये गये थे लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सारा काम बन्द कर दिया गया है वहां आज तक तार नहीं लगे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री आर०के० सिंह पटेल–

[× × ×]

* श्री शिशुपाल सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये बोलने का अवसर दिया जब भी सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी बोलने के लिये खड़े होते हैं तो वह तीन बातों का जिक्र अवश्य करते हैं। यह सरकार कल्याणकारी है, पारदर्शी है भयमुक्त समाज देने वाली है। कल्याणकारी सरकार की जगह कल्याण सिंह की सरकार जरूर है। पारदर्शिता की जगह पहले जो काम रात को होते थे अब दिन दहाड़े हो रहे हैं। पारदर्शिता के लिये देख रहे हैं कि हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और बिजली में कितना भ्रष्टाचार है इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं।

मान्यवर, हमारे जनपद एटा में सी०के० तिवारी, जे०ई० 15 वर्षों से कार्यरत हैं, 4 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है लेकिन अभी तक रिलीव नहीं हुये हैं। इसके लिये मैंने चेयरमैन बोर्ड, को व अन्य अधिकारियों को लिखा, स्वयं जाकर एस० आई० से मिला, उनके आश्वासन के बाद भी एक जे०ई० लेविल के अधिकारी को नहीं हटाया गया, जो भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त हैं, बिना पैसा लिये कोई काम नहीं करता है, व्यापारियों ने उसके विरुद्ध धरना दिया, धरना एक सप्ताह तक चला। अधिकारी धरना स्थल पर गये और उन्होंने कहा कि हम उसे हटा देंगे लेकिन आज तक नहीं हटाया गया। यह है इनका भ्रष्टाचार मुक्त समाज।

माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव है कि जो पुराने तार हैं जिनकी वजह से विद्युत अक्सर बाधित होती है, जरा सी हवा का झोंका आ जाये तो वह टूट जाते हैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस पर विशेष ध्यान दे अगर इन तारों को बदलवा दिया जाये तो निश्चित रूप से बिजली में सुधार हो जायेगा। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रत्येक विधान सभा में 5–5 गांवों को विद्युतीकरण कराने का वायदा किया है। माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे इसमें शक है। क्योंकि पिछली बार पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत कहा गया था कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को दो-दो किलोमीटर रोड दिये जायेंगे और वह विधायकों की इच्छा पर दिये जायेंगे। अभी जब मैं अपने जिले में गया तो पता चला कि शासन से सीधे 12-12 गांव प्रत्येक जिले में लिये जाने हेतु आदेश चला गया। माननीय विधायकों ने जो प्रस्ताव दिये थे वह रद्द हो गये। कहीं ऐसा तो नहीं कि पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना की तरह इसको भी न कर दिया जाये।

दूसरी बात हमारे जनपद में माननीय मंत्री जी ने जो बन्द पड़ी यूनिटें थी उसको चालू कराने का वायदा किया है। विकास खण्ड अलीगंज में गांव विथरी में 15 साल से सब स्टेशन बना खड़ा है, बिल्डिंग बनी है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्या कारण है इसी तरह की स्थिति सकीट विकास खण्ड के ग्राम रिजोर में है। इनके सारे कार्य पेन्डिंग हैं और कहते हैं कि बिजली समय से देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, जो विद्युत विभाग का बजट साहित्य है और माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बजट की किताब है उसमें विरोधाभास है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में तीन में निजी क्षेत्रों में भागीदरी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग परियोजना, 330 मेगावाट की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना और 565 मेगावाट की रोजा तापीय विद्युत परियोजना की बात कही है और यह जो ऊर्जा विभाग का साहित्य दिया गया है उसमें 4 परियोजनाओं का जिक्र है, जवाहरपुर तापीय परियोजना जो 800 मेगावाट की है। माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण कुछ और है और आपका कुछ और, इसमें विरोधाभास है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 4 विद्युत परियोजनायें दी हैं, यह किस-किस जिले में हैं और किस-किस प्राइवेट कम्पनी को दी गई हैं।

[समय 6.00 बजे]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जिन चार परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है, वह किन-कन जनपदों में स्थापित हो रही हैं और इनका काम किन-किन कम्पनियों को दिया गया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि गांव के किनारे तक लाइट पहुंच जाती है तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता है, इस व्यवस्था में आप सुधार लाइये, इसी के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बाबूलाल (आगरा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से विधायक हूं। मेरे जिले में बिजली की हालत बहुत खराब है। दिन भर में 10-10 बार आंख मिचौनी होती है, किसानों के लिये केवल 4-5 घण्टे बिजली मिलती है। मेरा क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है माननीय सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिये थे कि आगरा में अवाध बिजली मिलेगी इसी के तहत गांवों का विद्युतीकरण कराया गया, लेकिन मेरे यहां एक भी गांव में विद्युतीकरण नहीं कराया जायेगा। हम लोग आगरा शहर में रहते हैं वहां बिजली न आने के कारण पानी नहीं मिलता। मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का पालन कराया जाय और देहात क्षेत्र में विद्युतीकरण कराके अवाध बिजली दिलवाई जाये।

किसानों को बिजली न मिल पाने के कारण उनकी फसलें खराब हो रही हैं, ट्रांसफार्मर खराब हुये 3-3 महीने हो जाते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि हम केवल 72 घण्टे में बदल देंगे, लेकिन ऐसा कहीं हो नहीं रहा है कोई पूछने वाला नहीं है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अछनेरा सब स्टेशन शीघ्र चालू कराया जाय मैंने देखा है कि अधिकारीगण वहां पुराना सामान लगवा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जून तक चालू करवा देंगे लेकिन जुलाई आने तक इसे चालू नहीं कराया गया है। वहां बिजली की कटौती शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक की जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, महिलायें घरों में खाना नहीं बना पा रही हैं, अतः बिजली की कटौती समाप्त करके पूरे समय अवाध बिजली दी जाये। मेरा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी पर्यटक केन्द्र है, यहां तमाम विदेशी पर्यटक आते हैं, यहां शेख सलीम चिश्ती की

दरगाह है एक टूरिस्ट काम्पलेक्स भी है लेकिन बिजली की आंख मिचौली की वजह से यह टूरिस्ट वहां रुकना नहीं चाहते, कुल मिलाकर बिजली की वजह से हालत बहुत खराब है। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मेजर जगत पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राज्य विद्युत परिषद् के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर रोजमर्रा के जीवन में विद्युत बहुत आवश्यक है, अगर बिजली नहीं है, तो न तो कल कारखाने चल सकते हैं, न घर का कार्य चल सकता है न किसान का ट्यूबवेल चल सकता है, सारे कामकाज ठप हो जाते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भाजपा सरकार में राज्य विद्युत परिषद् में सराहनीय कार्य किये हैं, तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

मान्यवर, 1998–99 में 2050 करोड़ का परिव्यय रखा है, जबकि 97-98 में यह 1720 करोड़ का परिव्यय था इस प्रकार से यह 320 करोड़ अधिक है। मान्यवर, 10 वर्षों से बन्द पड़ी 304 मेगावाट की मनेरीभाली तथा 420 मेगावाट की लखवार बयासी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य होना चालू कराया गया है। टाडा, ओबरा, हरदुआगंज, की बन्द पड़ी इकाइयों को चालू किये जाने का निर्णय लिया गया है। बिजली चोरी रोकने के लिये कटिया हटाओ–कनेक्शन लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। मान्यवर, 100 रु० स्टाम्प समाप्त किये गये हैं और 15 दिन में कनेक्शन देने का वायदा किया गया है। जनता सर्विस कनेक्शन का भी प्राविधान किया गया है। वसूली कैम्प क्षेत्रों में लगाकर वसूली की जा रही है। पहले बहुत बहुत दिनों तक नहीं होती थी जिस कारण बिल बकाया पड़े रहते थे। अब इस वसूली से रेवेन्यू बढ़ा है।

निजी नलकूप कनेक्शन अब बहुत आसानी से दिये जा रहे हैं, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कनेक्शन लेने में अब कोई कठिनाई नहीं रह गई है। इस प्रकार से जनता के लिये तमाम रियायतें दी गई हैं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम भी जोरों पर चल रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, मैं मुरादाबाद जनपद से आता हूं। मान्यवर, 1600 करोड़ का एक्सपोर्ट है जो सन् 2002 से 5200 करोड़ हो जायेगा। मान्यवर, यह इण्डस्ट्रीएल एरिया है। बड़ी बड़ी गन्ने की इण्डस्ट्रीज है, इसके अतिरिक्त गन्ने के छोटे छोटे कारखाने भी हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां 3-4 घण्टे की बिजली कटौती होती है जो उचित नहीं है, पूरी विद्युत मिलनी चाहिये। मान्यवर, हमारे यहां 5 गांव का विद्युतीकरण अभी अपूर्ण है, इसे पूर्ण कराया जाय। 18 ट्यूबवेल विद्युत के कारण खराब पड़े हैं उसे ठीक कराया जाय। हमारे मुरादाबाद जनपद में 60 प्रतिशत विद्युत चोरी होती है, इसको रोकने के लिये कार्यवाही करें। तार चोरी की समस्या बहुत पुरानी है, इसको रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायें। इसके अतिरिक्त जो तार पुराने हो चुके हैं उनको बदला जाय। 220 के०वी०ए० का स्टेशन बनाया जाय। ट्रांसफार्मर काफी समय तक नहीं बदले जाते हैं। उसको तुरन्त बदला जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं राज्य विद्युत परिषद् के बजट की सराहना करते हुये इसका समर्थन करता हूं।

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, ऊर्जा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण सुना और आज ऊर्जा मंत्री जी का भाषण सुना। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशय में पड़ गया हूं कि किसको एक नम्बर दूं किसको नम्बर दो । असत्य बोलने के मामले में कि कौन अधिक झूठ बोले हैं । हो सकता है कि मेरे बड़े भाई ऊर्जा मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी से आगे बढ़-चढ़ कर असत्य बातें रखी हैं । शीघ्र ही माननीय नेता सदन की कुर्सी खाली हो रही है हो सकता है ऊर्जा मंत्री जी उस पर आसीन हो जायें ।

मान्यवर, मेरे प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र में कितना अन्याय हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । पांच-पांच, छह-छह दिन लगातार विद्युत कटौती होती जा रही है । के०वी० विद्युत केन्द्र उपकेन्द्र खोले हैं जिले में मान्यवर, शहरी क्षेत्र में दसियों साल से इसकी मांग चली आ रही है । बाबागंज में 33 के०वी० का केन्द्र नहीं बना । जिला योजना से पैसा भी दिया गया, लालफीताशाही के कारण आज भी फाइल पड़ी हुई है । विचार नहीं किया गया । प्रमोद तिवारी जी के नरेश अग्रवाल जी गहरे मित्र हैं उनके क्षेत्र में विद्युत कटौती नहीं होती है । मान्यवर, मेरा यह कहना कि सरकार को स्पष्ट होना चाहिये लेकिन यह सरकार पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर रही है । वीरापुर पट्टी सब जगह कटौती नहीं हो रही है । भारतीय जनता पार्टी के लोग शहरी क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं । वहां प्रतिदिन मुख्य मंत्री जी का पुतला जलाया जाता है । ठीक है जितनी परेशानी पढ़ेगी । जनता चिल्लायेगी तो सरकार की आलोचना बढ़ेगी।

मान्यवर, 301 के अन्तर्गत में ट्रांसफार्मर की समस्या मैंने उठाई थी । मान्यवर, प्रतापगढ़ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कटरा गुलाब सिंह और जंक्शन तोड़ में 8–8 साल से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं कुछ नहीं हो रहा है । शहरी क्षेत्र में विद्युत के तार टूटे पड़े हैं लेकिन कोई पुरसाहाल नहीं है । मान्यवर, दूसरी जगहों पर ऊर्जीकरण के लिये 12–12 गांव चयनित किये गये हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र को शून्य रखा गया है । मान्यवर, इनके बजट को खत्म करके एक रुपया कर दिया जाय इस पर मैं बल देता हूं ।

*श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, न मैं अखबार से न किताब से कह रहा हूं बल्कि जो जमीन पर देख कर आया हूं वह बतला रहा हूं । अभी माननीय सदस्य ने इनको नम्बर दो का दर्जा दिया । मान्यवर, आज विद्युत विभाग ट्रांसफर उद्योग बन गया है । पूरे प्रदेश में बिजली का हाहाकार मचा हुआ है । मान्यवर, बीस प्रतिशत गांव भी विद्युतीकृत नहीं है, 100 प्रतिशत से एक गांव भी नहीं हुआ है, जितने कल कारखाने हैं उसमें बिजली की चोरी भयंकर रूप से हो रही है । गांव में बिजली 72 घण्टे तो क्या 16-16 दिन गायब रहती है । जब से यह सरकार बनी है किसान जो सिंचाई के लिये पावर लाइन लिये थे, काफी संख्या में कनेक्शन कटवा दिये हैं । ऐसा तो पिछले दस साल से नहीं हुआ । कहीं तार है तो खम्भे नहीं हैं सारी लाइनें जर्जर हो गई हैं । तार टूटकर गिर गये हैं, जो समस्यायें हैं, कोई देखने वाला नहीं है । यह सब स्टेशन बहुत साल पहले का बना हुआ था जब डिमाण्ड बहुत कम थी । क्षमता कम होने के कारण प्रायः इसमें लाइन फाल्ट हो जाता है । 15-15 दिन तक ठीक करने कोई नहीं आता है । आज इस कारण हमारे यहां 50 कारखाने बन्द हो गये हैं । कच्चा माल उन लोगों को बाहर से लाना पड़ता है और बिजली मिलती नहीं है । आज बिजली न मिलने से उद्योग धन्धे चौपट हो गये हैं । खासकर ग्रामीण अंचल के लघु उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है । इसलिये हर गांव को बिजली मिले, यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । इसका पता तो आपको तब लगेगा जब आप चुनाव में जायेंगे । आप में से एक भी चुनकर आने वाला नहीं है । इसलिये यदि काम ही नहीं होता है तो इस विभाग के बजट में कटौती कर दी जाय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। विद्युत मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह किसान शहरी क्षेत्र तथा जनता के किसी लाभ के लिये नहीं है। हमारे बी०जे०पी० के जो साथी यहां बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं, उनकी गृहणियों से पूछा जाय जब शाम को बिजली गुल हो जाती है तो वह बिजली विभाग को गालियां देती है। 2-3 दिन तक बिजली नहीं आती है।

आज विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है मैं पूरनपुर (पीलीभीत) से विधायक चुनकर आता हूं। जनता ने हमें इस आशा से चुना कि हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां पर गेहूं और धान का रिकार्ड उत्पादन होता है। वहां पर 50 राइस मिलें हैं और कृषि पर आधारित अन्य उद्योग धन्धे हैं। पूरनपुर में सन् 60 से एक बिजली घर बना था, जो आज तक वहीं है। 132 के०वी०ए० का एक सब-स्टेशन जब हर नारायण जी विधायक थे तो उस समय से स्वीकृत हुआ था। अभी तक वहां पर 132 के०वी० का सब-स्टेशन नहीं लगा है। जिसमें क्षेत्र की प्रगति रुकी हुई है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सिख समुदाय के किसानों ने खेती में हरित क्रान्ति कर दी है और मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मंत्री जी ने यह कहा कि 72 घण्टे के अन्दर ट्रांसफार्मर बदल देंगे लेकिन वहां के सिख किसानों से पूछिये, वहां पर प्रत्येक सरदार से दस-दस हजार रुपया लेकर आठ-आठ दिन टहलाने के बाद उनके ट्रांसफार्मर बदले गये। मान्यवर, शाहजहांपुर में बन्डा और खुराट ब्लाक में, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं वहां पर खुराट में कुरवैया सब स्टेशन है वहां पर जे०ई० नहीं है, सब स्टेशन इंचार्ज नहीं है और वहां पर एक चौकीदार रहता है जो कि शराब पिये रहता है।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सुल्तानपुर, हरिपुर, निजामपुर, फजवा में बिजली के तार नहीं है, कनेक्शन देने के लिये दो-दो तीन-तीन हजार रूपया रिश्वत मांगी जाती है। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अक्सर पांच बजे शाम से और चार बजे सुबह से बिजली चली जाती है। मेरा निवेदन है कि यहां पर शाम को पांच बजे से और सुबह चार बजे से बिजली न जाय जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सके और गृहणियों को भी अपने काम में सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त नर्षादया के वंश, घवेशिया ग्राम में दो माह से ट्रांसफार्मर नहीं है। जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसे अविलम्ब लगवाया जाय। मान्यवर, मेरा क्षेत्र पूरनपुर कृषि प्रधान प्रदेश है और यह आतंकवादी पीड़ित क्षेत्र भी माना जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें। अब आपकी बात आ गई है।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, क्योंकि यह आतंकवादी पीड़ित क्षेत्र है इसलिये यहां पर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। क्योंकि इसके बार्डर में नैपाल और लखीमपुर खीरी लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां कृषकों से मोटर कनेक्शन के लिये दस हजार रुपये की मांग की जाती है वह रोकी जाय तथा पूरनपुर में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति रखी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, बिजली विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं है। मान्यवर, हमारे कलीनगर क्षेत्र के लिये जिला योजना से पैसा दिया गया है। वहां के तार बदलने के लिये और लाईन डालने के लिये लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो वहां का जे०ई० है वह ट्रांसफार्मर बदलने के लिये, नये कनेक्शन देने के लिये लोगों से अच्छी खासी रिश्वत लेता है और न तो यहां पर कलीनगर में लाईन खींची गई है और न हीं तार डाले गये हैं। माधौराणा सब-स्टेशन से सीधी माघ 3 कि०मी० तक देवीपुर ग्राम में लाईन डाली जाय। जिसके बीच के ग्राम हरिपुर, दोदपुर कलिया भी, लाभान्वित हो अभी 33 कि०मी० लाईन घूमकर आने से वोल्टेज प्रभावित हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री–(श्री बंशीधर भगत)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वास्तव में अगर गम्भीरता से विचार किया जाये, तो जो बजट माननीय ऊर्जा मंत्री ने प्रस्तुत किया है, मैं कह सकता हूं कि पहले कभी ऐसा सोच समझ कर बजट नहीं प्रस्तुत किया गया है। बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण का फैसला लिया गया है और बहुत सी सुविधायें उपभोक्तओं को उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। मान्यवर, मैं उत्तरांचल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां की बड़ी विषम स्थिति है। विद्युत विभाग के मानक ऐसे हैं, कि दो घरों के बीच एक पोल देंगे, लेकिन पर्वतीय अंचलों में घर बहुत दूर-दूर पर होते हैं, इस कारण वहां पर बिजली नहीं लग पाती है, जिससे उनको बहुत कष्ट होता है। जब बिजली नहीं लग पाती है, तो प्रधान को सुनने को मिलता है कि अमुक गांव में बिजली लग गई है और अमुक गांव में बिजली नहीं लगी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में राजस्व गांवों में विद्युतीकरण किया जाता है। मान्यवर, वहां पर तोक होते हैं जिनको यहां पर मजरा कहा जाता है, बड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन विद्युतीकरण केवल राजस्व गांव का किया जाता है, मजरों का नहीं किया जाता है, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मजरों का भी विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करें।

श्री सौलत अली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, विद्युत का बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसकी कटौती करने का कोई माने ही नहीं रह जाता है क्योंकि इस विभाग में बिजली की 24 घण्टे अघोषित कटौती हर समय की जाती है अतः इस कटौती प्रस्ताव को ऐसे ही मान लेना चाहिये।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर चीज पर मंहगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जितनी मंहगाई मक्खन पर बढ़ रही है, उतनी और किसी चीज में नहीं बढ़ रही है उसका कारण अब समझ में आया कि सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य इस मक्खन का माननीय मंत्रीगण पर बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। 'मेजर साहब' ने तो बाजार से मक्खन बिलकुल गायब ही करा दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिससे आम जनता को लाभ मिले बिजली की बिगड़ती दशा में तो कोई सुधार हुआ नहीं है, तो इस विभाग की उपलब्धि मात्र इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने आर्डर में विभाग की निन्दा की है, यही इनकी उपलब्धि है। बिजली का उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है। लगभग 3 हजार मेगावाट बिजली की कमी है।

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनसे हर साल का अन्तर बढ़ता हुआ समझ में आ जायेगा। माननीय मंत्री जी की चिन्ता यह है कि ग्राहक कम हैं, उन्होंने इस प्रदेश का टारगेट 15 हजार और बढ़ाने जा रहे हैं। मान्यवर, ग्राहक तब आयेगा, जब आपकी दुकान में सौदा होगा आप ज्यादा सुविधायें देंगे। विभाग द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही हैं, वह ऋण पर आधारित हैं, एल० आई० सी० और पी० एफ० सी० आदि के ऋण पर आधारित हैं। अगर ऋण उपलब्ध नहीं होता है तो योजनाओं का क्या होगा ?

यह तो वही कहावत होगी कि 'न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी' यदि इस बात को याद रखा होता तो यह बात आप यहां नहीं कहते।

आपने जो सूची दी है विद्युतीकरण के संबंध में वह सब पुरानी है, अम्बेडकर गांवों की सूची दी है, निजी नलकूपों की काफी लम्बी फेहरस्त आपने दी है, सामान्य गांवों की संख्या कहीं नहीं दी है जो शायद आपका उद्देश्य नहीं, यह योजनायें तो बहुत दिनों से चल रही हैं और हम भी इनके विरोधी नहीं हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिये कोई योजना नहीं दर्शाई है।

इस बजट में पुरानी लाइनों को बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते है। शहरी और देहाती क्षेत्र में लाइनें टूट जाती है। आपके विभाग की अक्षमता का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में मेरे दरवाजे के पास से ही मकान के ऊपर से लाईन जाती है अगर एक पोल लग जाये तो लाइन डायवर्ट हो जायेगी। इसके लिये मैं चीफ इंजीनियर मुरादाबाद तक मिल चुका हूं लेकिन एक पोल नहीं लग रहा है। उसके लिये आदेश भी पहुंच चुके हैं लेकिन दलपतपुर सब-स्टेशन पर बैठा हुआ एक जे० ई० जिसको वहां पर रहते हुये 7 साल हो गये हैं दो बार उसका ट्रांसफर हो चुका है लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाता है। वहां के लोगों की शिकायत है वह एक कनेक्शन के लिये 5 हजार मांगता है। वह जे० ई० मिस्टर चावला है अगर कहीं तार टूट जाय या अन्य कोई घटना घट जाय तो चावला साहब कभी मिलते नहीं हैं।

आपने रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही है यह कैसे बढ़ेगी आपके अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में बैठते नहीं हैं। अगर वह दफ्तर में बैठने लगे तो आधे से अधिक परेशानियां स्वतः ही दूर हो जायेंगी। जैसा माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा उनके द्वारा शुरू की गयी योजनाओं पर आप बल दें तो आपकी रेवेन्यू अपने आप बढ़ जायेगी।

आपने ट्रांसफार्मरों को 72 घंटे में बदलने की बात कही है अगर इसको प्रैक्टिकल रूप दिया होता तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती। लेकिन ट्रांसफार्मर 3-3 महीने तक नहीं बदले जाते हैं और ट्रांसफार्मर बदलने में घोर भ्रष्टाचार है। जो आम आदमी के बस से बाहर है।

आपने प्रत्येक विधायक को 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिये देने की बात कही है। आपके द्वारा एक पत्र बहुत पहले माननीय विधायकों को मिला था तो उसकी सूची भेजी जा चुकी है लेकिन कहीं विद्युतीकरण नहीं हुआ है जो गांव इलेक्ट्री फाई हुये है वह मात्र सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में हुए

हैं । इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं इसके लिये कोई मापदण्ड नहीं बनाया गया है । एक विधायक जैसे हमारे मेजर साहब हैं इनका आधा क्षेत्र गांव का पड़ता है और आधा क्षेत्र शहर का पड़ता है लेकिन मेरे क्षेत्र में 328 गांव आते हैं तो मैं उन 328 गांवों में से भी 5 का हकदार हूंगा और दूसरे इनके यहां मेरे से आधे गांव हैं उनको भी इतने ही गांव विद्युतीकरण के लिये मिलेंगे । तो मेरा कोटा कैसे पूरा होगा । इसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए गांवों की संख्या बढ़ानी चाहिए । जो देहात का क्षेत्र है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और गांवों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी । आपके विभाग पर उद्योग, कृषि, सिंचाई, व्यापार डिपेंड करता है । मेरे क्षेत्र में ऐसे ट्यूबवेल हैं जो आपके विभाग की कमी की वजह से 8 महीनों से बंद हैं । उनके टैंक बन चुके हैं सारा काम पूरा हो चुका है लेकिन वह चालू नहीं हो पाये हैं । सिंचाई बंधु की बैठक में ई० ई० से कहा गया लेकिन आज तक ट्यूबवेल चल नहीं पाया है । विद्युत वितरण में भी आपका विभाग पक्षपात करता है । हमारे यहां भोजपुर टाउन एरिया में ठाकुर द्वारा से बिजली की सप्लाई आती है लेकिन आपकी पार्टी के विधायक का वहां राज है सप्लाई में पक्षपात किया जाता है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मान्यवर, आपने विद्युत विभाग के बजट पर बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । माननीय अधिष्ठाता जी निश्चित रूप से हमारे अनुभवी मंत्री और बुद्धिजीवी अधिकारियों द्वारा बनाया गया यह बजट है जिससे ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों को बराबर विकास होगा । हमारे प्रदेश में जो भी विद्युत की दुर्व्यवस्था रही है उसके बारे में पूर्व की सरकारें जिम्मेदार रही हैं ।

जनता को लुभाने के लिये और अपने निजी स्वार्थ के लिये जगह-जगह पर शिलान्यास कराये गये मैं उदाहरण देना चाहती हूं कि हमारे जौनपुर में सुजानगंज में माननीय मुलायम सिंह यादव ने जाकर 33 के० वी० सब स्टेशन का शिलान्यास किया था लेकिन आज तक वह लावारिस पड़ा है उसका सामान इधर-उधर हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार जहां नये कार्यों को कर रही है वहीं पर पुराने कार्यों को भी प्राथमिकता दे रही है । हमारे यहां सुजानगंज में 33 के० वी० सब स्टेशन के कार्य को पूरा कराया जाय । मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष द्वारा केवल विरोध करने के लिये बातें कहीं गयीं हैं । यह लोग केवल विरोध करने के लिये खड़े होते हैं । मैं बजट का समर्थन इसलिये नहीं करती हूं कि मैं सत्ता पक्ष की विधायक हूं बल्कि इसलिये करती हूं कि जो हमारा बजट पेश किया गया है वह समान रूप से सत्ता और विपक्ष को लाभ प्रदान कर रहा है । अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां सुजानगंज में जो सब स्टेशन है उसके काम को पूरा कराया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं ।

एक आवाज–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

इसको प्रोसीडिंग से निकाल दें, इसको अंकित न किया जाय ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो विद्युत विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो विद्युत विभाग की व्यवस्था है, विद्युत की जो स्थिति है उससे विपक्ष के लोग ही नहीं सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं लेकिन चूंकि वो सत्ता पक्ष में है इसलिये स्वाभाविक रूप से विद्युत मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि विद्युत मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह झूठ का पुलिन्दा है। आज पूरे प्रदेश में विद्युत की क्या स्थिति है ? आज ग्रामीण अंचलों में बिजली नहीं है। 10 घंटे ग्रामीण अंचलों में बिजली देने की बात कही गई थी लेकिन आज सच्चाई सामने है। मैं अपने उन्नाव जनपद का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर 1–2 दिन लगातार बिजली नहीं रहती है। विद्युत का जितना गम्भीर संकट आज है उतना पहले कभी नहीं था। यह तो गांवों की बात बता रहा हूं यहां तक कि लखनऊ शहर ले लीजिये। विधायक निवासों की क्या स्थिति है ? आप लोगों के साथ भी वही स्थिति होगी। चार-चार पांच-पांच घंटे विधायक आवासों में बिजली नहीं रहती है इससे आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में बात कही गई।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 72 घंटे के अन्दर जले हुए ट्रांसफार्मर बदल दिये जायेंगे लेकिन यह नहीं बताया कि कहां के और कहां से बदलेंगे ? मान्यवर, कितने जनपद ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर काफी महीनों से खराब पड़े हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां पर तमाम ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो पिछले 3/4 महीनों से खराब पड़े हैं जिस कारण से गांव में बिजली नहीं आ रही है और किसानों को सिंचाई के लिये अपना ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो रहा है। सत्ता पक्ष के साथी बड़े दावे के साथ आत्म विश्वास के साथ विभाग की अच्छाइयां बताने में लगे थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जलालगंज में आज से पीने के पानी की समस्या के कारण एक टंकी बनाई गई थी। लेकिन आज तक उस टंकी में लाइन का कनेक्शन नहीं हुआ है जिससे कि वह चालू हो सके। विद्युत लाइन की चोरी बहुत हो रही है। मेरे क्षेत्र में कुछ इलाके हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। कहासा, तालूखेड़ा, असरेया के तार पिछले दो-तीन सालों से कटे हैं। पहले घोषणा की गई थी कि तीस दिन के अन्दर तार पूरे कर दिये जायेंगे लेकिन मान्यवर, आज तक कहीं पर कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा पुरवा में 7/8 किलोमीटर लम्बी लाइन है जिसको चालू नहीं किया गया है और स्थिति यह है कि वह लाइन कटी पड़ी है और जो उपभोक्ता थे उनसे वसूली की गई है वह किस तरीके से की गई है वह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जहां तार इतने लम्बे समय से कटे पड़े हैं उनको भी बिजली का बिल भेजा जा रहा है अगर वह उसके सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों से मिलता है। 10 हजार रुपये के बिल के बदले में जब वह दो तीन हजार रुपये खिलाता है तब उसका बिल कुछ कम कर दिया जाता है। इस तरह की गड़बड़ियां इनके विभाग में हो रही हैं।

मंत्री जी ने 4 परियोजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कही। कहा गया कि प्राइवेट वाले लगाना चाहते हैं। मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि आज जो सरकारी विभाग माननीय मंत्री जी का है जब उस पर ही इनका कन्ट्रोल नहीं है। आज उस विभाग के अधिकारी लूटने में लगे हैं 10 हजार का बिल दो हजार रुपये देकर आधा और आधे से कम कर दिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जो योजनाएं प्राइवेट सेक्टर में जाने की बात हैं उसको नहीं देना चाहिए। इसी के साथ मैं कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० कौशल किशोर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । ऊर्जा मंत्री जी ने सुझाव मांगे हैं । पांच गांव के विद्युतीकरण के लिए हमसे प्रस्ताव मांगा गया था हमने पांच गांवों की लिस्ट भी दे दी थी लेकिन आज तक उस लिस्ट का क्या हुआ कुछ मालूम नहीं हो रहा है मेरा कहना है कि उन पांच गांवों का विद्युतीकरण किया जाए । जिला स्तर पर जो रजिस्टर बना है जिसमें गांवों के नाम अंकित है लेकिन उसमें गलत लिखा गया है जिन गांवों में बिजली नहीं गई है वहां पर लिखा है कि बिजली लगी है और जहां बिजली है वहां लिखा कि बिजली लगी नहीं है ।

जिस गांव के खेतों में होकर बिजली के तार निकल गए, उस गांव की जमीन तो बरबाद कर दिया उस गांव को नान वर्जिन मान लिया जहां बिजली के तार नहीं गए उनको वर्जिन मान लिया । हमारे गांव से बिजली के तार निकाल दिए गए खम्भे गाड़ दिए गए जमीन खराब कर दी गई उसको वर्जिन मान लिया तो वह वर्जिन और नान वर्जिन की परिभाषा को बदलना चाहिए । हमारे यहां शहर लखीमपुर में 132 के० वी० का ट्रांसफार्मर लगा है जो ओवर लोड हो जाता है । इसीलिये शहर को तीन भागों में बांट दिया गया है एक शहर के एक तिहाई भाग में ओवर लोड हो जाने की वजह से हमेशा अंधेरा रहता है । हमारे यहां एक 33 के० वी० का सब स्टेशन मंजूर हुआ फाफामऊ इलाहाबाद में भी मंजूर हुआ और लखीमपुर के लिए जो 33 के० वी० का सब स्टेशन मंजूर हुआ । जिसकी लागत 85 लाख 72 हजार रुपए है । इस सब स्टेशन को अब तक लग जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं लगाया गया । मैंने इसकी मंत्री जी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन में इसका शिलान्यास हो जाएगा लेकिन आज तक नहीं हुआ । बिजली के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं । चोरी के बारे में एक तो वह बड़े-बड़े उद्योग पति हैं वह उद्योगों में चोरी करते हैं, कटिया वाले चोरी करते हैं तीसरे विभाग का मीटर रीडर उपभोक्ताओं से मिला रहता है वह मीटर घुमाकर रीडिंग कम कर देता है और रिश्वत ले लेता है । किसानों के बारे में बिजली की समस्या है बिजली थोड़ी देर के लिए आती है जिससे उनका खेत थोड़ा सिंच पाता है और बिजली चली जाती है तो फिर उसी खेत में पानी जाता है विधिवत सिंचाई नहीं हो पाती है । देहातों में कम से कम 18 घंटे बिजली देना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके । डिपों के इंजीनियर जब तक कर्मचारियों से पैसा नहीं पा जाते हैं उनको सामान नहीं देते हैं यह कर्मचारी बाद में ग्रामीण जनता से पैसा वसूलते हैं । इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए बिजली की कटौती चल रही है इससे पूरा प्रदेश त्रस्त है । भ्रष्टाचार का क्या कहना 25 रुपए की कलम पर 225 रुपए अंकित रहते हैं इसकी तकनीकी जांच हो और इस घपले में जो लोग लिप्त हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । हमारी सरकार के आने के पूर्व प्रदेश में विद्युत व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी थी कि गांव में हफ्तों बिजली नहीं आती थी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किसान महीनों प्रयास करते रहते थे किन्तु ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे । सारे प्रदेश की व्यवस्था ऐसी हो गई थी । बिजली के बिना ठप्प करोबार हो रहा, बिजली के बिना जीना भी दुश्वार हो गया । दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही उपयोगिता इसकी, इस हेतु जमकर बिजली का सुधार हो रहा ।

(कई मा० सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

इसका सीधा-सीधा श्रेय हमारे नरेश जी को जाता है।

बिजली का संकट झेल रहा उत्तर प्रदेश है,
चारों तरफ जनता में बड़ा ही आक्रोश है,
पैसे की कमी आड़े नहीं आने पायेगी,
सारी व्यवस्था कर रहे अपने नरेश हैं।

(कई मा० सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

बिजली हमारे दैनिक उपयोग की हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। बिजली के बिना विकास की तो कोई कल्पना अधूरी है।

गांवों का विद्युतीकरण तो और भी जरूरी है। 10 वर्षों से जो बन्द पड़ी थी, इकाइयां, जारी कराने हेतु 100 करोड़ की मंजूरी है। कटिया से गांव के लोग प्रदेश की जनता और प्रदेश की सरकार सभी परेशान हैं। लेकिन हमारे मंत्री जी ने कटिया हटाओ कनेक्शन पाओ का अभियान चलाकर तुरन्त कटिया लगाने वालों को थोड़े पैसे में कनेक्शन देने की व्यवस्था की है।

कटिया हटाओ पाओ कनेक्शन आकाश से,
चोरी रूकेगी आय बढ़ेगी प्रयास से।
बिजली के क्षेत्र में सुदृढ़ व्यवस्था कर दिया,
आपूर्ति रातों दिन है हम विश्वास से॥

बिजली हमारे जीवन का विशेष अंग है। बिजली में जो सुधार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है उसे मेरे विपक्ष में बैठे भाई देखकर दंग हैं कि कैसे भाई नरेश जी ने व्यवस्था को ठीक कर दिया है।

बिजली हमारे जीवन का विशेष अंग है,
बिजली से ही हम लोगों का बना रंग है।
इतनी जर्जर व्यवस्था कैसे ठीक कर दिया,
यह सोच कर विपक्ष के भाई भी दंग है।
काफी धन दिया जा रहा इस बार ऊर्जा में,
क्षमता बढ़ी अकूत पड़ा तेल पुर्जा में।
जबसे बनी सरकार है तबसे यह समझ लो,
हर ढंग से फूंक दिया जान मुर्दा में।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

थोड़ा हमारे क्षेत्र पर भी ध्यान दीजिए,
सड़े तारों को हटवाकर नया डाल दीजिए।
अकोली में शिलान्यास पावर हाऊस का हुआ,
निर्मित कराने की व्यवस्था तत्काल कीजिये।

मान्यवर, टूटे तारों को बदलने की व्यवस्था तत्काल किया जाये। एक बात मैं अपने विपक्ष में बैठे हुए भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस सरकार में विद्युत व्यवस्था में कोई कमी है तो उसको कहें तो मान्य होगा लेकिन अनायास विपक्ष में बैठने के नाते आलोचना करते हुए मंत्री जी और हमारी सरकार को सजा देंगे तो यह ठीक नहीं है।

हमारे अच्छे कार्यों की मत सजा दीजिए,
जो हो रहा है कार्य, जायजा लीजिए।

सारी व्यवस्था चुस्त हो जायेगी दोस्तों,

थोड़ा इन्तजार का मजा लीजिए ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री इकबाल महमूद–

शोहरत की बुलन्दी भी, पलभर का तमाशा है,

जिस साख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है ।

मान्यवर, हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं । यह देश कृषि प्रधान देश है और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर कृषि में दूसरा है ।

(सदन के अन्दर बिजली चली जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अब मैं चाहूंगा कि विपक्ष के सदस्य कुछ न बोलें क्योंकि बिजली ने खुद ही बोल दिया कि यह कितने अकर्मण्य और अक्षम हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इकबाल महमूद जी आप अपनी बात कहें और माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें ।

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली की अव्यवस्था बनी हुई है, चाहे वह कोई क्षेत्र हो, इण्डस्ट्रियल क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो या कुटीर उद्योग का क्षेत्र हो, हर जगह बिजली की जरूरत है । एसेन्सियल कमोडिटीज में आ गयी है और ऐसे वक्त में हमारे विद्युत मंत्री जी यह कहें कि बिजली की हालत अच्छी है और उनके समर्थन में उनके दल के लोग भी तारीफ करें लेकिन वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता है । मान्यवर, हमारे विद्युत मंत्री जी ने बताया कि विधायकों को उनके क्षेत्र के अन्दर 5–5 गांव दिये गये हैं जिनमें वह विद्युतीकरण करा लेंगे ।

[समय 7.00 बजे]

इससे पहले भी मान्यवर, यह सुविधा थी, मगर पहले इनकी संख्या कम थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है । होता यह है कि प्रस्ताव ले लिये जाते हैं और गांव में एक डंडा खड़ा करने के बाद कह दिया जाता है कि विद्युतीकरण हो गया । मेरे क्षेत्र में जब डी०आर०डी०ए० की बैठक हो रही थी तो मैंने जिस गांव के लिये लिखकर दिया था, उसकी दुबारा समीक्षा बैठक हुई तो उसके बारे में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि उक्त गांव का विद्युतीकरण करा दिया गया है । मैंने वहीं पर यह कहा कि यदि उस ग्राम का विद्युतीकरण हो गया हो तो मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा, नहीं दो आप अपना पद छोड़ दें । बाद में इसमें ए०डी०एम० ने एक्शन लिया और उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज कराने के आदेश दिये ।

मान्यवर, हमारे सम्भल क्षेत्र की बिजली की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वहां के लोग बिना किसी लीडरशिप के खुद सड़कों पर उतर आये और बिजलीघर की तरफ कूच किया, वहां आगजनी

नोटः– * वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

हुई, मार-पिटाई हुई, 400–500 लोग जेल भेज दिये गये । आज भी बिजली की वहां यह स्थिति है कि सुबह 5 बजे जाती है तो रात के 12 बजे आती है, वहां काफी बड़ी मात्रा में मेन्था आयल एक्सपोर्ट होता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, लेकिन बिजली के अभाव में सिंचाई नहीं हो पाती और जिसकी वजह से उपज नहीं बढ़ पा रही है, सारे डिस्टल्शन प्लान्ट बंद हो चुके हैं । ट्यूबवेलों में पानी नहीं है, किसान परेशान हैं ।

हालत यहां तक हो गई है कि विद्युत कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, जानते हैं कि जब मुखिया ही अच्छा नहीं तो वह भी सुस्त हैं । कुछ दिन पहले की बात है कि दिल्ली से चंदौसी होते हुये एक बस पटना जा रही थी, रास्ते में बिजली के तार लटके पड़े थे, उसमें बस छू गई और 15 आदमी मारे गये । मैंने आज सोचा था कि विद्युत मंत्री इस संबंध में कुछ मुआवजा देने की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

मेजर जे० पी० सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जो माननीय सदस्य द्वारा बस दुर्घटना की बात कही जा रही है, वह बिहार जा रही थी, उसमें बस के ऊपर आदमी खड़े थे और मेन ; के बजाय वह बस दूसरी तरफ चन्दौसी शहर में चली गई और वह लोग लाठी से तारों को ऊपर उ.ा रहे थे, जिसमें यह घटना हुई । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सच नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, आज भी संभल में हड़तालें हो रही हैं । डी० एम० और कमिश्नर खुद सम्भल गये उन्होंने वहां मुआयना किया । वहां के एस० डी० ओ० बिल्कुल काम न करने वाले हैं । उन्होंने चीफ इंजीनियर से कहा कि इनका ट्रांसफर कर दीजिये, मगर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ । जब मैं खुद मिला तो वह कहते हैं कि बोर्ड के मेम्बर का जो पी० ए० है, वह इनका रिश्तेदार हैं, इसलिये हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है और हम ट्रांसफर नहीं करेंगे । इस प्रकार से डी० एम० और कमिश्नर के आदेश एक तरफ किये जा रहे हैं, उन्होंने भी इनके ट्रांसफर के लिये कहा था । आज वहां बिजली की हालत बहुत ज्यादा खराब है और विभाग के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी खुद सम्भल का चलकर दौरा कर लें और देख लें कि क्या हालत है...

मान्यवर, आप इंक्वायरी करा लीजिए, 24 घण्टे में 18 घण्टे भी बिजली नहीं आती है । अधिष्ठाता महोदय, जोनल चीफ इंजीनियर मुरादाबाद में बैठते हैं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)– विद्युत चोरी का बतायें ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, वहां पर विद्युत चोरी का हाल यह है कि विद्युत के कर्मचारी चोरों से मिलकर तार कटवा रहे हैं । यह मैं सही बता रहा हूं ।

मान्यवर, चीफ जोनल इंजीनियर के पास कोई पावर नहीं है सिवाय ट्रान्सफर करने के, वह कहते हैं कि मैं एरिया चीफ से परमीशन लूंगा । सुपरिन्टेण्डेण्ट इंजीनियर के पास पावर है लेकिन चीफ जोनल इंजीनियर के पास नहीं है मान्यवर, पूरे सम्भल के अन्दर बिजली के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है हर

सख्स विद्युत कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री को बुरा कहने में गुरेज नहीं कर रहा है । मान्यवर, मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं –

तुम आसमां की बुंलन्दी से जल्द लौट आना,
हमें जमी की मसाइल पर कुछ बात करनी है

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय रेवती रमण सिंह के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसमें उन्होंने आज प्रदेश की सच्चाइयों से अवगत कराने का कार्य किया उन्होंने स्वतः स्वीकार किया कि आज हमारे प्रदेश की स्थिति बिजली के मायने में देश के अन्य समस्त प्रान्तों से भी कमजोर है और उसका उन्होंने मोटा-मोटा कारण गिनाया । उसमें एक यह भी कारण गिनाया कि कि पिछले 12 वर्षों से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी ऐसी होती है जिसके कारण लाइन लासेस ज्यादा होता है । यह सब कारण बताते हुए उन्होंने कई बाते कहने का काम किया । अभी माननीय इकबाल महमूद जी बोल रहे थे तब माननीय मंत्री जी ने अपनी बात से यह कहने का प्रयास किया कि सम्भल में बिजली की चोरी होती है । मान्यवर, कोई भी मंत्री अपने विभाग को सुधारना चाहता है कोई भी मंत्री होता है तो वह विभाग की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है । लेकिन आज 9 माह हो गये और ये 9 महीने में बिजली की चोरी भी नहीं रोक सके और यह जानते हुए कि चोरी हो रही हैं । यह आपकी अक्षमता प्रदर्शित करती है ।

मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की लेकिन इस सारी चीजों से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए जल विद्युत के उत्पादन पर और दूसरा बिजली की चोरी को दूर करने का प्रयास होना चाहिए । मान्यवर, एक बसन्त कमेटी बनी थी राज्य विद्युत में बिजली की दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किये जायं । उस कमेटी ने एक सुझाव दिया था जिसमें विद्युत बोर्ड को चार भागों में बांटने का सुझाव था अगर हम उस दिशा में प्रयास करें तो जो लाइन लांस होता है चोरी होती है उसमें कमी होगी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें उपभोक्ताओं को बढ़ाने का काम करना है, ये तभी बढ़ेगें जब आप बिजली मुहैया करायें । आपने 10 घण्टे गांव में बिजली मुहैया कराने की बात कही है । गांव में जो लाइन होती है 15–20 किलोमीटर से कम नहीं होती है । जब गांव में बिजली जाने का काम होगा तो अगर खम्भे तार टूटे होंगे तो छह घण्टे से ज्यादा नहीं प्राप्त हो पाएगी । जिसके कारण जो उपभोक्ता बनाना चाहते हैं उन पर विराम लग जाता है । उत्पादन की दृष्टि से आपको प्रयास करना होगा । तापीय विद्युत बढ़ाने की आपने बात कही है इस दिशा में आपको काम करना होगा । जो यूनिटें बन्द पड़ी थीं उनको चालू करने का काम आपने किया है ।

टाण्डा तापीय विद्युत ग्रह की चौथी इकाई फरवरी में चालू हो गयी । यह पहले ही 1997 में चालू हो जानी चाहिए थी । ये चौथी इकाई कितने दिन चली चारों इकाइयां कितने दिन चल रही हैं । आये दिन थर्मल प्रोजेक्ट में बाधा रहती है । मेरे घर से प्रोजेक्ट तीन-चार किलोमीटर दूर है, रोज उसमें कोई न कोई इकाई बन्द हो जाती है । उसमें आर० एस० एस० के लोगों की भरमार हो गई है, वे सहयोग करना नहीं चाहते हैं । तमाम यूनियनों में गुटबाजी अपनी चरम सीमा पर है जिससे उत्पादन कार्य में

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बाधा उत्पन्न होती है । वहां एक क्लर्क हैं उसके यहां बहुत से मंत्री पैर छूते हैं । हो सकता है कि आपको कमजोर करने के लिए जो आपसे मतभेद रखते हैं, उत्पादन ठप कराने में लगे हुए हैं । बहुत से लोग वहां ऐसे है जो 15–15 साल से वहां पड़े हुए हैं । गुटबाजी करना उनका काम है, प्रोजेक्ट को उनसे मुक्ति दिलाइये । अगर जी० एम० मेहनत करना भी चाहते हैं तो बहुत से लोग लग जाते हैं । इसलिये आप एक सूची बना लें । गुटबाजी चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वह एस० पी० से संबंधित हो, बी० जे० पी० से संबंधित हो, उन्हें आप वहां से अलग भेजने का काम करें । आज इसी वजह से वहां पर चार यूनिटें बंद पड़ी हैं । यदि आपने ऐसे व्यक्तियों को वहां से अलग भेजने का काम कर दिया तो इन चार यूनिटों में इजाफा होगा । माध्यवर, उत्पादन बढ़ाने के लिये थर्मल प्रोजेक्ट जब लगाये जाते हैं तो हजारों लोगों को वहां से विस्थापित किया जाता है । जिन लोगों की जमीन उसमें जाती हैं, उनके घर के एक सदस्य को रोजगार देने के बारे में आदेश जारी हुए हैं परन्तु लोगों को समायोजन नहीं किया जाता है ।

टाण्डा में लोगों को विस्थापित किया गया, 1980 में विस्थापित किया गया । अभी भी साढ़े तीन सौ विस्थापित ऐसे हैं, जिन्हें आपने समायोजित नहीं किया । तमाम हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी । आज ऐश डैम व जल भराव के कारण किसान अपनी जमीन पर कुछ बो नहीं पा रहा है । क्षतिपूर्ति आप उसको दे नहीं रहे हैं । बोर्ड के कान में जूं नहीं रेंग रही है । 6-7 बजे के बाद दुकानें बंद करने का जो निर्णय आपने लिया है, यदि निश्चित रूप से इस पर अमल किया जायेगा तो यह एक सराहनीय कार्य होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घण्टे बिजली देने की बात आप कर रहे हैं, क्या इतने घण्टे बिजली जा रही है । यदि किसानों के हित की बात यह सरकार करती है तो कम से कम उन्हें 20 घण्टे बिजली उपलब्ध करायें । धन्यवाद ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । 1993-94 में जब एस० पी० व बी० एस० पी० के गठबंधन की सरकार थी, उस समय डिस्ट्रीब्यूशन की क्या स्थिति थी ? पूरे प्रदेश की जनता जानती है । 1993-94 से पहले प्रति नलकूप 22 रुपए प्रति हार्सपावर किसान से मान्यवर, नलकूप पर विद्युत बिल लिया जाता था मुलायम सरकार ने उसे बढ़ाकर 44 रुपये हार्स पावर कर दिया । घरेलू कनेक्शन जैसे लाइट फैन में जहां 220 रुपए लिया जाता था, मुलायम सरकार ने उसे 1000 रुपए बढ़ाकर कर दिया था । इसे हमारी सरकार ने घटाकर लाईट फैन कनेक्शन पर 600 रुपए प्रति कनेक्शन कर दिया है । यह 600 रुपए भी तीन किश्तों में 200 रुपए प्रति किश्त के हिसाब से किया है । स्टाम्प पेपर पर जहां 100 रुपए लगता था, उसे हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है । आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में उल्लास है । विद्युत कनेक्शन में सरलीकरण से काफी सुविधा हो रही है । आज लोग बिना भय के लाइट फैन हेतु कनेक्शन ले रहे हैं । आज बिजली का संबंध कृषि से है, उद्योग से है, हर आदमी के जनजीवन से है जिसकी अहम आवश्यकता हर आदमी के लिए हो गयी है । मान्यवर, जो मैदानी क्षेत्र के लिए बजट का प्राविधान किया गया है विद्युत व्यवस्था को ठीक कराने के लिए यह सराहनीय कदम है । मान्यवर, इससे पहले की सरकारों में विद्युत की आपूर्ति ठीक नहीं थी लेकिन जब से हमारी सरकार उ० प्र० में बनी है तब से लगातार 20–22 घन्टे, व 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है । पहले जो बजट का पैसा जिलों में जाता था मरम्मत के लिए वह सारे का सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था । मान्यवर, मेरे देवरिया जनपद में कसया में दो सौ के० वी० ए० का विद्युत सब-स्टेशन बनना है । जमीन पड़ी है बाउन्ड्री भवन बन चुका है परन्तु मशीन न बैठने से अधूरा पड़ा है लेकिन उसका निर्माण अभी तक नहीं कराया जा रहा है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसका कार्य शुरू कराकर, सामान शीघ्र उपलब्ध कराया जाय । मान्यवर, पिछली बार हमारे यहां महामहिम श्री राज्यपाल देवरिया

जनपद के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र दौरे पर गये थे । वहां पर पकड़ी बाजार और पचलड़ी बाजार में दो विद्युत सब स्टेशन के घोषणा उन्होंने की थी । दोनों सब स्टेशन स्वीकृत है और 24 अगस्त, 97 को उसका शिलान्यास भी हो गया है लेकिन पैसा विभाग द्वारा अभी रिलीज नहीं हो पाया है । निर्माण कार्य नही शुरू हो सका हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि तत्काल पैसे का प्राविधान किया जाय और सामान उपलब्ध कराकर इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाय ।

मान्यवर, रूद्रपुर में टाउन फिडर को अलग किया जाय और एक पैनल उपलब्ध कराया जाय । मान्यवर, रूद्रपुर नगर पंचायत में जर्जर पोल तार का कम्पोजिंग सिस्टम मुख्य अभियंता गोरखपुर के यहां पड़ा है उसे मंगाकर स्वीकृत कराकर उसकी मरम्मत करायी जाय । इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र ऊसरा बाजार देवरिया में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत है । उसका आधा काम हो चुका है, पैनल उपलब्ध नहीं है उसको तत्काल उपलब्ध कराकर विद्युत सब स्टेशन शुरू कराया जाय । जो दर्जनों उद्योग लगे हैं जिनका यू० पी० एफ० सी० आई० से पैसा बाकी है विभाग द्वारा वसूली किये जाने पर उद्योगपतियों ने मुकदमा कायम कर दिया है कि विद्युत सप्लाई नहीं मिल पायी इसलिए पैसे की वसूली न की जाय । तुरन्त एक पैनल उपलब्ध कराकर विद्युत सब स्टेशन दूसरा बाजार शुरू किया जाय और उनको ब्याज से छूट दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमर मणि)–

मान्यवर, अब इसे समाप्त करें । समय बहुत हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको देख लिया जायेगा । कृपया शांत रहें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बिजली विभाग का बजट रखा है और हम लोग सदन में बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन पूरे सचिवालय में बिजली नहीं है, जनरेटर से काम चलाया जा रहा है, यह मंत्री जी के लिये शर्म की बात है और इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये ।

(शोर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनायें रखें ।

* श्री राम जग–

आप अपने बजट प्रस्ताव पर चाहे जो आंकड़े प्रस्तुत करें, लेकिन असलियत यह है कि बिजली विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ।

मान्यवर, सबसे आश्चर्य की बात है हमारे मंत्री जी जिन्होंने यह बजट पेश किया है उनको मालूम होना चाहिए कि मई जून के महिने में प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली पानी का संकट रहा । आंधी तूफान में लाइनों के तार टूटने के कारण बिजली गांवों में नहीं गयी । एक मंत्री होने के नाते आप प्रदेश का

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दौरा करके लोगों की परेशानियां देखते लेकिन आपको फुर्सत कहां है आप तो लंदन घूम रहे थे ? मुझे सत्ता पक्ष के एक बी० जे० पी० के विधायक ने बताया बैंक खोजने गये हैं। मान्यवर, विद्युत की आज जो यह स्थिति है उसका कारण यह है कि मंत्री जी पूरा समय एक काम में लगे हैं, वह अपने अक्षम अधिकारियों को ऊंची कुर्सी पर बैठाने और सक्षम अधिकारियों को बाहर करने में लगे हैं।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में विद्युत की स्थिति खराब है चाहे वह शहर हो या गांव हो अथवा कस्बा हो, चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है। न किसान को बिजली मिल रही है न आम आदमी को और न व्यापारी को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बिजली जा कहां रही है ? आपके यहां लाइन लौसेज सबसे ज्यादा है तो बिजली चोरी में जा रही है। तो उस चोरी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्री की है, पूरे प्रदेश में बिजली के तार टूटे पड़े हैं। जिनको पहले बिजली मिलती भी थी उनको भी बिजली नहीं मिल रही है। आप देखेंगे कि गांवों में खम्भे और तार टूटे पड़े हैं, पुराने तारों को बदलने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सड़े गले तार हैं। जहां पर हैं भी उनकी चोरी हो जाती है, रात में तार कट जाते हैं। तो उसमें आपके अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। क्या कारण है कि तार काटने वाले कभी गिरफ्तार नहीं होते हैं ? आज पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था खराब है।

सरकार की नीति है कि पब्लिक सैक्टर को बंद कर प्राइवेट सैक्टर में सारा काम जाय। जो मजदूर और जे० इ० विद्युत पैदा करते हैं वह उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसका एक कारण है यह सरकार मजदूर विरोधी है किसान विरोधी है इसमें भ्रष्टाचार है।

इंदिरा गांव, अम्बेडकर गांव, गांधी गांव या स्वर्ण जयन्ती गांव जिनके विद्युतीकरण की बात यह कहते हैं कहीं विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। फर्जी विद्युतीकरण के आंकड़े दे देते हैं। मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूं वहां के इन योजनाओं के 70 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, फर्जी ढंग से विद्युतीकरण दिखाया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह पैसा कहां जा रहा है ?

मान्यवर, अगर गरीब किसान पर 5–10 हजार बकाया बिजली का होता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है उसको जेल भेजा जाता है लेकिन आज जो प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योगपति हैं जिन पर बिजली का करोड़ों रुपया बकाया है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। आप बतायें कि क्या आपने किसी बड़े उद्योगपति को आज तक गिरफ्तार किया है।

आज सरकार की धन्नासेठों से सांठगांठ है इसीलिये उनसे बिजली का बकाया वसूल नहीं किया जाता है।

(इस समय 7 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मान्यवर, किसानों को 5–10 हजार के लिये कहां बंद किया जाता है, तहसीलों में बंद किया जाता है जहां पर सुअर और पशुओं को भी नहीं रखा जा सकता है ऐसी दुर्दशा किसानों की हो रही है। किसान यदि बकाया जमा करना चाहता है तो उसका पूरा पैसा जमा नहीं किया जाता है। वहां पर दो रजिस्टर रखे जाते हैं जिसमें उसका पैसा दर्ज नहीं किया जाता है। हमारा बिजली विभाग किसान विरोधी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि नीयत साफ हो जाय और भ्रष्टाचार को छोड़ दिया जाय तो बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वह इतना उत्पादन करेंगे कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और आगे प्रदेश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। आज जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर है वह नहीं बढ़ रहा है उत्पादन गिरता जा रहा है इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये

हमारे प्रदेश में बड़ी-बड़ी नदियां हैं । नदियों में हर साल बाढ़ आती है जिससे तमाम जानमाल का नुकसान होता है अगर इस जल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाय तो हमारे उत्तर प्रदेश में काफी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और बिजली की कमी को दूर किया जा सकता है । जल विद्युत का उत्पादन करके किसानों, उद्योगों को बिजली दी जा सकती है और प्रदेश आगे बढ सकता है । यदि हमारे प्रदेश में बिजली की कमी होगी तो कोई उद्योगपति उद्योग खोलने नहीं आयेगा और प्रदेश का विकास नहीं हो सकेगा । यह बिजली विभाग का बजट किसानों के हित में नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में नहीं है और बिजली देना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि आपकी नीयत और नीति साफ नहीं है मेरे आजमगढ़ जिले में कम्हरिया में विद्युत उपकेन्द्र में वहां पर जो ट्रांसफार्मर लगा है वह कम क्षमता का है ।

अधिकारी कहते हैं कि ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर जब तक नहीं लगेगा तब तक बिजली नहीं मिल पायेगी मंत्री जी को लिखा गया और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा गया लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, 8 बजने वाले हैं और हम अभी मद संख्या–13 पर पहुंचे हैं । जिन सदस्यों की समस्यायें हैं वे लिखकर दे दें उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध सुन लीजिये । आज तो यह पांचवें विभाग का बजट है अभी तो बहुत होने हैं मैं सत्ता पक्ष के लोगों से यह कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें । सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे । 3.15 बजे से इस विभाग की अनुदान पर चर्चा होनी शुरू हुई थी और पर्याप्त समय हो गया है विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे जो 2/3 लोग बचे हों अपने-अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याएं दो-दो मिनट में कह दें लेकिन उससे पहले श्री कौकब हमीद जी को मौका दूंगा ।

(व्यवधान)

मैंने कहा ना कि सुन लूंगा ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 68 साल पहले 1930 में पहली बार प्रदेश के अन्दर बिजली आई और आज 68 साल हो गये हैं लेकिन बिजली का संकट जैसे का तैसे बना हुआ है । इस साल जितना बिजली का गम्भीर संकट है ऐसा पहले कभी नहीं था । मान्यवर, हमारी थर्मल कैपेसिटी 4271 मिलियन यूनिट है और जो मौजूदा बिजली हमारे पास है वह 2500 मिलियम यूनिट है । हाइड्रो हमारे पास 1500 मिलियन यूनिट का उत्पादन है और जो मौजूदा बिजली हम उससे दे पाते हैं वह 900 मिलियन यूनिट है जो इम्पोर्ट हम करते हैं एन०टी०पी०सी० से वह 2600 मिलियन यूनिट है । 2000 मिलियन यूनिट का शार्ट फौल है ।

नोट:–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वन राज्य मंत्री (श्री रंग नाथ मिश्र)–

मान्यवर, 2000 मिलियन यूनिट कहां कन्ज्यूम होने का सवाल नहीं है ? 105 हम उत्पादन कर रहे हैं। यह क्या प्रतिदिन बता रहे हैं ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं यह एक महीने का विवरण दे रहा हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सुझाव पूछे थे कि किस तरह से आज जो हमारे यहां विद्युत परिषद् के अन्दर कमी है पैसों की और जो दिक्कत आ रही है पैसे में उसको कैसे डिपाजिट करें ? सरकारी में 15 सौ करोड़ और नौन सरकारी में 1400 करोड़ की देनदारी है। मान्यवर, पहले तो माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि कैसे उस पैसे का भुगतान करवायेंगे। अगर इतने पैसों का भुगतान करा लें तो जितने काम विद्युत परिषद् के अन्दर हैं वह पूरे हो जायेंगे। ट्रांसफार्मर का बड़ा जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री जी जब मेरठ में गए थे तो अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अन्दर हम ट्रांसफार्मर बदल देंगे। मंत्री जी ने भी कहा है 72 घंटे के अन्दर हम ट्रांसफार्मर बदल देंगे। हकीकत यह है कि डेढ़ से दो महीने में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। आपकी स्टाक कैपीसिटी 2 लाख 85 हजार ट्रांसफार्मर हैं। पूरे देश में 7 से 8 प्रतिशत ट्रांसफार्मर की कमी रहती है। जो डेमेज का हिसाब है वह 16 प्रतिशत है। इतने प्रतिशत यहां डेमेज ट्रांसफार्मर रहते हैं। जो देश में सबसे ज्यादा है। 25 के० वी० ए० के 23,000 ट्रांसफार्मर, 100 के० वी० ए० के 5,000 ट्रांसफार्मर, 400 के० वी० ए० के 1200 ट्रांसफार्मर, 600 के० वी०ए० के 600 ट्रांसफार्मर डेमेज हैं। जो फूंक गए हैं।

आनपारा सी का बड़ा जिक्र किया गया यह जिक्र डेढ़ दो साल से चल रहा है। पहले भी जब यह सरकार थी इसका जिक्र करती थी अगर यह चालू हो जाए तो उ० प्र० में जो बिजली की दिक्कत है काफी उसमें कमी हो जाए। जापान से बात कर रहे हैं, कोरियन से बात कर रहे हैं। उसके अन्दर जो 15–20 प्रतिशत लोन देना चाहिए था वह पूरा नहीं हुआ। वक्तव्य दे दिया कि इस सत्र के बाद तय कर देंगे। मुझे यह लगता नहीं कि फर्म का नाम तय हो पाएगा। पिछले महीने भारत सरकार के विद्युत मंत्री आए थे उन्होंने वायदा भी किया था 240 करोड़ रुपए व पावर फाइनेंस कारपोरेशन से दिलवा देंगे लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाग गारन्टर ढूंढ रहा है। गारण्टर नहीं होगा तो पैसा कैसे मिलेगा। जो वायदा किसानों से 16 घंटे बिजली देने का किया गया था आज कहीं जाकर देखें 8 से 10 घंटे बिजली मिल पाती है। बिजली कहीं की बिल्कुल नहीं आ रही है। आपके शहरों में बिजली नहीं आ रही है। विधान सभा के अन्दर ही जनरेटर में काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा० रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। विद्युत विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बहुत अच्छी तरह से पारदर्शिता के साथ माननीय मंत्री जी और अधिकारियों ने बनाया है जिससे आम आदमी को बड़ी सुविधा मिलेगी। जैसे 600/- में कटिया हटाकर कनेक्शन देने की बात कही गयी है, इससे विद्युत चोरी रुकेगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, यह एक सराहनीय कदम है। कनेक्शन के समय 100/- का स्टाम्प

शुल्क जो पहले लिया जाता था उससे मुक्त किया गया है यह भी एक सराहनीय कदम है । मेरा यह मानना है कि यह बजट जनकल्याणकारी है

मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं उसके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । जनपद बरेली में वर्ष 1997-98 में 86 अम्बेडकर गांवों के लिए 318 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी लेकिन शासनादेश यह था कि एक हजार से अधिक आबादी वाले गांव लिये जायेंगे उसमें एक हजार की आबादी वाला केवल एक गांव निकला और अवशेष पैसा 318 लाख रुपया पी० एल० ए० में पड़ा हुआ है । मेरी यह मांग है कि इस तरह की कोई व्यवस्था की जाये कि जिससे जो गैर अम्बेडकर गांव इसमें हैं उनका भी विकास हो, जो गांव ऐसे पड़े हुये हैं, जहां आबादी कम है, विकास नहीं हो पाया है, उसे लिया जाये उस धन का सदुपयोग हो सके । इसके साथ बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं

* श्री श्याम सुन्दर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं यह जो बजट पेश किया गया है, बड़ी खूबसूरती से उसमें आंकड़ों की जादूगरी दिखायी है । बजट पर जब एक झलक देखते हैं तो जाहिर होता है कि यह बजट गांव विरोधी, दलित विरोधी, विकास विरोधी और साथ ही साथ किसान विरोधी भी है । माननीय अध्यक्ष जी पिछली सरकार में जब बहिन मायावती जी मुख्यमंत्री थी उन्होंने अम्बेडकर गांव घोषित करके गांवों में विद्युतीकरण कराने के लिए एक व्यवस्था बनायी थी कि जिन गांवों में राजस्व गांव तक विद्युतीकरण हुआ है किन्तु उसके पुरवों को छोड़ दिया गया है, ऐसे गांवों के सभी पुरवों का विद्युतीकरण किया जायेगा महोदय, जब से यह सरकार आयी है, भ्रष्टाचार में डूबी है । गांवों के विद्युतीकरण की बात क्या कहें, शहरों से भी विद्युत गायब हो रही है । बड़ी खूबसूरती के साथ जो बजट पेश किया गया है उसमें विद्युत की चोरी रोकने के लिये व्यवस्था नहीं बनायी गयी है । विद्युत चोरी की एक झलक आपको अपने विधान सभा क्षेत्र बछरावां, रायबरेली में दिखाना चाहता हूं चुरवा से सिनगो के लिए लाईन दी गयी है उसके तार की चोरी हो गयी है । आज भी वह लाइन कटी पड़ी है, उसकी व्यवस्था कराई जाय । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वर्ण जयन्ती ग्राम राजामऊ है, वहां बस्ती में एक गांव में खंभा गिर गया था, तहसील दिवस पर इस बात की कई बार सूचना दी गई, लेकिन आज तक खंभा नहीं लगाया गया । इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुन्दौली गांव है, वहां पूरे गांव में खम्भे पड़े हैं, लेकिन वह आज तक गाड़े नहीं गये हैं, उनको लगवाया जाय ।

जहां तक ट्रांसफारमर लगाने की बात है, माननीय मंत्री जी अपनी चहेती फर्म, गाजियाबाद से इसको सप्लाई करवा रहे हैं और यह 18 के० वी० का ट्रांसफारमर दिया जा रहा है, यही कारण है कि क्षमता कम होने के कारण यह ब्लास्ट हो जाते हैं पिछले समय में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, वह रायबरेली आई थी और उन्होंने वहां एक सब स्टेशन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इस सरकार ने वहां पर कोई काम शुरू नहीं किया है ।

एक और समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । ऊंचाहार थर्मल पावर की जमीन को स्थानीय अधिकारियों की मदद से एक शेर पुस्त व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिसने वहां पर मार्केट बनवा दिया है, यह पावर हाउस एशिया का सबसे बड़ा तापीय बिजलीघर है, इसको 1991-92 में कल्याण सिंह की सरकार के समय एन०टी०पी०सी० को बेच दिया गया और प्रदेश सरकार ने, जिन

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों की जमीन इसमें ली गई थी, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया है इसके साथ ही किसी के बच्चे को नौकरी भी नहीं दी गई है।

जब हम लोग ग्राम में भ्रमण पर जाते हैं, समस्याओं की जानकारी करने के लिये, तो वहां की जनता एक ही आवाज उठाती है कि पिछली सरकार के समय जिस प्रकार विद्युत व्यवस्था ठीक कराई गई थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि भ्रष्टाचार में डूबी है, इसलिये वहां की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई जा रही है। हमारे विपक्ष के सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है। उस कानून व्यवस्था बिगड़ने का असर विद्युत विभाग पर भी पड़ा है। आज विद्युत विभाग के कर्मचारी स्वयं ही लाइन की चोरी करवा रहे हैं, तार कटवा रहे हैं, जिस प्रकार सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, उसी प्रकार यह विभाग भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, किसी भी विभाग पर इस सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

[समय 8.00 बजे]

श्री कैलाश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है उनके बारे में इस सरकार से कहना चाहता हूं कि उन गांवों का आप सर्वे करा लीजिए आधे गांव में बिजली जल रही है और आधे गांव ऐसे ही पड़े हुए हैं यही कागज पर ही सब विद्युतीकरण हो गया है। यह सरकार आज किसानों को अधिक से अधिक बिजली देने की बात करती है लेकिन आज स्थिति यह है कि आज किसान त्रस्त है उसको 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है वह परेशान है।

मान्यवर, इस सरकार को बिजली बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी व्यवस्था किस तरह से हो इसकी चिन्ता करनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष में हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जब हमारे नये सदस्य बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं तो वह लोग हंस रहे हैं खिल्ली उड़ा रहे हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों को 10 घंटे बिजली देने की बात करती है उसको 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। जब तक लाइन आन करते हैं उसके थोड़ी देर बाद बिजली चली जाती है और खेत में पानी भी नहीं पहुंच पाता है मान्यवर, हमारे यहां चक्काबा जमानियाद नहर पम्प कैनाल है। बिजली न मिलने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। धान की नर्सरी डालने का समय आ गया है लेकिन आज नर्सरी नहीं पड़ रही है धान का बीज नहीं पड़ रहा है और इस सरकार को चिन्ता नहीं है कि इसकी व्यवस्था किस तरह से की जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो अधिकारी बिजली के हैं वह 10–10, 15–15 साल से एक ही जगह पर पड़े हुए हैं उनका ट्रान्सफर नहीं होता है। आधे भ्रष्टाचार का कारण यही है मेरा सुझाव है कि इनको हटाया जाय। ये पैसा लेकर अवैध बिजली जलवाते हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र जमानिया गाजीपुर में दरौरी रेलवे स्टेशन है उसमें 30-8-94 को रेलवे बोर्ड ने एक लाख रुपया विद्युत बोर्ड को बिजली लगाने के लिए दिया था लेकिन रेलवे स्टेशन पर आज तक बिजली नहीं लगी।

किसान, वहां की क्षेत्रीय जनता परेशान है, [illegible] कटमारी चोरी होती है, जनता बिल्कुल त्रस्त है। जब अधिकारियों से वार्ता हुई तो जवाब था कि 1 लाख रु० 94 में दिया गया था, अब समान का दाम दुगुना हो गया विधायक जी पैसे और दिलवाइये 94 से आज तक उस पर कितना ब्याज हो गया, उस ब्याज की दर से विद्युतीकरण करा दीजिये। धन्यवाद।

* श्री तौफीक अहमद–

माननीय, आपने मुझे माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा ऊर्जा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया, उसके लिये आभारी हूं। तमाम सदस्य शहर में रहते हैं हां बिजली की चकाचौंध रहती है, हम लोग टोटल गांव के रहने वाले हैं, देहात में बसते हैं। करीब .0 साल हो गये हमारे यहां संयुक्त चिकित्सालय है डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र में 8 लाख रु० दिये गये थे विद्युत कनेक्शन के लिए, आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर न वहां एक्सरे हो पाता है, आपरेशन गैस और लालटेन की रोशनी में किये जाते हैं। आज बिजली हर आदमी के लिए एसेनशियल चीज बन गयी है। कहीं बिजली के खम्भे गड़े हैं तो तार नहीं है, तार है तो खम्भे गिरे पड़े हैं। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। माननीय, कितने गांवों को इलेक्ट्रीफाईड दिखा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री तौफीक अहमद–

हमारा क्षेत्र बस्ती जिले के नजदीक है, जुड़ा हुआ है। वहां बीहर गांव हैं। 18 साल हो गये, विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है बिजली का तार हो गया है, बिना बत्ती जले बिल रोज भेजे जा रहे हैं। बायताल गांव है डुमरियागंज में।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री तौफीक अहमद–

बिजली का तार लगा है, खम्भा नहीं है। इसी तरह से धनवापुर है असियार है 15–15 साल हो गये हैं एक बिजली का खम्भा गड़ा हुआ है बिजली का पुरसाहाल नहीं है।

माननीय, 50 परसेंट लाईनमेन ऐसे हैं जो खम्भे पर नहीं चढ़ सकते हैं उन्होंने अपने असिस्टेंट रख लिये हैं, लाइनमेन दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो माननीय, जो कमियां व्याप्त हैं उन पर ध्यान दिया जाय तो तमाम बिजली की समस्या हल हो सकती है। डुमरियागंज में 1952 से सब स्टेशन बना हुआ है, सारे तार टूट गये हैं दो साल में कम से कम 20 एक्सीडेंट हो गये, जिससे मवेशी जानवर जल गये घर जल गये। मेरे यहां में तीन तीन हादसे हो चुके हैं।

हमारा यहां एक पम्प हाऊस है, उसका 19 लाख रुपए जमा है, बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है परन्तु 2-3 महीने से उसमें बिजली कीआपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है, इसलिये माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें हमारे यहां एक सिरसा पम्प हाऊस है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। 10 साल हो गये, कहा यह गया कि एक साल में यह पम्प हाऊस काम करना शुरू कर देगा, वहां का सामान भी मऊ में ट्रांसपर कर दिया गया है। माननीय, इस प्रकार की जो कोताही बरती जा रही है, इसे तुरन्त ठीक किया जाय। माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

नोट:– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिराथू में एक अजुवा फीडर है। विद्युत चोरी की बात मंत्री जी करते हैं। 5–5 खम्भों के तार चोरी चले गये हैं। अब ये चोरी विद्युत विभाग के कर्मचारी कराते हैं या पुलिस कराती है पता नहीं कौन कराता है। इसलिये इस पर रोक लगायी जाय। बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में विद्युत की चोरी होती है, एक-एक दिन में 5–5 हजार की चोरी ये फैक्टरियां करती है परन्तु यदि किसी एक गरीब ने बल्ब जला लिया तो उसे आप जेल में डाल देते हैं। मैं तो कहता हूं कि इन फैक्टरियों के जो मालिक हैं, उन्हें आप जेल में डालें। साथियों .....

श्री अध्यक्ष–

यहां "साथियों" नहीं चलता।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

हमारे यहां एक भदवां अम्बेडकर गांव है। 6 महीने से खम्भे लगे हुए हैं परन्तु तार नहीं खींचे गये हैं। मंत्री जी कह रहे थे कि ट्रांसफरमर गांव के लोग ले जायेंगे वहां से उन्हें नया ट्रांसफारमर मिल जायेगा। मान्यवर, 25 के० वी० ए० का तो ले जाया जा सकता है परन्तु 63 के० वी० ए० का नहीं ले जाया जा सकता है, इसे तो शासन को ले जाना चाहिये। इस प्रकार आपके यहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

उद्यान मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक यह जानता है कि ऊर्जा मंत्री अपने आप में सक्षम हैं। वह केवल एक कंट्रोल नहीं कर पर रहे हैं। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह तार कटी कैसे रोक सकते हैं आप इस संबंध में अपने सुझाव भिजवा दें।

(हंसी)

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, इतने संवेदनशील मसले पर भी इनके मंत्री जी मजाक कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मान्यवर, हर माननीय सदस्य ने तार कटी की बात कही है इसलिए मैंने यह कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सभी मंत्रि-मंडल के सहयोगी मंत्री अपने मुख्य मंत्री पर दया कर दें और अपने सारे हथकंडें छोड़कर सहयोग करें तो नियंत्रण अपने आप हो जायेगा।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर सुझाव रखने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट में खुला चित्र प्रस्तुत किया है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है, कितनी

आवश्यकता है, उत्पादन कितना कम है और आवश्यकतानुसार उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जो चिन्ता और कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ?

विपक्ष के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि अपने गिरेबान में झांककर देखें, अलोचना करने के बजाय, टिहरी परियोजना किसके जमाने में बन्द हुई, लखताड़ व्यासी परियोजना किसके जमाने में बंद हुई, मनेरी भाली परियोजना किसके जमाने में बंद हुई । जो परियोजना उत्पादन के लिए शुरू हुई थीं वह बन्द होती गयीं इसकी चिंता नहीं की गयी । पूरे प्रदेश की बिजली की उत्पादन की स्थिति गिरती गयी और आवश्यकता बढ़ती गयी । यह तीनों परियोजनाएं जो अधर में लटक गयी थी उसे आपने प्रारम्भ किया इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं । मान्यवर, 1994 के आकंड़े के आधार पर बताना चाहता हूं कि पूरे देश का प्रति व्यक्ति बिजली उपयोग का औसत था 319 किलोवाट और उत्तर प्रदेश का 197 किलोवाट का था । अनेक ऐसे राज्य है जहां पर सारे ग्रामों में बिजली प्रदान की गयी है । लेकिन उत्तर प्रदेश में 75.8% ग्रामों में विद्युतीकरण हुआ । मैं एक अति महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं...

मान्यवर, यह नीतिगत विषय है । जितनी भी योजनायें हैं, वह ग्रामीण अंचलों के नाम पर और नगरीय अंचलों के नाम पर घोषित होती हैं, लेकिन हजारों गांव ऐसे हैं, जो नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन उनकी स्थिति आज भी आजादी के पूर्व की है । वहां पर न बिजली का पोल है, न लाइन है और न तार है, इस तरह से इन ग्रामों में विद्युत का उपभोग बिलकुल शून्य है । इन ग्रामों का आकलन नगरों में तो किया जाता है, लेकिन नगरों को मिलने वाली सुविधायें इन गांवों को नही मिलती हैं ।

आजादी के 50 साल पूरे हो गये हैं, हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, लेकिन गांवों में बिजली आज तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां पर कोई योजना नहीं है और जहां पर विकास की एक किरन भी नहीं है । जब बिजली पहुंचाने का खर्चा जमा किया जाता है, तो उनको बिजली मिल पाती है और गरीबी के कारण वह बिजली पहुंचाने का खर्चा जमा नहीं कर पाते हैं और उनको बिजली की रोशनी उपलब्ध नहीं हो पाती है । ऐसे ग्रामों के लिये माननीय मंत्री जी कोई क्रान्तिकारी निर्णय लें और उनको इस सम्बन्ध में विशेष विचार करना पड़ेगा । ऐसे गांवों को ऊर्जीकृत करने की क्या व्यवस्था हो, इसके लिये धन कहां से आये, इस पर विचार करना होगा । मैं कहना चाहता हूं कि गलत योजनाओं के कारण यह सब है, अगर ध्यान दिया गया होता कि इन गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी, तो जो उद्योगीकरण हुआ है, वह गांवों में किया जाता तो वहां का विकास होता, तो जो योजना थी कि घर-घर बिजली पहुंचेगी, वह योजना खटाई में पड़ गयी होती:–

कहा तो तम था चिराग हर एक घर के लिये ।
अब मयस्सर नहीं चिराग एक शहर के लिये ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में विद्युत विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम प्यारे–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बिजली विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शायद वह बाई–इलेक्शन में आये हैं, कि ऊर्जा मंत्री जी बहुत चालाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कहा कि वह बहुत मजबूत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, 36 घंटे में मुख्य मंत्री को हटा दिया और फिर दूसरे को मुख्य मंत्री बना दिया, इससे बढ़कर फिर दिया उनकी मजबूती का कोई सबूत नहीं हो सकता है, लकिन मैं कहा चाहता हूं कि विद्युत

व्यवस्था चरमरा रही है और विद्युत विभाग के अधिकारी गणेश परिक्रमा की तरह उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका कारण यह है कि अगर कल्याण सिंह भी चाहें तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिसको वह चाहेंगे वही मुख्य मंत्री रहेगा विद्युत विभाग के जो भ्रष्टाचार का कारण है, वह यह है कहा जाता है कि विद्युत सुधार करेंगे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपके तहसील स्तर के अधिकारी हैं, वह वहां पर बैठते नहीं हैं, उनका कोई दफ्तर नहीं है मैं सगड़ी विधान सभा क्षेत्र से आया हूं, वहां पर कोई जे० ई० नहीं रहता है सब जिला हेडक्वार्टर पर रहता है, कहते हैं कि जनता से दूर रहेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे छूट होगी। स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है, सगड़ी में बंधा और सरजू नदी के बीच का जो एरिया है, उसके बारे में विद्युत परिषद के चेयरमैन को पत्र लिखा है।

एक टीम वहां गई थी। 50 वर्ष आजादी के हो गये लेकिन एक बल्व भी वहां आज तक नहीं जला है। 98 लाख का इस्टीमेट बनकर आया था लेकिन इस बजट में जो गरीबों का बजट बताया गया है वहां के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। हमारे उस क्षेत्र में सरयू के कटान से प्रत्येक वर्ष घर कट जाते हैं। ऐसे पिछड़े हुये इलाके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है अम्बेडकर गांव के नाम पर जितना विद्युतीकरण हुआ है उसकी स्थिति आप जानते हैं उसमें कितनी सच्चाई है अगर पूरे गांव में एक खम्भा जोड़ दिया गया तो मान लिया जाता है पूरा गांव बिजली युक्त हो गया जितनी भी इस तरह की स्कीमें चलाई गई हैं, मैं निवेदन करूंगा कि पूरे गांव का विद्युतीकरण कराया जाय। आज विद्युत की स्थिति यह है कि आम आदमी गेहूं पिसाने के लिए जाता है तो पम्पिंग सेट चलाकर चक्की चलायी जाती है। जिससे गरीब व्यक्तियों को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्यारे–

बिजली के तारों की बड़ी खराब स्थिति है पुराने तार लगे हुये हैं जो आये दिन टूट जाते हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी 27 तारीख को अजमल बजार गया था तो वहां पर एक दुर्घटना होते-होते बच गई मेरे जीप के आगे ही एक जोर का धमाका हुआ और तार टूट कर सामने गिर गया ड्राइवर ने जीप पीछे की तो वहां पर लोगों ने हमें घेर लिया और कहा की विद्युत की यहां यही स्थिति है रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं लेकिन विद्युततार को कोई ठीक करने वाला नहीं है मेरी मांग है जो पुराने तार हैं उनको कटवाकर नये तार प्राथमिकता के आधार पर लगवायें।

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट आपसे कहा था 5 मिनट हो गये मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री राम प्यारे–

ऊर्जा विभाग की एक धांधली की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं विद्युत विभाग की ओर से आर० सी० जारी होती है और लोगों को उसमें बहुत बड़ी कठिनाई होती है जब किसी प्रकार इक्जीक्यूटिव इंजीनियर से वह लिखाकर लाता है कि आर० सी० वापस कर दी जाय लेकिन जिलाधिकारी के यहां कहा जाता है कि पहले 10 प्रतिशत जमा करो उसके बाद वापस होगी। गरीब लोगों को तहसील में बन्द कर दिया जाता है इस विद्युत के पेमेन्ट में किसान को बहुत कठिनाई होती है लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं उद्योगपति है उनका अगर 50 हजार रुपये का बकाया होता है तो वह उसे आठ हजार रुपये कराकर वापस ले आता है किसान की बहुत बड़ी तबाही हो रही है उनको इस तबाही से बचाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो ऊर्जा मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है वह महज झूठ का पुलिन्दा है हम देहात के रहने वाले हैं किसान हैं हम आशा करते थे कि उनके लिए कोई बात यह कहेंगे लेकिन इन्होंने विदेशों का दौरा किया है वहीं का यह गुणगान करने लगे और कहा की अगर सात बजे दुकाने बन्द हो जाये तो ऊर्जा की बहुत बचत होगी तो हम देहात के रहने वाले हैं वहां पर जो भी विद्युत मिलती है उसकी कोई समयबद्धता नहीं है गांव के आदमी को विद्युत मिलती ही कहां है ?

बहन मायावती जी के समय हमारा कौशाम्बी जिला बना था वहां पर कोई अधिकारी रहता ही नहीं है शाम होते ही वहां से सब चले जाते हैं विद्युत विभाग का कोई अधिकारी इक्जीक्यूटिव इंजीनियर या जे० ई० यहां रहता तो कोई व्यवस्था हो सकती है तथा उससे शिकायत की जाये कि बिजली की सप्लाई नहीं आई है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे फर्जी बिल आते हैं बिजली मिलती नहीं है। अगर गांव में एक भी खम्भा गाड़ दिया तो वहां लोगों के पास बिजली का बिल पहुंच जाता है।

हमसे जब लोगों ने कहा कि यह फर्जी बिल है कैसे आ गया तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में जयश्री राम वालों की सरकार चल रही है, सब भगवान के भरोसे हो रहा है राम के नाम पर लाइट आ रही है उसी का बिल आ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनपुर पम्प कैनाल है। यह नहर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा ने बनवायी थी वह आये दिन बन्द रहती है। हमने जब पता किया तो मालूम हुआ कि सिंचाई विभाग ने बिजली का भुगतान नहीं किया है इसलिये बिजली काट दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत कनेक्शन को जोड़ा जाय। बड़े-बड़े कल कारखानों की बिजली काटी जाय और जो जनता के हित की चीज है उसका कनेक्शन न काटा जाय। यह मौसम सिंचाई और रोपाई का है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। जब अधिकारियों से बात होती है तो वह कहते हैं कि सब भ्रष्टाचार है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं माननीय रेवतीरमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग का बजट लोक कल्याणकारी बजट है। माननीय विधायकों को 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये अधिकार दिया गया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं एक विशेष जो घटना हुयी है जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को लगभग 119

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का घाटा होने वाला है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुये वर्ष के लिये जो प्रतिवेदन संख्या है (वाणिज्यिक) है उसके पृष्ठ संख्या 187–195 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में नवम्बर, 1993 में कनाडा की कम्पनी पैसिपिक विद्युत शक्ति विकास निगम बैनकुअर से एक समझौता ज्ञापन, (मेमोरेन्डम आफ अंडरस्टैडिंग) हुआ। विद्युत क्रय करार कनाडा की फर्म की सहायक कम्पनी जवाहरपुर पावर इण्डिया लिमिटेड नयी दिल्ली से दिसम्बर, 1995 में किया गया। मान्यवर, नवम्बर, 93 तथा दिसम्बर 95 में जहां तक मुझे स्मरण है राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति शासन काल में किसके इशारे पर यह कार्य किया गया इसको आप जानते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परियोजना निजी क्षेत्र को बगैर प्रतिस्पर्धी निविदाओं एवं बोलियों के लिये सौंपी गयी थी।

इसमें मान्यवर, टैरिफ निर्धारण के लिये पूंजीगत लागत पर 2.5 प्रतिशत की दर से परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के प्राविधानों से रुपये 79.25 करोड़ प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भुगतान की संभावना थी। इसी प्रकार से निलम्बलेख लेखे के संचालन से 89.24 करोड़ की सीमा तक परिषद् की निधि का परिवन्धन तथा उससे उपजी 16.06 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की ब्याज हानि होगी। इसके अतिरिक्त कार्यवाहक पूंजी पर अत्यधिक ब्याज की वजह से ऊर्जा की अतिरिक्त कीमत रुपये 17.61 करोड़ हानि की संभावना होगी।

ईंधन तेल की खपत के पी०पी०ए० में प्रदत्त उच्च मापदण्ड के प्राविधान की वजह से अतिरिक्त ऊर्जा खर्चों पर 5.67 करोड़ प्रतिवर्ष सरकार को अतिरिक्त देने होंगे। इस ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, पृष्ठ 195 में कहा गया है कि चूंकि परियोजना अब भी निष्पादित नहीं हुयी है परिषद् ऊपर लिखित प्राविधानों पर पुनरावलोकन तथा पुर्नविचार विद्युत खरीद की कीमत को कम करने के प्रयोजन से कर सकता है। लागत एवं समय की सीमा की वृद्धि की वजह से ही विद्युत क्रय लागत को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही समय से परियोजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित करते हुये भी की जा सकती है। इसमें साफ लिखा है कि मामला परिषद् को एवं शासन को जून, 1997 में सूचित किया गया था परन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सितम्बर, 1997 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

मान्यवर, यह मामला अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है। मान्यवर, इसी तरह से जो हानि का टोटल है वह 119 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का है। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और शासन से कहना चाहता हूं कि इस पर गंभीर रूप से विचार करें। उत्तर चला गया हो तो अवगत करा दें। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि आगरा शहर में ताज ट्रेपेजियम के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में 1338184 कायम हुआ था। विद्युत आपूर्ति कराने की बात थी 90 करोड़ रुपये दिये गये थे। प्रथम चरण का काम जून 98 तक पूरा हो चुका है। जून 99 तक दूसरे चरण का काम पूरा हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री अब्दुल कलाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विद्युत विभाग के कटौती पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। वहां बिजली की स्थिति बहुत जर्जर है। बुनकर की रोजी-रोटी उस पर आधारित है। यहां पर 4-6 घण्टे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। वहां पर बिजली के तारों की स्थिति बहुत खराब है उनको बदलवा दिया जाय। वहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सब स्टेशन लगा दिया जाय ताकि बिजली की स्थिति ठीक हो सके । मान्यवर, बिजली है नहीं । कहीं-कहीं पर सिर्फ खम्भे खड़े हैं । तार हैं नहीं ।

माननीय मंत्री जी ने पहले प्रस्ताव मांगा था हमने पांच गांवों का प्रस्ताव दिया था लेकिन कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बिजली की व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय कुंवर रेवती साहब द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा आजमगढ़ जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर बिजली की कटौती बहुत हो रही है । हमारे गांव के बगल में हाफिजपुर थर्मल पावर हाउस है जो बिजली का भण्डार है । वहां से बिजली आपके बलिया, मऊ, सुल्तानपुर और लखनऊ तक आती है । अनेक जिलों में सप्लाई होती है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजमगढ़ जिले में हाफिजपुर से बहुत कम बिजली आती है और कटौती बहुत ज्यादा होती है । एक बार स्वर्गीय वीर बहादुर जी के शासन काल में गोरखपुर में एक मंडलीय मीटिंग हुई थी । मैं उस समय विधायक था । हमने मांग की थी कि जो हाफिजपुर का पावर हाउस है उसके पास 32 के०वी०ए० का एक सब स्टेशन बना दिया जाय । वह मेरे गांव से सटा हुआ है । लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय वीर बहादुर जी ने स्वीकृत किया था मगर आज भी वह नहीं बना है । आज फिर मांग करता हूं कि उसको बना दिया जाय ताकि आस-पास के गांव उससे जोड़ दिये जायं और उनको बिजली मिल सके ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें । आपकी बात आ गई है ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, एक मिनट और । दूसरी समस्या यह है कि मेरा क्षेत्र आजमगढ़ नाम से है इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

हमारे तहबरपुर क्षेत्र में सफीपुर सब स्टेशन है वहां की मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है । मैं इस पर सदन में उल्लेख कर चुका हूं । पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगवाई जाय । पुरानी मशीन होने के कारण मशीनें जल्दी जल जाती हैं जिससे बिजली महीनों नहीं रहती है मैं कहना चाहूंगा कि तहबरपुर सफीपुर सब स्टेशन है उसकी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगवाई जाएं । दूसरी बात दो सब स्टेशन आजमगढ़ शहर के पास में स्वीकृत हुआ है ।

एक भवरनाथ था दूसरा जाफरपुर इसमें आज तक कोइ काम नहीं हुआ है । जल्दी से जल्द विकास के नाम पर तत्काल बनवाने की कृपा करें । हमारे यहां बिजली हफ्तों महीनों नहीं आती है । शहर की हालत यह है कि सुबह 5 बजे से गायब हो जाती है । शाम को आती है शहर तथा गांव के विद्युत के तार जीर्ण तथा पुराने हो गये हैं । जो प्रायः टूट कर गिर जाते हैं उसे बदलकर नये तार लगा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोतीलाल पैलवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे जनपद खीरी में चार गांव कुकुहापुर, गांगूपुर, मानकपुर, सुंआभोज में कई सालों से खम्भे लगे हैं । लेकिन वहां तार नहीं है कुकुहापुर में सामान पड़ा है । वहां खम्भे गड़े नहीं हैं तत्कालीन अवर अभियन्ता जो सामान स्टोर से लेकर उन गांवों में गए थे आधा काम कराकर उनका देहान्त हो गया । इसलिए इन गांवों में काम बिल्कुल अधूरा पड़ा है । मैं जब उन गांवों में जाता हूं लोग शिकायत करते हैं । इसलिए इन चार गांवों का विद्युतीकरण किया जाए । मैलानी में एक उपकेन्द्र बनाया जाए ।

* श्री छोटेलाल गंगवार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । अभी ऊर्जा मंत्री जी बरेली गये थे वहां पर बरेली की जनता से दो वायदे करके आए थे । 1997-98 में जिन गांवों का विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ है उन गांवों का विद्युतीकरण करा दिया जाएगा । वहां पर पैसा पड़ा है लेकिन विभागीय कमी के कारण काम नहीं हो रहा है । पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है । 1997-98 में जिन गांवों में विद्युतीकरण होना था अभी तक उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

मेरा अनुरोध है कि उस पैसे को रिलीज किया जाए । दूसरा वायदा यह किया था कि बरेली महानगर के अन्दर बिजली की कटौती नहीं की जाएगी । हमारे यहां के एक मंत्री बहोरनलाल जी हैं । विद्युत आपूर्ति वहां न होने के कारण फतेहगंज के लोगों और पश्चिम के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था जिनमें से 45 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया है । इस पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें । इन शब्दों के साथ मैं श्री रेवती रमण सिंह के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री रेवती रमण सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं । मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, मैं चन्दौली जनपद से आता हूं । चन्दौली की कुछ समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद चन्दौली नया जिला गठित हुआ है । चन्दौली जनपद में भमौली पम्प कैनाल में 13 तारीख से बिजली की सप्लाई जिस फीडर से की जा रही है उस फीडर का ट्रांसफार्मर जला पड़ा हुआ है, वह बदला नहीं गया है जिससे लाखों लाख किसान भुखमरी के कगार पर हैं । वह धान की नर्सरी नहीं डाल पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस ट्रांसफार्मर को अविलम्ब बदलने की कार्यवाही करें ।

*श्री छोटे लाल राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कुंवर साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में तो है ही लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में बिजली दूसरे जिले

* वक्ता ने भाषण का [illegible] नहीं किया ।

से ली जाती है जबकि मेरे यहां सब स्टेशन 3 महीने से बना पड़ा हुआ है, उसको चालू नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सब-स्टेशन तेंदवाईकला को शीघ से शीघ्र चालू की जाये। क्योंकि धान की रोपाई का समय है और किसान को बिजली नहीं मिल रही है बरसात भी नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में धान की रोपाई कैसे करें ?

मान्यवर, मेरा क्षेत्र बुनकरों का क्षेत्र है, बुनकरों की आबादी ज्यादा है उन्हें बिजली कम मिलती है। ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हसवर भोजपुर में 3 महीने से, नेवारी गांव जहां बुनकर अधिक हैं वहां दो महीने से, अहिरौली रानीपुर भरौली में 4 महीने से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। किसानों ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अधिकारियों को पैसा भी दे दिया है लेकिन ट्रांसफार्मर अभी नहीं लगा है। माननीय मंत्री वहां पर ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगवाने का कष्ट करें जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अधिष्ठाता पीठ पर श्री मुन्ना सिंह चौहान आज 4 घण्टे से ज्यादा समय तक बैठे रहे, उनका ज्ञान बढ़ गया है, उनकी आत्मा ऊंची हो गयी है। यह दो मिनट में अपने कुछ सुझाव रखना चाहते हैं। कृपा करके इनको सुन लें।

* श्री सतीश जतारिया–

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बुन्देलखंड में बिजली की समस्या अत्यन्त गंभीर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि झांसी जनपद में गंभीर विद्युत संकट है। वहां पर 60 प्रतिशत बिजली मिलती है। 40 प्रतिशत बिजली नहीं मिलती है।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भोले-भाले गांव के लोगों को बिजली की परेशानी ज्यादा है। 10-10 महीने तक बिजली नहीं रहती है लेकिन बिल बराबर चलता रहता है, इससे यह होता है कि वह बिजली का उपयोग भी नहीं करते हैं और उनसे पैसा भी लिया जाता है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय कुंवर साहब के कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं। आज सारे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था एकदम चौपट है और सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोग विपक्ष की बातों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अधिकारीगण यहां बैठे हैं, यही कारण है कि यहां की बातों को फिर वह भी हल्केपन से लेते हैं और बातों को गहराई से नहीं लिया जाता है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र किसनी के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां कुसमरा नगर पंचायत में एक सब स्टेशन निर्माणाधीन है, भवन का निर्माण हो गया है, बाउन्ड्री वाल वगैरह बन गई है लेकिन विद्युत संयत्र अभी नहीं लगे हैं, लाइनें अभी नहीं खिचीं हैं, इस कारण से इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

बिजली का अभाव होने के कारण वहां के किसानों को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। किसान अपनी पैदावार भी खेत से नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि वहां एक मात्र सब स्टेशन चौराईपुर में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुसमरा वाले सब स्टेशन के लिये धन का आवंटन किया जाना था, जिससे आगे का काम शुरू किया जा सके, इसके लिये मेरा निवेदन है कि धन आवंटित कर दिया जाय ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में पचासों ऐसे गांव हैं, जहां 10 वर्षों से खम्भे खड़े हैं, तार भी डाले जा चुके हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर न होने के कारण बिजली चालू नहीं हो सकी है । अतः वहां यथाशीघ्र ट्रांसफार्मर रखवा दिये जायें, इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो कल प्रश्नकाल के उपरान्त, आज जो लोग रह गये हैं, वह अपने सुझाव दे देंगे, मैं अपने अधिकारियों को बुलवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं सुझाव आ गये हैं, अब कुछ नहीं, बस समाप्त होने को है ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, जो आज ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज सत्ता पक्ष की तरफ से इस बजट पर बड़ी वाहवाही लूटी गई, जबकि यह लोग भी विद्युत की व्यवस्था से पीड़ित हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोपालपुर में बिलरियागंज ब्लाक में एक हफ्ते से बिजली नहीं है, चारों ओर त्राहि-त्राहि मची है, पानी भी नहीं मिल पा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम महराजगंज फीडर व बनकर फीडर की यही स्थिति है से जोड़कर वहां की विद्युत सप्लाई की जाय ।

मान्यवर, हमारे यहां देवारा क्षेत्र बाढ़ से ही पीड़ित रहता है वहां पर विद्युतीकरण की व्यवस्था की सैकड़ों गांवों में भी नही है । इसके साथ ही यह जो कटौती का प्रस्ताव माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखा गया है उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग की कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मान्यवर, जब से यह सरकार आई है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके कारण विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है । मान्यवर, गोण्डा जनपद में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में बगदर, मोतीगंज, रेहरा फीडर हैं जो 30-35 कि०मी० की दूरी पर है और एक ही लाइनमैन है जब भी तार टूट जाता है तो वह जल्दी ठीक नहीं हो पाता है और किसान को विद्युत नहीं मिल पाती है । मान्यवर, हमारे यहां सिलाई बाजार और साबरपुर बाजार में 32 के० वी० का विद्युत केन्द्र खोला जाय इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो यह कहते हैं कि हम 72 घंटे में बदल देंगे लेकिन एक-एक हफ्ता हो जाता है वह बदले नहीं जाते हैं एस० ई० कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा दिलवा दो तो ट्रांसफार्मर आयेगा, खम्भे आयेंगे, तार आयेंगे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सन् 52 से लेकर आज तक पुराने तार नहीं बदले गये हैं इसको बदला जाय तभी विद्युत व्यवस्था ठीक होगी । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कुछ अम्बेडकर गांव हैं और कई ऐसे पुरवे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं किया गया है कुछ ऐसे गांव हैं जैसे गड़रही, हरनाटायरमाड़ा, लौगड़ा, खुरीहन, टड़हला, वक्रूटा, दलपतपुर, भोपतपुर बाजार, दीननगर,

रतनपुर, बुकनापुर आदि अनेक गांव हैं जहां खम्भा पड़ा है या विद्युत लाइन बगल से निकल गई है तो उसका विद्युतीकरण मान लिया गया है। इन गांवों का सर्वे कराकर विद्युतीकरण कराया जाय। मान्यवर, निजी नलकूपों को तत्काल विद्युत कनेक्शन दिया जाय और गांव में 4 घण्टे ही बिजली मिलती है अतः उसी के हिसाब से बिल भी भेजा जाय। जनपद गोण्डा में ऊर्जा अनुश्रवण की बैठक नहीं होती है यदि तीन महीने में भी बैठक हो जाय तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाय। मेरी मांग है कि यह बैठकें हों।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जो टोटल एनर्जी जनरेशन का है वह 5775 मेगावाट है उसमें से 4271 मेगावाट थर्मल पावर है और 1504 हाइड्रो पावर है आप यदि इसको देखें तो 75 और 25 के अनुपात में है। मैं एक खतरे की तरफ इशारा करना चाहता हूं। कल भी हम बात कर रहे थे। यदि इकोलोजी दृष्टि से हम देखें तो जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट है, एक ऐसा विकास हो जो चिरस्थाई हो सके।

थर्मल पावर स्टेशन से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे पर्यावरण की धुंआ, राख व गर्मी का प्रदूषण तो है ही जो हम थर्मल पावर जनरेट कर रहे हैं उसकी यूनिट कास्ट है 1.60 रु० और हाइड्रोपावर की कास्ट है केवल 22 पैसे हम आज 22 पैसे की जगह 1.60 पैसे यूनिट कास्ट पर जनरेट की हुई बिजली को बढ़ावा दे रहे हैं। डा० होमी जहांगीर भावा ने पचास के दशक में महसूस किया था कि जो परम्परागत ऊर्जा के श्रोत हैं जैसे कोयला, तेल इत्यादि में एक दिन समाप्त जरूर होंगे तभी उन्होंने एटामिक एनर्जी को जोरदार पहल करके

[समय 9.00 बजे]

उसको रिव्यूलनाईज किया एक कंसेप्ट के जरिये। मान्यवर, 20-25 साल बाद इस देश की इस सूबे की स्थिति क्या होगी। पानी स्थायी स्त्रोत है वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयले के भण्डार खत्म होने जा रहे हैं जो कोयला आ रहा है उसमें कंटेन्ट ऐसे हैं जिससे थर्मल पावर स्टेशन सुचारु रूप से चलने में दिक्कत है। मान्यवर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई वेस्टेड इन्टरेस्ट प्रिवेल कर रहा है, हम किसी विदेशी शक्ति के दबाव में कामकर रहे हैं। 1 रु० 60 पैसे की दर से बिजली बनाने के लिए सवार हैं, लेकिन जो 22 पैसे में बन रही है उसके लिए तैयार नही है। कोई कह दे कि हम हिन्दुस्तान का निजीकरण कर देंगे तो क्या कोई सहमत होगा, नहीं होगा। हम पानी का निजीकरण कर रहे हैं प्राइवेट कं० को दे रहे हैं। अगर आपको देना है तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम निजी सेक्टर में दें।

अमेरिका है, एक मिनट बिजली नहीं जाती, यह कहा जाता है। हमारे यहां बम्बई में टाटा की व्यवस्था है, बिजली नहीं जाती है। उसकी व्यवस्था न्यूयार्क से भी बेहतर है। आपको सर्विस सेक्टर को प्राइवेटाईज करना चाहिए। जनरेशन में किसी ने कोई दिक्कत नहीं बतायी। जो हमारे हिन्दुस्तान का इरीगेशन डिपार्टमेन्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के उनमें ऐसे एक्सपर्ट हैं जो दुनियां में नं० एक हैं। केवल

नीतिगत फैसले की जरूरत है । आज प्रतिभायें बरबाद हो रही हैं उनके लिये काम नहीं है । आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

स्वामी ओइमूवेश–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

स्वामी ओइमूवेश–

मान्यवर, जब सबको मौका देते हैं तो मुझे भी दें । मैं तो शोर भी नहीं मचा सकता हूं, न ज्यादा खड़ा होता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप हाथ से ही इशारा कर देते, अवसर दे देता ।

श्री स्वामी ओइमूवेश–

मान्यवर, मैं श्री रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं । बिजली घरों में जो जे० ई० कार्य करते हैं, उनके आवास वहीं बने हुए होते हैं । वह वहां पर रहते नहीं हैं । उनको वहां पर रहना चाहिये । जब वे वहां पर रहने लगेंगे तो निश्चित रूप से बिजली में सुधार आयेगा । लाईनमैन भी लोकल होते हैं, वे शराब के नशे में धुत रहते हैं । जो फाल्ट होते हैं, उनको वे टाइम पर सही नहीं करते हैं, जिसके कारण बिजली अव्यवस्थित रहती है । मेरे क्षेत्र उलेड़ा में एक बिजली घर है, जिसमें 36 कि० मी० दूर पीपलसाना से लाइन आती है ।

अधिकारियों से बैठक करके यह प्रस्ताव किया था कि इसे पृथ्वीपुर से जो 15 कि० मी० की दूरी पर है, वहां से जोड़ दिया जाय तो बिजली की आपूर्ति ठीक हो जायेगी । हमारे यहां बास्टा में एक बिजली घर है, 2-3 साल से वह स्वीकृत हुआ है । भवन उसका बन चुका है परन्तु इधर 6 महीने से उस पर अग्रिम कार्य बन्द हो गया है । मैंने मंत्री जी को लिखकर भी दिया है, पुनः फिर लिखकर दे दूंगा । इसलिये इस पर कार्य शुरू कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* ग्राम्य विकास मंत्री (श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की चर्चा हुई जब बी० एस० पी० ने माननीय कल्याण सिंह जी के पीठ में छूरा भोंका तो उस समय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी स्थिरता प्रदान करने के लिए राजनैतिक हीरो बन गये थे और इस प्रदेश की जर्जर विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिये उन्हें जिम्मेदारी सौंपी । विद्युत विभाग की स्थिति में सुधार करके वह हीरो बनेंगे । यहां पर इंग्लैण्ड की चर्चा की । कोई माननीय सदस्य उधर से 36 घण्टे की बात कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि एस० पी० के जब एक बड़े नेता के हारने की संभावनायें बढ़ गई तो तब उस समय यह 36 घण्टे का नाटक उन्होंने करवाया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, जब चारण काल की पुनरावृत्ति होगी तो उचित नहीं रहेगा । माननीय सदस्य श्री नरेश अग्रवाल जी की [x x x] इसलिये कर रहे है कि कहीं सरकार पर संकट न आ जाये । इसलिये किसी अन्य माध्यम से मान्यवर, आप इनकी रक्षा करें ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[X X X]

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के सदस्यों ने यह कहा कि बजट के अन्दर सामान्य जनता के लिए क्या किया गया । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि 811/–रुपये से घटाकर 600/–रुपया कर दिया तो क्या यह कम है । स्टैम्प ड्यूटी जो 100/–रुपया पड़ती थी वह समाप्त कर दी गयी क्या इससे इनको लाभ नहीं मिलेगा । हम विद्युत चोरी रोकना चाहते हैं, कटिया को हटाना चाहते हैं ।

हमारी सरकार ने 1991 में भी शिक्षा जगत में जो व्याप्त भ्रष्टाचार नकल का उसको नकल अध्यादेश ला कर के समाप्त किया था और एक ऐतिहासिक कदम उठाया था उसी तरह से विद्युत के क्षेत्र में भी हम कटियाधारी लोगों को समाप्त करके एक ऐतिहासिक कार्य करेंगे यह मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा । बड़े उद्योगों के लिए, जो वह विद्युत चोरी करते थे तो उस चोरी को रोकने के लिये इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाये गये हैं यह बजट भाषण में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है । हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके द्वारा जो विद्युत चोरी की जा रही है उसको रोकना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अब आप समाप्त करें ।

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है आजमगढ़ उसकी तरफ हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ध्यान दें । वहां की विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

(श्री मोहन सिंह रावत गांववासी जी का नाम पुकारे जाने पर)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान हुआ)

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, जो 10 वर्ष से योजनाएं बन्द पड़ी थीं उन योजनाओं को पूरा करने का जो संकल्प लिया गया है इसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार आज भू तत्व चाहे वह सिंचाई हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो उसका भण्डारण दो सौ वर्ष में समाप्त हो जायेगा और भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी इसलिए जो सस्ती दर पर बिजली उत्पादन का माध्यम है, जल विद्युत योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना चाहिए और जो 10 साल से बन्द पड़ी हुई जल विद्युत सारी योजनाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं एक दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं हमारे पहाड़ों से, उसमें माइको हाइडिल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चाहे वह निजी क्षेत्र में दी जाय या उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा की जाय।

मैं पहाड़ों की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां पर जो मानक एक खम्भे में तीन कनेक्शन वाली बात है उसको हटाया जाय और जो विद्युत वितरण की व्यवस्था है वह ठीक की जाय। जो खम्भे जर्जर हो गये हैं उनको बदला जाय। इन्हीं शब्दों के साथ ऊर्जा मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं उन्होंने इस प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया और गागर में सागर भरा। जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं वह ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं वह सागर में गागर भर रहे हैं और समस्या को पैदा कर रहे हैं।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जो हूं कि मेरे क्षेत्र में 32 गांव हैं, जिनमें बिजली के खम्भे खड़े हैं, लेकिन उनमें तार नहीं है जिसे चोर चुरा ले गये हैं और बिजली नहीं जाती है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें इस बात का कहीं पर भी प्राविधान नहीं किया गया है, वहां पर बिजली की लाइन खींचने का कोई योजना नहीं बनाई गयी है।

मान्यवर, मल्लावां विकास खण्ड में 53 गांवों में 59,59,000 रुपये स्वीकृत हुआ था, 48 गांव जो माधोगंज ब्लाक के हैं, उनके लिये 62,17,000 रुपये स्वीकृत हुये थे, बिलग्राम में 54,53,000 रुपये स्वीकृत हुये थे। इस प्रकार से कुल 1 करोड़ 76 लाख रुपया सन् 1987 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन विद्युतीकरण आज तक नहीं किया गया है, उस पैसे को आज तक खर्च नहीं किया गया है, आपके माध्यम से उत्तर माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि उक्त धनराशि को शीघ्र खर्च करके विद्युतीकरण ग्रामों में करा दिया जाता है कि मान्यवर, माननीय मंत्री जी आदेश करते हैं, लेकिन इनके अधिकारी उनके आदेशों को नहीं मानते हैं। कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, पिछली सरकारें जो आयीं, उसमें जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं कि बम्बई में विद्युतीकरण कैसा है, अमेरिका में कैसा है और लन्दन में कैसा है, यह कार्य क्या पिछली सरकारें नहीं कर सकती थी। क्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयीं है, तभी से यह सुझाव आने शुरू हो गये हैं। उन्होंने जो अपनी गलतियों का एहसास किया उसके लिये धन्यवाद।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि पूरा सदन एकमत है विद्युत के मामले में अव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, चोरी है उस पर सरकार काबू नहीं पा रही है जिसके कारण माननीय सदस्यों ने यहां विस्तार से बताया हैं। आप दो तीन बातों पर कड़ाई से कार्यवाही करें तो गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। एक तो जैसा माननीय मुन्ना चौहान जी ने जो सुझाव दिया है कि जलीय योजनाओं पर विशेष ध्यान दें जैसे मनेरी भाली है, लखवार व्यास योजना है तथा दूसरे जल विद्युत योजनायें हैं, टेहरी योजना का तो पता नहीं क्या होगा। केवल इतनों से ही काम चलने वाला नहीं है। जल विद्युत में 20 हजार मेगावाट आप बना सकते हैं, अगर धन की व्यवस्था करें तो यह काम हो सकता है। यह सस्ती भी है और प्रदूषण मुक्त भी है। जैसा एक और सुझाव मा० मुन्ना सिंह चौहान ने दिया कि आटोमिक इनरजी पर ध्यान दें।

फ्रांस में तो 95 परसेन्ट आटोमिक इनरजी इससे आती है उसी तरह से अन्य देशों में भी है, हमारे यहां नरोरा को छोड़कर कोई और आटोमिक इनरजी का पावर हाउस नहीं है। इस समय तो भारत सरकार भी आपकी है कम से कम दो आटोमिक इनरजी पावर हाउस इस प्रदेश में लाइये। यदि ऐसा हो जाये तो काफी वृद्धि विद्युत उत्पादन में हो जायेगी।

दूसरा आप पारेषण में सुधार करें यह आपकी जर्जर हो गयी है। ट्रांसमिशन आपकी मंथर गति से चल रही है अब 33 के० वी० के पावर हाउसों से काम चलने वाला नहीं है। 400, 800 के० वी० के पावर हाउस नहीं बनायेंगे तो लाइनों में बिजली नहीं पहुंचने वाली है। इलाहाबाद में 400 के० वी० का पावर हाउस बनाया है लेकिन उसकी भी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है मेरी गुंजारिश है आप जब उत्तर भाषण दें तो सदन को अवगत करायें कि यह काम आप कैसे करेंगे इसके लिये धन का जो अभाव है उसे खत्म करिये कहीं से भी हो पैसे की व्यवस्था करिये लेकिन प्रदेश को संकट से उबारिये। मैंने भगीरथ का दृष्टान्त दिया था उस तरफ ध्यान दीजिए अभी नरेन्द्र सिंह जी ने कुछ जीरों की बात कही है आप इस पर मत जाइये। प्रदेश को विद्युत संकट से बचाने के लिए धन की व्यवस्था करिये और भगीरथ बनने का प्रयास करिये आपकी जो वितरण व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा अव्यवस्था है डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट सेक्टर में आपने मुरादाबाद में किया है जितने कैवाल टाउन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर को दीजिए छोटे-छोटे पावर हाउस बनाने का लाइसेन्स दीजिए जिससे काफी सुधार होगा। यहां मार्टिन वर्न कम्पनी थी उस समय शहर के उपभोक्ताओं को बिजली सुचारु रूप से मिलती थी आज तो ऐसा है अगर ग्रिड फेल हो गया तो पूरा प्रदेश अन्धकार में डूब जाता है प्रदेश ही नहीं कई प्रदेश उसके साथ मैं जुड़ जाते हैं।

इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 शहरों में वितरण को प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए और छोटे-छोटे पावर हाउस बनाने की व्यवस्था कीजिए। पहले कभी विद्युत परिषद ने एक निर्णय ले लिया था कि छोटे पावर हाउस बन्द कर दिये जायं। पता नहीं यह निर्णय क्यों लिया गया।

कि छोटे पावर हाउस बन्द करना चाहिये वह बायबिल नहीं है लेकिन आज मेरा मानना है कि छोटे पावर हाउस की नितान्त आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सवा 5 घण्टे हो गये हैं भविष्य में आपसे आग्रह है कि ऊर्जा बजट पर सिंचाई के बजट पर, लोक निर्माण विभाग के बजट पर कम से कम 2 दिन चर्चा रखनी चाहिये । आपने देखा होगा कि चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों उनमें बोलने की जिज्ञासा थी ।

आप प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें पहले 2-2 दिन चर्चा हुई है । उसको आप पुनः स्थापित करें इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये जिससे सभी माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें । इन शब्दों के साथ मैं पुनः तमसो मां ज्योतिर्गमय की उम्मीद करता हूं कि आप प्रदेश को तमसो मां ज्योतिर्गमय के रास्ते पर ले जायेंगे इसी कामना के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् बहुत बहुत धन्यवाद हां पक्ष के माननीय सदस्यों को और ना पक्ष के माननीय सदस्यों को सभी माननीय सदस्यों ने ऊर्जा विभाग के बजट पर अपने-अपने सुझाव दिये । मैंने सोचा था कि विपक्ष से अच्छे उदाहरण आयेंगे और गम्भीरता से ऊर्जा विभाग पर बात करेंगे लेकिन दुख है कि इसको गम्भीरता से नहीं लिया गया लेकिन उसके बावजूद जो सुझाव दिये गये हैं उनको हम गम्भीरता से लेते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सुझावों को कार्यान्वित करते हुये ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो कृत संकल्प है अपने वादों को पूरा करेगा ।

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने बिजली चोरी पर गम्भीरता दिखायी । हम इस सदन में घोषणा करते हैं कि सरकार ने निर्णय लिया है कि विद्युत चोरी रोकने के लिये एक एंटी इलेक्ट्रिक थेफ्ट बनाने जा रही है जिसमें चोरी करवाने वाले और चोरी करने वाले दोनों के लिये सजा का प्राविधान होगा । कुछ माननीय सदयों ने विद्युत परिषद् में कर्मचारियों की कमी की बात कही । सरकार ने निर्णय लिया है राज्य विद्युत परिषद् में साढ़े 6 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी । यह 3 चरणों में होगी और कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जायेगा । हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जो तार चोरी की घटनायें हो रही हैं तो तार चोरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द किया जाय । इस निर्णय को लागू करेंगे । मान्यवर, लखनऊ में लेसू जो है उसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया है । लेसू को एक अथारिटी के रूप में बनाने की हम घोषणा करते हैं । एक इंडिपेंडेंट बाडी के रूप में राजधानी में लेसू की जगह लेसा अथारिटी काम करेगी जिससे लखनऊ की विद्युत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके सुधार ला सकें । सदस्यों ने जे०ई० और ए०ई० की अपने सब स्टेशन पर न रहने की शिकायत करी । हमने निर्णय लिया कि वे अपने सब-स्टेशनों में रहें, जो नहीं रहेंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्यवाही करेंगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक बात कह देता हूं । अभी स्वामी जी ने एक बात कही थी और बहुत यथार्थ है । जे०ई०, ए०ई० के बारे में आपने कह दिया लेकिन जो लाईन मैन है उनका क्या करेंगे । मैंने एक बार निर्णय लेकर उनको अपने पदस्थ जगह से 40 कि०मी० दूर कर दिया था । वही नियम आप लागू कर दें तो अच्छा होगा । लाइन मैंन अपने इलाकों में रहते हैं और 12 बजे कार्यालय आकर 3 बजे चले जाते हैं । गांवों में जब बिजली चली जाती है तो वे तो-तीन दिन तक आते ही नहीं हैं । जब आप घोषणा करें तो यह भी घोषणा कर दें कि सीनियरिटी के हिसाब से उनको 40 कि०मी० दूर शिफ्ट कर देंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कुंवर रेवती रमण साहब ने लाइन मैन की बात कही । हम विश्वास दिलाते हैं कि 2/3 दिन में इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर अवगत करा देंगे इस सदन को और इस प्रदेश को । मान्यवर, हमारा एक ध्येय है । राज्य विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वे जनता को सेवा के लिये कार्य करें न कि अपने लिये । विद्युत गृहों के निजीकरण का प्रश्न उठा । मुरादाबाद, आगरा, कानपुर को निजीकरण में देने की एक बात करी लेकिन बहुत अच्छी पार्टियां नहीं आयीं । हम अभी भी इसके लिये गम्भीर हैं इनको निजी क्षेत्रों में देने के लिये । मान्यवर, वितरण देने के लिये लोगों ने कहा । मैं अपने विधायक साथियों से निवेदन करूंगा कि यदि वे सहयोग करें तो हम तैयार हैं, हर विधायक के क्षेत्र में वितरण प्लाइन्ट पर विद्युत देने के लिये अगर वह उसका पैसा वसूल करके हमको दिला देंगे तो हम उसका बीस प्रतिशत उनके क्षेत्र में लगा देंगे । मुन्ना चौहान जी ने हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया । गम्भीरता की बात करी । यह सही है कि बर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में इतना पानी है कि 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं । बात सही है लेकिन आपने जो कहा है कि उसकी उत्पादन कास्ट 30 पैसे यूनिट आती है । यह आपको किसी ने गलत समझा दिया है । पुराने जो यूनिट लगे हुये हैं इसकी जो उत्पादन कास्ट है वह 33 पैसे पर यूनिट आ रही है लेकिन आज की डेट में जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाये जायेंगे इसकी कीमत कम से कम 1 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट आयेगी ।

हाइड्रो प्रोजेक्ट पर लागत थर्मल प्रोजेक्ट से ज्यादा लगती है । थर्मल पर 4 करोड़ मेगावाट आता है हाइड्रो पर 5 करोड़ आता है । अगर तीस साल के अन्तराल में लगाया जायेगा तो भी उसकी कीमत 1 रुपये 20 पैसे से कम नहीं होगी । जो क्षमता हमारे पास है उसका उपयोग करना चाहिये । इसको गम्भीरता से लेकर सरकार ने हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करी । मनेरीमाली, लक्सरव्यास, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग इसके बाद टिहरी यह सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट पिछली सरकारों ने बन्द किये थे कभी गम्भीरता से नहीं लिया था । हमारी सरकार ने आकर इनको पुनः चालू करने का निर्णय लिया और उसके लिये धन भी आवंटित किया । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अधिकांश योजनायें इसी साल से अपना काम शुरू कर देंगी और हम इस बात के लिये गम्भीर हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करेंगे । कुंवर साहब ने बहुत से बिन्दु उठाये हैं । मैं एक-एक कर के जवाब देता जाऊं ।

परतपपुर के बारे में बीडिंग आई थी एन०आर०आई० आये थे उनको हमने इनवाईट किया था अभी पिछले दिनों केन्द्रीय विद्युत मंत्री लखनऊ आये थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आफर दिया था कि परतपपुर में एन०टी०पी०सी० की तरफ से एक पावर प्रोजेक्ट लगा दें । तो हजार मेगावाट पावर प्लान्ट का मतलब 8,000 करोड़ रुपये । तो जब तक फाइनेंसियल स्थिति अच्छी नहीं होगी पावर प्लान्ट नहीं लग सकता । इसी बीच भारत सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट के रूप में वहां पर प्लान्ट लगाने हेतु स्वीकृति दे दी है और उसे एन०टी०पी०सी० जल्दी ही लगाने जा रही है । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट्स लगे जिससे उत्तर प्रदेश का डेवलेपमेंट हो । जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 46 प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं .....

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

अनपारा सी का बता दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इसको क्यों कैंसिल कर दिया, पिछली सरकारों ने विवाद की वजह से कैंसिल कर दिया । हुण्डई प्रोजेक्ट्स की जिस तरह से बातें उठी । हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, पिछली सरकारों ने क्या किया, नहीं जानते । अनपारा-सी के बारे में जापान सरकार ने जो आफर दिया उसमें उन्होंने जो लागत का प्रपोजल रखा वह प्रपोजल इतना ज्यादा था कि उस हिसाब से विद्युत उत्पादन की दर बहुत अधिक

आती । हमने इण्टरनेशनल विडिंग की और उस विडिंग की अवधि को 31 जुलाई तक के लिये बढ़ा दिया है इसलिये बढ़ाया कि बहुत से लोग आने के इच्छुक हैं उन्होंने राज्य विद्युत परिषद् से अनुरोध किया कि इसकी तारीख कुछ दिन के लिये बढ़ा दें । उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुये बढ़ाया ।

जहां तक आपने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 46 प्रतिशत लोगों की बात कही । हम भी चिन्तित हैं यह सही है कि उत्तर प्रदेश की विद्युत कास्ट जो कन्जूमर के लेविल तक पहुंचाते हैं उसकी एवरेज कीमत 2.40 रुपये आ रही है और उनसे वसूली 1.98 रुपये मिल रही है । आपने बाम्बे से तुलना की, बाम्बे में जो टैरिफ है, कामर्शियल या लाईट एण्ड फैन टैरिफ है वह हमारे टैरिफ से बहुत बड़ा है, हमसे दूना है । लेकिन हमारा कमिटमेंट है, यह जनहित की सरकार है और हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों का विकास करना चाह रहे हैं । हमने दाम नहीं बढ़ाये और उसी रेट पर विद्युत दे रहे हैं आपको एक आंकड़ा बता दें । 1975–76 में जहां तक कृषि में 27 प्रतिशत विद्युत की खपत थी वहीं 1996–97 में 36.2 प्रतिशत हो गई है । गांवों में ऊर्जा की खपत बढ़ी है । उद्योगों में खपत 47.8 प्रतिशत थी वह 23.3 हो गई है । विद्युत चोरी रोकने के लिये तमाम लोगों पर छापे मारे गये, इलेक्ट्रिक मीटर लगवाये गये, तमाम लोगों ने इण्डस्ट्री बन्द कर दी लेकिन हम विद्युत चोरी पर उद्योग चलाने के लिये तैयार नहीं हैं । उद्योग लगाने के लिये रियायत देने की तैयारी है लेकिन विद्युत चोरी नहीं करने देंगे और इसके लिये सख्त से सख्त कदम उठायेंगे । जहां तक सब्सिडी की बात है ग्रामीण क्षेत्र में 1991 से 1997-98 तक जो सब्सिडी थी वह 7168 करोड़ रुपये है । त्यागी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर आ जांय तो 1218 करोड़ रुपये पहुंचती है ।

औद्योगिक सब्सिडी 288 करोड़ की दे रहे हैं, इस प्रकार विद्युत परिषद् घाटे में रहने के बावजूद भी जनता की ऐसी सेवा करने के लिये कटिबद्ध है । आज की तारीख तक जितना पैसा बकाया है, यदि वसूल हो जाय तो विद्युत परिषद् की वैलेंस शीट प्राफिट में चली जायेगी । यदि हम जल संस्थान की बिजली काट देंगे, तो अभी आप लोग ही मुर्दाबाद का नारा शुरू कर देंगे । इसी प्रकार नगरपालिका की बिजली नहीं काट सकते हैं, गांवों से पैसा मिल नहीं रहा है, किसान यूनियन के नाम पर आये दिन आन्दोलन खड़ा कर दिया जाता है, यह सब चीजें हमारे सामने हैं, हमें इसी सामाजिक रूप में ढलकर चलना पड़ेगा लेकिन जो हमारा कमिटमेंट है, सुविधायें पहुंचाने का, उसे हम अवश्य पूरा करेंगे । आप लोग जो कहते हैं इंजीनियर आफिस में नहीं जाता, वह इसीलिये फील्ड में जाने के कारण नहीं मिलता क्योंकि हमने उसे जो काम सौंपा है, उसमें वह लगा हुआ है ।

अन्त में मैं वार्षिक परिव्यय जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिये रखा है, जो प्लान में 88-89 के प्रस्तावित परिव्यय है, उसका मैं विवरण देते हुये अपनी सरकार की गम्भीरता को आपके सामने रखना चाहता हूं । हमने उत्पादन के लिये 698.32 करोड़, पारेषण के लिये 595.20 करोड़, वितरण के लिए 398 करोड़, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 254 करोड़, यू०पी० पावर प्रोजेक्ट्स वाह्य सहायता के लिये 100 करोड़ और अन्य के लिये 2.3 करोड़ रुपये रखे हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर 2046 करोड़ रुपये का प्लान हमने रखा है, यह सब ऊर्जा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये किया गया है, मेरे ख्याल से इस परिव्यय को देखने के बाद कुंवर साहब जैसा गम्भीर व्यक्ति संतुष्ट होगा बाकी जो गम्भीर नहीं है, वह चाहे कुछ भी कह डालें, लेकिन कुंवर साहब की बात को मैं गम्भीरता से लेता हूं । मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार को अभी केवल आठ महीने हुये हैं, मैं इस प्रदेश की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की जनता को राहत दिलाने के लिये पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी । हमनें पिछले 7 दिनों से कहीं पावर कट नहीं किया है, आगे भी हम जनरेशन बढ़ाकर पावर कट नहीं करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय कुंवर साहब अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुये अपने प्रदेश को आगे ले चलें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों के लिये 5-5 गांवों की बात कही गई है तो शहरी क्षेत्र के विधायकों को बार्डों के बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, नगर निगम और स्थानीय निकाय के बारे में क्या कह रहे हैं यह बता दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पैसा दिया है उसमें एक साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी अभी तक विद्युतीकरण नहीं करा पा रहे हैं तो हम इतना चाहते हैं कि उसके अन्तर्गत बिद्युतीकरण एक माह में कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह सरकार जब से आई है उसने विद्युतीकरण का काम तेज किया है हमने पहली प्राथमिकता नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की दी है जो 31 जुलाई तक पूर्ण हो जायेगा उसके बाद गांवों को विद्युतीकरण का मामला युद्धस्तर पर शुरू होगा हमारे जो नगर क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने जो नगर क्षेत्र के विद्युतीकरण की बात कही है उनका विद्युतीकरण कैसे हो, एक्ट के हिसाब से उसको टेकअप नहीं कर सकते। कल हम बैठ लेंगे और विचार कर लेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 95–96 और 96–97 में माननीय मंत्री जी ने प्रारम्भ में कहा कि सारे विधायक अपने पूर्वांचल विकास निधि का धन और अगर सुनिश्चित विकास निधि का धन अगर विद्युतीकरण के लिये दे दें तो प्रदेश का नक्शा बदल सकता है लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी जनपदों में जिसमें मेरा भी जनपद शामिल है 95–96 और 96–97 का जो पैसा पूर्वांचल विकास निधि और सुनिश्चित विकास निधि से दिया गया था आज तक विद्युत परिषद् उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया है योजनायें अधूरी पड़ी हैं। यह बड़ा गम्भीर मसला है कि जब पैसे का उपयोग नहीं होगा तो और उसमें कैसे दिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जो जनपद हैं उनको देख लें।

श्री अध्यक्ष–

देख लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इन सारी योजनाओं का जिक्र किया गया जितना कमिटमेंट है अपनी बात का। मान्यवर, 5*5 गांव के विद्युतीकरण का कमिटमेंट किया था, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन 5-5 गांवों का क्या हुआ क्या इसी तरह की आपकी घोषणा है जिसका जिक्र आपने किया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी वर्कशाप होने के बावजूद भी जो ट्रांसफार्मर प्राइवेट कं० से सुधरवाये जाते हैं पर काफी धनराशि बोर्ड की खर्च होती है और आपके वर्कशाप का उपयोग नहीं हो पाता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 1996–97 में हमारे वर्कशाप में 9278 ट्रांसफार्मर रिपेयर हुये थे मेरी सरकार आने पर वर्कशाप पर कार्य तेजी से कराने का प्रयास किया गया इन 9 महीनों में 11690 ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया गया, बोर्ड ने निर्णय लिया है वर्कशाप जो डेड थी उनको भी ठीक कर रिपेयर का काम ज्यादा से ज्यादा करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

नहीं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,47,52,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2–7–98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई की मेरठ नगर में प्रतिदिन सड़कों पर आ रहे कूड़े के निस्तारण हेतु कचरे से बिजली बनाने की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की जनपद बहराइच के थाना जरवल रोड की पुलिस द्वारा ग्राम मीरगंज में सुन्नी समुदाय के मुसलमानों को लूटपाट कर आतंकित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जा रहे कतिपय मार्गो का निर्माण अधोमानक स्तर पर ठेकेदारों द्वारा कराये जाने तथा स्वीकृत दर पर मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई है । अगली सूचना डा० ज्ञानवती सिंह की जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत टप्पल ब्लाक के किसानों की हजारों एकड़ जमीन जमुना नदी के कटान से हरियाणा प्रान्त में चले जाने तथा हरियाणा और दिल्ली के भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन क्रय कर आतंक का वातावरण बनाये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, इस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाय । यह क्षेत्र का गम्भीर मामला है । यह मानवता के साथ मजाक है जो जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों ने वहां के निवासियों के साथ किया है 96–97 में भी गांवों को यमुना की बाढ़ से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और अब की धनराशि उपलब्ध 97-98 में भी बचाव होने पर भी कुछ नहीं किया । वहां के निवासियों की क्या हालत

होगी इसको सोचा नहीं जा सकता है । मैं लोगों के बीच में किस तरह जाऊंगी यहां की औरतें, बच्चे, बूढ़े किसी आशा भरी आंखों से हमको देखते हैं इस पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

[समय 10.00 बजे]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । उस पर आप वक्तव्य आने दीजिये । अगली सूचना श्री गोपाल कृष्ण जी की जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत शारदा पार में बसाये गये विस्थापित हजारों परिवारों के पुनः शारदा नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में आ जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । शेष सूचनायें जो अस्वीकार हुई हैं वह सर्वश्री राम विशुन आजाद, अकबर हुसैन, राम औतार शाक्य, पूर्णमासी पंकज, जगदीश नारायण, कृपा शंकर सिंह, कैलाश यादव, अफजाल अहमद, उदयराज यादव, श्रीमती माया प्रसाद, अमित अग्रवाल, समरपाल सिंह, अजय कुमार पोइया, धर्मज्ञ मिश्र, दद्दू प्रसाद, स्वामी ओइमवेश, नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, अजय भट्ट, अम्बरीष कुमार तथा श्री राम जग की है ।

(मद संख्या–15, 16, 17, 18, 19, 20 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

उत्तर प्रदेश पुलिस में, पुलिस उपाधीक्षकों के पदों पर पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य.

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली–1942 के नियम–5 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भर्ती दो श्रोतों द्वारा की जाती है । प्रथम लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा दूसरी लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोन्नति/चयन समिति की बैठक आयोजित कर स्थायी निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रोन्नति द्वारा ।

2–उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली–1942 के नियम–5 के उप नियम (11) में यह प्राविधान है कि ऐसे पुलिस उप निरीक्षक जो पुलिस निरीक्षक की अस्थायी/स्थानापन्न रिक्ति पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, को यदि राज्यपाल चाहें तो जनहित में ऐसे पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान कर सकते हैं ।

3–वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा का कुल नियतन 1058 का है । इसमें से 529 पद सीधी भर्ती व 529 पद प्रोन्नति कोटे के लिये आवंटित है । वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार प्रोन्नति कोटे के 529 पदों में से 10 पद अनुसूचित जनजाति के पुलिस उपाधीक्षकों लिये बनते हैं ।

4–वर्ष 1997 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1988-85 से वर्ष 1997-98 तक की प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति/चयन समिति की बैठक आयोजित कर स्थायी/पात्र निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी थी जिसमें अनुसूचित जनजाति की 10 रिक्तियों में से मात्र 02 स्थायी/पात्र निरीक्षक उपलब्ध होने के कारण उसे पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी है । सम्प्रति शेष 08 रिक्तियां उपलब्ध है ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

5–वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के पात्र निरीक्षक उपलब्ध न होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली–1942 के नियम–5 के उप नियम (11) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के संबंध में अनुसूचित जनजाति को ऐसे पुलिस उपनिरीक्षकों जो निरीक्षक के पद पर स्थायी नहीं हैं और दो वर्ष या उससे अधिक समय से पुलिस निरीक्षक के अस्थायी/स्थानापन्न रिक्ति पर कार्य कर रहे हैं, को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही तत्परता पूर्वक की जा रही है । चूंकि पुलिस उपाधीक्षक का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है और पुलिस उपाधीक्षक के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल है अतः अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की पुलिस उपाधीक्षक की आरक्षित 08 पदों पर प्रोन्नति/चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । शासन की मंशा अनुसूचित जनजाति के निरीक्षकों को शीघ्रातिशीघ्र प्रोन्नति किये जाने की है तथा इस हेतु ठोस सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं ।]

जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में भयंकर रूप से फैली कालरा की बीमारी से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

[जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चक, देवरा तथा कुंवाडीह में गत एक सप्ताह से भयंकर कालरा फैलने एवं अब तक उक्त गांव में पांच बच्चों की मृत्यु की मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद द्वारा बतायी गयी स्थिति के अनुसार अवगत कराना है कि ग्राम चक थामा से दिनांक 13-6-98 को रात्रि 8.45 बजे चकथामा निवासी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा दूरभाष से जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष, इलाहाबाद को दी गयी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी, मंझनपुर को दिनांक 13-6-98 को ही रात्रि 9.40 बजे निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही हेतु वायरलेस भेजा गया तथा दिनांक 14-6-98 को प्रातः जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष से जिलास्तरीय टीम समस्त आवश्यक दवाओं सहित डा० पी० एल० गुप्ता एवं डा० वी० के० मिश्रा, चिकित्साधिकारियों सहित रवाना कर दी गई । मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत संक्रामक रोग से ग्रसित तीन ग्रामों की स्थिति निम्नवत् है :–

1–ग्राम चकथामा की कुल आबादी 2250 है । इस ग्राम में उल्टी, दस्त से ग्रसित 17 रोगी पाये गये, जिनका उपचार जिला स्तरीय टीम के चिकित्साधिकारियों द्वारा किया गया और उनको सभी आवश्यक दवायें दी गयी परन्तु इनमें से एक लड़की नीतू पुत्री श्री संतोष कुमार, आयु 4 वर्ष की हालत अत्यन्त गम्भीर होने के कारण तीन बोतल (2डी० एन० एस०, एक आर० एल०) दिया गया तथा अन्य आवश्यक औषधियां देकर उसकी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये चिकित्सालय में भर्ती कराने की सलाह दी गयी । परन्तु उनके परिवार जनों द्वारा लक्षणों में सुधार देखकर टीम द्वारा दी गयी सलाह को नजरअन्दाज करते हुये उसे चिकित्सालय में भर्ती नहीं कराया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु दिनांक 15-6-98 को हुई । इसके अतिरिक्त दो बच्चे आधार पुत्र श्री रामहित, आयु 4 माह जो दिनांक 8-6-98 को बुखार से ग्रसित हुआ था साथ में पतले दस्त हो रहे थे, की मृत्यु 11-6-98 को हुई तथा दूसरा बच्चा छेद्दू पुत्र श्री ननकू, आयु 5 वर्ष, जो दिनांक 12-6-98 को दस्त रोग से प्रभावित हुआ था, की मृत्यु दिनांक 13-6-98 को हो चुकी थी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त ग्राम में मात्र एक पेयजल का कूप था, जिसके पानी को विसंक्रमित कर दिया गया है। शेष 10 कुएं सूखे थे। ग्राम में कुल 22 हैण्ड पम्प हैं, जिसका पानी पीने हेतु ग्रामीणों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हैण्ड पम्प के पानी को और शुद्ध पीने योग्य करने के लिये ग्रामवासियों को 2000 क्लोरीन की गोली वितरित की गयी है और प्रयोग के संबंध में जानकारी दी गयी। 178 ओ० आर० एस० पैकेट का वितरण अन्य आवश्यक दवाओं के साथ किया गया। पूरे ग्राम में घर-घर जाकर रोगियों को देखा एवं उपचार किया गया। टीम द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी, मंझनपुर को ग्राम की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए युद्ध स्तर पर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य से बात कर दो कक्षों में रोगियों की भर्ती का प्रबन्ध कर उपचार प्रारम्भ किया गया और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो गयी तब तक निरन्तर उपचार किया जाता रहा।

2–ग्राम देवरा जिसकी कुल आबादी 1200 है, में उल्टी, दस्त से ग्रसित रोगियों की दिनांक 15-6-98 को सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी चिकित्साधिकारी, मंझनपुर द्वारा युद्ध स्तर पर उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की गयी। इस गांव में उल्टी, दस्त से ग्रसित 12 रोगी पाये गये, जिसमें से एक रोगी राजू पुत्र सिरपी, उम्र एक वर्ष, जो दिनांक 13-6-98 को बीमार हुआ था और दिनांक 14-6-98 को उसकी मृत्यु हुई थी।

घर-घर जाकर सभी रोगियों को देखकर उपचार किया गया। दिनांक 16-6-98 से प्रभारी चिकित्साधिकारी, मंझनपुर द्वारा निरन्तर नियमित निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 17-6-98 को मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद, जिला स्तरीय संक्रामक रोग निरोधक टीम एवं समस्त आवश्यक औषधियों सहित स्वयं ग्राम चकथामा एवं ग्राम देवरा जाकर घर-घर रोगियों को देखकर आवश्यक औषधियों द्वारा उपचार करवाया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद ने अपने भ्रमण के दौरान उक्त ग्रामों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला एवं पुरुष क्रमशः श्रीमती राजकुमारी पाल तथा श्री जीत नारायण को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण दिनांक 19-6-98 को निलम्बित कर दिया है। ग्रामवासियों को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु "क्या करें, क्या न करें" की जानकारी दी गयी।

3–ग्राम कुंवाडीह जिसकी कुल आबादी 500 है, में उल्टी, दस्त से ग्रसित रोगियों के संबंध में दिनांक 18-6-98 को रात्रि 9.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंझनपुर के फार्मासिस्ट ने दूरभाष से ग्राम कुंवाडीह की वस्तुस्थिति से जिला स्तरीय संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। सूचना प्राप्त होते ही जिला स्तरीय तत्कालीन रात्रि में ही उक्त ग्राम में पहुंच कर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की गयी।

उक्त ग्राम में कुल 34 रोगी उल्टी, दस्त से प्रभावित पाये गये। गांव के दो पेयजल कूपों का विसंक्रमण किया गया है। ग्राम में घर-घर जाकर रात्रि में ही सभी रोगियों को देखकर चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया एवं आवश्यकतानुसार ड्रिप भी दी गयी तथा आक्सीटेट्रासाइक्लीन इन्जेक्शन, कैपसूल टी० सी०, ओ० आर० एस० पैकेट आदि देकर उपचारित किया गया। प्रभावित रोगियों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत उक्त तीनों गांव में दिनांक 20-6-98 को अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम चकथामा, देवरा एवं कुंवाडीह का सघन भ्रमण कर चिकित्सीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिये गये। दिनांक 21-6-98 को डा० ए० के० मिश्र तथा डा० भगवत पाण्डेय, जिलास्तरीय टीम सहित उक्त तीनों ग्रामों में जाकर स्थिति की समीक्षा की

तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद के निर्देशानुसार प्रभारी चिकित्साधिकारी, मंझनपुर इन ग्रामों की विशेष निगरानी रख रहे हैं तथा प्रतिदिन जिला स्तरीय संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष, इलाहाबाद को स्थिति से अवगत करा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है।]

जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टाप बनाये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[हरिद्वार से रुड़की जाने वाली परिवहन निगम की बसों के लिये सामान्य मार्ग गुरुकुल रोड स्थित पुरानी चुंगी से होकर ही है। यहीं से रुड़की होकर सहारनपुर एवं मेरठ की ओर जाने वाली बसों का मार्ग है। गरुकुल रोड स्थित पुरानी चुंगी से बसों का प्रभावी आवागमन करने के लिये दिनांक 29-6-98 से यहां एक टी० आई० की तैनाती कर दी गई है।

2–गुरुकुल रोड स्थित पुरानी चुंगी निगम की साधारण बसों के लिये पेपर स्टापेज है। यहां से बसों की बुकिंग संभव नहीं है क्योंकि यह स्थान भीड़-भाड़ वाला है। यहां पर बुकिंग व्यवस्था किये जाने पर ट्रैफिक के आवागमन में अवरोध भी उत्पन्न होगा। यहां पर परिवहन निगम द्वारा बुकिंग स्टेशन रोड बनवाना अपेक्षित नहीं है।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में स्थापित स्टील फैक्टिरियों के आर्थिक संकट के कारण बन्द होने से उत्पन्न गम्भीर बेरोजगारी की समस्या के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

[जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में स्थापित स्टील फैक्टिरियों के आर्थिक संकट के कारण बन्द होने से उत्पन्न गम्भीर बेरोजगारी की समस्या के संबंध में श्री भारत सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह अनुरोध किया गया है कि लोक महत्व के इस प्रकरण पर समस्या का समाधान मा० सदन के संज्ञान में लाकर उत्तराखण्ड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु गठित मा० मंत्रिपरिषद् की उपसमिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन कराकर उद्योगों को चलाया जाये।

उत्तरांचल क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति वर्ष, 1994 में विशेष प्राविधान किये गये हैं ताकि इस कठिन क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाये मिल सकें। पर्वतीय क्षेत्र के समस्त जिलों को सर्वाधिक पिछड़ा जिलों में मानते हुए व्यापार कर छूट के लिये "अ" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश के 250 प्रतिशत तक व्यापार कर छूट की सुविधा 12 वर्ष के लिये उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में औद्योगिक इकाइयों में व्यापार कर छूट के 5 प्रतिशत के प्रतिबन्ध से पर्वतीय क्षेत्र की इकाइयों को मुक्त रखा गया ताकि प्रारम्भिक वर्षों में उनके उत्पाद बाजार में अपना स्थान बना सकें। पर्वतीय क्षेत्र में व्यापार कर सुविधा, प्रतिबन्धित (निगेटिव लिस्ट) सूची की उद्योगों को भी उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रदेश के अन्य भागों में अनुमन्य नहीं है। इन इकाइयों को राज्य यातायात अनुदान भी दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश जनपदों के उद्यमियों को आयकर की छूट प्रदान की गयी है।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन सारी सुविधाओं के साथ ही उत्तरांचल के उद्योगों को 31-1-97 तक विद्युत में 33. 1/3 प्रतिशत की छूट प्रथम पांच वर्षों के लिये प्रदान की गयी थी । यह सुविधा औद्योगिक नीति वर्ष, 1990 के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी । इस योजना के समाप्त होने के पश्चात् इसे दो वर्षों के लिये बढ़ाया गया तथा जिन उद्योगों के प्रथम पांच वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें छूट का लाभ अभी भी प्रदान किया जा रहा है । जब तक कि पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती । इस परिप्रेक्ष्य में यह कथन सही नहीं है कि इस योजना के समाप्त हो जाने के कारण पर्वतों के स्टील उद्योग बन्द हो रहे हैं । यह सुविधा प्रारम्भ से ही एक निश्चित अवधि तक उपलब्ध थी तथा इसका विस्तार भी किया गया, योजना को अचानक बीच में बन्द नहीं किया गया है तथा पात्र इकाइयों को इसका लाभ पूर्णकाल के लिये प्रदान किया गया ।

उत्तरांचल क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु इकाइयों को विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मा० मंत्रिपरिषद् द्वारा 17 सितम्बर, 97 को यह निर्णय लिया गया था प्रथम चरण में भारत सरकार की परिभाषा के अनुरूप लघु औद्योगिक इकाइयों पर बिना किसी पूंजी निवेश की सीमा निर्धारित किये हुए 12 वर्ष तक व्यापार कर मात्र 1 प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाए । यह प्रस्ताव केवल उन औद्योगिक इकाइयों को अनुमन्य कराया गया जिनके कार्य करने वाले लोग की 50 प्रतिशत जनसंख्या उत्तरांचल के निवासियों की हो तथा जो प्रदूषणरहित हो । मा० मंत्रिपरिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तरांचल के विकास के लिये व्यापक कार्यकारी नीति एवं योजनायें लागू करने की दृष्टि से मा० मंत्रिपरिषद् की उपसमिति का गठन किया जाए, जिसमें उत्तरांचल विकास विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित मंत्रिगण सदस्य के रूप में रखे गये ।

मा० मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 17-1-98 को आहूत की गयी जिसने अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दी है । जो विचाराधीन है ।

प्रदेश सरकार उत्तरांचल के विकास के लिये पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है तथा उक्त क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण का सृजन करना चाहती है जिसमें अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित हो ।]

जनपद फैजाबाद की सदर तहसील मेंआने वाले मसौधा विकास खण्ड के लगभग 70 गांवों को नवसृजित तहसील सोहावल में शामिल करने से मसौधा ब्लाक के लोगों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना के संबंध में यह अवगत कराना है कि मण्डलों/जनपदों/तहसीलों के सृजन तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन आदि के संबंध में विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित है, जिसकी संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त ही सृजन/सीमा परिवर्तन की कार्यवाही की जाती है । प्रश्नगत प्रकरण भी राजस्व परिषद् को संदर्भित है । विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के बाद ही इस संबंध में शासन स्तर पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद शाहूजी महाराज नगर के पठारी भाग में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

[जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर बांदा मूल जनपद का पठारी एवं अत्यन्त कठिन भौगोलिक संरचना का नवसृजित जनपद है । यहां आसपास के जनपदों की अपेक्षा पेयजल योजना का कार्य दुरुह

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एवं चुनौती पूर्ण है उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद जनपद में किसी भी क्षेत्र में पेयजल का संकट उत्पन्न नहीं हुआ है ।

जनपद के नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था का रख रखाव तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक पाइप योजना करौधी कलां को छोड़कर, जिसका रख रखाव जल निगम द्वारा किया जाता है, शेष समस्त पाइप पेयजल योजना जिसमें पाठा ग्राम समूह पेयजल योजना सम्मिलित है, का रख रखाव झांसी मण्डल जल संस्थान, शाहूजी महाराज नगर द्वारा किया जाता है ।

इस समय छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नगर व ग्रामीण अंचलों में निम्न पेयजल योजना संचालित है :–

1–करौधी कलां पेयजल योजना
2–पाठा पेयजल योजना भाग–1
3–पाठा पेयजल योजना भाग–2
4–मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना
5–बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना
6–पहाड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना
7–राजापुर ग्राम समूह पेयजल योजना
8–सुरसेन ग्राम समूह पेयजल योजना

जहां तक हैण्डपम्पों का संबंध है, जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में अब तक 4387 ग्रामीण क्षेत्र व 331 शहरी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 4718 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं जबकि 1991 की जनगणना के अनुसरण ग्रामीण क्षेत्र में मानक के सापेक्ष केवल 2966 हैण्डपम्प ही अधिष्ठापित किये जाने थे । वर्ष 1998-99 में 527 हैण्डपम्प और लगाये जाने का लक्ष्य है जिसे 1998-99 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा ।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के सर्वाधिक पठारी भाग विकास खण्ड मानिकपुर में मानक के अनुसार 695 हैण्डपम्प अधिष्ठापित होने थे जिसके सापेक्ष अब तक 1160 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं ।

पाठा पेयजल योजना कर्वी, चित्रकूट, मानिकपुर आदि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ 129 ग्रामों में सुचारु रूप से चल रही है ।

करौधी कलां पेयजल योजना से दो ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हो रही है । योजना के शेष 6 ग्रामों में गत वर्षों से पाइप में तोड़ फोड़ हो जाने के कारण उन्हें हैण्डपम्प से संतृप्त कर दिया गया है । इस योजना में विकास खण्ड रामनगर भी आता है ।

मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना भी सुचारु रूप से चल रही है तथा 61 ग्रामों में से 36 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हो रही है । शेष ग्रामों में जल निगम द्वारा हैण्डपम्पों से जलापूर्ति की जा रही है । माह मई व जून में 300 हैण्डपम्प खराब थे जिसमें से 208 की मरम्मत करायी गयी है शेष का कार्य प्रगति पर है । पठारी भाग में गर्मियों में पठारी हिस्से में जल स्तर नीचे चले जाने से कुछ हैण्डपम्प अवश्य सूख जाते हैं ।

वर्ष 1998-99 में जिला प्लान में 45 हैण्डपम्पों के रीबोर का प्राविधान रखा गया है जिसके सापेक्ष अब तक 5 हैण्डपम्पों का रीबोर किया गया है ।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों के रख रखाव का कार्य ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है तथा जल निगम द्वारा उन्हें हर ब्लाक में दो-दो टीम उपलब्ध करा दी गयी है । ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मुझे अपने वक्तव्य पर स्पष्टीकरण पूछना है ।

श्री अध्यक्ष–

जब आपका वक्तव्य आया तो आप सजग नहीं थे । आपने उस समय पूछा नहीं । अब मैं पांच मद आगे चला गया हूं । अब आप कृपा करके बैठ जायं ।

प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हजारों पी०एम०एस० महिला एवं पुरुष, पी०एच०एस० डाक्टरों का एकीकरण कर ज्येष्ठता सूची बनाये जाने संबंधी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई आदि की नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या की तुलना में उनके इलाज हेतु कम सुविधा उपलब्ध होने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई आदि की नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

(मद संख्या 21 पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का नाम पुकारे जाने पर ।)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 10.00 बजे का समय हो गया है । मेरा अनुरोध है कि मद संख्या 21 व 22 की चर्चाओं को अगली तिथि के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूं । पहली बार भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर चर्चा को स्थगित कर दिया गया था । मेरा अनुरोध है कि जब भी आप इनको अगली तिथि में रखे तो अवश्य उस दिन उन पर चर्चा हो जाय

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 21 व 22 पर लगी चर्चाओं का 9 जुलाई को दुबारा चर्चा होगी । तब तक के लिये इन्हें स्थगित किया जाता है उस दिन चाहे कितनी ही रात हो जाय, इन पर चर्चा होगी अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 04 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
2 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

देखिये अता०प्र०सं० 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

विकास खण्ड बक्सी का तालाब, जनपद लखनऊ, की न्याय पंचायत गुडम्बा, रसूलपुर सादात, कुन्डरावां एवं बीबीपुर में वर्ष 1993–94 से 1997–98 तक पंचायत विभाग द्वारा आवंटित धनराशि का ग्राम पंचायतवार विवरण

न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	कार्य (मद)	आवंटित धनराशि	कार्य प्रभारी/संस्था जिसमें धनराशि निर्गत की गई
1	2	3	4	5	6
बीबीपुर	चकपृथ्वीपुर	93-94	स्वच्छ शौचालय निर्माण	56,250	श्री शरद चन्द्र बाजपेई स०नि०ग्रा०प०अ०
		94–95	नि०वर्ग आ० शौचालय	9,918	——तदैव——
		96–97	स्वच्छ शौचालय निर्माण	15,630	श्री सतगुरू वर्मा, ग्रा० पं० अ०
		96–97	खण्डंजा/नाली निर्माण	54,000	ग्राम पंचायत
		97–98	दशम वित्त आयोग की धन०	13,162	ग्राम पंचायत
	जलालपुर	95-96	महिला काम्पलेक्स	27,268	श्री सतगुरू वर्मा, ग्रा०पं०
		96–97	पंचायत भवन निर्माण	45,000	ग्राम पंचायत (भूमि विवादित के कारण धन वापस)
		96–97	स्वच्छ शौचालय निर्माण	15,630	श्री सतगुरु वर्मा, ग्रा०पं०
		96-97	खण्डंजा नाली निर्माण	54,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आयोग की धन०	11,992	ग्राम पंचायत
		94-95	निर्बल वर्ग आवास शौचालय	9,918	श्री सतगुरु वर्मा, ग्रा०पं०अ०
	खेसरावां	94-95	निर्बल वर्ग आवास शौचालय	6,612	श्री सतगुरु वर्मा, ग्रा०पं०अ०
		96–97	खण्डंजा नाली निर्माण	54,000	ग्राम पंचायत
		96-97	पंचायत भवन निर्माण	45,000	ग्राम पंचायत
		96–97	स्वच्छ शौचालय निर्माण	15,630	श्री सत गुरु वर्मा ग्रा० पं०अ०
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	11,137	ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6
दौलतपुर	(बीबीपुर)	96-97	स्वच्छ शौचालय निर्माण	15,630	श्री सतगुरु वर्मा, ग्रा०पं०अ०
		96-97	पंचायत भवन निर्माण	45,000	ग्राम पंचायत
		96-97	खण्डंजा/नाली निर्माण	54,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	20,239	ग्राम पंचायत
	देवरी रुखारा	97-98	स्वच्छ शौचालय निर्माण	29,355	ग्राम पंचायत
		97-98	खण्डंजा/नाली निर्माण	90,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	9,183	ग्राम पंचायत
	टिकारी	94-95	निर्बल वर्ग आवास शौचालय	03,306	श्री सतगुरु वर्मा, ग्रा०पं०अ०
	अर्जुनपुर	94-95	निर्बल वर्ग आ० शौचालय	3,056	श्री सतगुरु वर्मा, ग्रा०पं०अ०
गुडम्बा	गुडम्बा	94-95	निर्बल वर्ग आ० शौचालय	1,528	श्री शरदचन्द्र बाजपेई से०नि०ग्रा०पं०अ०
		93-94	महिला काम्पलेक्स नि०	27,268	——तदैव——
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	9,183	ग्राम पंचायत
	अजनहरकलां	94-95	नि०वर्ग आ० शौचालय	17,050	श्री शरदचन्द्र बाजपेई से०नि०ग्रा०पं०अ०
		97-98	पंचायत भवन निर्माण	45,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	27,405	ग्राम पंचायत
	आधारखेड़ा	94-95	नि०वर्ग०अ० शौचालय	8,265	श्री शरदचन्द्र बाजयेई से०नि०ग्रा०पं०अ०
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	9,966	ग्राम पंचायत
	मिश्रपुर	97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	9,570	ग्राम पंचायत
		94-95	नि०वर्ग आ० शौचालय	12,849	श्री शरदचन्द्र बाजयेई से०नि०ग्रा०पं०अ०

1	2	3	4	5	6
रसूलपुर सादात	रसूलपुर सादात	96-97	स्वच्छ शौचालय	46,515	श्री ओ०पी० पाण्डे, ग्रा०प०अ०
		96-97	महिला काम्पलेक्स	27,268	--तदैव--
		96-97	खण्डंजा/नाली	54,000	ग्राम पंचायत
		96-97	पंचायत भवन	45,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आयोग की धनराशि	29,655	ग्राम पंचायत
	गोइला	97-98	स्वच्छ शौचालय	41,094	ग्राम पंचायत
		97-98	महिला काम्पलेक्स	27,268	ग्राम पंचायत
		97-98	अन्य स्वच्छता	15,198	ग्राम पंचायत
		97-98	खण्डंजा/नाली	90,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आ०	40,910	ग्राम पंचायत
	कपासी	97-98	खण्डंजा/नाली	90,000	ग्राम पंचायत
		97-98	स्वच्छ शौचालय	53,330	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आ०	9,399	ग्राम पंचायत
	रजौली	97-98	दशम वित्त आ०	27,832	ग्राम पंचायत
	बेहटा	97-98	दशम वित्त आ०	21,782	ग्राम पंचायत
	पैगरामऊ	97-98	दशम वित्त आ०	19,523	ग्राम पंचायत
	दसौली	97-98	दशम वित्त आ०	9,084	ग्राम पंचायत
	बसहा	97-98	दशम वित्त आ०	11,218	ग्राम पंचायत
कुम्हरावां	कुम्हरांवा	97-98	दशम वित्त आ०	16,340	ग्राम पंचायत
	गुलालपुर	97-98	स्वच्छ शौचालय	29,460	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आ०	17,808	ग्राम पंचायत
	परसहिया	97-98	स्वच्छ शौचालय	19,125	ग्राम पंचायत
		97-98	खण्डंजा/नाली	90,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आ०	11,371	ग्राम पंचायत
	अल्दमपुर	97-98	दशम वित्त आ०	8,922	ग्राम पंचायत
	उनई	95-96	स्वच्छ शौचालय	15,630	श्री के०वी० मिश्रा ग्रा-पं०अ०
		95-96	खण्डंजा/नाली	54,000	ग्राम पंचायत
		97-98	दशम वित्त आ०	10,606	ग्राम पंचायत
	दरियापुर	97-98	दशम वित्त आ०	8,868	ग्राम पंचायत

पी०एस०यू०पी०-एल० 296 विधान सभा ( )-1998 813 (डी०टी०पी०) ।